राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 16

शुक्रवार

21 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

जिला झुंझुनू में देशी शराब की स्वीकृत दुकानें

457. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुंझुनू जिले में किन-किन स्थानों पर देशी शराब की दुकानें स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार इन स्वीकृत दुकानों के अलावा अनेक स्थानों पर शराब की बिक्री कर रहे हैं।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध चल रही दुकानों को बन्द करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) झुंझुनू जिले में वर्ष 1995-96 के लिए देशी शराब की 50 मुख्य दुकानें एवं 75 उप-दुकानें निर्धारित हैं। इनमें से अभी तक स्वीकृत 50 मुख्य दुकानों एवं 16 उप दुकानों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, नियम विरुद्ध शराब की दुकान चलती पाये जाने पर उसे बन्द कराने का सरकार विचार रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, सवाल के तीन भाग हैं। पहले भाग में आपने दुकानों की लिस्ट दे दी। जहां तक दूसरे भाग का सवाल है, मेरा निवेदन है कि जो निश्चित दुकानें हैं उनके अलावा भी ठेकेदार लोग हर गांव में दुकान चला रहे हैं। आपने कहा कि 'जी नहीं'। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैंने जो इत्तला मांगी है, वह अपनी आंखों से देखने के बाद मांगी है। "आंखें देखी कभी झूठी न होए"। आपने जो इनफार्मेशन दी है, वह अधिकारियों के माध्यम से दी है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

आप नोट कर लीजिए, पहला तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आपके किसी अधिकारी ने प्रश्न पूछने के बाद में या पहले, चार छः महीने में कोई निरीक्षण किया है कि निर्धारित दुकानों के अलावा कोई शराब बिक रही है या नहीं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसी सत्र में 31–3–95 को आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था, भाग (3) में आपने लिखा है कि उदयपुरवाटी कस्बे में मन्दिरों तथा स्कूलों से नियम 75 के तहत प्रतिबन्धित दूरी के भीतर कोई शराब की दुकान स्वीकृत नहीं है। उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड संख्या 15 की दुकान के स्थान बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच कराने पर दुकान नियमानुकूल स्वीकृत पायी गयी। अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो लिस्ट दी है उसमें इस दुकान का कहीं जिक्र नहीं है। आपने यह स्वीकार किया है कि वार्ड नं. 15 में हमारी दुकान चल रही है। लिस्ट जो आपने दी है, उसमें, आप देख लीजिए, उदयपुरवाटी कस्बे में एक दुकान आपकी स्वीकृत है और दूसरी है घोमचक्कर। यह वार्ड नं. 15 का कहीं जिक्र नहीं है।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं 26 और 40 नं. के बीच की बात करना चाहता हूं। जिले का मामला बहुत बड़ा है, बहुत संक्षेप में करना चाहता हूं। गुढ़ापोख की दुकान आपने कहा है, उसमें खोबनकशास खुली दुकानें चल रही हैं। चवरा के लिए आपने एक दुकान के लिए कहा है, वहां चोपुलिया, टकराना, मेनपुरा, कांकरिया, इन गांवों में खुली दुकानें चल रही हैं। आपने बागोली के लिए कहा है एक दुकान के लिए, उस दुकान के अलावा खरा, सूरपुरा गांवों में दुकानें चल रही हैं। तो आपने किस आधार पर यह कहा है कि इन निश्चित स्थानों के अलावा दूसरे स्थानों पर दुकानें नहीं चल रही हैं ?

श्री सुन्दर लाल (सूरतगढ़) : आप तो यह बता दो, झुंझुनू जिले का कोई ऐसा गांव है जहां दारू की दुकान न हो ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे जब भी इस तरह का प्रश्न सदन में आता है, सभी माननीय सदस्य उत्तेजित रहते हैं। यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है, राज्य सरकार भी इसके बारे में चिन्तित रहती है। नियमों में यह प्रावधान है, झुंझुनू जिले में 50 दुकानें····(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी बताया कि राज्य सरकार क्या करना चाहती है ? सरकार भी चिन्तित है, वह बताए।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री अनंग कुमार जैन : वही बता रहा हूं, सुनिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले में 50 मुख्य दुकानें और 75 उप–दुकानें स्वीकृत हैं। अभी जैसे आपने उदयपुरवाटी में वार्ड नं. 15 का जिक्र किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हर वर्ष नये ठेके होते हैं, 31 मार्च के बाद जो नया

(श्री अनंग कुमार जैन)

ठेकेदार होता है, हर शहर, कस्बे या वार्ड में जगह तो फिक्स है कि यहां दुकान खोली जाएगी लेकिन जब नया ठेकेदार आता है तो वह स्थान का नक्शा पेश करता है। एक्साइज विभाग के अधिकृत व्यक्ति उसका मुआयना करते हैं और नियम 75 के अन्तर्गत यदि वह सूटेबल पायी जाती है तो उसकी स्वीकृति दी जाती है। मैंने अभी अपने उत्तर में बताया कि उक्त दुकानें 16 ही स्वीकृत की गयी हैं क्योंकि 31 मार्च के बाद 1 अप्रेल से नया वर्ष चालू हुआ है। ठेकेदार जो लिस्ट देगा, विभाग उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद वह नयी दुकान उसको स्वीकृत की जाएगी।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी विभाग के पास शिकायतें आती हैं, झुंझुनू जिले में पिछले एक वर्ष में 31 मार्च, 95 तक 52 शिकायतें हमको प्राप्त हुई जिनकी लिस्ट भी मेरे पास है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फरमायें तो सारी लिस्ट भी मैं पढ़ कर सुना सकता हूं, लेकिन उसमें सदन का समय जाया होगा।

श्री अध्यक्ष : सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : इन 52 ही शिकायतों पर तत्काल विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई। जो शिकायतें सही पायी गयीं, उनके ऊपर मुकदमें बनाए गये, उनके चालान किये गये और जो शिकायतें गलत पायी गयी, उनको समाप्त किया गया। झुंझुनू जिले में पिछले वर्ष में 75 बार धावे आयोजित किये गये और उनके अन्दर 98 मुकदमें दर्ज किये गये। 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 27 सौ कुछ बोतल अवैध शराब की बरामद की गयीं।

तो लगातार सरकार इस बात का प्रयास रखती है, विभाग को इस बात का ताकीद करके रखती है कि जहां भी अवैध दुकाने पायी जाएं या जो भी शिकायत मिले, उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए और उसी के आधार पर पूरे झुंझुनू जिले के अन्दर 75 बार प्रिवेन्टिव पार्टी ने धावे मारे, 98 मुकदमें दर्ज किये, 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हर बार सरकार इस बात का प्रयास करती है कि इस प्रकार की अवैध दुकानों को बन्द किया जाय और जो लोग इस कार्य के अन्दर लिप्त पाये गये हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जावे और यहां तक कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में उनके खिलाफ चालान भी पेश किया गया है। इसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, हो सकता है इतनी सारी प्रिकाशंस लेने के बावजूद भी कहीं न कहीं ठेकेदार कोई अवैध दुकान चला रहा हो या दुकान न चलाकर किसी गांव के अन्दर अपनी लीकर बेचता हो, माननीय सदस्य यदि मुझे लिस्ट देंगे, मैं निश्चित रूप से अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को भेजकर के उसकी जांच करवाऊंगा और जो भी उसमें दोषी पाया जायेगा ठेकेदार या ठेकेदार का व्यक्ति या गांव का कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, जो एक्साइज एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही

(श्री अनंग कुमार जैन)

की जायेगी, और न्यायालय के अन्दर उसके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा।

दूसरा, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह प्रश्न विधान सभा में उठता रहा है, अभी भी उठता है और पहले भी उठता था, जिला स्तर पर एक्साइज विभाग के अधिकारियों के पास शिकायत जाती है माननीय सदस्यों को पूरा विश्वास नहीं होता कि वह पूरी जांच करते होंगे या ठेकेदारों से नहीं मिले होंगे तो राज्य सरकार ने तय कर जिला स्तर पर एक कमेटी बना दी जो इन दुकानों के लोकेशन के बारे में, लीकर के ठेकेदार कोई गलत काम करते हैं या लीकर की गलत दुकानें खुली हुई हैं, इन तमाम बातों के लिए उनको अधिकार दिया गया है, वह इनकी जांच करेगी। जिला कलक्टर उसके चेयरमैन होंगे, सम्बन्धित विधायक उसके सदस्य होंगे, वह स्वयं भी उसके अन्दर सदस्य होंगे और अपनी राय देंगे, जिला पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी इन चार व्यक्तियों की कमेटी बनायी गयी है। वह कमेटी यदि समझेगी कि यह दुकान गलत खुली हुई है या दुकान सार्वजनिक हित में, चाहे वह नियमों में हो, यहां हटाया जाना आवश्यक है, तो वे अपनी रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त........

श्री अध्यक्ष : दो दिन पहले आप यह बता चुके हैं, बिराजें।

श्री अनंगकुमार जैन : फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता रहा हूं क्योंकि यह विषय बार-बार उठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए राज्य सरकार ने माननीय विधायकों को भी उस कमेटी के अन्दर शामिल किया है और माननीय विधायकों की राय भी उस कमेटी के अन्दर ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, अब बिराजें।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : यह कमेटी की मीटिंग कब हो रही है और कब यह मामला तय हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कमेटी तो हमने बना दी है, इसके आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सवाल पूछा था कि आपने क्या चैकिंग के आधार पर, आपके आफिसर्स के इन्स्पेक्शन के आधार पर "जी हां, जी ना" कहा है या वैसे ही कह दिया है ?

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिले में और छोटी जगह पर यह अफवाह है और लोगों को यह आशंका है कि इन ठेकेदारों की छाया वहां के पुलिस अधिकारियों पर जिले के आबकारी अधिकारियों पर पड़ता है, परन्तु अब मुझे ऐसा पता लगा है कि यह छाया बढ़कर सरकार तक आ गयी है। आपने कहा कि हमने इतने छापे डाले, हमने इतनों का चालान किया, इतने मुकदमें बनायें। क्या आपने एक भी ठेकेदार के आदमी या ठेकेदार पर मुकदमा बनाया ? आपने छापे उन-पर डाले

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं जिनके यहां ठेकेदार गाड़ियों में बैठाकर ले गये, उन पर छापे मारे हैं। मेरी शिकायत सीधी है कि ठेकेदार अनाधिकृत शराब बेचते हैं। आपने एक भी छापा किसी भी दुकान पर नहीं मारा है, उन लोगों पर छापे मारे हैं जहां ठेकेदार ले जाते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, तीसरा मैंने पूछा है कि क्या सरकार नियम विरुद्ध चल रही दुकानों को बन्द कराने का विचार रखती है। माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय के समझ में नहीं आया कि नियम विरुद्ध चलना दूसरी बात है और अधिकृत दुकान के अलावा दूसरे स्थान पर चलाना दूसरी बात है। आपके नियमों में साफ प्रावधान हैं कि बन्द बोतल बेची जाएगी, जिस दुकान को ठेका दिया गया है वहां पर शराब खुली हुई नहीं पिलायी जाएगी, इस बात की शिकायतें आपके पास बार-बार आ रही हैं और मैं इस बात की चेष्टा करता हूं कि विधान सभा के अन्दर ऐसे सवाल नहीं पूछे जायें जिनमें बिना मतलब रुपया खर्च हो और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हो। इस बात को मैंने बार-बार उठाया है, हमारी विजिलेंस कमेटी में भी उठाया है और वहां भी आपके अधिकारियों ने जब हाथ नहीं रखने दिया तब जाकर असेम्बली में आया हूं। माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी स्पष्ट तौर पर बतायें कि किन-किन ठेकेदार के खिलाफ आपने चालान पेश किये हैं? कब-कब उनका चैकिंग करवाया हैं आपने और किस प्रकार की अनियमितताएं वहां पायी गयी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल भी इनसे मिलता जुलता है। माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी ने जो कहा वैसा ही प्रश्न है। यह जो छापे पड़ते हैं, यह उन लोगों पर पड़ते हैं जिनकी या तो ठेकेदार शिकायत करता है कि दूसरे का माल लाकर दूसरी जगह बेच रहा है उस क्षेत्र का ठेकेदार, या तो छापे में वे पकड़े जाते हैं या ठेकेदार जीप में बैठाकर ले जाता है कि यहां इन दुकानों को पकड़ना है, वहां पकड़ी जाती है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार नियमों में इस प्रकार का संशोधन करे कि जिस ठेकेदार को जिस क्षेत्र का लाइसेंस दिया गया है, उस ठेकेदार की अपनी निर्धारित संख्या से अधिक दुकानों पर अगर शराब बिकती है तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसका ठेका कैंसिल किया जाए, एक तो राज्य सरकार इस पर विचार करें।

दूसरा, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जहां-जहां निषेधात्मक क्षेत्र हैं, जैसे स्कूल हैं, मन्दिर हैं या बस स्टैण्ड हैं जहां पर मनाही है लेकिन अधिकांश ठेके की दुकानें उन्हीं स्थानों पर अवस्थित हैं और आज तक विधान सभा में चाहे कांग्रेस पार्टी का राज हुआ हो, चाहे बी. जे. पी. का राज, दोनों तरफ से यह मांग लगातार उठती आ रही है फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान तब ही हो पायेगा जब इसके लिए ठेकेदार को अधिकृत किया जाए कि इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अनधिकृत दुकान के लिए ठेकेदार को पकड़ा जाए, ठेकेदार का चालान किया जाए तब ही समस्या का समाधान होगा वरना तो गांव-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गांव में इस प्रकार का शराब माफिया ठेकेदार पैदा कर रहे हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा........

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री चुन्नी लाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : साथ ही जवाब आ जाएगा मंत्री महोदय का, सही बात है यह।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी। एक मिनट बिराजिये आप। इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अवैध शराब की बिक्री आपको कहीं नहीं मिल रही है फिर भी विधायक महोदय हर सत्र में, रोजाना, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपसे निवेदन करते रहते हैं, जिला कलक्टर को भी निवेदन करते रहते हैं। ऐसे हर विजिलेंस कमेटी में प्रश्न आते हैं। क्या यह सही नहीं है कि ठेकेदार के यहां आपके कर्मचारी पेड़ एम्पलोई की तरह काम करते हैं और वहां खाते हैं, पीते हैं व बेईमानी करते हैं? आप कोई ऐसी फोर्स गठित करने का प्रयास करें कि उन कर्मचारियों के ऊपर भी कण्ट्रोल रखा जाए, जो ठेकेदार के कहे अनुसार चलते हैं।

इसी के साथ मेरा निवेदन है कि जो इतनी शिकायतें आती हैं, क्या आप इन शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए कोई इस तरह से पुलिस का सहयोग लेकर के सर्वे करायेंगे कि ठेकेदार को जो आपने दुकानें अधिकृत नहीं कर रखी है, वहां शराब बिकता है? और उनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस का आप सहयोग लेंगे?

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो शराब बिकता है, ठीक है लेकिन आज शराब बिकने के साथ ही क्या यह सही नहीं कि शराब के धन्धे को सबसे ठीक धन्धा आज माना जा रहा है? शराब के ठेकेदार अवैध रूप से शराब हर गांव में बेचते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, पुलिस और एक्साइज के आदमी उनकी मदद करते हैं पुलिस में उनके मुकदमें दर्ज नहीं होते हैं, एक्साइज के आदमी उनके पक्ष में जाते हैं। इस तरह के जो नाटक होते हैं, वे यह सारे बधे हुए हैं, करप्शन की इतनी तकड़ी लड़ है, इस लड़ को छेदने के लिए माननीय मंत्री जी आप क्या करेंगे? ठेकेदार आपके यहां नहीं आये. इसके लिए भी क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो इनकी विजिलेंस टीम होती है, क्या उनके साथ ठेकेदार के आदमी भी जाते हैं?

दूसरा यह कि उदयपुर सम्भाग में, विशेष तौर पर, जो केस बनते हैं, उनमें

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

ज्यादातर उन आदिवासी लोगों पर बनते हैं जो दो बोतल, तीन बोतल अपने घर निकालते हैं विभाग का निश्चित कोटा पूरा करने के लिए वे पकड़े जाते हैं। लेकिन उन्हीं जगहों पर ठेकेदारों द्वारा जो दारू बिकती है नाजायज, उन पर कभी केस नहीं बनते। तो मैं चाहूंगा मंत्री महोदय बतायें कि दोनों को साथ रखना क्या उचित है?

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ढाणी-ढाणी के अन्दर इन्होंने अवैध शराब की दुकानें खोल रखी हैं।

दूसरा, नेशनल हाई-वे के ऊपर इन्होंने करीब 15 जगह होर्डिंग्स लगा रखे हैं जिनमें लिखा हुआ है, शराब के दामों में भारी कमी। तो मान्यवर, जो भी मारूति वाले, ट्रक वाले आते हैं उनको ही देखते रहते हैं कि कितनी कमी है और इससे कितने ही एक्सीडेंट हो गये। इसलिये इन होर्डिंग्स को नेशनल हाई-वे से दूर रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त जी।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या एक्साइज विभाग ने कोई ऐसा टार्गेट दे रखा है जिला स्तर पर या नीचे तक अधिकारियों को कि इतने एक्साइज के मुकदमे होने चाहिए? जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमेटी बनी हुई है लोकेशन तय करने के लिए। अगर लोकेशन तय करने के लिए कमेटी बनी हुई है तो इससे बहुत सारे झगड़ों का निपटारा हो सकता है लेकिन जिस माननीय विधायक को....

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि आप कब चैक करने के लिए पधारेंगे? यही मतलब है?

श्री टीकम चन्द कान्त : मेरा मतलब यह है कि काफी सारे झगड़े कि दारू की दुकान कहां होनी चाहिए, गांव वाले यह नहीं कहते कि दारू मत बेचो लेकिन वे कहते हैं कि गांव से बाहर हो, ऐसे स्थान पर हो जहां किसी को कोई एतराज नहीं हो। अगर यह लोकेशन तय करने वाली कमेटी को सक्रिय कर लें और उसके बाद ही, लोकेशन तय करने के बाद वे सर्टिफिकेट या एन.ओ.सी. दें, वह कर दें तो यह बहुत सारे झगड़े खतम हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष जी, अभी एक अहम मुद्दा इस क्वश्चन के माध्यम से सदन के समक्ष, आपके समक्ष है। शराब के ठेकेदार आज राजनीति पर इस तरह से छाये हुए हैं जैसे सरकार ने उनको इतना संरक्षण दे दिया है कि सरकार खुद कुछ नहीं कर पा रही और उन ठेकेदारों के माध्यम से जो चाहे सो होता है। जितने अपराध हैं, शराब के ठेकेदारों के माध्यम से होते हैं। शराब के ठेकेदार, जो सरकारी ठेकेदार हैं, जो अधिकृत दुकानें हैं, वहां दुकान स्थापित नहीं करके और जहां सार्वजनिक स्थान हैं, स्कूल के पास, कालेज के

(श्री शीशराम ओला)

पास, अस्पताल के पास, जहां शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए वहां पर अधिकतर दुकानें चलाते हैं। शराब का अनधिकृत जो उत्पादन कार्य किया जा रहा है, वह तो एक कॉटेज इण्डस्ट्री की तरह हो रहा है। इस कदर फैल गयी है गांव-गांव में, कोई मोहल्ला नहीं मिलेगा, कोई छोटी-सी ढाणी नहीं मिलेगी जहां पर अनधिकृत शराब नहीं बनायी जा रही हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शीशराम ओला : यहीं नहीं कहीं स्प्रिट ज्यादा डाल देते हैं, शराब निकालने का जो तरीका है, शराब निकालने के लिए जो तत्व डाले जाते हैं, वे सारे तत्व वे ठीक ढंग से नहीं डाल पाते। नतीजा यह होता है कि अनगिनत मौतें होती हैं, अंग भंग हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। हमारा फतेहपुर का काण्ड भी इस हाउस में काफी गूंजा है। ऐसे काण्ड रोज दिखते हैं, रोज आते हैं।

ऐसी स्थिति में मैं पुरजोर शब्दों में यह कहूंगा कि इस पर निश्चित तौर पर कण्ट्रोल किया जाना चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह जी ने बात कही बोतल की। यहां तो बोतल की खुली की बात नहीं है, अध्यक्षजी, इन चुनावों में मैंने देखा, छोटी-छोटी शराब की थैलियां इस पॉकेट में, उस पॉकेट में थीं, शराब की थैली सब जगह देखने को मिलती थीं। आखिर राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं ? यह सरकार राजस्थान को कहां ले जाना चाहती है ? माननीय एक्साइज मंत्रीजी, निश्चित तौर पर उत्तर दीजिए जितनी हत्यायें होती हैं, डकैतियां होती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं, उन सब में शराब के ठेकेदार शामिल हैं, गवर्नमेंट मशीनरी को शामिल करते हुए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, इस पर परसों भी बहुत ज्यादा बात हुई थी और आज भी कम से कम सात सप्लीमेंट्रीज ले चुका हूं और वे की वे बातें सारी आ रही है....माननीय मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात बोलूंगा। मंत्रीजी सुनकर मुझे बता देंगे। मेरी बात तो सुन लें....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार प्रकट करना चाहते हैं। बिराजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्दसिंह जी....(व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवकाश के दिन शराब बहुत ज्यादा पीते हैं और त्यौहारों पर, धार्मिक त्यौहारों पर चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो उस दिन भी लोग ज्यादा पीते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ठेके कम से कम उन दिनों बन्द होने चाहिये और नेशनल हाईवेज वाला जो कानून

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

बनाया है उसमें भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिये।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह बात आम तौर पर आती है कि धार्मिक स्थान पर ठेके नहीं दिये जायं लेकिन एक बहुत बड़ी गली विभाग ने निकाल रखी है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।.... श्री टीकमचन्दजी, आसन की तरफ देखें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : धार्मिक स्थान की जो परिभाषा आपने कर रखी है, उसके अनुसार वह स्थान धार्मिक माना जाएगा जो देवस्थान विभाग में या वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो। अब आपके कितने मन्दिर ऐसे हैं—जैसे पाबूजी का मन्दिर हुआ, देवनारायणजी का है, रामदेवजी का है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन सदियों से बने हुए हैं। ऐसे स्थानों पर जो दुकानें बनी हुई हैं, उनके सम्बन्ध में आपका विभाग कह देता है कि धार्मिक स्थान पर कोई दुकान नहीं है।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल के पास आप खोल दें कोई एतराज नहीं, मिडल स्कूल के पास खोल दें कोई एतराज नहीं है लेकिन सैकण्डरी स्कूल से ऊपर वाले के पास तो वे नहीं खुलनी चाहिए।

इसी तरह से अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य इलाकों में नहीं खुलनी चाहिये लेकिन कोई गिनती कभी इस बात की नहीं करते कि जहां यह खुली हैं, वह अनुसूचित जाति व जनजाति का इलाका है या नहीं या किसी मोहल्ले का 3/4 भाग यदि यह चाहता है कि यहां पर यह दुकान नहीं हो तो नहीं होनी चाहिये।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ी बात है कि यह जो परिभाषाएं दी हुई हैं, इनको तरमीम किया जाय, संशोधित किया जाय।....(व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों का ब्लड टेस्ट होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। सबसे पहले, माननीय सदस्य, आपका करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर उदयपुर जोन की बात कर रहा हूं। सरकार ने जनजाति क्षेत्र को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित कर रखा है जबकि आज वहां की स्थिति यह है कि छोटे से छोटे गांव में भी आपके ठेकेदार की इंगलिश की दुकान मिल जाएगी।

दूसरा मेरा निवेदन करना है कि एक गरीब आदमी चार बोतल, 5 बोतल या दो बोतल कच्ची दारू स्वयं के पीने के लिये या देश भर के लिए निकालेगा तो सीधे कस्टम वाले जाकर पकड़ेंगे जबकि ठेकेदार

(श्री रघुवीरसिंह)

चौराहे पर या दूसरी जगह दुकान चलायेंगे तो उनको नहीं पकड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री लक्ष्मण सिंहजी। (व्यवधान) श्री लक्ष्मणसिंह जी बिराजिये आप।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : पाइंटेड, दूसरा निवेदन यह है कि गंगानगर शुगर मिल की दुकानें जो सरकारी रेट पर देशी शराब देती हैं, अभी-अभी अखबारों में यह आया है कि वह भी जनजाति क्षेत्रों में ठेके देने वाली है। सरकार इसके पीछे क्या करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र की कल्याणकारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जिस गांव में वहां की 75 प्रतिशत महिलाएं यह लिखकर दे देती हैं कि उनके गांव में शराब बन्दी होनी चाहिये तो उस गांव में शराब बन्दी कर दी जाएगी। इस प्रकार का निर्णय जो महाराष्ट्र की सरकार ने लिया था, तो क्या हमारी यह सरकार जो अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहती है वह भी इस प्रकार से किसी गांव की अगर 75 प्रतिशत महिलाएं लिखकर देंगी तो उस गांव में शराब बन्दी करने पर विचार करेगी? क्योंकि 1978 में श्री भैरोंसिंहजी की सरकार ने यह एक अच्छा निर्णय लिया था और शराब बन्दी लागू की थी लेकिन 1990 में आने के बाद में उनकी इच्छा शक्ति में कमी आ गयी, तो क्या यह सरकार शराबबंदी पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी....। (व्यवधान) पूरी डिबेट हो गयी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो ही बातें पूछनी हैं, जरूरी हैं इसलिए आप मुझे समय दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहती हूं। पहला तो यह है कि एक दुकान का लाइसेंस दिया गया वाटिका रोड पर इंगलिश वाइन का परन्तु उसकी 7 अनधिकृत दुकानों पर बिक्री हो रही है। उसका क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

दूसरी बात; जैसा कि अभी बता रहे थे, पाठशाला के सामने, मन्दिर के सामने जो दुकानें चल रही हैं उनको बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है और कितने दिन में बन्द कर दी जाएंगी?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शिवनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि डिबेट का जवाब तो वे दें लेकिन मेरे पाइण्टेड दो प्रश्न थे, क्या आपने चैकिंग के आधार पर इन्फार्मेशन दी और किन-किन ठेकेदारों का कोई चालान हुआ? क्योंकि आपके जवाब से गलतफहमी फैलती है कि आपने 75 चालान कर दिये, इनमें किसी भी ठेकेदार का आपने चालान किया

(श्री शिवनाथसिंह)

है क्या और क्या इनका इंस्पेक्शन करवाया ? उसके बाद में आप डिबेट का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा करनी थी तो आधा घण्टा हो गया।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के दो भागों पर ज्यादा चिन्ता व्यक्त की है। प्रथम तो यह है कि ठेकेदारों के द्वारा अवैध शराब की दुकानें चलायी जाती हैं और दूसरा, जैसा माननीय श्री ओला साहब ने फरमाया, अवैध शराब बनायी जाती है। अब यह दोनों भाग अलग-अलग हैं। कुछ जगह तो माननीय सदस्यों का कहना है कि ठेकेदार अवैध शराब की दुकानें चलाते हैं, यानि शराब तो सरकारी होती है लेकिन वहां दुकान स्वीकृत न होने के बावजूद भी दुकान चलायी जाती हैं। माननीय ओला साहब ने कहा कि कई जगह अवैध शराब बनायी जाती है। दोनों तरह के मामलों में प्रिवेंटिव फोर्स पार्टीज समय-समय पर धावे आयोजित करती है और उन धावों के अन्दर जो भी दोषी व्यक्ति पाये जाते हैं, उनको पकड़ती है।

जैसा माननीय सदस्य श्री शिवनाथ सिंह जी ने फरमाया कि क्या ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे बनाये गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यक्ति पर मुकदमे नहीं बनते हैं, जहां अवैध शराब पायी जाती है, जिस स्थान पर पायी जाती है और जिसके कब्जे में पायी जाती है उस पजेशन के आधार पर मुकदमे बनते हैं। तो जहां-जहां अवैध शराब पायी गयी, जिन व्यक्तियों के पास मात्रा से अधिक शराब पायी गयी तो उनके खिलाफ मुकदमे बनाये गये, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चालान पेश किया गया, उसका माल जब्त किया गया।

इसी प्रकार से जहां अवैध शराब बनायी जाती है, वहां पर भी समय-समय पर प्रिवेंटिव फोर्स पार्टीज द्वारा धावे आयोजित किये गये उसमें भी अवैध शराब बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया। मात्र झुन्झुनूं जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 106 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे राजस्थान के अन्दर करीब इस प्रकार के ढाई से तीन हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समय-समय पर लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है लेकिन यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है और वह गलत पायी जाय तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भी यह नहीं चाहेगी और आप भी यह नहीं चाहेंगे कि किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय। सरकार इस बात के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है, विभागीय अधिकारियों को हमेशा आदेश देती है, इसके बावजूद भी मैंने विनम्र शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि यदि आपको फिर भी यह लगता है कि कहीं अवैध शराब की दुकान है तो आप तत्काल सीधे चिट्ठी मुझे लिखें, मैं उसकी जांच करवाऊंगा और जांच करवा कर आपको जवाब भिजवाऊंगा और अगर अवैध शराब की दुकान पायी गयी तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार, कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है

(12)

(श्री अनंग कुमार जैन)

कि माननीय सदस्यों को उसमें सदस्य रखा जाय ताकि यह कमेटी त्वरित गति से उस पर निर्णय ले सके। मान लीजिये, हमने कोई दुकान दे दी, नियम 75 के प्रावधानों से कवर भी होती है लेकिन उसके बावजूद यदि वह कमेटी यह समझती है कि यह दुकान गलत जगह पर है तो यह कमेटी यह रिकमण्डेशन करती है एक्साइज कमिश्नर को और एक्साइज कमिश्नर उस पर निर्णय लेकर उस पर कार्यवाही करेंगे। सरकार लगातार इस बात पर प्रयत्नशील है और जो दिक्कत पहले आपको आती थीं, वे कमेटी बनने से समाप्त हो गयी हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती हैं और माननीय सदस्यगण मेरे ध्यान में लायेंगे तो निश्चित रूप से उन पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये....(व्यवधान).... श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री शीशराम ओला : कमेटी कब बनायी गयी और कब मिलती है ?

श्री अध्यक्ष : बना दी। बिराजिये आप। आप पूछ लेना। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

कुम्हेर (भरतपुर) का प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भवन

458. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त भवन की मरम्मत हेतु कोई तखमीना बनवाया है अथवा बनवाने का विचार रखती है ?

(3) सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यक मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी नहीं, भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है, परन्तु भवन की मरम्मत की आवश्यकता है।

(2) जी हां, इस पर वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जावेगा।

(3) जी हां, आवश्यक मरम्मत भी आवर्तन परिवर्तन के साथ कराने पर 1995–96 में कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रस्ताव 15-2-94 को प्राप्त हुआ है, तकनीकी अनुमान भी तैयार करवाया जा चुका है और आवश्यक मरम्मत कार्य इस वर्ष करा दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 1995–96 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्री जैसे संवेदनशील मंत्रीजी से मुझे ऐसे संवेदन शून्य, कंट्राडिक्टरी और चालू जवाब की उम्मीद कतई नहीं थी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री हरिसिंह)

अध्यक्ष महोदय, कि जिस पी. एच. सी. की मुख्य गतिविधि है महिलाओं की प्रसूति गृह की, जिसका प्रसूति गृह दो साल से टूटा हुआ पड़ा है, जिसकी छत जब बरसात होती है, तो रोजाना चूती है, फर्श तो उखड़ चुका है, लैट्रिन और बाथरूम चालू हालत में नहीं है, डाक्टर के बैठनेका कमरा टूट चुका है, उस प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं मानकर, मरम्मत तलब मानते हैं। खैर, मान लीजिये, आपकी मर्जी वाली बात है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कंट्राडिक्टरी जवाब किस बात का है? आप यह मानते हैं कि प्रस्ताव 15-2-94 को प्राप्त हुआ है, तकनीकी अनुमान भी तैयार करवाया जा चुका है और आवश्यक मरम्मत कार्य इस वर्ष करा दिया जायेगा, आगे फिर लिखते हैं, वित्तीय वर्ष 1995–96 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव है। मरम्मत कराने के लिए कह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि विचार किया जाना सम्भव है। मैं आपसे जानना चाहूंगा स्पेसिफिकली कि आपके पास जो तखमीना आया है उसमें क्या इन सब बातों का एस्टीमेट है या नहीं, नम्बर एक?

नम्बर दो, यह विचार किस बात का हो रहा है। आप कितनी मरम्मत सेंक्शन करने जा रहे हैं, कब तक उसकी मरम्मत हो जायेगी? मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है, इसकी बिल्डिंग काम ही नहीं देगी। अगर आप जनहित में काम करना चाहते हैं, तो मैं कुम्हेर में फ्री जमीन आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप कोई दूसरा भवन बनायें। आपने इस वर्ष बजट के अन्दर 60-70 करोड़ रुपये रखा है। इसमें क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि आपको जमीन फ्री मिल जाय तो उसके ऊपर आप भवन बना सकेंगे? इन दो बातों का आप मुझे जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की आप चर्चा कर रहे हैं, वह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है। यह चिकित्सा केन्द्र 1958 में बना था और 1958 से लेकर आज तक कभी भी उस पर मरम्मत के लिए किसी ने चिन्ता व्यक्त नहीं की। मैं आभारी हूं माननीय सदस्य का, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है। इस बार चूंकि यह बजट चिकित्सा को समर्पित बजट है, निश्चित रूप से उसकी जितनी भी मरम्मत की आवश्यकता होगी और उसके लिए आवश्यक धन राशि भी उपलब्ध करा दी जायेगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, प्रसूति गृह के बारे में आपने चिन्ता व्यक्त की थी....

श्री अध्यक्ष : अब इसमें क्या पूछना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वास्तव में हालत खराब है और अब उसका तखमीना भी प्राप्त कर लिया है उसको देखकर और उसके लिए मरम्मत के लिए जितनी भी

(5)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धनराशि की आवश्यकता होगी, मैं सरकार से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसे बात करके कर लेंगे। श्रीमान् जगदीपजी धनखड़।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप जितना चाहेंगे, मतलब जितनी जरूरत होगी उतनी करा देंगे आप ?

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : प्रश्न संख्या 459.

श्री अध्यक्ष : आपके कुम्हेर में आता है क्या ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, कुम्हेर में आता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आपका नहीं। भरतसिंह जी, बिराजिये आप। यह कुम्हेर की बात चल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा....(व्यवधान)

श्री भरतसिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की बिगड़ी हुई हालत की बात चल रही है। यह केवल कुम्हेर में ही नहीं, अनेक जगहों पर हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसकी चर्चा अभी यहां पर नहीं।....(व्यवधान) जगदीप जी धनखड़ हो गया आपका उत्तर (व्यवधान) उत्तर पूरा आ गया है।

श्री जगदीप धनखड़ : 459.

श्री अध्यक्ष : उत्तर पूरा आ गया है कि आप बना देंगे अभी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पूरा कहां आया है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस बार पूरा बना दिया जायेगा और अब तखमीना बना लिया है और इसके लिए, मैं चाहूंगा, आप भी इसमें कुछ जन सहयोग इकट्ठा करें। जितनी जन सहयोग की राशि आप इकट्ठी करेंगे, उतनी ही धन राशि राज्य सरकार से स्वीकृत करा देंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चाहे वह 10 लाख हो, 50 लाख हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आप बीच में खड़े नहीं हों। माननीय सदस्य, बिराजिये आप। बिना अनुमति नहीं बोलें आप। बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आप ये जन सहयोग होगा तो ही करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जुबेर खान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान : पहली बात तो इन्होंने असत्य बोला। हम भी उधर से आते हैं। रास्ते में कुम्हेर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : अगर वहां बोर्ड नहीं हो तो हम तो यह समझते थे कि यह कोई पुराना खण्डहर पड़ा है। यह हालत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री जगदीपजी धनखड़।

श्री जुबेर खान : सुबह को जब रामगढ़ से भरतपुर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय ने गलत बात कही है।

श्री अध्यक्ष : अब बीच में नहीं। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जुबेर खान : एकदम जीर्ण अवस्था में है।

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप एक घण्टा और भाषण कर लीजिये (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये। (व्यवधान) यदि वहां पब्लिक के फण्ड्स मांग लिये तो ऐसी कोई बुराई की बात नहीं हो गयी। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस वित्तीय वर्ष में सरकार अपने खर्चे के ऊपर अधूरे भवन की मरम्मत करा देगी और इसमें और आवश्यक निर्माण की आवश्यकता होगी तो और निर्माण भी करा दिया जायेगा। इसमें मेरा निवेदन यह था कि सरकार के संसाधन सीमित हैं। इस तरह के कामों में जन सहयोग भी मिल जाय तो काम और अच्छी तरह से हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप जी धनखड़।

अपराध शाखा (सी. आई. डी.) में लम्बित प्रकरण

459. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की अपराध शाखा (सी. आई. डी.) के तहत कितने फौजदारी प्रकरण, अनुसंधान स्तर पर दो वर्ष की अधिक अवधि से लम्बित हैं? वर्षवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य की अपराध शाखा (सी. आई. डी.) में वर्तमान में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं?

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

(3) गत दो वर्षों में कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया ? विवरण मासिक आधार और निस्तारित प्रकरण के अनुसंधान की शुरूआत का वर्ष व महीने को दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) राज्य अपराध शाखा में 52 अभियोग दो वर्ष की अवधि से अधिक लम्बित हैं। वर्षवार सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) राज्य अपराध शाखा सी. आई. डी. (सी. बी.) में वर्तमान में एक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एक उप महानिरीक्षक पुलिस, 3 पुलिस अधीक्षक, 11 अपर पुलिस अधीक्षक, 6 उप अधीक्षक पुलिस, 55 पुलिस निरीक्षक, 4134 निरीक्षक पुलिस, 25 सहायक उप निरीक्षक पुलिस 75 हैड कॉंस्टेबल व 361 कांस्टेबल कार्यरत हैं।

(3) गत दो वर्षों (1993–94) में क्रमशः 497 व 779 अभियोगों का निस्तारण किया गया। वार्षिक तालिका माहवार की सूचना परिशिष्ट "ख" एवं "ग" में संलग्न है।

(4) दो वर्ष से अधिक अवधि के पेंडिंग प्रकरणों की सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से अधिक अवधि वाले जो मुकदमे हैं, एक तो 17 साल से पेंडिंग है।

श्री कैलाश मेघवाल : एक ही नहीं, ज्यादा है। 1982 का है।

श्री जगदीप धनखड़ : 17 साल से एक ही है। 1978 के मुकदमे हैं, 1980 के हैं, 1982 के हैं, 1984–1985, लगातार मुकदमे इतने-इतने सालों से हैं और इनमें कत्ल के मुकदमे पेंडिंग हैं। यदि कत्ल के मुकदमे का इन्वेस्टीगेशन 5-5, 6-6 साल तक होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ?

श्री परसादी लाल मीणा : मुलजिम ही मर गये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर इस विषय पर अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि ये किस प्रकार के मुकदमे हैं, अमानत में खयानत, चीटिंग, फोर्जरी तो क्या इस बात का यह अभिप्राय है कि जिन लोगों की पहुंच इस प्रकार के प्रापर्टी सम्बन्धी क्राइम करने में ऊपर तक हो सकती है, क्या वे इस प्रकार के अनुसंधान में इतने बाधक हो गये कि 15-16-13-14 साल तक ये मुकदमें निर्णीत नहीं हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन 52 मुकदमों का निस्तारण, जिनका निस्तारण अनुसंधान के स्तर पर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब इनके पास एक सशक्त टीम है तो यह कब तक कर देंगे ? यह मेरा पहला सप्लीमेन्ट्री है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक की चिन्ता मेरी

(श्री कैलाश मेघवाल)

भी चिन्ता है। 'Justice delayed is justice denied,' यह एक सूत्र है और यह तभी सफल हो सकता है जब अनुसंधान जल्दी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में चिन्तित है। आपके सामने यह जो 52 का फिगर दिया है, यह 1994 तक का है और 52 का विस्तार से मैं आपको निवेदन कर दूं कि किस कारण से, कौन से, कितने केस पेंडिंग हैं और उसके निस्तारण में क्या बाधाएं आ रही हैं। पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि यह 52 का फिगर 31 दिसम्बर, 1994 तक का मैंने आपको दिया है और इस तारीख तक 52 में से 6 हम डिस्पोज आफ कर चुके हैं। बाकी की बार-बार शिकायत हो रही है। जैसे आपने कहा कि चीटिंग वाले, कई केस मार्जिनल होते हैं। जो मार्जिनल सिविल या क्रिमिनल या जिस तरह के केसेज का आपने रेफरेंस दिया था ऐसे बार-बार वेरिफिकेशन के लिए दरख्वास्तें दोनों तरफ से है कि नहीं है, ऐसे केवल 12 केस हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर हमको वेरिफिकेशन करना बाकी है, बाकी इन्वेस्टीगेशन पूरा हो चुका है। 9 केसेज ऐसे हैं जो को-आपरेटिव सोसायटीज से सम्बन्धित हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मालूम है कि को-आपरेटिव सोसायटी के केसेज में आडिट रिपोर्ट क्या आयी है, किसी तरह से आयी है, कैसे क्या हुआ है, इस तरह की उलझन भरी बातें बहुत होती हैं तो 9 केसेज हैं जो को-आपरेटिव सोसायटीज के पेंडिंग हैं। अब 7 केसेज ऐसे हैं जिनमें एफ. एस. एल. की रिपोर्ट नहीं आयी है और उस एफ. एस. एल. की रिपोर्ट की वजह से 7 केसेज हमारे इस वक्त पेंडिंग रह गये हैं। 2 केसेज ऐसे हैं जिनमें राजकीय कर्मचारी होने के कारण सरकार से सेंक्शन आनी बाकी है। इन्वेस्टीगेशन तैयार है, सेंक्शन के लिए गये हुए हैं, ऐसे 2 केसेज हैं। एक केस ऐसा है जिसकी कि हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, वह हाई कोर्ट में गयी हुई है, फाइल। 12 केसेज ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टीगेशन तो कम्प्लीट हो चुका है लेकिन अब फाइनल राय उस पर बनाने के लिए, जैसा आप जानते हैं, मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ, उसमें फाइनल राय बनती है। 3 केसेज ऐसे हैं जो कि माननीय मुख्य मंत्री के स्तर पर विचाराधीन हैं, केवल 3, 1 यह आपको मैंने 52 ही केसेज का दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह चिंता का विषय है, जैसा कि आपको फिगर्स से मालूम हुआ है, 1990 से लगातार मैं फिगर आपको बताना चाहता हूं, वह इसलिए कि वर्तमान सी. आई. डी. (सी. बी.) का जो विंग है वह बड़ी मुस्तैदी से सारे केसेज का निस्तारण कर रहा है। देखिये, 1990 में कुल 615 केसेज लिये गये थे जिनमें से 409 डिस्पोज-आफ किये गये थे। इसके बाद 1991 में 395 केसेज थे और 398 पुराने बाकी रहे और 565 डिस्पोज-आफ किये गये। 1992 में 549 केस इनटेक किये गये जिनमें से केवल 220 डिस्पोज आफ हुए थे और 557 केस 31 दिसम्बर, 1992 को पेंडिंग थे। उनको जोड़ते हुए 1993 में 495 नये केस लिए और इनको मिला कर 497 का डिस्पोजल कर दिया, 556 बाकी रहे थे। 1993 की 31 दिसम्बर को हमारे पास 556 पुराने थे और 520

(18)

(श्री कैलाश मेघवाल)

हमने नये लिये और इस तरह 779 केसेज, तो इस साल का जो फिगर दिया मैंने आपको, यह सबसे ज्यादा है। मेरी भी यह चिन्ता का विषय है कि सी. आई. डी. (सी. बी.) में आये हुए केसेज का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो और इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, अभी क्या है कि सी. आई. डी. का जो ऑर्गेनाइजेशन है यह बहुत पुराना है, बहुत पुराने नोर्म्स हैं, इसमें रेंज सैल और दूसरा, तो हमने पुनर्गठन की योजना ली है। इस पुनर्गठन की योजना में बहुत अधिक इसको चुस्त और दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगली बार कभी आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज की तारीख में 1-4-95 की मैं आपको फिगर दे देना चाहता हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि 1-4-95 को केवल हमारे पास 399 केसेज पेंडिंग हैं। उन 399 केसेज में भी 166 केसेज में इन्वेस्टीगेशन कम्पलीट हो चुका है और पिछले चुनावों की वजह से जो महीने में हमारी एक-दो मीटिंग होती है, वह मीटिंग नहीं हो पायी, इसलिए वह 166 का कम्पलीट हो चुका है, बाकी केसेज अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, इन्वेस्टीगेशन में चल रहे हैं। इसमें भी आपकी चिन्ता और सदन की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से अनुसंधान पूर्ण करा लिया जायेगा और यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही पाइंटेड प्रश्न पूछा था कि यह 52 केसेज, जिनका निस्तारण कई सालों से नहीं हुआ है, 17 साल से नहीं हुआ, 16 साल से नहीं हुआ, प्रोपर्टी से सम्बन्धित हैं, वह लोग सड़क पर घूम रहे हैं, इनको को-आपरेटिव सोसायटीज का रिकार्ड नहीं मिल रहा है, तो माननीय गृह मंत्रीजी ने बजाय यह बताने के कि, इनका निस्तारण कब तक कर देंगे, कह दिया 3 मुकदमे तो मुख्य मंत्रीजी के समक्ष विचाराधीन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से वह 3 मुकदमे हैं जो मुख्य मंत्रीजी के समक्ष विचाराधीन हैं? एफ. एस. एल. की रिपोर्ट, मैंने तो प्रश्न किया था 2 साल से अधिक पुराने मुकदमे, तो क्या दो साल में भी एफ. एस. एल. की रिपोर्ट नहीं आयी? आगे कहा गया है कि सरकार से सेंक्शन नहीं आयी। यह सब आपके इन्टरनल मामले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे फर्स्ट सप्लीमेंट्री का माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी अगर इनको को-आपरेटिव सोसायटीज का रिकार्ड नहीं मिल रहा है, कोई कारण मिलता है, आप गिरफ्तार कीजिये उनको। आप 15-15 साल तक गिरफ्तार नहीं करते। यह कौनसी परम्परा है कि माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष मामले विचाराधीन है। क्या मुख्य मंत्रीजी एस. एच. ओ. हैं, इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर हैं? उनका इस मामले से क्या लेना-देना? यहां पर दुहाई देते हैं कि अनुसंधान में राजनीति का प्रवेश नहीं होने दिया जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, गृह मंत्रीजी बतायें कि इन मुकदमों का निस्तारण कब तक होगा? नम्बर एक। और मुख्य मंत्रीजी के समक्ष कौन से मुकदमे विचाराधीन हैं, क्यों हैं? उनका

19

(श्री जगदीप धनखड़)

यहां नम्बर बता दीजिये। फिर मैं मेरा सैकेण्ड सप्लीमेंट्री पूछूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, जैसा मैंने कल कहा, दिल्ली रिटेन्ड भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं........

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं-नहीं, गलत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मुंसिफकोर्ट में करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : गलत है ? अच्छा, मुंसिफ कोर्ट में करते होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाई कोर्ट में ही बंद हो गयी प्रेक्टिस, सुप्रीम कोर्ट में कहां चलेगी ?

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्यामजी, अभि तो मुख्य मंत्रीजी के यहां वकालत कीजिये, वहां आपकी पूरी × × × गुम हो रही है बिलकुल ही। × × × कोई रास्ता नहीं निकल रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो मेरा भाग्य भोग रहा हूं पर आप वकालत छोड़कर क्यों आ गये यहां पर ?

श्री जगदीप धनखड़ : राजनीति छूट सकती है, वकालत छूट ही नहीं सकती। आपको पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बस हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसमें माननीय सदस्य ने एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की। एफ. एस. एल. रिपोर्ट, अब वहां 7 केसेज पेंडिग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एफ. एस. एल. में दो साल पहले भेजे गये और पेंडिग हैं। जब इन्वेस्टीगेशन होता है तो किसी बात को, अंगूठे का या किसी और कारण से या हैण्ड-राइटिंग की जांच करने के लिए जब आवश्यकता पड़ती है तब एफ. एस. एल. को भेजते हैं और एफ. एस. एल. में भी हम बहुत जल्दी से..

श्री जगदीप धनखड़ : बता दीजिये, कौनसे मुकदमे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं वह भी बता दूंगा आपको। आपने वैसे पूछा तो नहीं है एक-एक मुकदमा, जैसे आपने दो साल के पूछे ......

श्री जगदीप धनखड़ : आपने भाषण देना शुरू कर दिया इसलिए पूछ रहा हूं मैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं-नहीं, भाषण मैं नहीं दे रहा। मैंने आपको....

× × × शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब भी चाहते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं, टोका--टाकी अलग करते हैं, बात भी पूरी नहीं सुनना चाहते ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मेरा जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं, दे रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सही स्थिति सामने रखी है और सही स्थिति इसलिए सामने रखी है कि सी. आई. डी. (सी. बी.) में केस मंगाने को 4 व्यक्ति अधिकृत हैं–माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्री, डी. जी. पी. और एडीशनल डी. जी. पी. (सी. आई. डी.) । अब इसमें जो आपने कहा 3 केसेज, 3 केसेज मुख्य मंत्री के पास वह पेंडिग हैं जिनका मोरोली से सम्बन्ध है, आपको मालूम हो तो । मोरोली कांड हुआ था वहां जाट--जाटव और 12 लोग, जिसकी रेगुलर इन्क्वायरी तो सी. बी. आई. भी कर रही है और उसमें कुछ अलाइड केसेज हैं, वह बड़े सेंसेटिव केसेज हैं । ऐसे सेंसेटिव केसेज में 3 केसेज मुख्य मंत्री ने अपने पास मंगाकर परीक्षण में चर्चा के लिए रख रखे हैं और उस पर आपने कह दिया कि पहुंच ऊपर होने की वजह से इसमें किसी तरह की कोई पहुंच नहीं है । प्रत्येक केस का निस्तारण जिस त्वरित गति से अनुसंधान में जब भी होगा, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बियोण्ड हैं, जैसे आपने कहा रिकार्ड, अब रिकार्ड गायब हो जाता है, कोई रिकार्ड ऐसा है जो डिस्ट्राय हो जाता है । अब डिस्ट्राय हो गया, वह रिकार्ड रिकांस्टीट्यूट हो सकता है या नहीं, जो रिकार्ड गायब किया गया है, जो सहकारी समितियों के पदाधिकारी लेकर बैठे हैं उनमें वसूल हो सकता है या नहीं, उससे कहीं से सूत्र मिल सकते हैं या नहीं, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और यह सारी अगर एवीडेंस उपलब्ध नहीं होगी तो उसका निस्तारण करना पड़ेगा जैसा भी होगा, एफ. आर. जायेगी या एफ. आई. आर. जायेगी । तो एक भी केस ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि 6 तो डिस्पोज–आफ हमने कर दिये, 12 में इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट हैं, बारह और छह हो गये अठारह, 52 में से 18 निकाल लीजिये, गणित देखिये, कितनी तेजी से हम काम कर रहे हैं और आगे भी तेजी से काम करेंगे । समयावधि इसलिए मैं नहीं दे सकता कि कब, कहां, कौनसी स्थिति इन्वेस्टीगेशन में, मैं कह दूं कि दो महीने में कम्प्लीट कर देंगे और हमको ऐसी एवीडेंस कलेक्ट करनी हो जो दो महीने में नहीं आ सकती, तो मैं यहां आपको ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहता । यह क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन है और आप ज्यादा जानते हैं मेरे से कि इसमें कितनी तकनीकी दुविधाएं आती हैं, किस तरह की बातें आती हैं ।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह सारे के सारे केसेज जल्दी से जल्दी, क्योंकि पुनर्गठन भी कर रहे हैं, पुनर्गठन में हमने स्टाफ भी बढ़ाने की कोशिश की है और विशेषतया कुछ ह्यूमन राइट्स के केसेज, कुछ एट्रोसिटीज अगेन्स्ट शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब के केसेज, हम दो डी. आई. जी. पदस्थापित करना चाहते हैं जिनमें से

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक डी. आई. जी. को एक्सक्लुसिवली टोटल मानीटरिंग इस तरह की जैसे काउण्टरफीट है, हवाला केसेज हैं, यह कितने टेक्नीकल आफेंसेज हो रहे हैं, आपको तो मेरे से ज्यादा मालूम होगा, माननीय विधायक, और इसलिए हम पूरा सुदृढ़ीकरण करके इन सारे केसेज का जल्दी से जल्दी, अनुसंधान में जितना कम से कम समय लगेगा, उसमें पूरा कर देंगे। समय सीमा मैं नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री शिवदान सिंहजी।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : कोई सप्लीमेंट्री नहीं, विराजें आप। शिवदान सिंहजी। पूरा रिप्लाई आ गया। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, I must elicit the information.

श्री अध्यक्ष : मुझे आप को-आपरेट करें, माननीय सदस्य, आपकी काफी बात हो गयी है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मैं अगर रिलेवेंट क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाऊंगा तो क्या........

श्री अध्यक्ष : बहुत रिलेवेंट पूछ लिया आपने, इन्होंने कह दिया........(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आपने 94 के मुकदमों का निस्तारण किया है। 1994 के जनवरी में 11 मुकदमे तय किये। फरवरी में.......

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मार्च में 11 किये, फिर आप आ गये तो चलो घोड़े की दृष्टि से दौड़ने लग गये। क्या आप इस प्रकार का मापदण्ड निश्चित करेंगे, कुछ महीने में तो 11 और दिसम्बर में आपने 250 से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण किया तो रफ्तार जरा इवन रखिये।

श्री अध्यक्ष : हां, जल्दी करेंगे। विराजिये अब। श्री शिवदान सिंहजी।

जिला एवं सैशन न्यायालय, राजसमंद में तहसील नाथद्वारा के लम्बित मामले

460. **श्री शिवदान सिंह चौहान** : (नाथद्वारा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:—

(1) जिला एवं सैशन न्यायाधीश राजसमंद में वर्तमान में कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन मामलों में आधे से अधिक मामले नाथद्वारा तहसील के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नाथद्वारा में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय खोलने अथवा उनका कैम्प नाथद्वारा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशि दत्ता) : (1) जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद के न्यायालय में वर्तमान में कुल 2241 वाद लम्बित हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री शिवदान सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि कुल लम्बित वादों में से कितने सिविल और कितने क्रिमिनल लम्बित हैं? नम्बर दो, त्रैमासिक नवंशे के हिसाब से कुल कितने वाद लम्बित हैं? नम्बर तीन, कुल वादों में से नाथद्वारा के कितने वाद लम्बित हैं?

श्रीमती शशि दत्ता : अध्यक्ष महोदय, राजसमंद में नाथद्वारा के कुल 579 वाद ही लम्बित हैं और टोटल मैंने आपको बता दिया कि 2241। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि कितने सिविल हैं और कितने क्रिमिनल हैं, पूर्व में भी माननीय सदस्य ने मुझसे यही क्वेश्चन किया था और मैंने उनसे भी कहा था कि बहुत मुश्किल है यह काम कि हम आपको पूरी जानकारी दे पायें। इनके मूल प्रश्न में ऐसा नहीं था लेकिन इन्होंने प्रश्न किया है तो मैं आपके माध्यम से सदस्य को यह जानकारी दे रही हूं। राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायालय में कुल लम्बित वाद 2241 हैं जिनमें से दीवानी व फौजदारी के मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है–फौजदारी मुकदमे सैशन के 401, अपील फौजदारी के मुकदमों की संख्या 118, निगरानी फौजदारी 90, मिसलेनियस मुकदमे 79, कुल 688, नोट कर लें माननीय सदस्य। दीवानी के मुकदमे सिविल 107, अपील दीवानी 74, अपील मुत्तफर्क दीवानी 91, मिसलेनियस दीवानी 224, एक्सीडेंट केसेज 14, क्लेम केसेज 1043, कुल.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा : जुडिशियरी का मामला ही ऐसा है।

श्रीमती शशि दत्ता : वैसे हमारी जुडिशियरी में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों अलाउड हैं इसलिए आप हिन्दी के लिए कहें तो मैं हिन्दी में बोल देती हूं, अंग्रेजी के लिए कहें तो कम्प्लीट अंग्रेजी में भी बोल सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती शशि दत्ता : नहीं, आप जैसे कहें वैसे मैं बोल देती हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती शशि दत्ता : कुल 1553 मुकदमे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने नाथद्वारा की मांग रखी है तो नाथद्वारा क्षेत्र के कुल मामले 579 हैं जिनमें से दीवानी व फौजदारी मामलों का विवरण मैं फिर आपको दे रही हूं, स्पेसिफिक नाथद्वारा के, सैशन केस हैं 109, अपील फौजदारी 9, निगरानी फौजदारी 2, मिसलेनियस 127, कुल 257, दीवानी मुकदमे हैं सिविल ओरिजनल 32, अपील

(श्रीमती शशि दत्ता)

दीवानी 9, अपील मुस्तकर दीवानी 24, मिसलेनियस केवल 40, एक्जीक्यूशन केसेज 4, क्लेम केसेज 213, कुल 322। अब इसके हिसाब से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े साफ शब्दों में खेद व्यक्त करना चाहूंगी माननीय सदस्य के प्रति कि नार्म्स के हिसाब से मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूं और आज फिर बहुत ही विनम्र शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी, पहली बात तो माननीय सदस्य शायद सीरियसली बजट नहीं पढ़ते हैं कि विधि विभाग का कितना बजट प्रावधान है और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं यह सोचती हूं कि उनका सीधा सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है क्योंकि मेरा विभाग बड़ा आप भी क्योंकि लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी सदन से, माफी मांगते हुए कि जस्टिस विभाग माननीय गृह मंत्रीजी देखते हैं और विधि विभाग मैं देखती हूं और जो आप मुझसे मांग करते हैं, वह कृपया पहले बजट पढ़ें, उसके बाद मुझसे यह पूछें कि मंत्री महोदया आपके पास क्या है। उसके बाद भी कुछ होगा, तो मैं दोनों हाथों से देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।...(व्यवधान) कृपया थोड़ी शांति रखें।

श्री शिवदान सिंह चौहान : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह आग्रह करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : कैम्प खुलवाना चाहते हो?

श्री शिवदान सिंह चौहान : नहीं, नोहरतहसील में कम से कम........

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शिवदान सिंह चौहान : दो कैम्प तो लगवाये ही जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कैम्प कोर्ट ही चाहिए?

श्री शिवदान सिंह चौहान : सप्ताह में दो कैम्प तो रखवाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वही मैं कह रहा हूं। मंत्रीजी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कैम्प कोर्ट तो आप करवा ही सकती हैं। बिराजें।

श्री शिवदान सिंह चौहान : बिल्डिंग तो है, बनी हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती शशि दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगी, यदि बिल्डिंग उपलब्ध है तो मैं हाई कोर्ट से जरूर इसकी अभिशंषा करूंगी और निश्चित रूप से कुछ होगा।

श्री शिवदान सिंह चौहान : धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 461

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दलीचन्द।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

नैक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा।

(24)

कानोता पुल (जयपुर) की टोल टैक्स राशि

462. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या, सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के समीप कानोता नदी पुलिया के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी ?

(2) सरकार को अब तक कितनी धनराशि टोल टैक्स द्वारा प्राप्त हो चुकी है ? अब तक प्राप्त धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को लागत से अधिक धनराशि अब तक प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार शीघ्र कानोता पुलिया से टोल टैक्स हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) अध्यक्ष महोदय, जयपुर के समीप कानोता नदी पुलिया के निर्माण पर कुल राशि 1,69,61,064 रुपये व्यय किये गये हैं। यह राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी जिसे राज्य सरकार ने पुल के निर्माण पर व्यय किया।

(2) अब तक भारत सरकार के आदेशानुसार उक्त व्यय की गयी राशि पर 7-10-85 से 1-5-94 तक 14 प्रतिशत ब्याज व 1.5 प्रतिशत अनुरक्षण व्यय व 12 प्रतिशत वसूली व्यय समायोजित करने के पश्चात् 3,72,61,762 रुपये वसूल किये जा चुके हैं। वसूली राशि का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य सरकार द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नियमानुसार लागत एवं ब्याज तथा अन्य अधिभार दूण्ड ब्रिज कानोता की पूर्ण वसूली की जा चुकी है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब देख लिया। मंत्रीजी, मैं तो आपसे सप्लीमेंट्री कर लेता हूं। जवाब मेरे पास आ गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो पढ़ना पड़ेगा, यह तो प्रापर्टी आफ द हाउस है।

श्री अध्यक्ष : पेज बड़ा है, पढ़ने दो।

श्री परसादीलाल मीणा : तेज गति से चलाओ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एवं अब इस पर टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। परन्तु जटवाड़ा ब्रिज की टोल टैक्स राशि टोल टैक्स प्लाजा कानोता पर वसूल की जा रही है।

(4) कानोता पुलिया के निर्माण राशि की वसूली पूर्ण हो जाने पर इस पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है किन्तु भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

नियमानुसार एक ही हाई-वे पर 80 किलोमीटर में आने वाले पुलों का एक ही स्थान पर टोल टैक्स वसूल किया जाता है। अतः जटवाड़ा ब्रिज की टोल टैक्स की राशि कानोता टोल टैक्स प्लाजा पर वसूल की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2/देखें।)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह सवाल पूछना चाह रहा हूं, जैसा अभी आपने बताया कि कानोता में इतनी वसूली कर ली इतनी लागत आयी, दोनों पुलियाओं की कुल लागत क्या है, कितनी आप अब तक वसूल कर चुके हैं और कितनी आपको करनी बाकी है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जटवाड़ा ब्रिज की लागत 174.78 लाख रुपये मय ब्याज कुल टोल टैक्स वसूल किया जाना है जो कि टोल टैक्स प्लाजा कानोता पर वसूल किया जा रहा है। इस पुल की टोल टैक्स वसूली नीलामी अनुसार दिनांक 6-4-97 तक पूर्ण हो पाएगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनको आज शादी में जाना है। मैं निवेदन करूंगा (व्यवधान) आप सुन लीजिए पहले। पूरी बात सुनें। माननीय सदस्य, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज कोई भी माननीय सदस्य डिमाण्ड पर जब बोलें तो 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : पाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप बिराजिये। आपके आसन की व्यवस्था की जो बात है, शुरू में बोलने वालों को आसन कंट्रोल नहीं करता है, कोई एक घंटा बोल रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : कोई पौन घंटा बोल रहा है। फिर जब आप आयेंगे, जल्दी होगी, बोलेंगे, बिराजिए, आपकी यह मांग पूरी हो गयी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, किसी भी मेम्बर के साथ भेदभाव नहीं करें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों पूरा मौका ले ही लेते हैं। बिराजिये आप। मुझे माननीय....

श्री परसादीलाल मीणा : और यह डिमाण्ड है। हम रात के 2 बजे तक भी हाउस में बैठेंगे और हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : समय की कोई पाबन्दी किसी पर नहीं होगी, हो तो सब पर हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : पीछे बैठने वालों का भी ध्यान रखना चाहिए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

तेजपुर ग्राम (बांसवाड़ा) का सामुदायिक भवन

461. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा पंचायत समिति के तेजपुर ग्राम में "द्वाकरा योजना" के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक भवन का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में हुआ है ?

(2) इसके निर्माण पर क्या लागत आयी ?

(3) क्या इसके लिए भूमि का आबंटन विधिवत हुआ ?

(4) किस विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता ने इसका भौतिक सत्यापन किया ?

(5) क्या यह भवन ग्राम तेजपुर में मौजूद है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा पंचायत समिति के तेजपुर ग्राम में "द्वाकरा" के अन्तर्गत सामुदायिक भवन का निर्माण किसी भी वित्तीय वर्ष में नहीं करवाया गया है।

(2) सम्बन्धित नहीं है।

(3) सम्बन्धित नहीं है।

(4) सम्बन्धित नहीं है।

(5) जी नहीं। सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ग्राम तेजपुर, पंचायत समिति बांसवाड़ा में करवाया ही नहीं गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

निर्वाचन क्षेत्र कामां (भरतपुर) में स्थित शराब की दुकानें

684. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र कामां में शराब बिक्री की कितनी दुकानें हैं ?

(2) क्या यह सभी दुकानें सार्वजनिक स्थानों यथा मन्दिरों, मस्जिदों, पाठशालाओं व बस अड्डों आदि से दूर स्थित हैं ? यदि नहीं, तो इस गलत ठेके व स्थान चयन के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे ठेके हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कामां निर्वाचन क्षेत्र में शराब की 5 मुख्य व 3 उप-दुकानें हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	किस्म	मुख्य दुकान	उप दुकान
1.	देशी मदिरा	3	2
2.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर खुदरा	2	1
		5	3

(2) जी हां, मदिरा की स्वीकृत दुकानें नियमों में प्रतिबंधित स्थलों पर नहीं हैं। वर्ष 1995-96 के लिए देशी मदिरा की 5 दुकानों में से 4 तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 3 दुकानों में से 2 दुकानों के स्थान स्वीकृत हो चुके हैं जो नियमानुसार हैं। स्वीकृत दुकानों के स्थान इस प्रकार है :-

देशी मदिरा स्थान— 1. नगरपालिका रोड़, कामां
2. नला बाजार, कामां
3. पहाड़ी
4. जुरहरा

विदेशी मदिरा/— बीयर स्थान 1. कामां
2. पहाड़ी

शेष 2 दुकानों के स्थल स्वीकृत होना शेष है।

(3) कामां क्षेत्र में वर्ष 1995-96 हेतु दुकानात नियमानुसार स्वीकृत स्थलों पर संचालित हैं अतः इन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं है।

अजमेर जिले में शराब के ठेके

685. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) :** क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष अजमेर जिले में शराब के ठेके किस-किसको कितनी-कितनी राशि के हुए हैं ? ठेका क्षेत्र मय गांवों के नाम सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ठेकों की राशि गत वर्षों से अधिक है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) ठेकेदारों की इस जिले में अधिकृत दुकानें कहां-कहां, किस-किस गांव में होंगी ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में वर्ष 1995-96 हेतु ठेके पर दिये गये मदिरा समूहों की राशि एवं अनुज्ञाधारियों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1. अजमेर--नसीराबाद समूह रुपये 18,82,00,123 /-

नाम अनुज्ञाधारी

1. श्री जगदीशलाल पुत्र अमरदास
2. श्रीमती गीतादेवी पत्नी ओम प्रकाश
3. श्रीमती गोकूदेवी पत्नी जयराम
4. श्री जगदीश प्रसाद टांक पुत्र शंकरलाल

28

(आबकारी मंत्री)

5. श्री ओमप्रकाश टांक पुत्र जगदीश प्रसाद

6. श्री सीताराम पुत्र जीवनराज

7. श्री प्रभुदयाल पुत्र रुचिराम

8. श्रीमती विद्या देवी पत्नी सत्यनारायण

9. श्रीमती कमला पत्नी चांद खां

10. श्री दलजीत सिंह पुत्र छज्जासिंह

2. किशनगढ़ समूह रु. 4,61,15,501/-

नाम अनुज्ञाधारी

1. श्री नवीन टांक पुत्र चिरंजीलाल

2. श्री मनोज पाहवानी पुत्र भांगीराम

3 केकड़ी-सरवाड़ समूह रु 2,88,81,000/-

नाम अनुज्ञाधारी

1. श्री शंकरलाल पुत्र हीरालाल

2. श्री शांतिलाल पुत्र मोतीलाल

3. श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र मांगीलाल

4. श्री मनमथ सिंह पुत्र शम्भुसिंह

5. श्री गणेशमल पुत्र भंवरलाल खटीक

4 ब्यावर-विजयनगर समूह रु. 5,55,00,000 /-

नाम अनुज्ञाधारी

1. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह

अजमेर-नसीराबाद समूह में राजस्व तहसील अजमेर एवं नसीराबाद का क्षेत्र और किशनगढ़ समूह में राजस्व तहसील किशनगढ़ का क्षेत्र सम्मिलित है। केकड़ी-सरवाड़ समूह में राजस्व तहसील सरवाड़ एवं केकड़ी का समस्त क्षेत्र सम्मिलित है। ब्यावर-विजयनगर समूह में राजस्व तहसील ब्यावर का, भीम समूह में शामिल क्षेत्र के अलावा, सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आसींद और रायपुर तहसीलों का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। इन समूहों में जिन ग्रामों में मदिरा की मुख्य दुकानें स्वीकृत हैं उनकी सूची समूह-वार संलग्न हैं।

(2) जी हां। वर्ष, 1994-95 एवं 1995-96 की प्राप्त राशि का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम समूह	1994-95 की प्राप्त राशि	1995-96 की प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1.	अजमेर-नसीराबाद	165920337	188200123	22279786
2.	किशनगढ़ समूह	33353955	46115501	12761646
3.	केकड़ी सरवाड़	25270664	28881000	3610336
4.	ब्यावर-विजयनगर	55052668	55500000	447332

(आबकारी मंत्री)

(3) मदिरा की अधिकृत मुख्य दुकानों के नाम प्रश्न के खण्ड संख्या 1 के संदर्भ में संलग्न सूची के अनुसार हैं। निर्धारित संख्या में उप दुकानें अनुज्ञाधारी अपने क्षेत्र में नियमानुसार स्थान स्वीकृत करा कर लगा सकता है जिसकी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। उप दुकानों के स्थानों की सूची इस प्रक्रिया के पूरे होने पर तैयार हो सकेगी।

आबकारी की नई नीति के तहत सरकार की आय

686. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नवीन आबकारी नीति से लाभ हुआ है या हानि?

(2) नई नीति के तहत सरकार ने आबकारी से होने वाली आय का क्या लक्ष्य तय किया था?

(3) क्या निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्या कारण रहे एवं इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) नई आबकारी नीति से लाभ हुआ है।

(2) बन्दोबस्त विशेष के लिए निर्धारित आबकारी नीति के तहत मदिरा-समूहों एवं भांग-डोडापोस्त समूहों की आरक्षित राशि तय की जाती है जो वर्ष 1995-96 के लिए लगभग रु. 500 करोड़ निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान आबकारी शुल्क, फीस आदि से और आय प्राप्त होती है।

(3) जी हां। मदिरा-समूहों एवं भांग-डोडापोस्त समूहों के लिए वर्ष 1995-96 हेतु बन्दोबस्त की राशि उनके लिए निर्धारित आरक्षित राशि से अधिक प्राप्त हुई है। इन समूहों की आरक्षित राशि लगभग रु. 500 करोड़ थी जबकि बन्दोबस्त में प्राप्त राशि लगभग रु. 529 करोड़ है।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम हेतु प्रयास

687. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है और जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का कौनसा स्थान है?

(2) बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

(3) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए और क्या प्रयास किये जाने की योजना है?

उत्तर

(1) राजस्थान की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 4,40,05,990 है तथा जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का (9) नवां स्थान है।

(30)

(आयोजना मंत्री)

(2) भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में चलाये जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(अ) पुरुष एवं महिला नसबंदी, दो बच्चों के अंतराल के लिए लूप निवेशन करना, निरोध एवं गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण आदि सेवाएं उपलब्ध हैं साथ ही इन सब सेवाओं के लिए आवश्यक शिक्षा सुविधा भी दी जा रही है।

(आ) सुरक्षित मातृत्व एवं सुरक्षित बाल-कल्याण जीवन कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव के पश्चात् सेवाएं जैसे गर्भवती महिलाओं को धनुषवाय के टीके, खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां देना तथा शिशुओं को छः जानलेवा बीमारियों (काली खांसी, गलघोटू, धनुषवाय, पोलियो, क्षयरोग, खसरा) से बचाव के लिए डीपीटी, पोलियो, बीसीजी एवं मीजेल्स का टीका देना तथा अंधता से बचाव हेतु बच्चों को विटामिन "ए" का घोल देना आदि है।

(इ) प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम से अवगत करा कर राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण एवं रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें यह समझाया जाता है कि दो बच्चों का परिवार एक सुखी परिवार है तथा रोग प्रतिरक्षण टीकों से बच्चों को छः जान लेवा बीमारियों से छुटकारा मिलता है।

(ई) राज्य सरकार द्वारा राजलक्ष्मी योजना अक्टूबर, 1992 से चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत 35 वर्ष की आयु तक के दो बच्चे वाले दंपति द्वारा नसबंदी अपनाने पर राज्य सरकार द्वारा पुत्रियों के नाम सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 2000 रुपये निवेश किया जाता है जिसके अन्तर्गत 20 साल बाद सामान्य वर्ग की लड़की को 21,000 (इक्कीस हजार रुपये) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लड़की को 31,500 रु. का राजलक्ष्मी बौंड यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा दिया जाता है।

(3) (अ) प्राथमिक सेवाओं के आधारभूत ढांचे में सुधार व सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने व उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत आई.पी.पी.-9 योजना जो 109 करोड़ रूपये की है व 7 वर्ष में पूरी होगी व यू.एन.एफ.पी.ए. की सहायता से अन्य योजना चलाई जा रही हैं।

(आ) परिवार कल्याण सेवाओं के बेहत्तर प्रबंध व जनता की भागीदारी पर आधारित "विकल्प" परियोजना टोंक एवं दौसा जिले में प्रारम्भ की गयी है। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में हमारी सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं उन क्षेत्रों में गैर सरकारी

(आयोजना मंत्री)

संस्थाओं के माध्यम से परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य कर्मी योजना भी प्रारम्भ की गयी है। इसके अतिरिक्त, करीब 30 और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से परिवार कल्याण की सेवाएं सूचना एवं प्रसारण की गतिविधियां भी हाथ में ली गयी हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि 15 से 35 वर्ष की आयु में अधिक से अधिक जोड़े परिवार नियोजन के साधन अपनाएं, क्योंकि अधिकतम बच्चे इसी उम्र में पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अंतराल विधियों पर भी अधिक जोर देगी व कार्यक्रम की मानीटरिंग का भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने हेतु समस्त जिलों में परिवार कल्याण की जिला योजनाएं तैयार की गयी हैं।

(इ) जनता की भागीदारी इस कार्यक्रम की सफलता का आधार है। इस हेतु पंचायतों, नगरपालिकाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी शिक्षित करने पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है जिसे इसी वर्ष लागू किया जायेगा।

बीकानेर जिले में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हेतु गठित समिति

688. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर): क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हेतु जिला समिति में कौन-कौन जन प्रतिनिधि व अधिकारी नामजद हैं ?

(2) वर्ष, 1993-94 व 1994-95 में उक्त कार्यक्रम हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की तथा कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 7(20)प्र.सु./अनु.3/82 दिनांक 2.3.1994 (प्रति संलग्न) द्वारा जिला स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए द्विस्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस जिले के लिए सिंचाई मंत्रीजी को प्रभारी मंत्री एवं जनप्रतिनिधि स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है व चिकित्सा राज्य मंत्रीजी को उप प्रभारी मंत्री मनोनीत किया गया है। इस समिति में उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान पचायत समिति, महिला, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के प्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि व विभागों के जिला अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। समिति में सम्मिलित जनप्रतिनिधियों का विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

इस समिति के सदस्य के रूप में श्री मनफूल सिंह भादू, सांसद को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है परन्तु उनके

(आयोजना मंत्री)

लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त न होने के कारण समिति का गठन का आदेश जारी नहीं हो पाया है।

यद्यपि अधिकारी स्तर की समिति जिसके कि जिला कलक्टर अध्यक्ष हैं एवं अन्य जिला अधिकारी सदस्य है, की निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग से कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 689

(स्थगित)

विश्वविद्यालयों का क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन

690. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जनहित में विश्वविद्यालयों का क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जा सकेगा?

उत्तर

जी हां। विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र को पुनर्विभाजित करने का प्रस्ताव सक्रियता से विचाराधीन है।

अलवर में तांगा स्टेण्ड के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर स्थित पैट्रोल पम्प

691. **श्री गोपीचन्द** (नगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर में तांगा स्टैण्ड के पास विभाग की भूमि पर पैट्रोल पम्प स्थापित किया हुआ है?

(2) यदि हां, तो उक्त भू-खण्ड किन शर्तों पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने को आबंटित किया गया? शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड की लीज की अवधि समाप्त हो गयी है?

(4) यदि हां, तो लीज की अवधि कब समाप्त हुई एवं क्या सरकार उक्त भूमि खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त भूमि पर पैट्रोल पम्प बनाने हेतु अनुबन्ध मै. बर्मा शैल एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली के साथ सन् 1958 में किया गया था। उपलब्ध अनुबन्ध की प्रतिलिपि एनक्चर "अ" पर संलग्न है। जिसमें शर्तें दर्शायी गयी हैं।

(3) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) इस भूमि की लीज की अवधि दिनांक 31.3.81 को समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार उक्त भूमि को खाली करवाने का विचार रखती है तथा खाली करवाने के प्रयास जारी है।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

छबड़ा व छीपा बड़ौद तहसील क्षेत्र की पंचायतों को डामर सड़कों से जोड़ा जाना

692. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वर्ष 1995-96 में छबड़ा व छीपा बड़ौद तहसील क्षेत्र की पंचायतों को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी पंचायतों को ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बारां जिले में छबड़ा ही ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां बारां जिले के दूसरे विधान सभा क्षेत्रों से कम प्रतिशत में सड़कें बनी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की घोषित सड़क नीति के अनुसार राज्य की सभी पंचायतों को नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की छीपा बड़ौद तहसील के कुल 29 पंचायत मुख्यालयों में से 15 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। शेष 14 पंचायत मुख्यालयों को आठवीं पंचवर्षीय के अन्त तक ग्रेवल सड़क से और नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर की सड़क से जोड़ लिया जायेगा।

(2) जी हां। यह सही है कि बारां जिले में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व के अनुसार अन्य विधान सभा क्षेत्रों से कम प्रतिशत में सड़कें बनी हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 एवं अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सड़कों से जोड़ा जाना है। चूंकि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में इस श्रेणी में कम ग्राम आते हैं इसलिए अन्य विधान सभा क्षेत्रों की अपेक्षा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में कम सड़कें बनी हैं।

घनेश्वर पंचायत (बूंदी) में डेलीनेटेड प्लाट्स की योजना

693. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी तहसील के घनेश्वर पंचायत में डेलीनेटेड प्लाट्स की कोई योजना थी और है ?

(2) क्या यह सही है कि डेलीनियेटेड प्लाट की निश्चित सीमा होती है ? यदि हां, तो कितने वर्ग गज में एवं 31 मार्च, 1993 तक घनेश्वर पंचायत के खनन क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कितने प्लाट्स हैं ?

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

(3) क्या वर्ष 1991–92 व 1992–93 में डेलिनियेटेड प्लाट की निविदाएं आमन्त्रित (धनेश्वर पंचायत तहसील व जिला बूंदी) की गयी थी ? यदि हां, तो 31 मार्च, 1993 तक आमन्त्रित कितनी निविदाएं खनिज विभाग के बूंदी कार्यालय में मौजूद हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1991 में खनिज विभाग बूंदी के खण्ड प्रथम ने निविदाएं आमंत्रित की थीं ? यदि हां, तो उक्त निविदाओं का 31 मार्च, 1993 तक क्या किया और अब किस स्थिति में हैं ?

उत्तर

(1) बून्दी तहसील के धनेश्वर पंचायत में दिनांक 16.12.85 से डेलीनियेटेड प्लाट्स की योजना थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में एम.एम.सी आर., 1977 की अवधि दिनांक 3.3.86 तक लागू मानी गई ।

(2) जी हां, डेलिनियेटेड प्लाट की सीमा होती है । धनेश्वर ग्राम में डेलिनियेटेड किए गए प्लाट की साइज 120×60 वर्ग मीटर अर्थात् 8611.128 वर्गगज निर्धारित की गयी थी । 31 मार्च, 93 तक धनेश्वर पंचायत के खनन क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत 293 प्लाट डेलिनियेटेड किये गये थे ।

(3) जी हां, दिनांक 12–3–91, 19–3–91, 26–3–91 एवं 2–4–91 को निविदाएं आमन्त्रित की गयी थीं । दिनांक 31–3–93 तक 77 प्लाट की निविदाएं प्राप्त हुई जो लंबित हैं ।

(4) जी हां, वर्ष 1991 में कार्यालय खण्ड प्रथम बून्दी में ग्राम राजपुरा, नालोली एवं धनेश्वर खनन क्षेत्र के डेलिनियेटेड प्लाट के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं । ग्राम धनेश्वर एवं राजपुरा के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट,बून्दी के स्थगन आदेश दिनांक 6.4.91 एवं राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 16.4.92 के फलस्वरूप प्राप्त निविदाओं पर खनन पट्टा हेतु स्वीकृति कार्यवाही स्थगित है । आगामी तारीख पेशी 20.7.95 नियत है ।

पुलिस थाना (बस्सी) में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे

694. **श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के पुलिस थाना बस्सी में माह जनवरी, 1993 से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 में अब तक कितने मुकदमे कब-कब दर्ज हुए ? इनमें से कितने मुकदमों के चालान कब-कब पेश किये और कितने मामले पुलिस थाना बस्सी एवं सी.ओ. पुलिस जिला ग्रामीण जयपुर में विचाराधीन हैं ?

(2) क्या ग्राम पंचायत सुमेल पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर में स्वर्ण जाति के परिवारों को ग्राम विजयपुरा के अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय के लघु

(श्री भीखा भाई)

कृषकों की भूमि (कच्चा बेरा पानी सिंचित करने) पर आवासीय पट्टे काटे हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पुलिस थाना बस्सी द्वारा जांच करने व चालान पेश करने में पक्षपात किया है ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मुकदमा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धाराओं के तहत है ? यदि हां. तो उक्त प्रकरण में कौन-कौन दोषी पाये गये ? क्या इनके विरुद्ध सरकार नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या ग्राम कूंथाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर के अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय के व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत कोई मुकदमे दर्ज कराये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच आदि कहां विचाराधीन है ? प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के पुलिस थाना बस्सी में माह जनवरी, 1993 से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत 34 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 के अन्तर्गत कुल 11 अभियोग दर्ज हुए। वांछित सूचना परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(2) जी नहीं। अपितु ग्राम पंचायत सुमेल द्वारा स्वर्ण जाति के परिवारों को ग्राम विजयपुरा के खसरा नं. 139 में, जो आबादी भूमि है, पट्टे काटे गये हैं। परन्तु उक्त व्यक्ति ख. नं 104, जो रैगर समुदाय के लघु कृषकों की भूमि है, पर काबिज हो गये। इस पर मु.नं. 82/94 दि. 12.3.94 धारा 147, 447, 427 भा.द.स. व 3 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 दि. 12.3.94 को दर्ज हुआ। प्रकरण अनुसंधानाधीन है। प्रगति रिपोर्ट परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इस प्रकरण में पुलिस थाना बस्सी द्वारा परिवादियों की सुनवाई व कार्यवाही नहीं करने के बिन्दु पर एवं अनुसंधान में अनावश्यक विलम्ब के बिन्दु पर जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

(3) अभियोग संख्या 82/94 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) ग्राम कूंथाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण के अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय के व्यक्तियों ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अभियोग संख्या 301/94 व 11/95 दर्ज करवाये गये हैं। अभियोग संख्या 301/94 में बाद तफतीश चालान दिनांक 21.10.94 को पेश अदालत किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। अभियोग संख्या 11/. 4.1.95 जेर तफतीश

(गृह मंत्री)

पुलिस है । जिसकी प्रगति रिपोर्ट परिशिष्ट 'ख" में संलग्न प्रेषित हैं ।

(प्रगति रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पुलिस थाना कुम्हेर (भरतपुर) की अपर्याप्त एवं जीर्ण-शीर्ण इमारत हेतु धनराशि का आवंटन

695. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना कुम्हेर (भरतपुर) की इमारत अपर्याप्त और जीर्णशीर्ण स्थिति में है ?

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार नवीन उपयुक्त भवन बनाने हेतु धनराशि आवंटित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या पुलिस कर्मियों के निवास हेतु पुलिस थाना कुम्हेर भवन के निकट ही आवास गृह निर्माण किये जाने का भी सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ ।

(2) पुलिस थाना कुम्हेर (भरतपुर) में नवीन प्रशासनिक भवन बनवाये जाने हेतु अतिरिक्त कलक्टर विकास, भरतपुर के द्वारा वर्ष 1992-93 में एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी । इस स्वीकृति के पेटे नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए प्रशासनिक भवन हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

(3) थाने के नये प्रशासनिक भवन के निर्माण हो जाने के पश्चात् ही पुलिस कर्मियों के आवास गृह निर्माण के बारे में विचार किया जाएगा ।

जिला मुख्यालयों पर रात्रि गश्त के सेवकों (होमगार्ड) के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि

696. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या नागरिक सुरक्षा एवं रक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में रात्रि गश्त में कितने-कितने स्वयंसेवक (होमगार्ड) ड्यूटियों में लगाये जाते हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) रात्रि गश्त की ड्यूटी में स्वयंसेवकों की संख्या निर्धारित करने के मानदंड क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि धौलपुर शहर के लिए रात्रि गश्त हेतु 30 स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत थी, जिनमें से 10 स्वयंसेवक रात्रि गश्त बाड़ी कस्बे में स्थानान्तरित कर दिये गये ?

(4) क्या जिला मुख्यालय एवं धौलपुर शहर की आबादी के क्षेत्रफल एवं अपराधों की संख्या को देखते हुए सरकार स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

(5) क्या सरकार स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 30 रुपये से अधिक बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(6) क्या सरकार स्वयंसेवकों को पुलिस की तरह टेरीकोट की वर्दी देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के 18 जिलों में रात्रि गश्त हेतु 1150 गृह रक्षा सदस्यों को लगाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :—

1. अजमेर	100
2. अलवर	70
3. बीकानेर	70
4. भरतपुर	75
5. भीलवाड़ा	75
6. बांसवाड़ा	50
7. चित्तौड़गढ़	40
8. धौलपुर	30
9. गंगानगर	75
10. जयपुर	150
11. जोधपुर	75
12. नागौर	30
13. पाली	40
14. सवाई-माधोपुर	30
15. सीकर	40
16. टोंक	30
17. कोटा	100
18. उदयपुर	70
	1150

(2) राज्य के विभिन्न जिलों के बड़े-बड़े शहरों में अपराधों की संख्या तथा उपलब्ध पुलिस फोर्स को मध्य नजर रखते हुए प्रत्येक जिले के लिए गृह रक्षा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। परन्तु राज्य सरकार ने राज्य पुलिस के पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाये हैं जिसमें धौलपुर शहर के अधीन पुलिस थानों में निम्न अतिरिक्त पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है :—

पुलिस निरीक्षक	1
पुलिस उप निरीक्षक	1
सहायक पुलिस उप निरीक्षक	4
मुख्य आरक्षी	2
आरक्षी	18

इसी प्रकार धौलपुर थानों के अन्तर्गत आने वाली पुलिस चौकियों में भी मुख्य आरक्षी/आरक्षी के अतिरिक्त पदों के सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 30/–रुपये से बढ़ाकर 40/– रुपये करने की घोषणा सदन में दिनांक 19-4-95 को की जा चुकी है।

(6) राज्य सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्णय लेगी।

प्रदेश के स्वयंसेवकों (होमगार्ड) को अन्य राज्यों की भांति ड्यूटियों पर नियमित रखना

697. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वयंसेवकों (होमगार्ड) की कमाण्ड हेतु स्वयंसेवकों में से ही विभिन्न रेंक (पद) दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि रेंकधारी एवं सामान्य स्वयंसेवक का मानदेय समान है ?

(3) क्या सरकार इन्हें पद के हिसाब से प्रदेश बोर्डर होमगार्ड और अन्य राज्यों की तरह अलग से एलाउन्स देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार प्रदेश के स्वयंसेवकों को अन्य राज्यों की तरह ड्यूटियों पर नियमित रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) बोर्डर होमगार्ड्स को एलाउन्स भारत सरकार की जिस नीति के अन्तर्गत दिया जाता है वह नीति शहरी/ग्रामीण स्वयंसेवकों पर लागू नहीं होती है । अन्य राज्यों की सूचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । उक्त सूचना अन्य राज्यों से मंगवाकर मामले का परीक्षण किया जायेगा ।

(4) राज्य में शहरी गृह रक्षा के 1150 सदस्य प्रतिदिन नियमित रूप से विभिन्न जिलों में पुलिस के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटी पर (रोटेशन अनुसार) लगाये जा रहे हैं ।

पुलिस थाना जोबनेर (जयपुर) में दर्ज हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित मुलजिमान की गिरफ्तारी

698. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12 जनवरी, 1995 को आनन्दी नाम महिला की कुएं में डालकर हत्या की गयी थी और मुकदमा सं. 284-7/95 थाना जोबनेर (जिला-जयपुर) में दर्ज हुआ था ?

(2) क्या उक्त मुकदमे में सारे मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सारे मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) श्रीमती आनन्दी के कुएं में गिर कर मृत्यु होने की संदेहयुक्त रिपोर्ट पर अ. सं. 7/95 धारा 302 भा. दं. सं. थाना जोबनेर दर्ज हुआ है ।

(2) जी नहीं । अभियोग सी.आई.डी. (सी.बी.) में अन्वेषणाधीन है ।

(3) जी, हां । अन्वेषण पूर्ण होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

ग्राम केदारा की झोंपड़ियां तथा संग्रामगंज मजरा आंतरदा (बून्दी) को राजस्व ग्राम घोषित करना

699. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम केदारा की झोंपड़ियां तथा संग्रामगंज मजरा आंतरदा (जिला बून्दी) में प्रत्येक की आबादी 250 से अधिक है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

यह सही है कि ग्राम आंतरदा के मजरा केदारा की झोपड़ियां की आबादी 250 से अधिक है तथा मजरा संग्रामपुर की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 250 से कम है।

मजरा केदारा की झोंपड़ियां की नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाकर नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम बालेसर सत्ता, तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) में कुछ खसरा नम्बरों की अवैधानिक रूप से तरमीम

700. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बालेसर सत्ता, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 36 व कुछ अन्य खसरों की अवैधानिक रूप से गलत तरमीम की गयी है और ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर उसकी जांच उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच से शिकायतें सही पाई गयी तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर से कराई गयी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन पेश किया जो अपूर्ण पाया गया इस पर पुनः विस्तृत जांच प्रस्तुत करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया गया है। सम्पूर्ण विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि इसमें कौन व्यक्ति दोषी है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के राजस्व गांव की श्रेणी से शेष बचे गांव/ढाणियां

701. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने गांव/ढाणियां शेष बची हैं जिनको नियमानुसार राजस्व गांव की श्रेणी में लिया जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में निम्न 5 मजरे/ढाणियां शेष बची हैं जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित करवाया जाना प्रस्तावित है:-

	जनसंख्या
1. शेषपुरा	597
2. देवखेड़ा	326
3. देवपुरा	255
4. बालापुरा	460
5. नयागांव	856

सोजत शहर में लाशों के पोस्टमार्टम की कोठरी

702. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत शहर में लाशों का पोस्टमार्टम करने हेतु जोधपुर रियासत के समय से ही एक कोठरी बनी हुई थी ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसकी हालत बहुत खराब है तथा पूरी तरह गिर गई है, फलस्वरूप खुले आकाश में चारपाइयों के पीछे पोस्टमार्टम किया जाता है ?

(3) क्या सरकार सोजत अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था का विचार रखती है ताकि पोस्टमार्टम अस्पताल में ही सम्पन्न हो सके ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सोजत शहर में पोस्टमार्टम हेतु जोधपुर रियासत के समय से ही एक कोठरी बनी हुई है। इसका निर्माण जोधपुर रियासत के राजस्थान राज्य में विलय के पूर्व होना पाया गया है।

(2) जी हां, यह सही है कि कोठरी बहुत ही पुरानी व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है परन्तु पोस्टमार्टम खुले आकाश में चारपाई पर न किया जाकर कोठरी में किया जाता है।

(3) जी हां। इस पर विचार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम हेतु एक कक्ष का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के जन स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

703. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स, नर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

(श्री हरिसिंह)

के पद स्वीकृत हैं तथा कितने कर्मचारी पदस्थापित हैं व कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या कोई पद रिक्त भी है ? यदि हां, तो कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित चिकित्सा संस्थानों पर स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत पद निम्न प्रकार हैं :—

पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत
1. डाक्टर्स	13	10
2. कम्पाउण्डर्स नर्स (नर्सिंग संवर्ग)	60	60
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30	27

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है तथा शीघ्र ही पद भरने की कार्यवाही की जा रही है। सैक्टर सुपरवाइजर के पद को भरने हेतु कार्यवाही जारी है तथा वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के कारण स्वीपर के पद भरा जाना संभव नहीं होगा।

पंचायत समिति खैरवाड़ा के ग्राम नया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दानदाता द्वारा दी गयी भेंट सामग्री

704. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की पंचायत समिति खैरवाड़ा के ग्राम नयागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन व क्वार्टस किसी दानदाता ने बनाकर दिये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि दानदाताओं ने ही उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के लिए फ्रिज, पंखे आदि सामग्री भी भेंट की है ? यदि हां, तो उक्त सामग्री कहां एवं किस हालत में है ?

(3) क्या नया गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए स्वीकृत पदों के अनुसार पद भरे हुए हैं एवं क्या सभी कर्मचारी मुख्यालय पर ही रहते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उनके विरुद्ध कोई शिकायतें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग ने अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नया गांव का भवन एक दानदाता द्वारा बनाया गया है, परन्तु कोई आवास गृह नहीं बनाया गया।

(2) जी हां। भेंट किये गये फ्रिज एवं पंखे संस्थान में ही उपलब्ध हैं एवं सही हालत में हैं।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) जी हां, स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ पदस्थापित है एवं निरीक्षण के दौरान सभी उपस्थित पाये गये। पूर्व में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं पाये जाने पर उन्हें आदेश की प्रतीक्षा में निदेशालय बुलाया गया एवं अब उनका स्थानान्तरण जिले से बाहर कर दिया गया है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति

705. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामां में 4 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त हैं परन्तु 3 पदों के विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं तथा दो पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त हैं अत: स्पष्ट रिक्त पद 3 हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है और शीघ्र पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है।

अम्बाबाड़ी, ढहर के बालाजी, भवानी नगर, मुरलीपुरा (जयपुर) के नागरिकों की सुविधा हेतु राजकीय चिकित्सालय*

706. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित अम्बाबाड़ी, ढहर के बालाजी, भवानी नगर, मुरलीपुरा इत्यादि क्षेत्र में वर्तमान में नागरिकों की सुविधा हेतु क्या कोई राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से चिकित्सालय हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इन क्षेत्रों हेतु कब तक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर स्थित अम्बाबाड़ी, ढहर के बालाजी, भवानी नगर, मुरलीपुरा आदि क्षेत्रों के नागरिकों को पास ही स्थित चिकित्सा संस्थानों द्वारा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(2) इन क्षेत्रों के पास झोटवाड़ा में में कार्यरत शहरी डिस्पेंसरी और जयपुर शहर में कार्यरत कावंटिया जिला चिकित्सालय तथा सैटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां से इन क्षेत्रों के नागरिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं।

टोडाभीम पंचायत समिति (सवाई माधोपुर) के ग्राम सोकरवाड़ा में विकास कार्य

707. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोडाभीम पंचायत समिति (सवाई माधोपुर) के ग्राम सोकरवाड़ा में वर्ष 1990 से 1995 तक कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत हुए, कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण रहे कार्यों के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति टोडाभीम के ग्राम सोकरवाड़ा (सांकडवाड़ा) में वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 विकास कार्य स्वीकृत हुये थे, जिनमें से 13 कार्य पूर्ण हुये एवं 2 कार्य अपूर्ण रहे जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है ।

क्रम संख्या 11 पर स्वीकृत कार्य में से नलकूप पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पेयजल वितरण जारी है । जी. एल. आर. निर्माण हेतु भी संवेदक को कार्य आदेश दिये जा चुके हैं । क्रम संख्या 15 पर स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में सड़क के दोनों ओर फसल खड़ी होने व श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है । फसल कटने के बाद यह कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें ।)

पंचायत समिति, मकराना तथा कुचामन सिटी की विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कच्चे व पक्के कार्य

708. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मकराना तथा कुचामन सिटी के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा 1 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक विभिन्न कच्चे एवं पक्के कार्य करवाये गये हैं ? यदि हां, तो करवाये गये कार्यों का विवरण मदवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त कार्यों की मौके की स्थिति एवं कार्य गुणवत्ता की जांच अधिकारियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस तारीख को ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति मकराना तथा कुचामन सिटी में 1 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये कच्चे व पक्के कार्यों का विवरण निम्न अनुसार है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति	कच्चे कार्य	पक्के कार्य
1.	मकराना	169	22
2.	कुचामन सिटी	144	11

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

इन कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। इन कार्यों की मौके की स्थिति तथा गुणवत्ता की जांच अधिकारियों द्वारा समय-समय पर मौके पर जाकर की गयी। जिसका तारीखवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पाली जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत कमरे

709. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पाली जिले में किन-किन प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में कितने-कितने कमरे स्वीकृत किये गये? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) कुछ पंचायत समितियों में अधिक कमरे व कुछ में कम कमरे स्वीकृत करने का आधार क्या रहा?

(3) सरकार उक्त योजना में सोजत पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में कमरे कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पाली जिले में वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 में प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 159 एवं 264 कमरे स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) कमरों की स्वीकृतियां पंचायत समितियों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर आधारित थीं, जिसमें भवन रहित प्राथमिक शालाओं को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों की आवश्यकतानुसार स्वीकृति जारी की गयी।

(3) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993--94 तथा 1994--95 में क्रमशः 17 एवं 10 कमरों का निर्माण स्वीकृत किया था। वर्ष 1995--96 में योजनान्तर्गत आबंटित की गयी राशि में से सैक्टोरल आबंटन के अनुसार उपलब्ध धन-राशि के आधार पर भवन रहित प्राथमिक शालाओं तथा अन्य प्राथमिक शालाओं में आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्षों के निर्माण की स्वीकृति जिला स्तर पर जारी करना संभव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर जिले में गोबर गैस, बायो-गैस संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य

710. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर भगोरा)

(1) उदयपुर जिले में गत 10 वर्षों में कितने-कितने गोबर गैस, बायोगैस संयंत्र लगाने के लक्ष्य निर्धारित थे? विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार संयंत्र लगा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में उन संयंत्रों की क्या स्थिति है? उनमें से कितने चालू हालत में हैं एवं कितने बन्द हैं?

(4) इन संयंत्रों पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण वर्षवार, पंचायत समितिवार प्रति संयंत्र का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दस वर्षों में उदयपुर जिले में 2840 संयंत्रों के निर्माण का लक्ष्य था, लक्ष्य के अनुसार 2870 संयंत्र बनाये हैं, पंचायत समितिवार लक्ष्य एवं प्राप्तियां एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट–1. में संलग्न हैं।

(2) वर्ष 1988-89 में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई थी, जिसका मुख्य कारण यह था, कि माह जून, 1988 अकाल से क्षेत्र प्रभावित था। एवं अकाल के प्रभावित होने से तीन माह तक न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त हुए थे, इस वर्ष 10 प्रतिशत लक्ष्य कम अर्जित हुए थे, शेष 9 वर्षों में पूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति हुई है, इसकी सूचना परिशिष्ट–2. में संलग्न है।

(3) वर्ष 1985-86 से 1994-95 तक गत 10 वर्षों में 2870 संयन्त्र लगाये गये हैं, उनमें से 2018 संयंत्र चालू हैं, 852 संयंत्र बन्द हैं। बन्द एवं चालू संयंत्रों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट–3. में संलग्न है।

(4) गत 10 वर्षों में निर्मित कराये गये प्रत्येक संयंत्र पर कितना-कितना व्यय हुआ है एवं संयंत्र की वर्तमान में क्या स्थिति है, विवरण पंचायत समितिवार व वर्षवार परिशिष्ट–4. में संलग्न है।)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।

कोटा, बारां व बून्दी जिले में इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाई गई कालोनियां

711. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा, बारां व बून्दी जिले की पंचायत समिति इटावा, अन्ता व केशोराय-पाटन में गत वर्षों में इन्दिरा आवास योजना के तहत कितनी-कितनी कालोनियां किस-किस गांव व कस्बे में बनाई गयीं?

(2) वर्तमान में इन कालोनियों में से कितनी-कितनी कालोनियां रहने योग्य हैं व कितनी रहने के अयोग्य हैं?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) क्या सरकार खराब अवस्था में पड़ी कालोनियों को गरीब लोगों के लिये रहने योग्य बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा, बांरा व बूंदी जिले की पंचायत समिति इटावा, अन्ता व केशोरायपाटन में गत वर्षों में इन्दिरा आवास योजना के तहत 16 कालोनियों में कुल 275 आवासों का निर्माण कराया गया। इन कालोनियों के निर्माण सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट–"अ" पर उपलब्ध है।

(2) निर्मित की गयी 16 कालोनियों में से 10 कालोनियों में कुल निर्मित 165 आवासों में से 127 आवास रहने योग्य है तथा 38 आवास रहने योग्य नहीं हैं। बाकी 6 कालोनियों में कुल निर्मित समस्त 110 आवास रहने योग्य नहीं हैं।

(3) जी हां। विभिन्न कालोनियों में खराब पड़े आवासों को आबंटियों द्वारा रहने के इच्छुक होने की स्थिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की आवासीय अनुदान योजनान्तर्गत रु. 2600/- प्रति आवास की वित्तीय सहायता से रहने योग्य बनाने सम्बन्धी निर्देश जारी किये जा चुके हैं। चूंकि यह वित्तीय सहायता व्यक्ति विशेष को स्वीकृत की जाती है, अतः आबंटी द्वारा स्वयं ही अपने आवास रहने योग्य बनाये जायेंगे।

विभाग द्वारा यह आदेश भी दिये गये हैं कि मूल आबंटी द्वारा इन आवासों में रहने के इच्छुक नहीं होने की स्थिति में उनका आबंटन निरस्त कर आवास अन्य पात्र व्यक्तियों को आबंटित किये जा सकते हैं, जिनको भी आवासीय अनुदान सहायता से रहने योग्य बनाया जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु आर्थिक सहायता

712. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार से कितनी सहायता ? इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 में नागौर जिले में कौन-कौन सी हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत करने के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गयी ?

(3) विभाग के पास नागौर जिले की कौनसी हरिजन बस्तियों की योजनाएं स्वीकृति के लिये कब-कब से विचाराधीन हैं ? इन्हें सरकार कब तक स्वीकार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये सीधे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

(2) वर्ष 1994-95 में समाज कल्याण विभाग द्वारा किसी भी हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिये कोई राशि सीधे नहीं दी गयी। यह कार्य राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता है।

(3) समाज कल्याण विभाग के पास नागौर जिले की हरिजन बस्तियों की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले में समाज कल्याण विभाग के प्रस्तावित छात्रावास

713. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वर्ष 1995–96 में किन-किन स्थानों पर विभागीय छात्रावास खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं?

(2) क्या जैतारण विधान सभा क्षेत्र के कस्बे नीमाज में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में पाली जिले में निम्न स्थानों पर छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव 1994-95 में प्राप्त हुए थे :—

क्र. स.	नाम स्थान
1.	नेछवा
2.	रोहित
3.	देवलीकला
4.	बगड़ी

(2) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम कालवाड़ (जयपुर) के निराश्रित बालगृह के लम्बित अनुदान के भुगतान का प्रकरण

714. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जयपुर जिले में निराश्रित बाल गृह संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले के ग्राम कालवाड़ में एक निराश्रित बाल गृह विमल शारदा विद्या मंदिर द्वारा संचालित था ? यदि हां, तो यह बालगृह कब से कब तक संचालित रहा तथा किस वर्ष से क्यों बन्द किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त बाल गृह चालू कराने से लेकर बंद किए जाने तक का ऑडिट/विशेष ऑडिट

(श्री माधवसिंह दीवान)

कराया गया था ? यदि हां, तो ऑडिट/विशेष ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निराश्रित बालगृह को बन्द किये जाने के बाद भी उक्त संस्था को विभाग द्वारा अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों के अनुदान का भुगतान शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस संस्था के लम्बे समय से लंबित बकाया भुगतान बाबत जन प्रतिनिधियों/विभिन्न समितियों के सभापतियों ने निदेशक, समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो किन-किन द्वारा किस वर्ष में पत्र लिखे गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब उक्त संस्था को लम्बित अनुदान के भुगतान का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर जिले में निराश्रित बालगृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निम्नांकित स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं :–

1. बाल रश्मि सोसायटी, ग्राम भावसर ईसरवाला, खेड़ी तह. बस्सी, जयपुर।

2. बालिका सदन, युधिष्ठिर मार्ग, नला ऊपर, सी-स्कीम, जयपुर।

3. ए. के. पब्लिक स्कूल, सीताराम पुरी, रामगढ़ मोड़, जयपुर।

(2) जी हां, विमल शारदा विद्या मंदिर द्वारा निराश्रित बालगृह का संचालन जनवरी, 1986 से मार्च, 1991 तक रहा है। संस्था के निराश्रित बालगृह का विशेष जांच दल द्वारा विशेष निरीक्षण 1990 में किया गया था। इसी प्रकार समय-समय पर जिला एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान संस्था में पाई गई अनियमितताओं और संस्था को नियमानुसार संचालित नहीं किए जाने के कारण इसे दिनांक 3.1.92 के आदेश से मान्यता समाप्त कर बन्द कर दिया गया।

(3) जी हां, संस्था के निराश्रित बाल गृह का विशेष आडिट अवधि 1/86 से 3/91 तक का करवाया गया था जिसकी प्रतियां ध्वज "अ" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं संस्था को वित्तीय वर्ष 1990-91 तक का अनुदान दिया जा चुका है।

(5) संस्था को लम्बे समय से लम्बित बकाया भुगतान बाबत सर्वप्रथम श्री नवनीत लाल नीनामा सभापति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, राज. विधान सभा, जयपुर ने दिनांक 21.3.91 को तत्कालीन निदेशक महोदय, समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखा था। इसके पश्चात् श्री टीकमचन्द कान्त, सभापति अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राज. विधान सभा, जयपुर ने दि.

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

27.3.91 को तत्कालीन निदेशक को पत्र लिखा था जिसके सन्दर्भ में विभाग ने संस्था के निराश्रित बालगृह का विशेष आडिट करवाने का निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किए थे और तदनुसार ही संस्था का विशेष आडिट दिनांक 28.5.91 से 7.6.91 तक किया गया था । इसके बाद श्री नवनीत लाल नीनामा, सभापति अनु. जनजाति कल्याण समिति, राज. विधानसभा, जयपुर ने दिनांक 18.9.91 को निदेशक को पुनः पत्र लिखा था ।

(6) जी नहीं, संस्था को वित्तीय वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक विभाग द्वारा 174384 /– रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया था जिसका उपयोग संस्था द्वारा किया गया तथा अब कोई बकाया राशि संस्था को नहीं दी जानी है । इसका स्पष्ट उल्लेख विशेष आडिट रिपोर्ट में है । संस्था को अनावर्तक सामान खरीदने के लिए 10,025 /– रुपये का अनुदान दिया गया था । संस्था द्वारा क्रय किये गये अनावर्तक सामान की वसूली संस्था द्वारा अभी तक जमा नहीं कराई गयी ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर द्वारा मंजूर शुदा ऋणों के भुगतान में विलम्ब

715. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा ऋण हेतु वर्ष 1993-94 व 1994-95 में बुनकर शाला/शिल्पीशाला के कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये ? पंचायत समिति, हिण्डोन के लिए जारी की गयी स्वीकृतियों का ग्रामवार ऋणियों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मंजूरशुदा ऋणों का भुगतान विकास अधिकारी, हिण्डोन द्वारा अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लाभान्वित व्यक्तियों को शीघ्र ऋण का भुगतान दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बुनकर शाला/शिल्पी शाला हेतु ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है अपितु अनुदान स्वीकृत किया जाता है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में बुनकर शाला के लिए क्रमशः 282 एवं 408 स्वीकृतियां तथा शिल्पीशाला के लिए वर्ष 1993-94 में 270 एवं वर्ष 1994-95 में 803 स्वीकृतियां जारी की गयीं ।

पंचायत समिति हिण्डोन द्वारा जारी की गयी ग्रामवार लाभार्थियों के नाम सहित सूची परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी नहीं । विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोन के रेकार्ड के अनुसार

59

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं माप के अनुसार किया गया है । सरकार लाभान्वितों को शीघ्र अनुदान दिये जाने का विचार रखती है । यदि लाभान्वित निहित शर्त एवं माप के अनुसार कार्य करवायें ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नये खोले जाने वाले प्रस्तावित पशु औषधालय

716. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पशु औषधालय कहां-कहां पर कार्यरत हैं तथा क्या यह पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार कितने पशु औषधालय कब व कहां कहां खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बामनवास व बौंली तहसील पर कार्यरत पशु औषधालयों में कार्यरत चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने हेतु कोई नियम दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था हेतु वहां पशु औषधालय खोले जाने अथवा चिकित्सकों की सप्ताह में 3 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी देने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का विचार रखती है ।

(4) क्या सरकार बामनवास क्षेत्र के ग्राम बिछोछ जहां की पशुधन काफी संख्या में हैं, उन पशुओं को रोग से बचाने हेतु यहां पर पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः बौंली, बामनवास, सुकार, बटोदा एवं पशु औषधालय मित्रपुरा कार्यरत है जो वर्तमान में उपलब्ध साधनों के अनुसार पर्याप्त है ।

(2) बामनवास व बौंली तहसील पर पशु औषधालय कार्यरत नहीं है बल्कि पशु चिकित्सालय हैं । पशु औषधालय में डाक्टर का पद सृजित नहीं होता है । कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने हेतु दिशा-निर्देश उपलब्ध है ।

(3) वित्तीय वर्ष में किसी भी क्षेत्र में पशु चिकित्सा संस्था खोलने के लिए प्रावधान उपलब्ध नहीं है । नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे सप्ताह में 3 दिन ड्यूटी देने का प्रावधान नहीं है ।

(4) वर्तमान में नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः ग्राम बिछोछ में पशु औषधालय नहीं खोला जा सकता । जब भी पशु चिकित्सा संस्थाएँ खुलेगी तब ही विचार किया जाना सम्भव होगा ।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

717. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां चल रहे हैं ?

(2) क्या जैतारण तहसील के ग्राम पाटवा एवं बलून्दा पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) वर्ष 1995-96 में पाली जिले में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः जैतारण, आनन्दपुर कालू, नीमाज, बलाड़ा, डिगराना, बेडकला, देवरिया एवं एक पशु औषधालय रास में कार्यरत है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1995-96 में नई चिकित्सा संस्था खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की पंचायत समिति दूदू के ग्राम बोराज में रैगरों के सार्वजनिक कुएं पर भूतपूर्व जागीरदार का कथित कब्जा होने से रैगर जाति के व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से थानापुगल जिला बीकानेर में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा नम्बर 15/95 में मुलजिमान के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के फलस्वरूप नामजद मुलजिमान के चक 12 बी. एल. डी. में आकर औरतों के साथ मारपीट व बदसलूकी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में नरबलि की कथित घटना से उत्पन्न स्थिति में सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

52

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री नन्दलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा सेल्स टैक्स की हेराफेरी, पशुपालकों का शोषण, जोर-जबरदस्ती, बदसलूकी एवं प्राइवेट पार्टियों से सांठगांठ के सम्बन्धे में।

(2) श्री पूराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के गांव थावला में दिनांक 10.7.1992 को एक व्यक्ति श्री पुखराज मीणा की कथित गोली मारकर की गयी हत्या के मुलजिमों पर सख्त कार्यवाही करने के सम्बध में।

(3) श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डल, जिला भीलवाड़ा के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की सुनेल एवं झालावाड़ रोड की टंकियों का निर्माण कर पेयजल की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में आगजनी की बढ़ती घटनाओं से किसानों को हो रही हानि के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में स्थित ट्रीटमैंट प्लांट की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में मतदाता फोटो परिचय पत्र जारी करने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सीमान्त सिंचित क्षेत्रों के विभिन्न चकों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मदन मोहन, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराष्ट्र व गुजरात से गैर कानूनी तरीके से कथित पलायन कर राजस्थान में प्रवेश कर रहे लोगों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर में रविवार की प्रातः 4.30 बजे एक ट्रक में भीषण आग की घटना में मरे दो व्यक्तियों व घायल अन्य व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीताबाड़ी मेला ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं करने से मेला व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामेश्वर लाल भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की विद्याधर नगर कालोनी के सेक्टर 4 में ग्रुप हाउसिंग हेतु आबंटित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

सिकराय में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(14) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के डीडवाना कस्बे में अतिरिक्त कलक्टर का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(15) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा हेतु उचित प्रबन्ध करने हेतु विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के गंगापुर सिटी बस स्टैण्ड की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(17) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सोता नदी पर रपट बनाकर यातायात अवरोध को दूर करने के सम्बन्ध में।

(18) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए बगरू में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के ग्राम जाजीवाल व बनाड के आसपास के गांवों के किसानों को उनकी कृषि भूमि का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। एक सप्ताह में एक ही लगता है। बिराजिए आप।

श्री किशनाराम नाई : एक ही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मानीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है....

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी नहीं लगाया। एक तो लगा दें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप इतने पुराने होने के बावजूद आपको मर्यादा का ध्यान नहीं। आप बिराजिए। (व्यवधान) आप बिराज जाएं। पहले पूरा सुन लें आप।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि आज दिनांक 21 अप्रेल, 1995 को मांग संख्या–48 जो विद्युत से सम्बन्धित है, भी विचार एवं मतदान हेतु नियत है। इस अनुदान की मांग का सीमा क्षेत्र बहुत सीमित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत विद्युत के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं (119 के इस सम्बन्धी प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए), उनके प्रस्तावक माननीय सदस्यों को

54

(श्री अध्यक्ष)

विद्युत् की अनुदान की मांगों पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

श्री किशनजी मोटवानी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आज हाउस के सामने हाउसिंग बोर्ड का बिल आने वाला है, उसके सम्बन्ध में प्रिविलेज नोटिस दिया है, मंत्री जी के खिलाफ उस सम्बन्ध में आप कोई निर्णय दे रहे हैं या आप मुझे दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : नहीं। मैं आपको दूंगा। अभी मैं आपको निर्णय सुनाऊंगा। दस मिनट ठहरिये। आप बिराज जायें।

श्री विष्णु मोदी : 295 के बाद में या जब बिल आएगा, उस वक्त निर्णय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, अभी दूंगा। अभी पांच-दस मिनट में दे दूंगा। अभी यह शून्य-काल खतम होने दीजिए। पांच-सात माननीय सदस्य बोल लें। आप बिराजिये।

श्री किशन जी मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्षजी, कल हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे और मांग पारित कर रहे थे तब अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कमरों में आग लग रही थी। अब यह घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है और षड़यंत्र के रूप में आगजनी भी हो सकती है। गत दिनों यहां श्री गोविन्द सिंहजी की गूंज अभी समाप्त नहीं हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ एडमिशन फार्म्स गुम होने की बात कही थी, मंत्री महोदय ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद वित्तीय अनियमितताओं की बात उठी थी तो फट से अम्ब्रेला खड़ी हो गयी। नियमों के विपरीत पेमेण्ट लेने की बात भी चली गयी। उसके बाद अभी गूंज समाप्त भी नहीं हुई थी तो धौलपुर की सड़क पर.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। Please sit down. Don't interrupt. कृपया बैठें। धौलपुर की सड़क पर बच्चों की जो आंसर-बुक्स हैं वे पड़ी हुई पायी गयीं। बोर्ड की अनियमित बैठकें होती है। बोर्ड में अनियमित अपाइन्टमेंट्स होते हैं। सरकार उस पर कोई तवज्जोह नहीं देती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आग षड्यंत्र के रूप में है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से इस बोर्ड की साख को बनाये रखने के लिये, राजस्थान की साख को बनाये रखने के लिए इसमें कार्यवाही करनी चाहिए, इन्क्वायरी करानी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हों, उनको सजा देनी चाहिए। बोर्ड का स्वरूप ठीक करना चाहिए ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : स्वरूप ठीक नहीं हुआ तो अन्य प्रदेशों में आपके इस बोर्ड की साख गिरेगी और आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय,

(श्री किशन मोटवानी)

सीरियसली इसमें इन्क्वायरी कण्डक्ट करें और इसका स्वरूप ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंहजी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय मंत्री जी, कुछ तो बोलिये।

श्री अध्यक्ष : बोल देंगे, आप तो विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : बाद में आप बात कर लेना। श्री भरतसिंह जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : सही है, उसको दिखवा लेंगे। बिना देखे क्या बोले ? आपने कह दिया कि आग लग गयी, अब उसका पता नहीं लगे तब तक, कैसे लगी, उस पर क्या कहें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय भरतसिंहजी। विराजिये आप।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोटा सम्भाग में जो लाइसेंसधारी हैं और उन लाइसेंसधारियों की, जिनकी मृत्यु हो जाती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच-बीच में नहीं, माननीय कोगटाजी, आपस में बातचीत नहीं करें (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आवाज नहीं आ रही है, आप व्यवस्था करिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आप कंट्रोल करिये, आप व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष : यह मेरी ड्यूटी है, विराजिये आप। बीच-बीच में नहीं, वे बोल रहे हैं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं अपनी बात....

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग में उन लाइसेंसधारियों, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको लम्बे समय तक जांच के नाम के ऊपर लाइसेंस जारी नहीं होते हैं। 196 एप्लीकेशन्स पुलिस के पास पेंडिंग हैं और इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और उनकी बन्दूकें थानों में जमा है। दो साल से ऊपर की अवधि से एप्लीकेशन्स जमा हैं। इस बीच में ऐसा नहीं है कि नया लाइसेंस आप जारी नहीं कर रहे हैं, कोटा सम्भाग में ही पिछले दो साल के अन्दर आपने करीब पांच-सात सौ नये लाइसेंस जारी किये हैं मगर ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग, जिनकी सीधी एप्रोच नहीं है और इंटेलीजेंसी की रिपोर्ट, मैंने जिला कलक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि साहब, जयपुर से इंटेलीजेन्सी की रिपोर्ट आ जाएगी, सी.आई.डी. से जांच करा लेंगे, उनको लाइसेंस मिल जाएंगे। गांव का आदमी अपने हथियार वहां जमा कराकर चक्कर लगाता है, कलक्ट्रेट के, वहां कोई उसको मिलता नहीं है तो मेहरबानी करके उन लोगों....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भरतसिंह : अध्यक्षजी, देखिये, एक तरफ तो वहां पर लाइसेंसधारियों को नहीं

(श्री भरतसिंह)

मिलता मगर जो अवैध हथियार खरीदना चाहते हैं, पिछले दो साल में ढाई सौ अवैध हथियार मिले हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग बाग नियम के विरूद्ध जाकर अवैध हथियार खरीदें ।

तो कम से कम जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको आप....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सामने भी यह मसला आया था और माननीय विधायक ने भी मेरा ध्यान इस बारे में व्यक्तिगत भी खींचा था । मैं आपके द्वारा माननीय विधायक को निवेदन करना चाहता हूं कि इस-मामले में लिबरली, जल्दी से जल्दी वारिसान के जो लाइसेंस देने के प्रकरण हैं, उनको निपटा दिया जाए, इस तरह का आदेश दिया जा चुका है । कल आप चाहे तो मैं आदेश की प्रति भी आपको दे दूंगा और इससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद) (व्यवधान) क्या हुआ आपको ? क्या हुआ ? श्रवणजी, क्या हुआ आपको ? आप बिराजिये अब । श्री अमरारामजी बोल रहे हैं, आप बिराजिये ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री और राजस्थान सरकार का ध्यान सीकर नगर परिषद की चुंगी, जो ठेके पर दी गयी हैं, उसमें वही हालत, जो बार-बार यहां सदन में शराब के ठेके के द्वारा होती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पहले भी आप कह चुके हैं, बिराजिये ।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं, वह नहीं कह रहा हूं । मैं म्यूनिसिपैलिटी की जो चुंगी दी गयी है, म्यूनिसिपैलिटी की चुंगी जो ठेके पर दी गयी है, उसे मुश्किल से अभी बीस दिन हुए हैं, उसमें हालत आज यह हो गई है कि ग्राम व्यापारी और ग्राम व्यक्ति जो उस म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर से होकर गुजरता हैं, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वह व्यक्ति है, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह किसान है जो अपने खेत में पैदा हुआ कोई भी सामान उस म्यूनिसिपैलिटी के एरिये में लाते हैं । आज हालत यह हो गयी है, मैं आपको एक उदाहरण देकर बता सकता हूं कि जो लूम बकरी के चारे के रूप मे काम आती थी, जो दो रुपये किलो थी, आज चार रुपये हो गयी है और किसान वहां तक लाने में अपने को अपमानित महसूस करता है, डरता है इसलिये वह उस म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर तक नहीं आ रहा है । आज ऐसी चीजें जिन पर चुंगी नहीं लगती है, जैसे मेडिकल सैम्पल्स हैं, जिस पर लिखा हुआ होता है कि Not to be sold लेकिन उसके बाद भी उनसे चुंगी वसूली की जा रही है । इसी तरह पूरे के पूरे लोगों के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा रही है उन ठेकेदारों के द्वारा जिससे नगरवासी, आस-पास के किसान, आम व्यक्ति परेशान है ।

(श्री अमराराम)

तो मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी ठेके की प्रथा जो पूरे राजस्थान में लागू की जा रही है, उसको निरस्त किया जाए और चुंगी जो ठेके पर दी गयी है, उसको वापस लेकर जनता को राहत पहुंचाई जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री दयारामजी परमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात याद दिलाना चाहता हूं गृह मंत्रीजी को.... (व्यवधान) आप देखिये, विधायकों के लिये (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री श्रवण कुमार : एक मिनट, दयाराम जी। विधायकों के हथियारों के लाइसेंस भी तीन-तीन और चार-चार महीने तक रीन्यू नहीं होते हैं और कलक्ट्रेट में जाते हैं तो कहते हैं पुलिस द्वारा रिपोर्ट मंगवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप उसी के सम्बन्ध में कह रहे थे तो आप बोलते ना। मैं यही कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं यह भी कहता हूं कि कितने दुःख की बात है, हमारी सुरक्षा का मामला है, उस पर आप हंसी मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, देखिए।

श्री श्रवण कुमार : आप देखें कि चार चार महीने तक तो पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजती है। 31 दिसम्बर को रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए, रीन्यू के लिए दिया हुआ है परन्तु रिवाल्वर का लाइसेंस आज तक रीन्यू नहीं हुआ है और पुलिस की रिपोर्ट नहीं आयी है। आप देखिए, विधायकों की पुलिस रिपोर्ट मंगाती है....(व्यवधान) और वह चार-चार महीने तक नहीं आती है। आप देखिए, उसके बाद भी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री श्रवण कुमार : बिराजिये क्या, सब देखें ना, बहुत जरूरी बात है यह। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये ना।

श्री श्रवण कुमार : चार महीने तक रिवाल्वर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत कम बोलते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के तो आंकड़े ही बहुत गलत हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी कोई बात कह रहे हैं, उसको सुने आप।

श्री श्रवण कुमार : चार महीने तक उसकी रिपोर्ट नहीं आना संवेदनशील सरकार की यह निशानी है।

नम्बर दो, आप एक एक विधायकों की भी जांच पुलिस से करवाते हैं। पुलिस की जांच आप कहां करवाते हैं, यह और बता दीजिये, फिर।

58

(श्री श्रवण कुमार)

नम्बर तीन, आप एक साल में, अर बारह महीने के बाद में रिवाल्वर के लाइसेंस का रिन्यूअल करवाते हैं। छठे महीने में तो इश्यू ही करते हैं और फिर छह महीने बाद में उसकी जांच होती है। हमारा लाइसेंस हम हमारे पास कब तक रख सकते हैं, यह कम से कम बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, मंत्रीजी आपके बारे में कुछ कह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, वह दे रहे हैं। देना चाहें तो दें।

श्री किशन मोटवानी : हमारा जवाब भी तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : वे देना चाहें तो दें।

श्री कैलाश मेघवाल : आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में हथियारों के लाइसेंस देने पर... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य, श्री कोगटा जी।

श्री कैलाश मेघवाल : केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ सख्त निर्देश आये थे और उसके अन्तर्गत....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कोगटाजी आपको चार बार टोक दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : सी. आई. डी. (इंटेलीजेन्स) से जांच करानी थी लेकिन पिछले दिनों राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ सैंसेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर, 10 या 9 जिलें छोड़कर बाकी 21-22 जिलों में पुनः पूर्व व्यवस्था चालू कर दी गयी है। कलक्टर और एस. पी. यह लाइसेंस देंगे जिससे होने वाली देरी पर, जो विलम्ब हो रहा है....

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष मह आप जवाब तो दिलवा दीजियें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : जो विलम्ब हो रहा था उस विलम्ब में कमी आयेगी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात तो सुनिये आप, खड़े हो गये फिर बीच में।

श्री श्रवण कुमार : मैं तो जल्दी करने की बात पूछ रहा हूँ और आप ....

श्री कैलाश मेघवाल : जल्दी करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, उनको सुन तो लीजिये।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो रिन्यूअल की बात पूछी थी। आप....

श्री अध्यक्ष : आप अपना राइट समाप्त कर चुके हैं, आप बिराजिये अब।

श्री श्रवण कुमार : बिराज तो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं कब खड़ा होना है। मंत्रीजी बोल रहे हैं आपकी बात पर जवाब हो रहा है और आप खड़े हो गये। मैंने मौका दिया आपको फिर भी आप मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं। विराजिये आप।

श्री दयारामजी परमार।

श्री श्रवण कुमार : मौका दिया परन्तु काम तो हुआ ही नहीं....

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के दस छात्रावास हैं, उन छात्रावासों की देखरेख के लिये एक व्यवस्थापक होता है, प्रत्येक छात्रावास में, लेकिन मेरे वहां दस छात्रावास के बीच में केवल तीन व्यवस्थापक लगा रखे हैं। एक व्यवस्थापक के पास में तो पांच होस्टलों का चार्ज है और पांच होस्टलों का चार्ज होने के कारण वह उन होस्टलों की देख-रेख नहीं कर पाता है, बच्चों को समय पर खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है और लड़के, सुना है, होस्टल में रह कर घुमते हैं और पढ़ते लिखते नहीं हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी प्रत्येक होस्टल में एक-एक वार्डन की नियुक्ति करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत डेकरिया में एक कालीबोर नाम से डेम बन रहा है। कालीबोर डेम साइ डेम से फीड हो कर नया डेम बन रहा है। साइ डेम का जो पानी है, वह जोधपुर और पाली सिंचाई और पेयजल के लिये जाता है। इसी तरह से कालीबोर डेम का पानी भी साइ डेम में होता हुआ जोधपुर और पाली जायेगा। मुझे पानी जाने के लिए कोई एतराज नहीं है परन्तु मैं यह चाहता हूं कि हमारे वहां जो आदिवासी किसान हैं, जिनके पास दो ढाई बीघा जमीन है, उनकी जमीन भी डूब क्षेत्र में जा रही है। साइ डेम के पानी के डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को भी पूरा मुआवजा नहीं मिला है और कालीबोर के लोगों को भी बिना मुआवजा दिये डेम का काम शुरू कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वहां के स्थानीय लोगों की सिंचाई के लिये पानी का कुछ हिस्सा रखा जाना चाहिए और उन्हें मुआवजा देने के बाद ही डेम का कार्य आगे शुरू करना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर चिन्ता की बात है कि चिकित्सा विभाग के चिकित्सक तो प्राइवेट डिस्पेन्सरियां चलाते ही हैं, आपरेशन के मर्जी आये जो पैसा लेते ही हैं, आपरेशन के टाइम पर मरीज से आपरेशन टेबल पर भी पैसा लेते हैं, मैंने नाम भी बताये हैं परन्तु चिकित्सा मंत्रीजी

(श्री रामनारायण)

कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शायद कोई पाबन्दी होगी। एक कनिष्ठ सर्जन के लिये आपको निवेदन किया था। होम्योपैथी में भी हालत बहुत खराब है। माननीय, होम्योपैथी में मेरे यहां एक बाछोला गांव है, कर्मचारी फरलो पर रहते हैं; ताला लगा रहता है और तनख्वाह कैसे लेते हैं, उनसे तनख्वाह वसूली भी नहीं होती और कोई जांच करने भी नहीं जाता। आज होम्योपैथी मंत्रीजी नहीं हैं, हालांकि उनके खिलाफ तुरन्त ही एक चार्ज शीट इश्यू होती है मुख्य मंत्रीजी के यहां से क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, तो मेरा निवेदन यह करना है कि बाछोला, बूंदी जिले में एक टैस्ट चैक के नाम पर, कोई सुन रहा हो सरकार का मंत्री तो, बाछोला, तहसील नैनवां जिला बूंदी में होम्योपैथिक चिकित्सालय का एक भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं रहता और हर महीने तनख्वाह लेते आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और उनसे ली गयी तनख्वाह सरकारी कोष में वापस जमा करायें यह मेरा निवेदन है, मान्यवर, ताकि इस पर रोक लग सके और कर्मचारियों की अनुशासनहीनता की हालत जो बद से बदतर है, उस पर कोई अंकुश लग सके।

इसके बारे में आप थोड़ा खड़े होकर ही कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खानजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस बार का बजट चिकित्सा को समर्पित है। इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्रीजी के निर्देश के बावजूद फर्जी डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से जनता में बहुत आक्रोश है।

अध्यक्ष महोदय, 1992 में जब श्री ललितकिशोरजी चिकित्सा मंत्री थे तब एक डाक्टर दौलतराम वर्मा जो चौमूं में दन्त चिकित्सक के नाम से प्रेक्टिस करते हैं, उनके खिलाफ जनता ने शिकायत की तो 1992 में सितम्बर के महीने में माननीय ललितजी ने लिखा, मंत्री महोदय के नाम श्री विनोद से जो शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी मूल प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि शिकायत पत्र पर प्रत्येक शिकायत की जांच कर मंत्री महोदय को तथ्य से एक माह की अवधि में अवगत कराने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, यह बात है 1992 की। मंत्रीजी के निर्देश देने के बावजूद वह जांच नहीं हुई और 1995 में, एक महीने के लिए मंत्रीजी ने कहा था, 1995 में जांच पूरी होकर आयी तीन साल बाद और उसमें जांच रिपोर्ट पेश, राजकीय चिकित्सा.....।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तारीख कौनसी है ?

श्री जुबेर खान : यह है सितम्बर, 1992 की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसके बाद सरकार चली गयी दिसम्बर में।

श्री जुबेर खान : अब 1995 में रिपोर्ट आयी, जांच रिपोर्ट पेश। राजकीय चिकित्सालय, चौमूं के प्रभारी डाक्टर ओमप्रकाश शर्मा ने सी. एम. एच. ओ. के आदेश पर यहां के एक दन्त चिकित्सक की जांच कर

(श्री जुबेर खान)

रिपोर्ट पेश कर दी है। डाक्टर शर्मा ने बताया कि इस चिकित्सक के पास दन्त चिकित्सा का प्रमाण-पत्र एवं राज्य सरकार के यहां पंजीकरण के दस्तावेज नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की है और एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गयी। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि जब जांच हो गयी, विभाग ने जांच कर ली, दोषी पा लिया, एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। गिरफ्तार भी नहीं करें, कम से कम उनको दुकान से तो हटाइये। उनके खिलाफ, फर्जी डाक्टर के विरुद्ध चौमूं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, अनेक अखबार पिछले 3 साल से रंगे हुए हैं और जगह-जगह उनकी जांच हो गयी है—सी. एम. एच. ओ. के यहां, पुलिस के यहां, एण्टी करप्शन में। तो मैं माननीय मंत्रीजी को सारे दस्तावेज देता हूं और मांग करता हूं कि तुरन्त इस डाक्टर को आप वहां से हटाइये और लोगों को न्याय दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस चिकित्सक के बारे में चर्चा की है, उसकी पत्रावली मैंने भी देखी है और पत्रावली को देखने से मालूम पड़ा कि उसका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन के यहां हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कोई इलाहाबाद हिन्दी साहित्य से आयुर्वेद उपमा की कोई परीक्षा पास की है। उसके पश्चात् की सारी पत्रावली मैंने मंगवा ली हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि कानून की परिधि में जो सख्त से सख्त कार्यवाही सम्भव होगी, वह सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी डाक्टर फर्जी हैं, उन सब पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी जरूर आवश्यक कार्यवाही करें।

एक माननीय सदस्य : जरूर होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं एक विशेष अभियान चला करके यह प्रयास करूंगा कि प्रदेश में जितने चिकित्सक बिना डिग्री के चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं या फर्जी डिग्री पर चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं और चिकित्सा का कार्य ही नहीं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन समस्त चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही कानून की परिधि के अन्दर सख्त से सख्त की जाए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : हम तो निपट गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के डाक्टर फीस लेते हैं दो-दो हजार, तीन-तीन हजार रुपये, डिलीवरी के सात हजार रुपये लेते हैं। तो यदि इन डाक्टरों को बन्द कर देंगे तो हमारे को मलेरिया की गोली कौन लिखेगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : बहुत हालत खराब है।

श्री अध्यक्ष : आप मजाक के मूड में आ गये, बिराजिये।

श्रीमती ताराजी भण्डारी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : यह नहीं करें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह आश्वासन वापस लेने के लिए कहें। आखिर हमको कौन दवा देगा, अध्यक्षजी ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय ताराजी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : दस-दस हजार, पांच-पांच हजार रुपये का खर्चा आता है, मान्यवर, बख्शो हमारे को।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर अजमेर मार्ग पर आये दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है। छोटी-मोटी दुर्घटना भी हो तो कई किलोमीटर लम्बा ट्रैफिक जाम हो जाता है और आये दिन लगभग यह कठिनाई हम लोगों को उठानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, छोटी-मोटी दुर्घटना हो, चाहे आपसी विवाद हो, ट्रैफिक जाम हो जाता है। आस-पास में थाने हैं, मोबाइल गश्त भी होगी लेकिन कोई आकर इस ट्रैफिक को खुलवाता नहीं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी तो हमको ट्रेन का भी साधन है, अगस्त के महीने में सारी ट्रेनें जो दिल्ली से अहमदाबाद की ओर जाती हैं, वह सब बंद हो जाएंगी और लगभग 8 महीने हमको इन गाड़ियों से या बाई रोड ही सफर करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लगभग एक साथ जो कठिनाई आने वाली है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, गृह मंत्रीजी तो चले गये, यातायात मंत्रीजी भी नहीं हैं, बाहर गये, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह रिकार्ड कराना चाहती हूं कि आये दिन जो लगने वाला जाम है, इससे घर वाले अलग परेशान होते हैं। आज भी हमारे सिरोही से एक बस चली थी और शादी में आने वाली थी, वह लोग पहुंचे ही नहीं। आये दिन इतना जाम लगता है, यह बहुत गम्भीर बात है और लगभग सभी सदस्यों को मुश्किल आती है। कहीं अरजेंट जाना हो तो घण्टों तक हमें जयपुर और अजमेर के बीच में लटकना पड़ता है।

और तो और, अध्यक्ष महोदय, जहां एम. एल. ए. क्वार्टर हैं, जी. पी. ओ. के पीछे हम लोग रहते हैं, वहां पर इतनी सारी मोटर रिपेयरिंग और पोशिस वर्क्स की दुकानें खुल गयी हैं कि सारा रास्ता खराब गाड़ियों से और रिपेयर होने वाली गाड़ियों से भरा रहता है। आज सवेरे हमारी टांग टूटती-टूटती बच गयी, वहां पर इतना भयंकर ट्रैफिक हो जाता है कि सड़क तो टूटी हुई है ही, सड़क की तो बात छोड़िये, वहां पर गहरे-गहरे खड्डे हैं, वहां पर चलने को रास्ता नहीं है एम एल. ए. क्वार्टर जाने के लिए। कभी आप पधारें हमारी तरफ, एक कप चाय भी पीजियेगा और वह देखियेगा कि हमारे एम. एल. ए. क्वार्टर की स्थिति और ट्रैफिक की स्थिति क्या है। सारी अवैध दुकानें खुल गयी हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सारी अवैध दुकानें खुली हैं और

(श्रीमती तारा भण्डारी)

रिपेयर के लिए मोटरें और कारें खड़ी रहती हैं और हम लोग चल नहीं सकते वहां। जनता को भारी कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अपने घर पहुंचने तक 20 मिनट लगते हैं, इधर से उधर तक और आम तौर से गाड़ी में पंक्चर हो जाता है। सारे रिपेयरिंग वालों ने वहां अवैध कारखाने खोल लिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, पूरी बात हो गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह वक्फ की और पी. डब्ल्यू. डी. की लड़ाई है। कोर्ट में 40 साल से केस चल रहा है और हम लोग परेशान हैं। उसको ठीक करवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, हम तो बैठ रहे हैं लेकिन स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहीं बैठे हैं, नगर निगम का काम है, हम लोग चल तो सकें, ऐसी व्यवस्था तो करें।

श्री अध्यक्ष : आप घर पर जाकर के चाय पीयें और वहां बात करें। विराजें। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सड़क पर खड़े होकर, औंधे लेट-लेटकर, गाड़ियों के नीचे लेट-लेट कर रिपेयर करते हैं, पता नहीं सरकार कहां सो रही है ? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। बिना अनुमति के नहीं बोलें आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा भवन जहां बन रहा है, वहां पर करीब 5000 लोग रोजाना शौच के लिये जाते हैं और 40 एम. एल. ए. क्वार्टर्स में जो 40 एम. एल. एज. रहते हैं, वे दुर्गन्धमय वातावरण में रहते हैं और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप शौचालय की बात कर रहे हैं। आपका नम्बर तो बाद में है। आप कहां शौचालय में चले गये ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की स्थिति तो बिलकुल ही नकारात्मक हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्रजी, आप विराजिये, अभी आपका नम्बर बाद में है। श्री धारीवालजी के बाद आपका है। आप कहां शौचालय में जा रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एम. एल. ए. क्वार्टर की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो विधायकों की बात कर रहा हूं विधान सभा का जहां नया भवन बन रहा है, वहां पर 5000 लोग रोज शौच जाते हैं। उस भवन के परिसर पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष : वहां भवन जल्दी बनायेंगे (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और उसमें गंदगी फैल रही है। अभी से ही जब गंदगी है तो बाद में फिर भवन का क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मैं आपको दूसरी बार मौका नहीं दूंगा फिर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार नयी विज्ञापन नीति के नाम पर साप्ताहिकों को, पाक्षिकों को और स्थानीय दैनिकों को सताने का काम कर रही है और बल्कि सताने का ही नहीं, उनको सुनियोजित ढंग से निपटाने का काम कर रही है। सर्क्युलेशन की जांच पी. आर. ओ. को दे दी गयी। पी. आर. ओ. सर्क्युलेशन की जांच करने के लिये सम्पादक को बुलाएगा और बुलाकर कहेगा कि जिलाधीश मेरा इमीजियट आफिसर है, यहां का एस. पी. मेरा मालिक है, उनके खिलाफ अखबार में कुछ नहीं छपना चाहिये वरना सर्क्युलेशन में यह लिख दूंगा, वह लिख दूंगा। यह जो व्यवस्था सरकार ने की है इन छोटे अखबार वालों को दबाने के लिये, यह व्यवस्था बदलनी चाहिये। कायदे से, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस नयी विज्ञापन नीति को लाने के पहले....

श्री अध्यक्ष : कुबेर खान जी तो बराबर सभापति महोदय कह रहे हैं और आप उपाध्यक्ष बता रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी आपकी जान पहचान, जब आप उपाध्यक्ष थे, तब से थी।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मैं आज से आपको अध्यक्ष कहूंगा। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सरकार को यह चाहिये था कि नयी विज्ञापन नीति घोषित करने के पहले सदन में उस पर चर्चा करवाती। (व्यवधान) होम मिनिस्टर साहब हाथ जोड़ रहे हैं, माफ किया। सरकार को चाहिये था कि यहां पर नयी विज्ञापन नीति पर खुली चर्चा करवाती। चर्चा करवाने के बाद में यह तय करती कि इनके सर्क्युलेशन में क्या गड़बड़ियां हैं, किस तरीके से वह दूर की जा सकती हैं। ऐसी शिकायतों पर किस तरीके से वह आदेश दिया। कायदे से जजमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक पी आर. ओ. जैसे छोटे अफसर पर छोड़कर जिले के समस्त छोटे-से-छोटे अखबार और स्थानीय दैनिकों को दया का पात्र बना दिया जाए और यह कोशिश की जावे तो यह साफ-साफ एक तरह से राज्य सरकार का सेंसरशिप लगाने का इरादा नजर आता है।

आपके माध्यम से निवेदन है कि जो यह चौथा स्तम्भ है, जिसको आज सबसे ज्यादा मजबूत माध्यम समझा जाता है, इसको इस तरीके से धीरे-धीरे जहर न देने देवें, इनको दबाने न देवें, अध्यक्ष महोदय, वरना यह आने वाला जमाना कभी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। नयी विज्ञापन नीति के जरिये आप जो सेंशरशिप लगाना चाहते हैं इसकी बड़ी आलोचना करते हैं और यह मांग करते हैं कि यहां पर सरकार इस पर खुली चर्चा करवाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी। आप विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे ग्राम गणेश्वर, भालरा, गांवड़ी, दयाल के नांगल के ग्राम लोगों का एक शिकायती पत्र मिला है। उस शिकायती पत्र में उन्होंने दर्ज किया है कि आज तक उनका सम्बन्ध विद्युत विभाग, सहायक अभियन्ता, नीमकाथाना से रहता था, वहीं वह बिल जमा कराते थे, वहीं से कनेक्शन का उनका काम चलता था। अब इस सरकार ने कोई एक अजीतगढ़ के अन्दर नया सहायक अभियन्ता का आफिस खोला है और उसके कारण इन उपभोक्ताओं को सहायक अभियन्ता, पाटन के नीचे लगाया गया है। उन लोगों का कहना है कि पाटन जाने के लिये पहले नीमकाथाना आना पड़ेगा, जो नीमकाथाना उनसे चार किलोमीटर की दूरी पर है, उनको अब पाटन 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इससे उनको आर्थिक नुकसान भी होगा, समय की बरबादी भी होगी। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री मोहनलाल मोदी : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल रूप से देखें आपने वहां बैठकर कोई लाइन खींच दी। जो लोग नीमकाथाने से बिलकुल सरहद के साथ रहते हैं, उनको 30 किलोमीटर पाटन भिजवायें, 30 किलोमीटर वह जाएं, बिल जमा कराने जाएं, अपने कनेक्शनों के लिये जाएं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तत्काल इन आदेशों को रद्द करके उनको नीमकाथाना सहायक अभियन्ता के तहत ही रखा जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नादौती, टोडाभीम की सब डिविजन गंगापुर पर राजकीय चिकित्सालय के अन्दर प्रभारी डाक्टर, चन्द्रा जैन, जिसको अन्वेषण ब्यूरो के उप-अधीक्षक भागीरथ सिंह ने रंगे हाथों 300 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था और जिसमें उसने आलमारी से सात नोट पचास-पचास के बरामद कर लिये और उसमें अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी ने हिसाब कराया तो लाल रंग निकला और उसको मौके पर पकड़ा और पकड़ने के बाद में साबित हो गया कि इन्होंने रिश्वत ली है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि आज तक उस प्रभारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब तक उसने 300 रुपये की रिश्वत ली थी, अब उसने 500–600 रुपयों की रिश्वत लेना शुरू कर दिया है। लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वक्त पर ड्यूटी पर नहीं आती है। घर बैठे वह अपनी प्रेक्टिस करना शुरू कर दिया है। लेकिन निलम्बन आज तक उसका नहीं किया है जबकि ऐसा नियम है। एक हमारे डा. मीणा थे, डा. अमर सिंह मीणा, जिनको जैसे ही पकड़ा था उसके बाद में तुरन्त उनका

(श्री रामस्वरूप)

निलम्बन कर दिया गया था। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि वह तो एक एस. टी. के थे, इसलिये उनके तो खिलाफ तुरन्त कार्यवाही हो गयी। लेकिन इस डा. जैन के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई और उन्हें जबकि मौके पर रिश्वत लेती हुई पकड़ लिया। मेरा आपके जरिये विनम्र निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, रिश्वत का मामला है, ऐसे....(व्यवधान) आप भी वहीं के विधायक हैं....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मेरे गंगापुर का मामला है। मंत्री महोदय स्वयं अभी गंगापुर पधारे थे और डा. चन्द्रा जैन और स्टाफ की स्थिति का इन्होंने अच्छी तरह से अवलोकन किया था। मंत्रीजी जब वहां पर गये तो स्टाफ ने यह किया कि वहां की लाइट बंद कर दी। आपको इंस्पेक्शन नहीं करने दिया। गंगापुर अस्पताल की स्थिति ऐसी है जिसमें हड्डियों के डाक्टर बी. के. अग्रवाल हैं, वह घर पर बैठकर प्रेक्टिस करते हैं। "एक टांग तुड़वाइये, पांच सौ रुपये पाइये", वहां पर उनका यह नारा है। स्वयं मंत्रीजी गये हैं, वहां पर इन्हीं की पार्टी के सदस्यों में एक तो "डा. चन्द्रा जैन हाय-हाय" के नारे लगा रहे थे, दूसरा डा. बी. के. अग्रवाल के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मंत्रीजी चुपचाप चले आये। उस अस्पताल की स्थिति इतनी दुर्दशा हो चुकी है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसका मतलब क्या है ? उसने ऊपर भी रिश्वत दे दी है, उसने मामले को रिश्वत देकर दबा दिया है। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, उन भ्रष्ट डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस चिकित्सक के बारे में यहां चर्चा की है, जिस तरह के नियमों में प्रावधान हैं, कोई भी गजेटेड अफसर अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट उसके खिलाफ चालान पेश करता है, फिर डी. ओ. पी. उस पर सम्बन्धित विभाग को लिखता है कि इसको निलम्बित कर दिया जाए। अभी तक इस सम्बन्ध में वहां से ना तो एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट से चालान पेश हुआ और न ही डी. ओ. पी. ने हमें लिखा। जिस दिन वह सारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी, उसके दूसरे दिन निलम्बित कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यहां पर पेंडिंग पड़े हैं और डायरेक्टर मेडिकल, आपके जो डा. गहलोत हैं, वह उनको नहीं निकालते हैं, उसको दबा रखा है।

श्री रामस्वरूप : उसको दबा रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो कानून के अंदर प्रावधान है........

श्री किशन मोटवानी : कानून के तहत प्रावधान यह है कि इमीजियट डी. ओ पी. उसको सस्पेंड करे।

श्री अध्यक्ष : आप इतना जोश क्यों खा रहे हैं ?

श्री किशन मोटवानी : और इन्वेस्टीगेशन ....(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : 6–6 महीने हो गये हैं। एक तरफ अगर छोटा सा कोई पटवारी होता तो (व्यवधान) अब तक उसको निलम्बित कर दिया होता।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने सारी बात कह दी, बिराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हम जानते हैं, उसे क्यों बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी। बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय, का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दौसा जिले को बने हुए लगभग चार साल हो गये। दिनांक 10-4-1991 को दौसा नवसृजित जिला बना था। लेकिन चार साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी प्रशासनिक सुगमता और औचित्य की दृष्टि से दौसा जिले में उप-खण्ड का निर्माण नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि बांदीकुई को दौसा जिले का नया उप-खण्ड, एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर घोषित किया जाए। क्योंकि बांदीकुई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का केम्प कोर्ट है और 12 दिन वह वहां पर बैठते हैं। इसके अलावा ए. सी. एम. कोर्ट है। साथ ही उप-अधीक्षक पुलिस, आर. एस. ई. बी. और पी. एच. ई. डी. के कार्यालय हैं और सबसे बड़ी बात है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, यह इमीजियट आकरेंस की बात नहीं है, बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बांदीकुई में उप-खण्ड घोषित करने में गवर्नमेंट का कोई एट-प्रजेंट एक्सपेंसेज या केपिटल एक्सपेंसेज नहीं है। ऐसी स्थिति में सुगमता की दृष्टि से बांदीकुई को उप जिला घोषित किया जाए जिससे कि सही प्रशासनिक दृष्टि से कार्य हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी (व्यवधान) बिराजें आप।

आप बिराजिये न। श्री जगदीप जी धनखड़।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा बीच में छठे नम्बर पर नाम था।

श्री अध्यक्ष : काहे के लिए ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : 295 में।

श्री अध्यक्ष : 295 अब चलेगा। यह स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के युग में जहां एक ओर नरबलि की कोई भी घटना हो, अत्यन्त अमानवीयता, एक बड़ी चिन्ता का विषय समाज के सामने प्रस्तुत करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से कुछ दूर

68

(श्री जगदीप धनखड़)

नागौर जिले के बीजाथल गांव में 21 मार्च को एक बालक की मौत हो गयी। तीन साल के अजरू की कुएं में गिरने से मौत हुई। लोगों ने इसको साधारण घटना माना। उसको निकाला और उसको दफना दिया। उसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में यह दूसरी घटना हुई और इस बार घटना का शिकार बना उसके छह साल का भाई, लोगों को चिन्ता हुई कि इसके बारे में जानकारी की जाए, पोस्ट-मार्टम करायें। पोस्ट-मार्टम कराने से पता चला कि इसकी जो मौत हुई है, वह सांस रूकने की वजह से हुई है। लोगों के अंदर एक भ्रांति फैली। पता लगाया कि गांव के अन्दर एक तांत्रिक है, वह अपना कार्य कर रहा है। तांत्रिक ने एक आदमी के सामने प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह दोनों पहले साथ में स्कूल में पढ़े हुए थे, अचानक बस में मिल गये। उसके बाद, मान्यवर, वह तांत्रिक पुष्कर गया, ऐसा कहा गया है, उसने कुछ हांडियां खरीदीं। एक चांदी का सिक्का खरीदा और सबको लुभाने के लिये कि खेत में जो धन गड़ा हुआ है, वह मैं दे सकता हूं। मान्यवर, उस प्रकार की योजना के एक में दूसरा तांत्रिक भी मिल गया। फिर खेत के अन्दर वह हांडियां उन्होंने गाड़ दीं। उस आदमी के सामने निकाली और फिर पता लगा कि और धन प्राप्ति के लिये इस प्रकार से नरबलि देने की तथाकथित घटना प्रकाश में आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं की। यदि पहले वाली घटना की पुलिस तत्परता से जांच करती तो निश्चित रूप से छह वर्षीय कमालू की मौत नहीं होती। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, जब गांव वालों का एक दल पुलिस उप महानिरीक्षक, अजमेर से मिला तो उन्होंने कहा ठीक है जिस शव को गाड़ा जा चुका है उसकी मैं पोस्ट-मार्टम की जांच के लिए कह देता हूं। कई दिन तक पुलिस उप महानिरीक्षक के कहने के बावजूद किसी प्रकार का पोस्ट-मार्टम भी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं जिनमें सेंसेशन का भी एलीमेंट है, इस प्रकार की घटनाएं जहां रूढ़िवादी ताकतें ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार की घटनाएं खेत में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से तांत्रिक ने गांव में फैली हुई अशिक्षा का फायदा उठाकर अबोध बालकों को शिकार बना दिया ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि तत्परता से कार्य करता।

अध्यक्ष महोदय, जिन तीन बिन्दुओं की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। नम्बर–1, प्रशासन ने और स्थानीय पुलिस ने शुरू में इस मामले की तत्परता से जांच क्यों नहीं की? दूसरा, गांव वालों ने जब डी. आई. जी. को प्रतिवेदन दे दिया कि यह नरबलि का मामला है, तांत्रिक का नाम दे दिया, उस आदमी का नाम दे दिया जिसने खेत से धन प्राप्त करने की इस प्रकार की योजना गढ़ी, तांत्रिक के चक्कर में आया फिर पोस्ट-मार्टम के अन्दर इतने दिन की देरी क्यों हुई?

अध्यक्ष महोदय, इन गम्भीर मामलों की ओर मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्रीजी

(श्री जगदीप धनखड़)

पूरा प्रकाश डालेंगे और स्थिति बतायेंगे कि वास्तव में क्या है। क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां यदि भ्रांति में फंसी रहती हैं तो स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का स्थगन प्रस्ताव आने के बाद इस बारे में मेरी भी बहुत विशेष दिलचस्पी है कि यह नरबलि का मामला है और अखबारों में भी बड़े सनसनीखेज तरीके से इसको छापा गया है और इसलिए लगातार मैंने इस बात की कोशिश की कि इसमें असलियत क्या है जो सामने आए।

अध्यक्ष महोदय, तथ्य यह है कि पहला लड़का जो तीन साल का था वह 21-3-1995 को गायब हुआ और 21-3-1995 को गायब होने के बाद उसकी लाश कुएं से मिल गयी और वह साधारणतया कुएं में गिरने का केस मान कर के परिवार वालों ने उसको दफना दिया और मामला वहीं शान्त हो गया। इसके बारे में कहीं किसी तरह की कोई सुरसुरी नहीं थी लेकिन इसके बाद जब दूसरा लड़का 3-4-1995 को गायब हुआ और जिसकी उम्र 6-7 साल की थी और इसकी सूचना 4-4-1995 को जब मिली तो मिलने के बाद जब ढूंढ़ा गया तो वो भी कुएं में से निकला और, अध्यक्ष महोदय, उसकी जब जांच कराई तो डेथ बाई स्मोथरिंग एस्फाइक्सिया से होना उसका जाहिर आया और 174 में जो जांच प्रारम्भ की गयी थी उसमें हत्या का सन्देह करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अब यह सही है कि अखबारों ने जिस ढंग से एक स्थिति पैदा की कि यह नरबलि का है, गड़ा धन, एक माधो हरिजन नाम का कोई व्यक्ति है जो इस तरह के, पानी कहां निकलेगा, धन कहां मिलेगा, ऐसे टोटके भी उसने किये। एक अनवर मुसलमान जो उसी गांव का रहने वाला है वह भी उसके चक्कर में था लेकिन सारी गहनता से अध्ययन करने के बाद पहली लाश के बाद दूसरी लाश को वापस कब्र से निकलवाया गया और कब्र से निकलवाने के बाद वहां के जो तीन डाक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सक्षम नहीं हैं, बहुत पुरानी लाश हो चुकी है, सड़ चुकी है, हम इसका पोस्ट-मार्टम नहीं कर सकते तो अजमेर से मेडिकल डाक्टर्स को भेजकर उसकी जांच कराई गयी, तो उसकी हत्या का कोई कारण इस तरह का स्पष्ट सामने नहीं आया कि यह हत्या है या क्यों है। उसका पोस्ट-मॉर्टम अभी केमिकल एक्जामिनेशन के लिए गया हुआ है लेकिन सारी तरह से गहन जांच हुई। मैंने बार-बार एस. पी. साहब से कहा है, एडिशनल एस. पी. साहब को स्पेशलि वहां पर लगाया गया है। और इसमें डी. आई. जी. साहब को भी मैंने कहा कि विशेष तौर से, क्योंकि जिस तरह की पृष्ठ भूमि तैयार की गयी और इस जमाने में नरबलि जैसा काण्ड हो जाए, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए।

तो, सारे स्रोतों से सब जांच करने के बाद, गांव में पूरी तरह जांच करने के बाद केवल अखबारी कयास पर यह कुछ लोगों की हो सकता है, दुश्मनी हो, कह दें कि साहब, यह नरबलि करायी गयी है। इस आधार पर कोई आधार ही नहीं मिला है कि नरबलि है या धन प्राप्त करने के लिए इन बच्चों की हत्या की गयी है। अनुसंधान इसमें अभी भी जारी है और पुलिस की पूरी सक्षमता से अच्छी टीम लगी हुई है

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो इस बारे में अनुसंधान कर रही है। लेकिन दोनों बच्चों की नरबलि या किसी धन के लालच में या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए माधो हरिजन द्वारा हत्या कराई गयी हो या अनवर द्वारा हत्या कराई गयी हो, ऐसा कोई सूत्र अभी तक सामने नहीं आया है। तफतीश गम्भीरता से की जा रही है।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलालजी व्यास।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उरमूल डेयरी, बीकानेर में हो रही अनियमितताएं

श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा सेल्स टैक्स की हेराफेरी, पशुपालकों का शोषण, जोर-जबरदस्ती, बदसलूकी एवं प्राइवेट पार्टियों से सांठ-गांठ के बाबत नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, जब से प्रदेश में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन का प्रबन्ध एन. डी. डी. बी. ने संभाला है तब से ही बीकानेर डेयरी में अनियमितताओं का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि उरमूल डेयरी के प्रबन्ध संचालक भी एन. डी. डी. बी. से हैं, इसलिए इस बारे में पूछने की हिम्मत कौन करे। आजकल बीकानेर डेयरी में जो कुछ हो रहा है वो सहकारिता के उद्देश्यों के उल्टे है। पशुपालकों का जम कर शोषण किया जा रहा है।

(12.47)

(श्री समरथ लाल मीणा, सभापति, पदासीन)

उन्हें आज दूध की सबसे कम कीमत दी जा रही है। डेयरी मात्र रुपये 5.30 प्रति लीटर किसान को दे रही है और दिल्ली को 8.17 पैसे प्रति लीटर बेच रही है। लगभग तीन रुपये प्रति लीटर का मुनाफा अपने पास रखकर किसान का पेट काटा जा रहा है। इतना लाभ रखने के पश्चात् भी पशुपालक के दूध का भुगतान रोक कर उसे सस्ते दामों पर दूध देने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रबन्ध संचालक द्वारा पांच रुपये के स्टाम्प पेपर पर पशुपालकों से लिखवा लिया जाता है वह दूध किसी और को नहीं देंगे। बाद में यदि पशुपालक किसी कारणवश दूध नहीं दे पाता है तो उसको दूध का भुगतान नहीं किया जाता। डेयरी में व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रबन्ध संचालक ने दूध खरीद और बेच में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। ठेकेदारों का दूध समितियों/दूध केन्द्रों के नाम से लिया जाता है। प्राइवेट पार्टियों को बेचे जा रहे दूध की चर्चा तो कुछ दिन पहले ही अखबार में छप चुकी है। एन. डी. डी. बी. के होने की वजह से प्रबन्ध संचालक को किसी की परवाह नहीं है। सरकार से टैक्स

× × × भाषण अंश अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल व्यास)

की चोरी करते हैं। सरकार भी अखबार में छपने के पश्चात् मौन है। मैं ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें दूध का चालान किसी और के नाम से काटा है और दूध किसी दूसरी पार्टी को दिया गया है। ऐसा सेल्स टैक्स सरकार को नहीं देने के लिये किया गया। राज्य सरकार ने एक प्रतिशत टैक्स राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन को माफ किया था न कि उरमूल डेयरी को। सरकारी आदेश में टाइटल का नाम स्पष्ट है। सरकार को इन तथ्यों की तुरन्त जांच करवानी चाहिये।

गलत सूचनाएं देकर वह सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन कि दुग्ध उत्पादकों को दूध का बाजार मूल्य दिलवायें ताकि इस महंगाई के समय में पशुपालकों को राहत मिल सके।

उरमूल डेयरी के प्रबन्ध संचालक द्वारा बीकानेर के गुर्जर घोसी समाज से उनका दूध लेने की जोर जबरदस्ती की जा रही है। उनके सदस्यों के साथ बदसलूकी का आरोप पत्र मुझे मिला जिसकी कापी साथ संलग्न कर रहा हूं। यह कैसी विडम्बना है कि हम उदारीकरण की नीतियों का प्रसार जोर शोर से करते हैं और इसका लाभ किसानों को पहुंचाने की बात करते हैं। पर डेयरी विभाग में इस व्यवस्था के चलते ऐसा होना सम्भव नहीं है। प्रबन्ध संचालक का व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी पुष्टि मैं खुद करता हूं जो मेरे साथ ठीक तरह से पेश नहीं आये तो आम आदमी का क्या हाल होगा ? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को किसानों की स्थिति और अच्छी करने के उद्देश्य से यहां लाया गया था, परन्तु उन्होंने प्रदेश के लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया और हमारे विश्वास को चोट पहुंचायी। अतः इसके बारे में सरकार नये सिरे से विचार करे। जितना जल्द हो सके इनके अवैध कार्य बंद करावें या इन्हें हटावें। उरमूल डेयरी चेयरमैन के चुनाव करवाकर बोर्ड का गठन करें। सरकार जनता की आवाज को सही राह मानकर कार्य करे। जय हिन्द।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : एन. डी. डी. बी. की परेशानी बीकानेर की ही नहीं अजमेर डेयरी में भी है। एन. डी.डी. बी. में इस तरह की स्थितियां पैदा हैं और पांच सौ करोड़ रुपये का पूरे राजस्थान के अन्दर, एन. डी. डी. बी. के द्वारा बड़ा घोर अन्याय हो रहा है जो दूध उत्पादक हैं उनके साथ। एक बहुत लम्बा अरसा राजस्थान को इस स्थिति में आने में लगा था दूध के उत्पादन में और आज जो हमारी डेयरी की स्थिति है, एन. डी. डी. बी. के अधिकारियों ने मनमानी करके इतना घोर अन्याय कर रखा है और बीकानेर के सम्बन्ध में अभी माननीय सदस्य ने बताया है, उससे ज्यादा खराब स्थिति अजमेर में है। उससे ज्यादा जयपुर में है। माननीय श्री गोविन्दसिंह जी से पूछें कि जो हमारे दोनों विधान सभा क्षेत्र हैं वहां सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है लेकिन उसके अन्दर एन. डी. डी. बी. का जब से वहां प्रशासक लगाया है दुग्ध उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एन. डी. डी. बी. का जो अन्याय हो रहा है उससे राजस्थान के

दुग्ध उत्पादकों को आप जरूर बचायें और आप मंत्री महोदय, से....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आपको बताया भी है कि यह जो राजस्थान के अधिकारी लगे हुए थे वह अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उनको हटाकर दिल्ली से लोगों को लाकर उनको राजस्थान से रवाना कर रहे हो। किसानों तथा दूध उत्पादकों का हाल खराब हो रहा है। इसमें आप इनीशिएटिव कुछ कार्यवाही करिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, यह को-आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत संस्था बनी हुई थी। उस को-आपरेटिव एक्ट में ऐसे किसी को लीज पर देने का या स्थानान्तरित करने का कोई प्रोविजन नहीं है और उसमें एम. डी., चेयरमैन जो भी होता, आप नियुक्त करते या इसका चुनाव करवाते। इसके अलावा न तो आपने कोई दूसरा कानून बनाया और जो मौजूदा ढांचा था उसको एकदम तहस-नहस करके आपने इसको दूसरों के सुपुर्द कर दिया। इसलिये आप इसमें कानूनी प्रावधानों को देखें और उनका उल्लंघन करके लोगों का गला नहीं घोटें। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। आपने तो देखा हुआ है। आपके पास भी कई शिकायतें आयी हैं। पिछले सेशन में भी यह मामला उठा था।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : सभापति महोदय, आज इस बारे में कोई मीटिंग रखी है कि इस बारे में क्या करना है।

श्री सभापति : श्री पूरा राम चौधरी।

गोली मारकर की गयी हत्या के मुलजिमों पर कार्यवाही

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, 10-7-1992 को पुखराज मीणा निवासी गांव थावला, जिला जालौर को गोली मारी गयी। गोली थावला निवासी मूलसिंह एवं उनके साथियों द्वारा मारी गयी। श्री पुखराज का मौकाई गवाह श्री नैनाराम गांव थावला का ही निवासी था। मूलसिंह जबरसिंह ने नैनाराम को धमकी कि अगर हमारे खिलाफ कोई गवाही देगा तो आपको जान से मार दिया जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। दिनांक 4-8-94 को नैनाराम को उन्होंने गोली ही नहीं मारी परन्तु दुर्दशा से मारा जिसका सबूत ये फोटोग्राफी के द्वारा मैं आपको बताता हूं। 5-8-94 को मुकदमा पुलिस थाना जालौर में दर्ज किया गया लेकिन डीवाई. एस. पी; जालौर ने मामला रफा-दफा कर कोई खास कार्यवाही नहीं की। दिनांक 10-8-94 को जालौर महन्त श्री शांति नाथजी ने एक चिट्ठी थावला ठाकुर साहब के साथ मेरे पास भेजी और कहा कि आप उसकी कानूनी मदद करें। मैंने स्वयं जालौर, डीवाई. एस. पी. को जालौर जाकर कहा लेकिन कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि डीवाई. एस. पी. पहले से ही मुजरिमों से पैसा खा चुका था। दिनांक 12-8-94 को मैं मेरी गाड़ी द्वारा मेरे साथ 5-6 कार्यकर्ता थावला गांव गये। सारा गांव भयभीत था और गांव में शाम

(73)

(श्री पूराराम चौधरी)

6 बजे के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते थे जैसे चम्बल के डाकुओं का डर हो।

अतः मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें एवं डीवाई. एस. पी., जालौर को तुरन्त प्रभाव से निष्कासित करें। धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय विधायक मेरे से मिले थे और मिलने के बाद सारी जानकारी, उनकी दरख्वास्त लेकर मैंने जांच हेतु भेज दी है और आज इन्होंने फिर यहां उठाया है तो आज शाम को भी मैं इस बारे में जानकारी करूंगा कि इसमें क्या कार्यवाही हुई है और कोई भी अवरोध होता है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति : श्री काललाल गुर्जर।

माण्डल (भीलवाड़ा) के गांवों में पेयजल समस्या

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डल जिला भीलवाड़ा के ग्राम दहीमथा, गोरख्या, ममाणा, गोरधनपुरा, मालास, कवराड़िया, कालूखेड़ा, दूमली, कोचरिया, सेतूरिया, कारोई, दूड़िया, जोरावरपुरा, बांगली, वड्डू, सहणूदा, रामपुरिया, चामुण्डिया, चाखेड़, लसवां आदि गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या है। वहां पर जो हैण्डपम्प खोदे हुए उनका पानी बहुत ही खराब है। कई हैण्ड पम्पों में इतना खारा पानी है कि उसको पीना ही असम्भव हो रहा है। गांव के लोगों को काफी दूर गांव से करीब 2–3 किलोमीटर से पानी पीने के लिये लाना पड़ रहा है। उक्त गांवों में से कुछ गांव ऐसे हैं जहां हैण्ड पम्पों में बिलकुल पानी ही नहीं है और जो हैण्ड पम्प खोदे गये वो भी सूख गये हैं। इन गांवों की पेयजल समस्या का समाधान सिर्फ क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाकर जहां पानी उपलब्ध हो वहां से पानी सप्लाई किया जा सकता है। मैंने आपके विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से बार-बार योजनाएं बनाने हेतु कहा है लेकिन उन्होंने पिछले साल भर से कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई योजना ही बनाकर आपके यहां पी. पी. सी. में स्वीकृति हेतु पेश की। पिछले साल भर से स्थानीय अधिकारी यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार का आदेश है कि हम प्रोफार्मा स्कीम बनाकर भेजें और सरकार उनमें से हमें निर्देशित करेगी कि किस-किस योजना को नियमानुसार पूर्ण योजना बनाकर भेजी जाए और उसके बाद ही हम योजना बनाकर भेजेंगे। इस प्रकार यह प्रोफार्मा स्कीम क्या है और इसका क्या औचित्य है यह तो आप या आपके विभाग के अधिकारी ही जानें। परन्तु इस प्रोफार्मा स्कीम से साल भर से एक भी स्कीम न तो आपके यहां से स्वीकृत ही हुई है और न ही आपके यहां स्वीकृति हेतु विभागीय अधिकारियों ने भिजवायी हैं जबकि उक्त गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या है। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी मुझे पता चला है कि आपने प्रोफार्मा स्कीम को

(74)

(श्री कालूलाल गुर्जर)

बंद कर दिया है लेकिन इस तरह की स्कीम को जो व्यर्थ सिद्ध हुई और बाद में आपको बंद करना पड़ा इसको चालू करने का सुझाव किसका था और इसको चालू क्यों किया गया? इससे अनावश्यक रूप से सरकार का समय व जनता का समय बरबाद हुआ है और कोई लाभ नहीं मिला है।

अतः कृपया आप उक्त सभी गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाकर पी.पी.सी. में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिये आपके अधिकारियों को निर्देशित कर तत्काल उक्त योजनाओं को स्वीकृत करावें और उन्हें पूर्ण कर इस समस्या का समाधान करें ताकि इस पेयजल की समस्या का समाधान हो सके।

(13.00)

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापतिजी, पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सुनेल एवं झालावाड़ रोड की टकियों के निर्माण एवं क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या की ओर मंत्रीजी का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत दिलाना चाहूंगा।

माननीय सभापतिजी, पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सुनेल की आबादी 13000 है। यहां की टंकी एव पाइप लाइन की योजना लगभग 2-3 वर्ष से लम्बित चल रही है दसों बार इस स्कीम के प्रपोजल भिजवा दिये गये। मगर हर बार जलदाय विभाग, जयपुर से कोई न कोई आब्जेक्शंस लगा कर प्रपोजल वापस लौटा दिये जाते हैं। प्रपोजल को झालावाड़ से जयपुर और जयपुर से झालावाड़ की आवाजाही में ही दो वर्ष गुजर गये हैं और सुनेल के लोग पानी पीने को तरस रहे हैं। माननीय सभापतिजी, जो पेयजल व्यवस्था वर्तमान में सुनेल के लिए है उससे आधी आबादी भी लाभान्वित नहीं हो पाती है। ऊंचाई पर रहने वाले लोग जो लगभग 5-6 हजार होंगे, पानी की समस्याओं से बारह महीने ग्रस्त रहते हैं। इसी तरह से झालावाड़ रोड हेतु बनी हुई स्कीम भी जयपुर और झालावाड़ के बीच ही चक्कर लगा रही है और लोग पानी को तरस रहे हैं। यहां पहले लोहे की टंकी से पानी सप्लाई किया जाता था जो टूट-फूट गयी है, उसमें पानी ठहरता ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र पेयजल समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है, यहां लगभग 100 गांव ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में बसे हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जहां हैण्ड पम्प भी सफल नहीं हैं। खटकड़, हरनावदाखेड़ा, एस. सी. बस्ती सिरपोई, स्वांस, ओडीया खेड़ी, सेमली खाम, कल्याणपुरा, सांवल खेड़ा आदि गांवों में पेयजल की व्यवस्था तुरन्त करायी जानी आवश्यक है।

माननीय सभापतिजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बह रही आहू नदी के देह से सुनेल एवं भवानीमण्डी को पेयजल उपलब्ध

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

कराया जाता है लेकिन गर्मियों में यह देह सूख जाती है और दोनों नगरों में पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस नदी पर पानी रोकने के लिए एवं कापर डैम की स्वीकृति लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस कापर डैम का कार्य केवल गर्मियों में ही जब नदी सूख जाती है, कराना संभव होता है। मैंने पिछली गर्मियों में भी काफी कोशिश की एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गर्मी में कापर डैम का कार्य प्रारम्भ करा दिया जावे ताकि बरसात आने से पूर्व यह कार्य सम्पन्न हो सके और आगामी वर्षों में सुनेल व भवानीमण्डी को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

माननीय सभापतिजी, विशेष पेयजल समस्याग्रस्त गांवों की समस्या निवारण हेतु कितनी ही बार अधिशासी अभियन्ता आदि को बता दिये जाने के बाद भी समस्या निवारण नहीं हुआ, तो मैंने माननीय सांसद महोदया के बजट से 1.50 लाख रुपये स्वांस में टंकी एवं पाइप लाइन हेतु एवं एक लाख रुपया सांवत खेड़ा में टंकी निर्माण हेतु तीन माह पूर्व स्वीकृत करवा दिया। लेकिन फिर भी अधिकारियों की अकर्मण्यता से उस रुपये का उपयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ के जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि पेयजल समस्या को गम्भीरता से लेकर लोगों को पेयजल उपलब्ध करावें। झालावाड़ के अधिशासी अभियन्ता का रवैया कतई सहयोगात्मक नहीं है। हर बात को हमेशा टालने के प्रयत्न में रहते हैं और लम्बा करना चाहते हैं। बार-बार विधायकगण या अन्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा कहने के बाद भी किसी समस्या के प्रति गम्भीर नहीं होते हैं। कृपया इनका रवैया ठीक कराया जावे, कम से कम गर्मी में तो पेयजल समस्या के लिए उन्हें गम्भीर बनाया जावे और लापरवाही छोड़ कर जन-प्रतिनिधियों की भावना के अनुरूप कार्य करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऊपर वर्णित पिड़ावा क्षेत्र की पेयजल समस्या के निवारण हेतु कोई कारगर कदम उठाये जाने का कष्ट करें। (धन्यवाद)

श्री सभापति : माननीय श्री भीमराज भाटी।

पाली में आगजनी की घटनाओं से किसानों को हो रही हानि

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पाली विधान सभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। ग्राम ढाबर में 3 मार्च, 1995 को खलिहान में आग लगी, पूरा गांव उसे बुझाने में लगा रहा। इसके

(श्री भीमराज भाटी)

बाबत एक नामजद रिपोर्ट पुलिस थाना केरला में की गयी है। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। 15 अप्रेल, 1995 तक तो पुलिस मौके पर तफतीश करने भी नहीं गयी। उसके बाद 4–5 अप्रेल, को मांडावास ग्राम में खलिहानों में आग लगी। करीब 24–25 किसानों के पूरे चारे आदि सभी जलकर राख हो गये। 4–5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पूरे मकान, उनके बिस्तर, उनके खाने पीने का पूरा अनाज, पहनने के सारे कपड़े आदि पूरी तरह जल कर राख हो गये। गरीब को गणेश मानने वाली इस सरकार ने उन गरीबों को जिनके पास कुछ भी नहीं बचा उन्हें मात्र पांच-सात सौ रुपये प्रति परिवार सहयोग करके इतिश्री कर ली। जिन किसानों के खलिहानों में आग लगी थी, जिनके लाखों रुपयों का चारा वगैरह जल कर स्वाहा हो गया उनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। क्या यही इस सरकार की संवेदनशीलता है? क्या यही इस सरकार के किसान प्रेमी होने का अन्जाम है?

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस मामले में पीड़ितों को अविलम्ब सहायता प्रदान करवा कर राहत दिलवाने की व्यवस्था करावें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आग जहां कहीं भी लगती है कलक्टर और एस. पी. को लिख दिया जाता है और सारी रिपोर्ट आने पर, मैं चाहूंगा कि इस तरह की रिपोर्ट मंगवा कर और रिलीफ मिनिस्टर हमारे इस मामले में जो भी यथासम्भव नियमों की परिधि में अभी तक........।

श्री भीमराज भाटी : नियमों के लिए हम यहां बैठे हैं, आप भी यहां बैठे हैं। जब जनता से प्रतिनिधि चुन कर आते हैं.... (व्यवधान)।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आज कई माननीय सदस्यों का ऐसा आग्रह है कि आज सदन 6–7 बजे तक स्थगित कर दिया जायेगा। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जल्दी जाना चाहते हैं तो समय सीमा का ध्यान रखें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र स्थित ट्रीटमेंट प्लांट की दुर्दशा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र स्थित ट्रीटमेंट प्लांट से व्याप्त दुरावस्था के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। मान्यवर 16 जनवरी, 1977 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत से एक काफी बड़े क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया था। उक्त ट्रीटमेंट प्लांट में उत्तरी क्षेत्र में ब्रह्मपुरी के नाले व मच्छीवालों के मोहल्ले से बहकर आया

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

घाटगेट का पानी पन्नीगरों के नाले में होकर गिरता है। यह साफ किया पानी जयपुर के जलमहल में गिरता है, उक्त क्षेत्र में नागतलाई के नाले का गंदा पानी व ब्रह्मपुरी के नाले व ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र से आया पानी सीधा जलमहल में जाता है। कुल मिलाकर स्थिति नारकीय है। जलमहल के ट्रीटेड पानी में गंदा पानी गिरता है। दूसरी ओर प्लांट पर निकली सिल्ट पर गारवेज से खाद बनाने से भयंकर दुर्गन्ध व गन्दगी व्याप्त है जिससे आस-पास में पड़ने वाली कालोनियों के नागरिकों का जीवन दूभर हो रहा है। शंकर नगर, गूजर घाटी, परसरामपुरा, इंदिरा कालोनी, काला महादेव, कागजीवाड़ा, माणिक्यपुरी, गोविन्दपुरी, गोविन्द नगर पूर्व, गोविन्द नगर पश्चिम व संतोष सागर आदि कालोनियों में रहने वाले 50 हजार से भी अधिक लोग दुःखी हैं उनका एक ओर जलमहल की दुर्गन्ध दूसरी ओर ट्रीटमेंट प्लांट की दुर्गन्ध से जीवन दूभर हो रहा है। उक्त खाद से मक्खी-मच्छर आदि ने सारा पर्यावरण खराब किया हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों में उल्टी दस्त व पेट की बीमारियां, बुखार आमतौर से फैला हुआ है। स्थिति पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। जल-मल निस्सरण विभाग व नगर निगम इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। सुझाव हैं:—

(1) सभी नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाकर जलमहल को दुर्गन्ध से मुक्त रखा जावे।

(2) उक्त क्षेत्र में खाद के खुले बोरों में खाद न सुखाई जाए अन्यत्र सुखाई जाए।

(3) पर्यावरण विभाग की राय भी ली जा सकती है।

इस प्रकार से हजारों व्यक्तियों के जीवन को बचाने व सुखी व स्वस्थ न रखे जाने से नागरिकों में भयंकर असंतोष व्याप्त है।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में मतदाता फोटो परिचय-पत्र में अनियमितताएं

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में मतदाता फोटो परिचय-पत्र में अनियमितता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, निवेदन इस प्रकार है :—

(1) जिस जगह या गांव में फोटो पहचान-पत्र बनाये जाते हैं वहां पर पूर्व में उनको किसी प्रकार की सूचना नहीं होती है तथा समाचार-पत्र के माध्यम से की जाने वाली सूचना भी अपूर्ण होती है। ग्रामीण जनता अधिकतर अनपढ़ व समाचार पत्र की पहुंच से दूर होने के कारण मतदाता अपना फोटो परिचय-पत्र बनाने से वंचित रह रहे हैं।

(2) मतदाता फोटो परिचय-पत्र बनाने वाली टीम के पास पूर्ण सामग्री व स्टाफ नहीं होने से मतदाताओं को इस भीषण गर्मी में कई घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है, जो कि लगातार धूप में खड़ा रहना सम्भव नहीं है। अतः उचित व्यवस्था करावें।

(श्री अमराराम चौधरी)

(5) काकराला ग्राम पंचायत के पटवारी द्वारा मनमानी करने के कारण इस पंचायत के ग्राम बिरदाणियों की ढाणी के मतदाताओं द्वारा अभी तक 25–30 प्रतिशत मतदाताओं ने ही अपने फोटो परिचय-पत्र बनाये हैं। तीन वर्ष पूर्व बने राशन कार्ड में जिनकी आयु 17 वर्ष है आज वह 20 वर्ष के हो चुके हैं परन्तु पटवारी की मनमानी के कारण उन्हें मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाने से वंचित रखा जा रहा है। अतः पटवारी को यहां से हटाया जाने व निष्पक्ष कार्यवाही करावें जिससे कि सभी योग्य मतदाता अपने फोटो परिचय पत्र बना सकें व अपने मताधिकार से वंचित न हों।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि यह मामला अत्यन्त ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसलिए राज्य सरकार से उचित आदेश कराये जाने का श्रम करें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित)। श्री मदन मोहन।

अन्य प्रदेशों से प्रदेश में गैर कानूनी रूप से लोगों का प्रवेश

श्री मदन मोहन (खैरथल) : सभापति महोदय, नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत महाराष्ट्र व गुजरात से गैर कानूनी रूप से पलायन कर राजस्थान में प्रवेश कर रहे लोगों के सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जब से महाराष्ट्र में शिवसेना व बी जे. पी की सरकार कायम हुई है और बाल ठाकरे के इस बयान के बाद कि "बम्बई और महाराष्ट्र कोई धर्मशाला नहीं है जहां अवैध रूप से विदेशी एवं बांगलादेशी नागरिक गैर कानूनी रूप से रह सके," महाराष्ट्र व बम्बई को छोड़कर विदेशी नागरिकों का दल अलवर, भरतपुर तथा हरियाणा में झुग्गी झोंपड़ियों गांवों में तथा कस्बों में, खासकर ऐसी जगह जहां उनके स्वधर्मी बसते हैं, बस गये हैं।

महोदय, यह मेवात क्षेत्र जिले व राज्यों में तो अलग-अलग विभक्त हैं, लेकिन इनकी सामाजिक संरचना एवं बोली, भाषा एवं रहन-सहन एक-जैसा है। यह मेवात क्षेत्र दिल्ली की तलहटी से चालू होकर जयपुर के आस-पास समाप्त होता है। इस क्षेत्र में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, हाथीन, पिनगवा, नूंह, साहेना, तावडू, फिरोजपुरा, झिरकां, हरियाद, के विधान सभा क्षेत्र ही तिजारा, खैरथल, मुण्डावर, रामगढ़, लक्ष्मनगढ़, अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र हैं। कामां, नगर, डीग, बयाना, भरतपुर जिलों के विधान सभा क्षेत्र हैं जिनका भौगोलिक स्वरूप हरियाणा प्रदेश के जितना बनता है। अगर बंगलादेशी मुसलमानों का पलायन इस क्षेत्र में इसी तरह से होता रहा है और गांवों में इनके स्वधर्मी इनको बसने में इसी तरह मदद करते रहें तो इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव का माहौल तो बन ही जायेगा। साथ ही इस वक्त मतदाता परिचय-पत्र भी बन रहे हैं। अगर इन लोगों ने इन क्षेत्रों में मतदाता परिचय-पत्र भी बनवा लिये तो राजनैतिक व सामाजिक संरचना भी बदल जाएगी।

महोदय, उपरोक्त मेवात के इलाके में अभी तक साम्प्रदायिक सौहार्द्र बना हुआ है

(श्री मदन मोहन)

जो इन बंगलादेशी मुसलमानों के आने के बाद बिगड़ना स्वाभाविक व निश्चित है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की तरह से इस मामले में शक्ति नहीं बरती गयी तो प्रदेश के लिए यह विकट और विकराल समस्या बन जाएगी। सबसे बड़ी समस्या तो यह होगी कि ग्रामीण मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाएगा। साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने के साथ-साथ कानून व्यवस्था भी विकराल रूप धारण कर लेगी, क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग जरायम पेशा हैं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अलवर, भरतपुर, जयपुर में पुलिस और प्रशासन को यह सख्त निर्देश दिये जाएं कि राजस्थान के इन जिलों में आने वाले बंगलादेशी शरणार्थियों को कड़ाई से रोका जावे और मतदाता परिचय-पत्र बनाते समय यह खास सावधानी रखी जावे कि कहीं इनका नाम मतदाता सूचियों में नहीं जुड़ जाए। चूंकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी बंगलादेशी मुस्लिम शरणार्थियों के आने की इसी क्षेत्र की है। इस क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा कि राजस्थान के अन्य जिलों में भी सख्ती से नजर रखी जाए।

श्री सभापति : श्री रामकिशन वर्मा (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल सहरिया (अनुपस्थित)। श्री रामेश्वरलाल भाटी (अनुपस्थित)। श्री हरजीराम जी बुरड़क (अनुपस्थित)। श्री महेन्द्रकुमार मीणा।

विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पीने के पानी की समस्या

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पीने के पानी की भयंकर समस्या के समाधान हेतु चर्चा करना चाहता हूं। महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। लोगों को एक-एक किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुओं का पानी भी सूख चुका है। जो भी गांवों में हैण्डपम्प थे वो तमाम खराब पड़े हैं। उनको भी युद्ध स्तर पर सुधारने की कोई व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई है।

महोदय, गोठड़ा, कालाखो, बीन्दरवाड़ा ब्राह्मण बेराडरा, बेहरावण्डा में नल योजना है लेकिन इन टंकियों की मरम्मत भी आज तक नहीं हुई है। इन टंकियों में जो पानी आता है उनके बोरिंग भी चार किलोमीटर दूर हैं इसलिए जो पानी पाइपों द्वारा इन टंकियों में आता है, वो पाइप बीच में ही टूट जाते हैं। उनकी कभी मरम्मत भी नहीं की जाती है। इसी तरह मेंहदीपुर बालाजी जो कि एक तीर्थ स्थान है, वहां नल योजना के लिए एम. एन. ए. पी. योजना के तहत 22.80 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे लेकिन आज तक वह नल योजना खटाई में पड़ी हुई है। क्षेत्र में पानी की समस्या के हल के लिए उसे तुरन्त शुरू की जावे, एवं ग्राम कालवान, करोड़ी, नांदरी, ठीकरिया, पीलोडी, पांचोली, बावनपाड़ा, गांगदवाड़ी, अचलपुरा, गुमानपुरा, देवरी, डेण्डान, मावबढ़

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

आदि जो बड़े कस्बे व गांव हैं उनको नल योजना से शीघ्र जोड़ा जाए। ए.ईएन. जलदाय विभाग का ऑफिस भी सिकराय में खुलाने के आदेश शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें जिससे क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या का हल सुचारू रूप से हो सके।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह प्रस्ताव मुझे दे दीजिये हम इससे सहमत हैं।

श्री सभापति : श्री हरजीराम जी बुरड़क।

डीडवाना जिला नागौर में अतिरिक्त कलक्टर का कार्यालय

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, गत बजट सत्र में राज्य सरकार ने डीडवाना, जिला नागौर में एक अतिरिक्त कलक्टर का कार्यालय खोलने की सिद्धान्ततः सहमति दी थी और इसको उचित बताया था, परन्तु इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक यह कार्यालय नहीं खोला गया है जब कि नागौर बहुत बड़ा जिला है जिसमें एक ही ए.डी.एम. है, जिसके पास पूरे जिले की अपीलें हैं, अन्य मामले हैं और साथ ही उनको प्रशासनिक कार्यों में भी व्यस्त रहना पड़ता है जिसके कारण लम्बे समय तक केस वर्क पेंडिंग रहता है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह मांग की थी कि डीडवाना और परबतसर सब-डिविजनों की अपीलें आदि सुनने के लिए डीडवाना में यह कार्यालय खोला जाये इस पर सरकार ने सहमति प्रकट की थी और इस मामले को विचाराधीन बताया था, परन्तु अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया है।

इसी प्रकार से अजमेर में राजस्व अपीलेट अथोरिटी के दो पद हैं और अजमेर और नागौर दो ही जिले हैं जब दोनों का मुख्यालय अजमेर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें से एक पद का नागौर स्थानान्तरित करके जिले के लोगों को राहत देनी चाहिये। इससे अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। केवल मात्र मुख्यालय बदलने का आदेश जारी करना ही है। मौजूदा समय में दो ही अधिकारी हैं और दो ही जिले में इनमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

अतः यह लोक महत्व का मामला है इसलिए नियम 295 के तहत माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित इस ओर करता हूं और आशा करता हूं कि इस समस्या का समाधान तत्काल करावें।

श्री सभापति : श्री एमादुद्दीन अहमद खां।

तिजारा विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा हेतु उचित प्रबन्ध

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : सभापति महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार तीन ओर से हरियाणा राज्य से घिरा हुआ है। राजस्थान राज्य का यह पिछड़ा क्षेत्र

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

तो है ही लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यक स्कूलों का भारी अभाव दिखाई दे रहा। एक ओर तो राज्य सरकार साक्षरता अभियान व कई योजनाएं शिक्षा के नाम पर चला रही है दूसरी ओर नई पीढ़ी को उचित शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करवा रही है। इन क्षेत्रों में स्कूलों की कमी होने से राजस्थान के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने हेतु राजस्थान की सीमा पार कर पड़ोस में ही हरियाणा राज्य में पढ़ने चले जाते हैं। वहां की संस्कृति अलग है व विषय भी अलग है, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ता है।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, उक्त दूसरे राज्य में शिक्षा ग्रहण करने में जो भारी परेशानी भविष्य में हमारे व उन बच्चों के सामने आयेगी वह तो विशेष रूप से गौर करने वाली बात है। हमारे बच्चे मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाते हैं तो उनका आधार उनकी शिक्षा के दस्तावेजों से लिया जाता है। एक ओर तो राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों को शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है या उसमें विफल हो रही है, दूसरी ओर यह बच्चे पड़ौसी राज्यों में पढ़ने चले जाते हैं तो उन्हें राजस्थान का नागरिक भी मानने से इन्कार कर दिया जाता है और उन्हें मूल निवास प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है। जब मूल निवासी ही, सरकार राजस्थान का नहीं मानेगी तो उन्हें नौकरी व अन्य सुविधाएं तो कैसे दे पायेगी।

बालिका शिक्षा का हाल तो और भी दयनीय है। गत वर्ष राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बालिका शिक्षा का सीनियर स्कूल खोलने की घोषणा की लेकिन माननीय सभापति महोदय, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पंचायत समिति कोटकासिम में कहीं भी बालिका शिक्षा का सीनियर स्कूल नहीं खोला गया है। जबकि मंत्री महोदय को इस बाबत बार-बार निवेदन किया गया।

अतः उक्त मामले में तुरन्त कार्यवाही कर सरकार को तिजारा क्षेत्र के ऐसे सभी स्थानों पर शिक्षा व बालिका शिक्षा का उचित प्रबंध हेतु स्कूल क्रमोन्नत करने हेतु आदेश दिया जाये। साथ ही ऐसे बच्चों को जो अब तक मजबूरी में पड़ौसी राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको मूल नागरिक राजस्थान का ही माने जाने के आदेश सरकार से करवाने हेतु भी आदेश दिया जावे।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

गंगापुर जिले के सिटी बस स्टैंड की दुर्दशा

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के यातायात मंत्री का ध्यान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम गंगापुर सिटी के बस स्टैंड की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका कि विभाग किराया सात हजार रुपया प्रतिमाह देता है।

श्रीमन्, इस सन्दर्भ में दसवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में मेरे तारांकित प्रश्न

(82)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

संख्या 14 का लिखित में जवाब दिनांक 20-10-94 को प्राप्त हुआ। मेरे प्रश्नों के उत्तर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने दफ्तर में बैठकर ही बिना जांच किये जवाब भेज दिया। किराये पर लेते समय जमीन मालिक से स्पष्ट रूप से यह समझौता किया था कि बस स्टैंड की बाउण्ड्री वाल व जमीन को शीघ्र समतल बना दिया जायेगा। विभाग की नजरों में बाउण्ड्री वाल व जमीन समतल का कार्य हो चुका है जब कि हकीकत यह है कि दि. 15-8-91 अर्थात् (आजादी दिवस) से उक्त जमीन का किराया विभाग दे रहा है लेकिन आज तक न तो बाउण्ड्री वाल का निर्माण हुआ है न ही जमीन को समतल किया गया हैं। हां, यह जरूर है कि नगरपालिका, गंगापुर ने 150 ट्रोली कचरे की उक्त जमीन के खड्डों को भरने के लिये जरूर डाली है, जैसा कि मेरे तारांकित प्रश्न 16 (तृतीय सत्र) में स्वायत शासन मंत्री राजस्थान सरकार ने बताया है।

इस प्रश्न के जवाब में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड के अन्दर आम नागरिकों की मांग व जन-सुविधाओं को देखते हुए बस स्टैंड कर्मचारियों की मांग पर बस स्टैंड के खड्डों को कचरा से भरवा दिया है जिसका कोई चार्ज नहीं लिया। अब तक 150 ट्रोली कचरा डाला गया है जब कि एक ट्रोली की कीमत 150 रुपये प्रति ट्रोली है।

जमीन मालिक बस स्टैंड की जमीन का किराया लेता है और उदार बन रही है नगरपालिका, ऐसा क्यों?

माननीय यातायात मंत्रीजी आज भी गंगापुर सिटी का बस स्टैंड कूड़ाघर बना हुआ है। एक दो बसों को छोड़कर समस्त बसें सड़क के किनारे खड़ी रहती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को आने-जाने में परेशानी होती है। रात्रि विश्राम की बसें तो बस स्टैंड पर ठहरती ही नहीं हैं, क्योंकि गन्दगी का ढेर लगा हुआ है। नगरपालिका का सड़ा गला कूड़ा करकट रात्रि को चारों तरफ बदबू मारता है। अड़ोस-पड़ोस के नागरिकों का जीवन दूभर हो गया है। आज की तारीख में तो सम्पूर्ण बाउण्ड्रीवाल ही नहीं बनी है। समतल व साफ जमीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमन्, मैं यह भी जानता हूं कि माननीय यातायात मंत्रीजी कुछ करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस जमीन के मालिक हैं पूर्व वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के श्री गोविन्द सहाय के सुपुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा। इसलिए नगरपालिका गंगापुर ने जिसके अध्यक्ष भी इन्हीं के हैं, उदारता दिखाते हुए 150 नहीं बल्कि आज तक 400 ट्रोलियां डाली हैं, जिनकी कीमत साठ हजार रुपया होती।

मुझे इन बातों से कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर जमीन मालिक को किराया कम पड़ता है तो और बढ़ा दो लेकिन बस स्टैंड की हालत सही करवा दो। बाहर से आये हुये आम यात्री क्या सोचते होंगे, जनप्रतिनिधियों को तो उलाहना मिलता ही होगा। साथ में यातायात मंत्री

(13.31)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

से भी मांग करूंगा जिन अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट दी है उनको तुरन्त निलम्बित कर जांच करावें। साथ में नगरपालिका गंगापुर से भी यह जानकारी करें कि विभाग के किस अधिकारी ने खड्डे भरने के लिये कूड़ा करकट डालने का निवेदन किया। कूड़ा करकट डालने से गन्दगी अधिक बढ़ गयी। सूअरों का तो जमावड़ा बना ही रहने लगा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत।

सोता नदी के कारण यातायात में बाधा

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निम्न लोक महत्व के तथ्य सदन में विचारार्थ पेश कर रहा हूं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में चिमनपुरा से कोटपूतली के बीच एक सोता नदी पड़ने वाली सड़क को अवरुद्ध करती है। सरकार ने इस अवरुद्ध को दूर करने के लिए इस नदी के ऊपर एक रपट का निर्माण किया था लेकिन दुर्भाग्यवश यह रपट अभी तक अधूरी सीमेंट की ही बनी हुई है जिससे एक हिस्सा सड़क के समान है तो दूसरा अपूर्ण हिस्सा खड्डानुमा उबड़-खाबड़ है। परिणामस्वरूप बरसात के दिनों में जहां पानी के इस खड्डेनुमा अधूरी रपट में पानी भर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है वहीं भीषण गर्मियों में भारी मात्रा में बालू इकट्ठा हो जाती है जिससे यातायात के साधन व ग्राम जनता भारी समस्या से जूझती रहती है। ऐसे में सरकार का क्या कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता? क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जो ग्राम जनता को इस समस्या से उबार सकें? यदि हां, तो कब तक इस सोता नदी की अधूरी रपट पूर्ण की जायेगी, सदन को अवगत करायें?

सरकार से इस सन्दर्भ में मेरी यह मांग है कि सोता नदी से उत्पन्न यातायात अवरुद्ध की समस्या को दूर करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही कर सोता नदी की इस रपट को पूरी कराई जावे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उधर के दो माननीय सदस्यों ने फ्लोर क्रास किया है वेल में सीधे होकर के इधर आये हैं वह आसन तक सूचना पहुंची या नहीं एक तो सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य श्री महेन्द्र कुमार मीणा और दूसरे श्री जगदीप जी धनखड़। क्या आसन को सूचना है?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, एक मिनट और क्यों खराब कर रहे हैं।

बगरू में उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं कि महिला

(84)

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने पूरा वर्ष समर्पित किया, किन्तु महिला विद्यालय खोलते समय आवश्यकता से अधिक राजनैतिक दृष्टिकोण से स्कूलों को क्रमोन्नत किया।

बगरू नगर सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर है। यहां पर औद्योगिकरण के साथ पुराने छपाई के धंधे ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की है। यहां लड़कियों के लिए कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। यह शहर जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर हर दिन कोई जवान लड़की जयपुर पढ़ने नहीं आ सकती है। पिछले वर्ष भी मैंने शिक्षा मंत्रीजी को यह आग्रह किया था कि बगरू में स्कूल के लिए इमारत भी तैयार है किन्तु सिर्फ इसलिए कि इस क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जीतकर आया है महिला विद्यालय नहीं खोला गया।

अब पुनः मैं इस सदन में आग्रह करना चाहती हूं कि जब यह सरकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाह रही है तो बगरू नगर में सबसे पहले उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा करें। इस क्षेत्र में आस-पास 35 किलोमीटर के दायरे में महिला माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अतः लड़कियों को मिडल से आगे नहीं पढ़ाया जाता है। अभी इतना आधुनिकीकरण नहीं हुआ है कि लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपी राम जी।

जोधपुर जिले में कृषि भूमि का मुआवजा

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान जोधपुर जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर करीब 20 दिन से किसान धरने पर हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

निवेदन है कि जोधपुर जिले के ग्राम जाजीवाल व बनाड़ के आस-पास के गांवों के किसान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये किसान अपनी भूमि का मुआवजा चाहते हैं। भारत सरकार के आदेशानुसार सरकार ने यह भूमि मिलिट्री एरिया के लिए अधिग्रहण कर ली तथा भूमि का कब्जा मिलिट्री को सम्भला दिया है किन्तु किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया जबकि जमीन का कब्जा लिए काफी वर्ष हो गये हैं। पूर्व सरकार के समय कुछ प्रभावशाली राजनेताओं के प्रभाव से कुछ लोगों को तो मुआवजा मिल गया लेकिन गरीब किसान अभी भी परेशान हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि ग्राम जाजीवाल व बनाड़ के किसानों को अपनी भूमि का मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, सिंचाई मंत्री, सिंचाई विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिंचाई विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 28(3) सिंचाई/95 दिनांक 31.3.95

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई और जल-निकास नियम, 1955 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1994-95 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "क" 1994-95 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री नरपतसिंह राजवी (सभापति प्राक्कलन समिति "क") : अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग (पाली जिले में चूने के पत्थर के पट्टाधारी) से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क" 1994-95 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी (अनुपस्थित)। श्री अमराराम जी चौधरी।

पचपदरा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करना

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाड़ोल की पंचायत डैया में सम्पर्क सड़क पुलिया निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

डैया पंचायत (झाड़ोल) में सम्पर्क सड़क पुलिया का निर्माण

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाड़ोल की पंचायत डैया में सम्पर्क सड़क पुलिया निर्माण करवाये जाने बाबत् एक सात व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर की चारदीवारी के बाहर बसी कालोनियों में सीवरेज लाइन

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री गोपीराम एवं श्री कालीचरण सराफ, सदस्य. विधान सभा जयपुर शहर की चारदीवारी के बाहर बनी कालोनियों में सीवरेज लाइन नहीं होने से आम जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर शहर की चार दीवारी के बाहर बनी कालोनियों में सीवरेज लाइन नहीं होने से आम जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में चार दीवारी के बाहर बसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकांश आवासीय कालोनियों में सीवरेज लाइन उपलब्ध नहीं है। आवासीय कालोनियों में सीवरेज लाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां के निवासियों द्वारा शाक पिट बनवाकर मल विसर्जन करना, समस्या के निदान का एक ही तरीका है। इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए वर्तमान में जयपुर शहर के लिए सभी क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने एवं उसका ट्रीटमेंट करने, निस्तारण करने हेतु 82 करोड़ रुपये की एक योजना का प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट की अनुमानित राशि 14 करोड़ रुपये, आउटफाल्स सीवर की 14.75 करोड़ रुपये, मुख्य सीवर लाइन के लिए 3 करोड़ रुपये, कालोनियों में सीवर लाइन की 45 करोड़ रुपये तथा जल महल में प्रदूषण नियंत्रण की लगभग 5.25 करोड़ रुपये की आंकी गयी है। इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्विस बैंक से भी प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु इस वित्तीय सहायता के उपलब्ध होने में देरी की सम्भावना के कारण इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 18 2.95 को एक बैठक थी जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जयपुर एवं राजस्थान आवासन मण्डल के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में जयपुर की सीवरेज योजना पर इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ करने पर निर्णय हुआ एवं विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली राशि का भी निर्धारण हुआ। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आउटफाल्स सीवर एवं ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य किया जाएगा तथा नगर निगम व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की कालोनियों में सीवर लाइन डाली जाएगी। योजना के अन्तर्गत आउटफाल सीवर का व्यय विभिन्न विभागों द्वारा निम्नानुसार वहन करने का निर्णय हुआ :–

राजस्थान आवासन मण्डल 3.20 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 3.85 करोड़, नगर निगम, जयपुर 3.85 करोड़, जयपुर विकास प्राधिकरण 3.85 करोड़, कुल 14.75 करोड़।

ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा उसका व्यय इस तरह वहन किया जाएगा :—

जयपुर विकास प्राधिकरण 3.50 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 3.50 करोड़, नगर निगम, जयपुर 3.50 करोड़, राजस्थान आवासन मण्डल 2.90 करोड़, कुल 13.40 करोड़।

यह कुल मिलाकर 28.15 करोड़ रुपये की योजना बनी है जिस पर हम कार्य करना चाहते हैं। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गयी हैं और उसके लिए 8–9 मई खोलने की तारीख है। अभी पिछले दिनों विभाग ने मिलकर जो कार्य किया है उसका विवरण मैं देना चाहूंगा।

तीन वर्षों में सीवर लाइन के कार्य हेतु किया गया व्यय,

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

1992–93 201.41 लाख रुपये, 1993–94 133.09 लाख रुपये, 1994-95 59.60 लाख रुपये, नगर निगम द्वारा किया गया व्यय 38लाख रुपये ।

गत तीन वर्षों में निम्न कालोनियों में कार्य किया गया है :—

सिन्धी कालोनी, बनीपार्क 740.55 लाख जे.डी.ए. द्वारा, बनीपार्क 87.00 लाख जे.डी.ए. द्वारा, जनता कालोनी, सेठी कालोनी, राजापार्क, तिलक नगर, बापू नगर हेतु मुख्य सीवर 171.00 लाख जे. डी. ए. द्वारा व लाइन हेतु 10.00 लाख नगर निगम द्वारा, सीवर लाइन न्यू सांगानेर रोड 95 00 लाख जे.डी.ए. द्वारा, चार दीवारी के अन्दर 15.00 लाख नगर निगम द्वारा।

आउटफाल्स सीवर एण्ड ट्रीटमेंट प्लांट की जो राशि विभिन्न विभागों में दी जाएगी उसका विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरा तो विश्वास है कि इस योजना के बनने के बाद जयपुर शहर जो कई वर्षों से इस समस्या से ग्रस्त था, उसका समाधान हो जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह काम जल्दी से जल्दी 2-3 साल में पूरा कर दें। यह मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : अब तो इसमें कुछ पूछना नहीं है।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि इस सीवरेज लाइन का शुभारम्भ इसी वर्ष करने की बात कही है।

श्री अध्यक्ष : आभार के बाद क्या प्रश्न पूछना है ?

श्री गोपीराम जाट : बहुत ही स्वागत योग्य है लेकिन इसके साथ मेरा निवेदन इतना-सा है कि नगर निगम के अन्दर मेरे विधान सभा के अभी दो वार्ड जुड़े हुए हैं एक हरमाड़ा और दूसरा आमेर। तो जैसी मुझे जानकारी मिली है कि इस सीवरेज लाइन का शुभारम्भ मुरलीपुरा स्कीम से होने वाला है और उसके बीच में करीब 4 किलोमीटर की दूरी तक हरमाड़ा बसा हुआ है और इस कृषि भूमि पर भी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्या उसको भी इस योजना में शामिल करने का विचार है? और आमेर के विषय में भी इस योजना को लागू करने का है या नहीं? इसके बारे में भी मंत्री महोदय जानकारी दें।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो स्वमेव मृगेन्द्र हैं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर का यह दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 47 वर्षों तक राजनीतिक भेदभाव के कारण तत्कालीन सरकारों ने जयपुर के महत्वपूर्ण सीवरेज लाइन के बारे में कोई विचार नहीं किया और जैसा कि सब लोगों को पता है कि जयपुर शहर में पेयजल का कोई मुख्य स्रोत नहीं है। 500 नलकूपों से जयपुर शहर में पानी दिया जा रहा है यानि भूमिगत जल से पानी दिया जा रहा है और सीवरेज

(श्री कालीचरण सराफ)

लाइन नहीं होने के कारण शाक-पिटों से मल का निस्तारण किया जा रहा है। जयपुर शहर की आज यह स्थिति हुई है कि पूरा भूमिगत जल प्रदूषित होने जा रहा है और कोई आश्चर्य नहीं कि यदि इस सीवरेज योजना पर जल्दी काम प्रारम्भ नहीं किया गया तो भयंकर महामारी भी जयपुर शहर में फैल सकती है। मैं वर्तमान राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार के आने के बाद मंत्रीजी ने प्राथमिकता के आधार पर 82 करोड़ की यह महत्वपूर्ण योजना बनायी और इसी वर्ष से इस पर काम भी प्रारम्भ हो गया परन्तु यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है और अभी तक वित्तीय प्रबन्ध इस योजना के लिए हुआ नहीं है। मैं इसके लिए शंकित हूं इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कहीं इस योजना का हश्र भी इन्दिरा गांधी नहर वाली योजना जैसा नहीं हो। जिस समय इन्दिरा गांधी नहर योजना बनी थी उस समय कितने करोड़ की थी और आज कितने गुणी यह राशि उसमें बढ़ गयी। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से कहना है कि यह जो आपने 82 करोड़ की योजना बनायी है और यह कहा है कि तीन साल में यह पूरी हो जाएगी तो तीन साल में जब पूरी हो जाएगी। आपने इस बार जो पैसों की व्यवस्था की है वह केवल 14–15 करोड़ रुपये की है, 82 करोड़ की योजना में 14 करोड़ रुपये भी एक वर्ष में खर्च करो तो यह कैसे तीन साल में पूरी होगी ?

मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण योजना है और इसमें यदि कोई वित्तीय संस्था से ऋण लिये जाने की आवश्यकता है तो लिया जाना चाहिए। यदि इस योजना को आपने तीन साल में पूरा करने का संकल्प लिया है तो समयबद्ध कार्यक्रम इस प्रकार का बनाइये कि जिससे यह तीन साल में पूरी हो जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामेश्वर जी भारद्वाज।

श्री कालीचरण सराफ : दो मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक खतरे की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने मुख्य सीवर लाइन तो बना दी। आज जनता कालोनी, सेठी कालोनी, बर्मीज कालोनी, गुरूनानकपुरा, राजापार्क, तिलकनगर, बापूनगर, बजाज नगर, को मुख्य लाइन से तो जोड़ दिया। अब यदि इण्टरनल लाइन नहीं बनी तो ये सब लाइनें चोक हो जायेंगी। ये लाइनें चोक नहीं हों इसके लिए जो समयबद्ध प्रोग्राम आपने दिया तीन साल का, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं परन्तु तीन साल में यह कार्यक्रम पूरा हो जाए। मैं एक बात ओर कहना चाहूंगा कि साउथ जोन की सीवरेज लाइन के लिए तो अपने ट्रीटमेंट प्लांट जयपुर से 20 किलोमीटर दूर बेगावास में बनाने का तय किया, बहुत बढ़िया बात है, परन्तु नार्थ जोन की सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वह आपने जलमहल के नजदीक बनाया है, 40 बीघा जमीन वहां पर इसके लिए उपयोग में लायी गयी है पर वहां इतनी घनी आबादी हो गयी, आप यदि कभी आमेर पधारते होंगे तो देखते होंगे कि बीच में नाक बन्द

(श्री कालीचरण सराफ)

करना पड़ता है, जबरदस्त सड़ांध आती है। तो आपने जैसे साउथ जोन के लिए बेगावास में ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनायी है उसी प्रकार से यदि नार्थ जोन के सीवरेज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट कहीं रामगढ़ रोड़ पर जयपुर से दूर जहां बस्ती नहीं हो वहां यदि बनायेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। उसका एक फायदा और है कि जो 40 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन करोड़ों रुपयों की जमीन है उसका हम व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, वहां कामर्शियल काम्पलेक्स बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामेश्वर जी भारद्वाज।

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह जो योजना बनायी है वह बहुत बढ़िया बनायी है लेकिन सदन में आप यह आश्वासन दें कि 3 साल में निश्चित रूप से इस योजना पर अमल होगा और यह काम पूरा होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर जी भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बात से सहमति व्यक्त करते हुए माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी व्यापक योजना जयपुर शहर के लिए बनायी है। इस योजना के साथ-साथ ऐसी भीषणतम समस्याएं सीवरेज लाइन की जयपुर शहर में हैं—जैसे केन्द्रीय बस स्टैंड सिंधी कैम्प हम सब का देखा हुआ है, उसका जो इस समय स्वरूप है उसको आप बाहर निकल कर देखेंगे तो उसकी सीवरेज लाइन की बड़ी भारी समस्या है। पहले माननीय मंत्रीजी ने साढ़े बारह लाख रुपये की योजना बनवाई थी और वनस्थली मार्ग को जोड़ते हुए उसको गवर्नमेंट होस्टल के पास किसी लाइन से जोड़ने का संकल्प था। परन्तु दोनों तरफ होटल्स बने हुए हैं और उन होटलों के कारण वहां पर सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत आती है। इसी प्रकार से पुरानी पुलिस लाइन में पुलिस के रहने के लिए

श्री अध्यक्ष : आपका विधान सभा क्षेत्र तो नहीं है कहीं ?

श्री रामेश्वर भारद्वाज : 90 फ्लेट्स बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुविधा की बात बता रहा हूं। पुलिस के लिए हमने 90 फ्लेट्स बनाये हैं लेकिन केवल सीवरेज लाइन नहीं होने के कारण उन फ्लेट्स को काम में नहीं लिया जा रहा है। इसलिए पारीक कालेज की रोड को भी प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए। शहर की पुरानी आबादी में भी पानी की लाइन और सीवरेज लाइनों का कहीं न कहीं सम्बन्ध है इसलिए प्रतिदिन उसके गन्दे पानी की शिकायत शहर में रहती है। मैं चाहूंगा कि इस योजना में पुरानी लाइनों को बदलने का भी कोई न कोई प्रावधान रखा जाए। इससे गन्दगी और बीमारियों के फैलने का डर कम होगा। इन 3-4

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

बातों का समावेश इस योजना में किया जाए।

श्री अध्यक्ष : सीवरेज की लाइन और पाइप लाइन, इन दोनों का कनेक्शन अलग-अलग हो, अलग-अलग साइड में हो। बिराजिये आप। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी। (व्यवधान)....हां, देऊंगा। बिराजें आप। सभी को अवसर दे रहे हैं। बिराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस विश्वास के साथ कह रही हूं कि वह तो महान् हैं, वे भेदभाव नहीं करेंगे इसलिए मेरे क्षेत्र में भी, क्योंकि सांगानेर नगर निगम के अन्तर्गत आता है—कमला नेहरू नगर, केशरीचन्द नगर और जो आस-पास नयी कालोनियां बस गयी हैं उनमें भी आप सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा और ऐसा न हो कि अभी जैसा आप कह रहे थे कि 15 करोड़, 20 करोड़ की तो आखिरी 4 साल के बाद नम्बर आये। इसलिए मेरा निवेदन है कि साथ-साथ उनका भी ध्यान रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस कार्य के लिए जो योजना बनायी उसके लिए तो बधाई देती हूं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इसका पहले एक मास्टर प्लान बना लिया जाए। उत्तरी क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट बना है वहां की स्थिति भयंकर रूप से खराब है। अगर दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट भी ऐसी परेशानी पैदा कर देगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। इस तरह का कोई प्रयोग हो कि वहां पर जो खाद के धोरे होते हैं, जो मल निकलता है उसको सुखाने की व्यवस्था है यदि वह नागरिकों की बस्ती के बीच में हुई तो चाहे वह बेगावास हो, निवारु हो, चाहे जयपुर हो और चाहे और कोई जगह हो, इसमें कुछ लोगों को लगाइये जो यह देख सकें कि इसमें क्या सुधार हो सकता है और इससे जन-जीवन को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। मेरा निवेदन यह भी है कि विश्व बैंक से बात चल रही है, मात्र बात-चीत से काम नहीं होगा और भी अन्य संस्थाएं हैं जिनसे ऋण ले सकते हैं, उस प्रकार से काम को त्वरितता से किया जा सकता है।

मेरा यह भी निवेदन है कि उत्तरी क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है लेकिन वहां पर गटर लाइनें बहुत लम्बे समय से पड़ी नहीं हैं, परकोटे के बाहर की बस्तियां हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, सम्पूर्ण रूप से योजना बनायी जाए जिससे कोई कमी किसी तरह से रह नहीं जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के इन कार्यों से उसकी क्या नीयत है और कितनी जल्दी करना चाहती है यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि 8 और 9 तारीख को टेंडर आमन्त्रित किये गये हैं, यदि आपके

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई मिलने वाले हों और जल्दी गति से काम कर सकें तो वहां पर टेंडर दिलवा दीजिये और यह कोशिश करिये कि यह टेंडर अच्छे लोगों को मिल जाए ताकि टाइम पर काम पूरा हो जाए। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है।

सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही है, सांगानेर भी इन्क्लूड है, सांगानेर इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : अब तो धन्यवाद देओ आप, इसमें क्यों कंजूसी कर रही हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो योजना बनी हुई है उसको एक बार देख लें....

श्री कालीचरण सराफ : 3 साल में पूरा हो जाएगा, यह कहो।

श्री भंवरलाल शर्मा : और फिर लगता है कि इसमें कोई कमी है, कुछ जोड़ना है तो आप बैठकर बता दीजिये। इसको जोड़ देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : आप तो यह कह दो कि 3 साल में पूरा हो जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : नार्थ के तरफ के ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं। यह बात सही है कि शुरू में जब निर्माण होना था तो शहर के बिलकुल बाहर ही था, वहां बस्ती थी ही नहीं लेकिन अब बस्ती इतनी बढ़ गयी है इसलिए उसको वहां से हटाने का विचार कर रहे हैं। मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। बोल रहा हूं, कोई बात नहीं अब इसको हटाने की बात कर रहे हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने बनाया नहीं था। श्री संजय गांधी उसका उद्घाटन करके गये थे और आप और मैं दोनों जेल में थे। वह उन लोगों ने बनाया उस समय प्लानिंग नहीं की। इसलिए पहले प्लानिंग कर लें यह कहना है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब किस महापुरुष ने उसका उद्घाटन किया....

श्री विष्णु मोदी : आप जेल गयीं तो वहां आयीं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बार आप भी चले जाएं।

श्री विष्णु मोदी : हम जायेंगे तो उधर आ जाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : और किसने बनाया उसका कोई महत्व नहीं है। अब वह आज वहां के लोगों को प्राब्लम पैदा कर रहा है। इसके लिए निगम से हमारी बात-चीत चल रही है। यह जमीन हम निगम को ट्रांसफर करने वाले हैं और इसकी एवज में जहां कहीं भी संभव हो सकेगा यह ट्रीटमेंट प्लांट को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सब करने के बाद जिस समस्या से हम लोग चिन्तित हैं उसका पूर्ण रूप से समाधान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो जाएगा । इसी प्रकार से वनीपार्क का कोई बता दीजिए, जोड़ देंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा किशनगढ़ शहर स्थित रेलवे लाइन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

किशनगढ़ शहर (अजमेर) स्थित रेलवे लाइन पर पुल का निर्माण

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत मैं किशनगढ़ शहर स्थित रेलवे लाइन पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने किशनगढ़ शहर स्थित रेलवे लाइन के आर-पार आवागमन को सुलभ बनाने के लिए रेलवे लाइन के ऊपर पुल की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं। इस विषय में तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है:—

यह सही है कि किशनगढ़ शहर मार्बल उद्योग के निरन्तर प्रसार के कारण अपेक्षित औद्योगिक बस्ती में गिना जा रहा है । शहर की आबादी जयपुर–अजमेर रेलवे लाइन के बायीं तरफ है जबकि मार्बल उद्योग किशनगढ़ बाई पास के दोनों तरफ फैलता जा रहा है और वह रेलवे लाइन के दाहिनी ओर है । रेलवे लाइन को पार करने के लिए समपार फाटक की जगह पुल बनाने की मांग सरकार के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही है । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अन्डर ब्रिज बनाने में केवल भूतल परिवहन मंत्रालय अथवा राज्य सरकार ही एक पक्ष नहीं है । अपितु रेलवे मंत्रालय भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है ।

मुख्य राष्ट्रीय राज मार्गों पर रेलवे सडक समपार फाटकों को बदलकर उनकी जगह पुल बनाने की आवश्यकता राज्य सरकार, भूतल परिवहन मन्त्रालय तथा रेलवे मंत्रालय सभी प्रतिपादित करते रहे हैं । इनसे समय और धन की बचत होती है तथा दुर्घटनाएं भी नहीं होतीं । ऐसे कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होने के कारण भूतल परिवहन मंत्रालय अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है । प्राथमिकता के निर्धारण में यातायात की मात्रा, अवरोध का समय और उत्पन्न होने वाले अन्य व्यवधान, सब यह सुनिश्चित करते हैं कि किस रेलवे ओवर ब्रिज को प्राथमिकता दी जाए । भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय से दीर्घकालीन चर्चा के बाद सेवर बाई पास के लिए सेवर आरोगी योजना में प्रस्तावित किया है। यह परियोजना भी दीर्घकाल तक योजना का भाग बनी रही किन्तु उसके लिए कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी । अब भूतल परिवहन मंत्रालय ने संकेत दिया है कि योजना को बी. ओ. टी. में लेने की व्यवस्था की जा रही है ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि रेलवे लाइन के आर-पार आवागमन में काफी संकट रहता है, क्योंकि रेलवे फाटक दिन में 16 घंटे से अधिक अक्सर बन्द रहता है। इस विषय में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार नेशनल हाइवे समपार फाटक 24 घंटे में 40 बार, यानी कुल मिलाकर सामान्यत: 396 मिनट अर्थात् लगभग साढ़े छह: घंटे बन्द रहता है।

(14.00)

जयपुर-अजमेर रेलवे लाइन पर किशनगढ़ में आर. ओ. बी. बनाने के लिए तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टि से केवल एक ही स्थान उपलब्ध है और वह नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर किशनगढ़ बाईपास के समपार फाटक पर है। शहर से रूपनगढ़ आने वाली सड़क पर समपार फाटक पर आर. ओ. बी. बनाना तकनीकी एवं व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। रेलवे मंत्रालय एवं भूतल परिवहन मंत्रालय दोनों के सीमित संसाधन को दृष्टि में रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि बी. ओ. टी. (बिल्ड, ओपरेट, ट्रांसफर) के आधार पर निजी निवेशकों द्वारा पुल बनवाये जाएं जिसकी लागत टोल टैक्स लगाकर वसूल की जाए। इस सन्दर्भ में रेल मंत्री माननीय श्री जाफर शरीफ साहब की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र दिनांक 27-1-1995 को लिखा गया, जिसमें उन्होंने कहा है—

"It appears that following two ways can help in achieving partly our aim :—

(a) permitting private entrepreneurs to build road over/under bridges on BOT (Build, Operate, Transfer) system. The entrepreneur provides the full finance and builds the road over/under bridge in consultation and with approval of the Railway and road authorities. In return he would be permitted to levy toll on road traffic. The terms and conditions and duration for which he would be allowed to levy the toll are to be decided by the State Government. At the end of the agreed period the structure would revert back to the State Government/Railway.

(b) the private entrepreneurs be permitted to build a road over bridge in lieu of level crossing by providing his own finance. He would, however, be permitted to commercially exploit the space under the approaches of the bridge on agreed terms and conditions and for a specified period. The terms and conditions as well as period for commercial exploitation are to be decided by the State Government/Railway.

माननीय रेल मंत्री महोदय के उक्त मन्तव्य से स्पष्ट है कि रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए अब किसी निजी निवेश का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस पत्र के सन्दर्भ

94

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में भारत सरकार को पत्र दिनांक 15.2.95 के साथ 24 समपार फाटकों की सूची संलग्न करते हुए 7 समपार फाटकों पर ओ.बी.सी. प्रस्तावित किये गये हैं । इसमें किशनगढ़ बाई पास को हमने प्राथमिकता दी है ।

इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्वीकृत कार्यों को चालू करने के लिए जितने प्रावधान की हमें आवश्यकता होती है, वह हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। गत वर्ष 47.34 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विरुद्ध जिनकी सैंक्शन हो गयी, परमिशन मिल गयी, 25.70 करोड़ रुपये ही भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये । यही स्थिति पिछले वर्षों में रही है इसलिए जो कार्य हाथ में लेते हैं उसको पूरा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आर. ओ. बी. के कामों के लिए पैसा मिलने की सम्भावना नजर नहीं आती । माननीय रेल मंत्री महोदय ने बी. ओ. टी. और टोल से वसूली की चर्चा तो की है किन्तु इस दिशा में भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहल करनी है और उन्हें यह निश्चित करना है कि यह व्यवस्था कैसे करनी होगी। भारत सरकार को इसके लिए अपने नियमों में संशोधन आदि की व्यवस्था करनी है, निवेशकों की शिनाख्त करनी है और व्यवस्था भी उन्हें ही करनी है । इस दिशा में राज्य सरकार केवल मांग प्रस्तुत कर सकती है और अब केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था । उसके पूर्व हम इस विषय में लगातार मांग करते रहे हैं । मैं माननीय सदस्य की पीड़ा से अवगत हूं और मेरी पूरी सहानुभूति इस परियोजना के सन्दर्भ में उनके साथ है किन्तु जब तक भूतल परिवहन मंत्रालय इस विषय में कोई निर्णय नहीं करता, हमारे लिए कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

आज मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी माननीय सदस्य से हुई है। उन्होंने कहा कि यह बात तो ठीक है कि हाईवे पर बनाना सम्भव नहीं है किन्तु शहर के किनारे-किनारे जो और तीन फाटक बने हुए हैं, वे बहुत अधिक देर तक बन्द रहते हैं। होता यह है कि रेल शंट करती है, शंटिंग होती है या एक तरफ से रेल आती है तो सामने वाला फाटक बन्द कर दिया जाता है। यह कठिनाई निश्चित रूप से उचित है किन्तु उन फाटकों पर तकनीकी दृष्टि से आर. ओ. बी. बनाना सम्भव नहीं है किन्तु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उन फाटकों के बीच में अगर कहीं एकाध अण्डर सब वे बन जाय, इसकी जांच मैं अपने अधिकारियों से करवाऊंगा, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे और फिजिबल लगेगी तो निश्चित रूप से रेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय में विचार करके कोई न कोई उस प्रकार की व्यवस्था हमको दे ताकि किशनगढ़ के नागरिकों को और वहां के मार्बल उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को राहत मिल सके, इतनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का आभारी हूं, एक बहुत ही कुशल प्रशासक की तरह उन्होंने मेरी पीड़ा को सही डायग्नोस किया है। मेरे साथी सदस्यगण कहते हैं कि मैं मंत्रीजी को

(श्री जगदीप धनखड़)

धन्यवाद दे दूं। ऐसी स्थिति बहुत कम बार देखी जाती है। माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे एक अनुरोध है। पूरी स्थिति को आपने इतने स्पष्ट रूप से रख दिया है, किशनगढ़ शहर में पुल बनाने की बात को आपने प्राथमिकता दी है, अण्डर ब्रिज जहां हो सकता है, उसकी आवश्यकता पर भी अपने पूरा जोर दिया है, मान्यवर, एक बात मुझे आपसे कहनी है। किशनगढ़ शहर में आपके मंत्रिपरिषद के एक मंत्री भी रहते हैं। आज से करीब दो माह पहले एक विकट स्थिति आ गयी। फाटक बन्द था, चार शव यात्राएं जा रही थीं। जो कुछ घण्टे बन्द रहते हैं छह घण्टे के आसपास। रेलवे लाइन पर तीन फाटक हैं। मैं उस फाटक का जिक्र नहीं कर रहा जो जयपुर से जाते समय नम्बर एक रेलवे फाटक कहेंगे या अजमेर से आते समय नम्बर एक रेलवे फाटक कहेंगे। बीच वाला फाटक है, मैं समझता हूं, वह 18–20 घण्टे बन्द रहता है। आपने पहली बार मुझे निरुत्तर कर दिया है। आपका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है और एक आशा की किरण जागृत करता है। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं, मंत्रीजी, और वह आश्वासन इसलिए चाहता हूं, मुझे उम्मीद है, आपका आश्वासन तो निश्चित रूप से पूरा होगा। आप यह बताइये, अण्डर ब्रिज वाले मामले में कितने कम समय में आप जांच करवाकर केन्द्र सरकार को भी बाध्य कर देंगे ? यह बात अगर आप बता देंगे तो किशनगढ़ की पीड़ित जनता को राहत मिलने में एक कदम उठाया जा सकेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अण्डर ब्रिज तो बनाना सम्भव नहीं है। लेकिन अण्डर सब पास वे, जिसमें छोटी गाड़ियां निकल सकें, जिसको....

श्री जगदीप धनखड़ : हां, अण्डर सब वें। बिलकुल, हां वही।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विदिन ए मन्थ, 31 मई तक उसकी जांच करवाकर फिजिबल होगा तो उस रिपोर्ट को हमारी रिक्वेस्ट के साथ रेलवे मंत्रालय को प्रेषित कर देंगे, एक प्रतिलिपि आपके पास आ जायेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आयुर्वेद राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री महोदय और आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आकर्षित करता हूं।

श्री अचला राम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, श्री सत्यनारायण

(श्री अचला राम मेघवाल)

शर्मा, कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिंधी बाजार, उदयपुर के विरुद्ध सर्वश्री चुन्नीलाल गरासिया एवं श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है :

(1) **पैसे लेकर नौकरी लगाने बाबत**— उपरोक्त विषयक सम्बन्धी एक शिकायत श्री रतनलाल पालीवाल द्वारा प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत श्रीमती भागवन्ती नामक महिला ने पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को लिखे गये पत्र में अंकित किया है कि उनके पति को आयुर्वेद विभाग में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने के लिए श्री सत्यनारायण शर्मा ने रुपये 10,000/– की मांग की। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर को निदेशालय के पत्रांक 11647 दिनांक 18-3-94 के तहत जांच दी गयी। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जो विचाराधीन है।

(2) **दूसरों के मनीआर्डर पर फर्जी हस्ताक्षर कर राशि प्राप्त करना** उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में शिकायत होने पर श्री सत्यनारायण शर्मा को निदेशालय के आदेश क्रमांक 23679–93 दिनांक 24-11-81 के द्वारा निलम्बित किया गया। इस सम्बन्ध में तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा जांच उपरांत उनके आदेश क्रमांक 20013–16 दिनांक 21-1-84 के द्वारा श्री शर्मा को दोषमुक्त किया गया। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित एक बन्द संख्या 50 या 58, ऐसा कुछ है, 80, अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 2, उदयपुर के न्यायालय में दायर हुआ था और न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को निर्णय दिनांक 1-9-83 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के आरोप से बरी किया जा चुका है।

(3) **सरकारी दवाइयों को बाजार में बेचना**— इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण व दृष्टांत विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके अभाव में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) **ड्यूटी पूरी नहीं करने बाबत**— इस सम्बन्ध में प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद धात्री उपवैद्य संघ द्वारा एक शिकायत 9-2-94 को की गयी जिसके सम्बन्ध में जांच हेतु उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 18131 दिनांक 21-4-94 के द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जाच अधिकारी को पुनः 31-3-95 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु स्मरण करा दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(5) **बी एड. के समान आयुर्वेद का कोर्स चलाना**— इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई है किन्तु शिकायत पर शिकायत कर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे और ना ही कोई ठोस प्रमाण प्राप्त हुए जिसके फलस्वरूप इस

(श्री अचला राम मेघवाल)

शिकायत पर कोई कार्यवाही की औचित्यता नहीं बनती है ।

(6) **गबन करना**—इस प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण व सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसके अभाव में जांच किया जाना सम्भव नहीं है ।

(7) **श्री सत्यनारायण शर्मा का गत 16-17 वर्षों से आयुर्वेद औषधालय, सिन्धी बाजार में कार्यरत रहने बाबत**—कम्पाउण्डर, श्री सत्यनारायण शर्मा का राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिन्धी बाजार, उदयपुर में सितम्बर, 1974 में पदस्थापन किया गया था । तत्पश्चात् श्री शर्मा का उक्त औषधालय से दिनांक 31-7-79 को गिलूण्ड (उदयपुर) स्थानान्तरण किया गया है । दिनांक 21-4-86 को औषधालय फलासिया (उदयपुर) तथा दिनांक 30-6-90 को फूलियाखुर्द (भीलवाड़ा) में स्थानान्तरण किया गया । किन्तु श्री शर्मा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर सिन्धी बाजार में ही कार्यरत हैं । श्री शर्मा का सिन्धी बाजार उदयपुर से फूलियाखुर्द, भीलवाड़ा स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी सिन्धी बाजार, उदयपुर में ही कार्यरत रहने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर ने दिनांक 5-7-90 को परिवर्तन आदेश की प्रतिलिपि कम्पाउण्डर श्री शर्मा को देकर यह निर्देश दिया है कि अधिकतम सात दिवस की अवधि में चार्ज देकर कार्यमुक्त होवें । चिकित्सा प्रभारी ने भी तदनुसार निर्देश जारी कर दिनांक 5-7-90 को ही श्री शर्मा को यह पत्र तामील कराकर हस्ताक्षर ले लिये । चार्ज देने में विलम्ब होने के फलस्वरूप उसी समयावधि में श्री शर्मा ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा यथावत सिन्धी बाजार में ही कार्यरत हैं । चूंकि न्यायालय के आदेश होने के कारण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं है ।

(8) **श्री भंवरलाल पालीवाल के साथ मारपीट बाबत**—इस सम्बन्ध में श्री रतन लाल पालीवाल, अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद धात्री उपवैद्य संघ, उदयपुर ने दिनांक 1-8-94 को एक शिकायत की जिसके अन्तर्गत श्री शर्मा एवं उनके साथी द्वारा दिनांक 26-7-94 को सायंकाल राजमहल होटल, जयपुर के पास कातिलाना हमला करने की शिकायत की तथा इस प्रकार की एक एफ. आई. आर. पुलिस थाना विधायकपुरी, जयपुर में भी दर्ज करायी । चूंकि यह घटना ड्यूटी समय अथवा विभाग के किसी राजकीय परिसर में घटित नहीं हुई है और ना ही पुलिस द्वारा श्री शर्मा या अन्य किसी साथी को 48 घण्टे से अधिक तक पुलिस हिरासत में रखने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहा ।

(9) **अनुशासनात्मक कार्यवाही जांच में विघ्न उत्पन्न करने बाबत**—श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा किसी जांच कार्यवाही में विघ्न डालने जैसी स्थिति विभाग के ध्यान में नहीं आयी है ।

(10) **बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने व फर्जी टी.ए. व डी.ए. उठाने के मामले**—इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्राप्त

(श्री अचला राम मेघवाल)

नहीं हुए हैं जिसके अभाव में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(11) **डाक्टर गिरिजा व्यास एवं श्री हनुमान प्रभाकर के चुनाव में भाग लेने एवं पेम्फलेट बांटना**—इस सम्बन्ध में श्री रतनलाल पालीवाल, कम्पाउण्डर एवं नर्स श्रीमती गिरिजा सिसोदिया द्वारा शिकायत प्राप्त हुई जिस पर उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर द्वारा वर्ष 1990 में जांच की गयी। शिकायतकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रेस का नाम नहीं बताया गया एव श्री शर्मा ने चुनाव प्रचार एवं पेम्फलेट छपवाने के प्रति असहमति प्रकट की है। ऐसी स्थिति में श्री शर्मा पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है।

(12) **अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 2, उदयपुर के द्वारा श्री शर्मा के वेतन को कुर्क करने बाबत**—इस सम्बन्ध में लेख है कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही न्यायालय के अध्यधीन विचारणीय होती है तथा व्यक्तिगत स्थिति में की जाती है उसका विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। न्यायालय के निर्णय की पालना करना विभाग का कर्तव्य है किन्तु एक कर्मचारी की हैसियत से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। न्यायालय के निर्णय की पालना में कर्मचारी के वेतन से 573/- रुपये प्रति माह की कटौती की जा रही है।

(13) **श्री सत्यनारायण शर्मा, कम्पाउण्डर द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, फूलिया-खुर्द जिला भीलवाड़ा में स्थानान्तरण पर अग्रिम यात्रा भत्ता प्राप्त करने के सम्बन्ध में**—श्री सत्यनारायण शर्मा, कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिन्धी बाजार.....

श्री परसादी लाल मीणा : सत्यनारायण शर्मा का पीछा नहीं छूटा अभी ?

श्री अचलाराम मेघवाल : यह तो कथा है।

श्री परसादी लाल मीणा : सत्यनारायण की।

श्री अचला राम मेघवाल : उदयपुर के औषधालय फूलियाखुर्द जिला भीलवाड़ा में स्थानान्तरण पर उनके द्वारा जुलाई, 90 में 1720/- रुपये एडवांस प्राप्त किये जिसकी वसूली उनके वेतन से हो चुकी है। श्री शर्मा ने यात्रा भत्ता अग्रिम के रूप में 500/- रुपये दिनांक 10-8-90 को प्राप्त किये हैं जिसकी वसूली अभी तक नहीं हुई है।

(14) **श्री सत्यनारायण शर्मा, कम्पाउण्डर द्वारा विदेश यात्रा के नाम पर 5000/- रुपये प्राप्त करना**—श्री शर्मा को विदेश यात्रा की स्वीकृति के सम्बन्ध में 5000/- रुपये की स्वीकृति की गयी थी बल्कि उन्हें अन्य राज्यों यथा गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों के आयुर्वेद अस्पतालों के नर्सिंग कर्मचारियों के पदों और मापदण्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु उक्त राज्यों की यात्रा करने की स्वीकृति की गयी थी। श्री शर्मा क

(श्री अचलाराम मेघवाल)

जो अग्रिम यात्रा भत्ता के रुपये में 5000/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया था और उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश की यात्रा की किन्तु उसका कोई हिसाब नहीं दिया है ।

(15) **भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रकरण संख्या 1983/85 दर्ज होने के सम्बन्ध में**—भूतपूर्व उप निदेशक, उदयपुर श्री महावीरप्रसाद भारद्वाज की रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, उदयपुर में प्रकरण संख्या 1983/85 दर्ज हुआ था और यह प्रकरण वर्दी से सम्बन्धित था जिसमें तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री सत्यनारायण सनाढ्य एवं कम्पाउण्डर श्री सत्यनारायण शर्मा के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था ।

श्री परसादी लाल मीणा : सनाढ्य हैं कि शर्मा हैं ये ?

श्री अचला राम मेघवाल : एक सनाढ्य हैं और एक शर्मा हैं । उसको वापस सुन लो ।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलने दें ।

श्री अचला राम मेघवाल : यह प्रकरण वर्दी से सम्बन्धित था जिसमें तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री सत्यनारायण शर्मा एवं कम्पाउण्डर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, विराजिये शंकर लाल जी ।

श्री अचला राम मेघवाल : वह आयुर्वेद अधिकारी है । आयुर्वेद अधिकारी सत्यनारायण सनाढ्य एवं, नहीं आप गलत कह रहे हो, कम्पाउण्डर श्री सत्यनारायण शर्मा के विरुद्ध, उन्होंने तो केस दर्ज करवाया है सनाढ्य ने तो । मैं उसको कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप इधर-उधर नहीं, मेरी तरफ देखें ।

श्री अचला राम मेघवाल : केस दर्ज हुआ था और विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, उदयपुर ने एक चार्ज शीट दिनांक 8.12....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे यह पता नहीं था कि सरकार का इतना लम्बा जवाब आएगा । बिराजें आप ।

श्री अचला राम मेघवाल : 21-12-89 को चालान प्रस्तुत किया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक घण्टा हो गया पढ़ते-पढ़ते, साहब ।

श्री अचला राम मेघवाल : जिसका केस नम्बर 140/16 है ।

(16) 15, अगस्त, 1994 पर सम्मानित करने सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण—श्री सत्यनारायण को 15 अगस्त, 1993 के अवसर पर पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर के माध्यम से निदेशालय को प्राप्त हुआ और निदेशालय द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर को श्री शर्मा का नाम प्रस्तावित कर जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु लिखा गया । पुनः जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर ने वर्ष 1994 के अवसर पर पुरस्कृत करने हेतु प्रस्तावित किया है और

(100)

(श्री अचलाराम मेघवाल)

उनके प्रस्ताव के आधार पर निदेशालय के द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर को श्री शर्मा का नाम निम्न कारणों से 1994 में प्रस्ताव किया है : जन-कल्याणकारी कार्यों में विभाग के अधिकारियों को सहयोग करना, विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न चिकित्सा शिविरों के विवरण प्रकाशित करने में सक्रियता दर्शाना, विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न वैज्ञानिक संगोष्ठियों, सेमीनारों, परिचर्चाओं एवं कार्यशालाओं के सफल प्रयोजन हेतु प्रचार प्रसार कार्य कर सक्रिय योग देना। जिला कलक्टर उदयपुर, द्वारा चयन कर सत्यनारायण शर्मा को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया।

(17) श्री सत्यनारायण शर्मा, कम्पाउण्डर द्वारा हृदय रोग पर सेमीनार आयोजन करने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच उप निदेशक, उदयपुर के कार्यालय जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया है कि....

श्री अध्यक्ष : अब माननीय, शीघ्रता से पढ़ें।

श्री अचला राम मेघवाल : दिनांक 12–13 जुलाई, 85 को हृदय रोग पर एक सेमीनार आयोजित हुआ था जिसमें विभाग द्वारा 10 हजार रुपये की स्वीकृति की गयी थी और उक्त राशि नियमानुसार व्यय हुई।

यात्रा व्यय (48 से 52)

अन्य छोटे व्यय प्रचार प्रसार का काम....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, अब बरदाश्त नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आप इनसे कह दो बैठ जाएं। नहीं, अब ये वक्त खराब नहीं करेंगे।

श्री अचला राम मेघवाल : इन्होंने ज्यादा मांगा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें, क्या हुआ ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब बरदाश्त नहीं होगा। अब आप उनसे कह दीजिये कि बैठ जाएं।

श्री अचला राम मेघवाल : जांच अधिकारी ने इसका निष्कर्ष बताया है और शिकायतों के सम्बन्ध में उदयपुर के स्थानीय घण्टाघर पुलिस थाना में एक....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इनसे फरमा दीजिये कि बिराज जाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें, क्या हुआ ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक घण्टा हो गया, कोई जवाब आ रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, हम सभी सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं, वे लोग नहीं चाहते........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आया है, जवाब तो देने दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो सत्यनारायण की कथा बांच रहे हैं ।

श्री अचला राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मांगा था, वह जवाब मैंने दे दिया । (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : इतनी देर हो गयी, क्या हो गया कम्पाउण्डर का ?

श्री अध्यक्ष : विराजें, मंत्रीजी, आप विराजें ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आज पूर्णिमा नहीं है, सत्यनारायण की कथा बांच रहे हैं ।

श्री अचला राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो नाम का घोटाला है । सत्यनारायण नाम का कोई कम्पाउण्डर है उसके बारे में पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । श्री चुन्नीलाल गरासिया ।

श्री अचला राम मेघवाल : यह सारा मेरे वक्त का नहीं है इससे पहले का है और (व्यवधान) इस बात को मैं बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : हां विराजिये । माननीय सदस्य जल्दी करें, आज समय बहुत सीमित है ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन वास्तव में मामला इतना गम्भीर है और आयुर्वेद का जितना लम्बा ट्रीटमेंट चलता है उतना ही यह गम्भीर केस है । माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों की गाढ़ी कमाई पर एक सरकारी कर्मचारी दिन-दहाड़े डाका डाले और इस पर आज तक कार्यवाही नहीं करना और उसके कुछ कारनामे मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बोलने दो, दो मिनट ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय, बोलने देंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें आप । पहले माननीय सदस्य को पूछने दीजिये, बाद में आपका नम्बर भी आएगा ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है ? किसी कर्मचारी के खिलाफ बात हो रही है, + + +

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि, इस सम्बन्ध में (व्यवधान) मैं ट्रेनिंग आपसे नहीं लूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछ लूंगा । जितना अधिकार आपको है उतना ही मुझे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

भी है। नहीं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, आपसे क्यों पूछूंगा मैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं आपसे क्या पूछूंगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलालजी, आप अपनी बात करें। माननीय सदस्य तो कुछ भी कहेंगे, आप तो अपनी बात करें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उस कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप सिद्ध हुआ है ? यदि हुआ है और उस पर 420 का आरोप सिद्ध हुआ है और उससे कटौती हुई है तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ? दूसरा, यह आरोप है, जैसे 25-9-93 को माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए हम उसकी कटौती कर रहे हैं लेकिन यह भी साथ में बताएं कि उसके विरुद्ध हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ? जबकि होना तो यह चाहिए था कि न्यायालय में अगर कोई अभियोजन के खिलाफ जाता है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में अपनी तरफ से बताएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना नहीं तो वापस एक बार पढ़कर सुना दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। श्री शिवकिशोरजी। माननीय सदस्य, आप पाइंटेडली सवाल पूछें।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कम्पाउण्डर का मामला क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलने दें। आज बहुत सारा बिजनेस है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कम्पाउण्डर का सवाल नहीं है, यह इस बात का सवाल है कि किस तरीके से विभाग में भ्रष्टाचार, बेईमानी, आपाधापी, धोखाधड़ी....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मोटवानीजी, बिराजें। वे कोई बात कह रहे हैं। माननीय सदस्य, उन्हें अपनी बात कहने दें। ऐसे कैसे चलेगा ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों बचाना चाहते हैं इस भ्रष्टाचारी को ? क्यों इस भ्रष्टाचारी आदमी को बचाना चाहते हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसको फांसी लगाओ, उसको सस्पेंड करो, उसको बरखास्त करो (व्यवधान) यहां टाइम क्यों खराब कर रहे हो हमारा ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह केवल आपकी बात नहीं है, यह पिछले कम से कम

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

15-20 साल की बात है। जब से उस आदमी की शिकायत चल रही है, पिछले 15-20 साल से बातें चल रही हैं और इसके ऊपर कोर्ट से, ए. सी. डी. से, पुलिस से, सब तरह के आरोप लगने के बावजूद भी इस डिपार्टमेंट के लोग इसे बराबर बचाते रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। इन्हें अपनी बात तो कहने दो। श्री धारीवाल साहब, आप इन्हें बात कहने दो अपनी। ध्यानाकर्षण इन्होंने किया है। इन्हें अपनी बात कहने दो। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने इसे पढ़ा है एक-एक अक्षर पढ़ा है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बता दें कि उसका कोर्ट में आरोप सिद्ध हो गया तो सस्पैंड क्यों नहीं करते हो? सस्पैंड करिये, खतम मामला। इतनी देर कर दी। आप यह बताइये कि सस्पैंड करोगे या नहीं करोगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर ये सस्पैंड नहीं करें तो आप इनको सस्पैंड करवा दो।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। धारीवाल साहब, बिराजें। (व्यवधान) माननीय, बोलने दें।

एक माननीय सदस्य : पूरा ही पढ़ने के बाद सब याद हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शिवकिशोरजी, आप कुछ बोल रहे थे ना। (व्यवधान) माननीय विधायक को बोलने दें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय श्री कालीचरणजी ने कहा है, मैं तो आयुर्वेद मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि वे किसी भी उच्चाधिकारी से इस आदमी की जांच करालें और इसे सस्पैंड करो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जब कोर्ट से सिद्ध हो गया तो क्या जांच करवानी है?

श्री हरजीराम बुरड़क : और आयुर्वेद अधिकारी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, डिप्टी सैक्रेटरी को सस्पैंड कर दिया तब तो यह कह रहे थे....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और इस आदमी को निलम्बित करके इसका हेडक्वार्टर जयपुर रखा जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय श्री बुरड़क साहब, बिराजिये आप। किसी सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं?

श्री हरजीराम बुरड़क : फिर क्या मामला है यह? (व्यवधान) वे खुद ही कल कह रहे थे कि इसको गलत सस्पैंड किया है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला साफ है। कोर्ट में आरोप सिद्ध हो गये और जांच क्या हो सकती है। इस आदमी को सस्पैंड करके.... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और इसलिये इसका हैडक्वार्टर उदयपुर से बदलकर सिंधी बाजार आयुर्वेद औषधालय.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट से आरोप सिद्ध हो गये तो मंत्री महोदय को कम्पाउण्डर से इतना मोह क्यों है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : उसका हैडक्वार्टर यहां विधान सभा की आयुर्वेद डिस्पेंसरी में करवा लो । (व्यवधान)

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में यह शिकायत आने के बाद में हमने तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश दिये । मुझे कल सूचना मिली है कि उसकी जांच होकर के डायरेक्टर के पास आ चुकी है और ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें ।

श्री अचलाराम मेघवाल : और डायरेक्टर की जांच को देखकर, जैसा कि माननीय श्री शिवकिशोरजी ने कहा, अगर मैं जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो एक बार पुनः सक्षम अधिकारी से जांच करवा करके कड़े से कड़ा जो भी होगा, कड़े से कड़ा पनिशमेंट जो भी नियमों में होगा वह पनिशमेंट देने का निर्देश दूंगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सस्पैंड करके जांच करवाइये ।

श्री कालीचरण सराफ : जांच तो हो चुकी है । आप हाउस में घोषणा करिये । क्या जांच करेंगे दुबारा ?

एक माननीय सदस्य : निलम्बित करके जांच कराइए ।

श्री राधेश्याम : यह क्या मसला हुआ ? जांच तो हो चुकी है लेकिन मैं अगर सतुष्ट नहीं हुआ....

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच हो चुकी है लेकिन जांच को देखना तो पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मंत्रीजी, स्पष्ट कहें कि आप क्या करने वाले हैं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसमें किसी तरह से जांच की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपकी बात से सन्तुष्ट नहीं हो रहे हैं । आप स्पष्ट कहें कि आप क्या करना चाहते हैं ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट कल आ चुकी थी । (व्यवधान)

श्री अचलाराम मेघवाल : मैं इनकी भावनाओं का आदर करता हू और जांच को देखकर सस्पैंड करना होगा तो करेंगे । (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : भावना नहीं ....(व्यवधान) ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, सस्पैंड करके जांच करिये तभी हो सकेगी । (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्षजी, कोर्ट का फैसला हो गया उसको देखिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतना महत्वपूर्ण मसला है (व्यवधान) मंत्रीजी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : सस्पैंड करके जांच कराइये आप। तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ऐसा कहिये आप। उसके आरोप सिद्ध हो गये फिर सस्पैंड क्यों नहीं कर रहे हो ?

श्री अचलाराम मेघवाल : सिद्ध होने की अवस्था में ही तो करूंगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, नहीं, सिद्ध कैसे नहीं हुआ ? (व्यवधान)

श्री अचलाराम मेघवाल : मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरे को आप यह बता दें कि उसने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराज जायं आप। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री महावीर भगोरा : माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य....(व्यवधान)... क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एक हरिजन आदमी को दबाया जा रहा है और इधर मंत्री महोदय को दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मंत्री महोदय, आपने घोषणा कर दी। सदन में घोषणा कर दी आपने, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य की बात साफ नहीं आ पा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, थोड़ा सा शांति से एक-एक माननीय सदस्य कहें तो पता भी लगेगा कि आप क्या कह रहे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो कहा है वह हो-हल्ले में सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जांच पूर्ण हो गयी तो मैं उसको सस्पैंड कर दूंगा और अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो मैं वापस इन तथ्यों को आपकी जानकारी में लाने को तैयार हूं।

श्री किशन मोटवानी : मंत्रीजी को दबाया क्यों जा रहा है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इनकी तनख्वाह में से कटौती की जा रही है। न्यायालय के फैसले से उसकी कटौती की जा रही है लेकिन उसके बाद भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। श्री जोगेश्वरजी, क्या पूछना चाह रहे हैं ? आप जल्दी पूछिये जो आपको पूछना है।

(106)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : समझ में नहीं आ रहा है कि आप और क्या जांच करेंगे उसकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्षजी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वरजी को अपनी बात कहने दें। फिर व्यवस्था का प्रश्न आ जाएगा। बैठिये आप।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, व्यवस्था का प्रश्न पहले आएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाइये आप।

श्री किशन मोटवानी : मैं यह कहना चाहता हूं कि ख्वाहमख्वाह मंत्रीजी को क्यों दबाया जा रहा है? यह ऐसा कब तक चलेगा? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : और आप माननीय सदस्यों को दबा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय श्री जोगेश्वरजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, उस कर्मचारी को मैं जानता हूं क्योंकि विभाग से मैं सम्बन्धित रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट सुनिये। श्री जोगेश्वर जी को बोलने दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : जब भी कभी उस व्यक्ति का ट्रांसफर किया गया है, तीन बार ट्रांसफर हुआ उसका पिछले 14–15 सालों में, हर बार वह स्टे ले आता है कोर्ट से और फिर किसी न किसी तरीके से मैनेज करके वह अपना ट्रांसफर या तो कैंसिल करवाता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बोलने दीजिए। बोलने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने क्या किया?

श्री जोगेश्वर गर्ग : वह आदमी न केवल अपने चिकित्सकों को बल्कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, बहुत गम्भीर बात हो रही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जिला अधिकारी, उप निदेशक को ब्लैकमेल करता है, दबाकर रखता है, उन पर हावी होता है। जिला कार्यालय में वही होता है जो सत्यनारायण शर्मा चाहता है। ऐसी उसने स्थिति बना रखी है वहां पर और यहां तक कि डायरेक्टोरेट में भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : और सैक्रेटेरियट में भी उप सचिव और सचिव के पी. ए. लोगों से उसने सैटिंग कर रखी है इसलिये उसके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही होती नहीं है। उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही तभी सम्भव है जब उसको सस्पैंड किया जाए। इसके अलावा उसके खिलाफ जांच का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप भी मंत्री रहे हैं, आपने सस्पैंड क्यों नहीं किया उसे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री चुन्नीलालजी, आप बिराजिये । श्री शिवकिशोरजी, बोलिये आप ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय मंत्री महोदय ने जो डाकूमेंट पढ़ा है....

श्री अध्यक्ष : मुझे बहुत बिजनेस लेना है, कृपया शीघ्रता करें आप । (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकारी 5000/– रुपये लेने के बाद में भी उस आदमी ने हिसाब नहीं दिया । मैं आपसे यह भी निवेदन कर रहा हूं कि उस आदमी ने टी.ए. और डी.ए. उठाया । उस आदमी को वहां से रिलीव किया गया । मेरे पास हाजरी की फोटो-स्टेट कापी है जिसमें लिखा हुआ है कि उसे कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी विभाग उसे बचा रहा है । अतिरिक्त निदेशक का मेरे पास पत्र है, जो उन्होंने मुझे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये । माननीय सदस्य, बीच में न बोलें आप ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस आदमी को सस्पैंड करके टर्मिनेट करें । इतने जघन्य अपराध उस आदमी ने किये हैं और आपने जैसा कहा कि उसकी शिकायत नहीं है, उसकी शिकायतों के ढेर के लिए आप फाइलें देखें । उसकी पूरी फाइलें आप उठा करके देखें । किस-किसने उसकी शिकायत नहीं की है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं । आप स्वयं इसको महसूस कर रहे हैं । आपके अतिरिक्त निदेशक इन बातों को महसूस कर रहे हैं । आपका जिला आयुर्वेद अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहा है, अतिरिक्त निदेशक कर रहा है । उसके बावजूद भी आप उस आदमी को सस्पैंड नहीं करके उसको बचाना....(व्यवधान) यह सारा डिपार्टमेंट....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इतनी सारी बात होने के बाद भी अब कौन बचा रहा है उसको ?....(व्यवधान)

श्री अचलाराम मेघवाल : नहीं बचाया जाएगा । किसी को नहीं बचाया जाएगा । गत विधान सभा में भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्हें बोलने दीजिये । माननीय सदस्य, मंत्री जी की पूरी बात सुनें ।

श्री अचलाराम मेघवाल : गत विधान सभा में भी इस तरह के मामले आये थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये । श्री, परसादीलाल जी, बोलने दीजिए आप ।

श्री अचलाराम मेघवाल : और किसी को नहीं बचाया गया । अब भी यह मामला आया है तो उसको बचाया नहीं जाएगा लेकिन उसकी जांच की फाइल तो देख लूं मैं । फाइल को देखने के बाद ही मैं....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह जांच 5-5 साल से आप कर रहे हैं। आपने अपने डाकूमेंट में कहा....(व्यवधान) यह जांच हो रही है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दीजिए। मंत्रीजी को अपनी बात कहने दें आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप, आप काहे की जांच करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। उसका जवाब दे दें आप। (व्यवधान)

श्री अचलाराम मेघवाल : मैं फाइल देखने के बाद कठोर से कठोर कार्यवाही जो भी नियमानुसार करनी होगी वह करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, फाइल के टायर लग जायेंगे वह हाथ में नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, फाइल के टायर लग गये, वह मिलने वाली नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वरजी, आप बोलिये। जल्दी कीजिए आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर जी एक ही प्रश्न पूछेंगे आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : हां, एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बोले बीच में।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर ने सत्यनारायण शर्मा की गतिविधियों को कण्ट्रोल करने की कोशिश की पिछले साल, दोनों में विवाद हुआ। दोनों में विवाद होने के बाद में निर्णय हुआ डायरेक्टर से, सैक्रेटरी और मिनिस्टर लेवल से। उस जिला अधिकारी को ट्रांसफर करके जोधपुर भेज दिया गया। उस सत्यनारायण शर्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे सिद्ध होता है कि उसको बचाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व माननीय मंत्रीजी को ज्यादा ज्ञान होगा, मुझे ध्यान में नहीं है। वहां के जिला अधिकारी को वहां से ट्रांसफर करने का दूसरा कारण था। माननीय श्री गुलाबसिंहजी शक्तावत के उत्तर में उन्होंने फाल्स रिपोर्ट दी थी जिसके कारण मैंने ट्रांसफर किया था और यह कोई कारण नहीं था। उनके प्रति कठोर कार्यवाही करने की बात है तो निश्चित रूप से उनकी फाइल को देखकर, अब समझ लो उनकी रिपोर्ट क्या आयी, यह मैंने देखा नहीं है, देखने के बाद ही तय करूंगा क्या किया जा सकेगा। अब आप सदन में यह कहलवाना चाहो कि सस्पैंड किया जाए तो यह फाइल्स आश्वासन मैं नहीं दूंगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का इस प्रकार का रोल समाप्त करने के लिये मंत्री महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री टीकम चन्दजी, अब मैं समाप्त कर रहा हूं । क्या पूछना चाह रहे हैं आप ?

श्री टीकमचन्द कान्त : मंत्री महोदय, इस फाइल को देखकर 24 तारीख को इस सदन में यह बता दें कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है ।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक महीने में ।

श्री अचलाराम मेघवाल : हां, ठीक है, एक महीने की अवधि दे दीजिये, मैं जांच देख कर सारा बता दूंगा । ठीक है, लेकिन एक महीना तो अवश्य लगेगा....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मंत्री महोदय, यह बात आप बतायें कि जिस आदमी ने पांच हजार रुपये एडवान्स लिये । आपने इस बात को स्वीकार किया है और उसके बावजूद भी आप क्या जांच करवायेंगे उस बात की ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जांच करवायेंगे आप उसकी ? जब आप स्वयं कह रहे हैं कि उसने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसने पांच हजार रुपया जब आपसे लिया, उसने जमा नहीं करवाया, आप क्या जांच करवायेंगे इस बात की ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जाली हस्ताक्षर करके मनीआर्डर प्राप्त कर लिया, आप क्या जांच करवायेंगे इस बात की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : आप इसको बिना मतलब ही लम्बा कर रहे हैं ।

श्री कालीचरण सराफ : एक कम्पाउण्डर के खिलाफ ध्यानाकर्षण लगने के बाद मंत्री का यह कहना कि मैंने अभी तक फाइल नहीं देखी तो इतने दिनों क्या कर रहे थे ? अब ध्यानाकर्षण लग गया तब भी ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री राधेश्याम : सरकार ने उत्तर दे दिया है....(व्यवधान)....सरकार ने उत्तर दे दिया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । क्या पूछना चाह रहे हैं, श्री चुन्नीलालजी, आप ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : उप मुख्य मंत्रीजी से कुछ कहलवाइये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो जल्दी पूछिये ना जो पूछना है आपको....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को घंटों तक चलने दें....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय मंत्रीजी, मेरी तरफ जरा ध्यान देंगे ? मैं उनको, मंत्री महोदय....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से कुछ कहलवाइये ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मंत्री महोदय, मेरा पाइंटेड प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप क्यों बोल रहे हैं, आपका प्रश्न नहीं है। किसी का प्रश्न है, आप उनको प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं । मैं समाप्त करूंगा चर्चा। चार घंटे थोड़े ही लगाऊंगा इसमें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आपके विभाग में कोर्ट के आदेश हुए हैं कि उसने गबन किया है और गबन करने के बाद में ... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जो पाइंटेड क्वेश्चन, मंत्री महोदय, आज हुए हैं वे तो पूरा कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उसमें तनख्वाह से पैसे काटे जाने चाहिये थे....

श्री अध्यक्ष : वे कोई बात पूछ रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : क्या यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ ? क्या इस आरोप के तहत आप उसको सस्पैंड नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि कोर्ट के निर्णय के तहत, उस कर्मचारी के विरुद्ध जो निर्णय दिया है क्या उसके अनुसार उसको सस्पैंड नहीं किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।.... (व्यवधान) विधायी कार्य । विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक । राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 लिया जा रहा है । माननीय....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर....

श्री अध्यक्ष : किसमें ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जो हाउसिंग बोर्ड का जो बिल आ रहा है, उसके बारे में ।....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट । (व्यवधान) ....चर्चा समाप्त हुई । (व्यवधान) मुझे बहुत विधायी कार्य लेने हैं, विराजिये आप ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप नियमानुसार बोल दें, जो भी बोलना है । आप बता दें, अपने आप ही ऐसे दौर रहे.... (व्यवधान)....

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सुनें ही नहीं तो मैं क्या करूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ना । आप क्यों बोल रहे हैं बीच-बीच में ? आप बैठिये । माननीय, बार-बार खड़े हो रहे हैं । यह क्या हो रहा है ?

श्री अचलाराम मेघवाल : नहीं बैठूंगा । नहीं, क्यों बैठूंगा मैं ? जवाब देकर बैठूंगा ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : दबाव डालकर कराया जा रहा है उसको ।

श्री अचलाराम मेघवाल : मैं पूरा जवाब दे चुका हूं । यह भी मैं कह चुका हूं कि नियमानुसार कार्यवाही करके उसको निलम्बित कर देंगे । और तो क्या करेंगे हम ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आवासन बोर्ड के बारे में.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जो कहा है, मैं उस पर रूलिंग दे रहा हूं....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मेरा प्रिविलेज मोशन है और फिर उसके बाद में हमारा अमेंडमेंट है । अगर आदरणीय श्री घनश्यामजी को कुछ बोलना है तो जो पहले अमेंडमेंट हैं, वे बोल लें, उसके बाद में वे बोलें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मैं यह नहीं बोल रहा हूं । मेरा पाइंट ऑफ आर्डर बिल पर नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल में कई महत्वपूर्ण बातें, बिलकुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसमें हाउसिंग बोर्ड के बारे में और भी कई बातें हैं जो समाविष्ट होनी चाहिये थी, रिपोर्ट आयी थी उसकी, नहीं हुई है । इसमें कांग्रेस के माननीय सदस्यों की राय भी ली जाकर इस सदन में इसको अगर बाद में पेश किया जाए और आज इस पर चर्चा नहीं की जाए तो यह काम्प्रीहैंसिव, ठीक से हो जाएगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको आज पेश नहीं किया जाए और बाद में इसको....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में इसलिए कह रहे हैं कि इस सरकार की जो टोटल पोल खुल रही है कि उनका कैसा विभाग है, कैसा उनका ड्राफ्टिंग है और कैसी उनकी स्थिति है कि जो यह बिल लेकर आते हैं, न तो मंत्रीजी पढ़ते हैं, न उनको बनाने वालों को पता है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री विष्णु मोदी : न लाने वालों को पता है कि क्या ला रहे हैं और क्या है, क्या नहीं है । इसके पीछे मंशा यह है कि ये बिल में कुछ लिखते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिल को लाकर वे हाउसिंग बोर्ड को समाज कल्याण बोर्ड बनाना चाहते हैं । आप यह देखिये, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवालजी साहब, मैं खड़ा हो गया हूं, आप बिराजिये । मैं बैठा हुआ नहीं हूं ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसको आप....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो खड़ा हो गया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा, आप बिराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: 263 करोड़ रुपया बकाया है । 263 करोड़ रुपये की वसूली का कोई इन्तजाम नहीं है और बिल ले आये और फिर आप बोर्ड बनाना चाहते हैं, एक टेक्निकल आदमी नहीं रखा है आपने इसमें । यह तमाशा कर रहे हैं आप ।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, कोई बात कह रहा हूं, माननीय, बिराजिये आप । आप बहुत सीजन्ड विधायक हैं, आप कृपया बिराजिये । मैं खड़ा हो गया हूं थोड़ा.... (व्यवधान)....

प्रक्रिया के नियम 158 के अन्तर्गत श्री विष्णुजी मोदी ने एक पत्र दिया । राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 आज दिनांक 21 अप्रेल, 1995 को विचारार्थ लिया जा रहा है । इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विषय में.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्यों ले रहे हैं, वह विचारार्थ प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हैं, मूव ही नहीं कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिनिस्टर इन्चार्ज मूव ही नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन किस बात का है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय श्री धनश्यामजी ने जो बात कही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट....

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री घनश्याम जी ने जो... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिमांड पर आप बात शुरू करवाइये । अब डिमांड लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : वह ही तो बोल रहा हूं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय, किस तरह से....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री घनश्यामजी ने जो बात कही है वह बात सही है कि आप इसको अभी स्थगित कर दें । मैं अगली बार इसको पेश कर दूंगा ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस तरह से बिल को सक्युलेट कर देना....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थगित कर दीजिये अब ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और एन वक्त पर श्री घनश्यामजी के साथ कांस्पीरेसी

श्री शांतिकुमार धारीवाल)

करके इसको मूव नहीं करना, यह हमारे वक्त को खराब करने का क्या जायका है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या हो गया इसमें। कोई चर्चा नहीं है। पेश थोड़े ही हो गया कोई।....(व्यवधान)....I don't move it.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आपको मूव नहीं करना था तो पहले यह बिजनस लिस्ट में नहीं आना चाहिये था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार चाहे तो बिल मूव करे और चाहे तो नहीं करे।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल अब हाउस की प्रोपर्टी है और माननीय श्री घनश्यामजी (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : What is wrong in it ? there is nothing wrong.....(interruptions)....We don't want to move.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने क्यों हमारा वक्त जाया किया....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : और किस नियम के अन्तर्गत आप इसको विदड्रा कर लेना.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार मूव नहीं करना चाहती है तो आसन उनको बाध्य नहीं कर सकता, बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपको रूलिंग करनी पड़ेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार को उसके कारण बताने होंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मूव नहीं करना चाहती है तो सरकार को उसके कारण बताने होंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा इस सदन में कभी नहीं हुआ है कि प्रिविलेज इश्यू नहीं लिया गया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय धारीवालजी, आपने कारण स्पष्ट किये हैं कि काफी गड़बड़-सड़बड़ है, करोड़ों का घोटाला है कहीं न कहीं तो वे सारी बातों को देख रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रिविलेज इश्यू को रेज किया है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अध्यक्षजी, गड़बड़ तो समझ में आयी, यह सड़बड़ क्या होती है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था देने जा रहे थे, मैं आपकी व्यवस्था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आवासन मण्डल के कार्य-कलापों के बारे में आपने कहा है, उस बारे में सारे विचार करेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप गलत परम्परा कृपया नहीं डालें । श्री विष्णुजी मोदी ने एक प्रिविलेज इश्यू रेज किया है उस प्रिविलेज इश्यू के ऊपर आप अपनी रूलिंग देने वाले थे....(व्यवधान) उस रूलिंग को आपने क्यों रोक लिया । वह रूलिंग हाउस की प्रोपर्टी है । अध्यक्ष महोदय, आपको वह रूलिंग देनी पड़ेगी गलत परम्परा इस प्रकार से मत डालिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विधेयक मूव ही नहीं हो रहा है तो उस पर कोई बात नहीं आएगी ।....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : वह अलग बात है । That is a different thing. वह अलग बात है लेकिन विष्णु मोदीजी ने जो प्रिविलेज रेज किया है, उसके ऊपर रूलिंग तो आनी चाहिए....(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रूलिंग आपको देनी पड़ेगी । आपकी रूलिंग तो दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । मंत्रीजी की बात सुनिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप कृपया अपनी रूलिंग दीजिये । श्री विष्णु जी मोदी ने जो पाइंट उठाया है, वह हाउस की प्रोपर्टी है । ऐसा कभी नहीं हुआ है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले मंत्रीजी की बात सुन लीजिये ।

श्री विष्णु मोदी : मेरे प्रिविलेज मोशन पर आपने अपनी रूलिंग पढ़ना शुरू कर दी तो अब आप मुझे वह रूलिंग दे दें और बिल मूव करते हैं या नहीं करते हैं वह दूसरी बात है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप हमें यह बताइये कि किस नियम के अन्तर्गत आपने रूलिंग पढ़ना शुरू करके उसको रोक लिया ?

श्री अध्यक्ष : मैंने रूलिंग नहीं पढ़ी, पहले सुन लीजिये आप ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप यह बताइये कि आप परम्पराओं से गाइड होते हैं, आपको यह बताना पड़ेगा कि श्री विष्णुजी मोदी ने कौन-कौन से बिन्दुओं को उठाया था और उन मुद्दों पर आप क्यों नहीं कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको दे रहा हूं, एक मिनट सुनिये आप, विराजिये ।

श्री विष्णु मोदी : आप मेरे प्रिविलेज मोशन पर रूलिंग दे दीजिये। वे मूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं यह उनका डिस्क्रिशन है लेकिन आप मेरे प्रिविलेज मोशन पर क्या... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने रूलिंग नहीं पढ़ना शुरू किया, आपने पत्र दिया था उसको पढ़ना प्रारम्भ किया और सरकार ने कहा है कि हम इसको मूव ही नहीं कर रहे हैं, मामला खतम। Now the matter ends.

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने रूल 158 का हवाला दिया है। रूल 158 का हवाला दिया है और श्री विष्णु मोदी का नाम लिया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनके पत्र का हवाला दिया और उनका पत्र पढ़ रहा था मैं.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने रूल 158 का हवाला दिया है, प्रिविलेज इश्यू का.... (व्यवधान)....158 के अन्तर्गत आपको श्री विष्णु मोदीजी का। अब यह हाउस की प्रोपर्टी है। यह बताइये कि किस नियम के अन्तर्गत आपने इस प्रिविलेज इश्यू को प्रारम्भ करके और उसके बाद में रोक दिया।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने 158 में चिट्ठी लिखी है, उसको मैं पढ़ रहा था। 158 में उनका नोटिस है, उसको पढ़ रहा था मैं। मैं उस पर कहने वाला था लेकिन आपने कहा कि मैं इसको विदड्रा करता हूं, बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : आवामन बोर्ड के सम्बन्ध में ऐसे कौनसे बिन्दु उठाये गये हैं, जिनको आप छिपाना चाहते हैं, सरकार छिपाना चाहती है, हम ये जानना चाहेंगे.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : Hon'ble Speaker, Sir, with your consent, I will just speak on my privilege motion.... (interruptions)....I will speak for two minutes. कि मैंने क्या प्रिविलेज मोशन लगाया है।....(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं बता रहा हू, आप सुनिये इसमें। आप एक मिनट सुन लीजिये।.. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने उसको टेक-अप कर लिया उसका मतलब आप उसको अलाउ कर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पेश हुआ उसके बाद माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं और यह भी दिया है कि इसको विचार के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाए। ऐसे कई माननीय सदस्यों के सुझाव हैं इसमें। हमेशा यह रहा है कि जब कभी ऐसे बिल आते हैं तो यदि वे....(व्यवधान) अब यह नो यूज। यह तो कोई तरीका नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, माननीय सदस्य। मैंने कल भी आपको टोका कि एक साथ पांच-सात माननीय-सदस्य खड़े होकर बोलना चालू करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदा होता रहा है कि अगर कोई कानून बनता है, कल भी आप कह रहे थे बहुत जल्दी नहीं करना चाहिये, यदि हम प्रतिपक्ष की राय लेकर इसको पेश करना चाहते हैं। You should welcome it. क्या हो गया इसमें ?

श्री विष्णु मोदी : उसमें एतराज नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या बुरी बात है इसमें ? जबरदस्ती + + +, मैं नहीं पेश कर रहा अभी इस बिल को।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, वह बिल पेश नहीं कर रहे हैं वह बात दूसरी है लेकिन चूंकि बिल सक्यूंलेट हो चुका है और उस बिल पर मैंने मंत्रीजी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है और वह इसलिए दिया है इंटेन्शनली, नोइंगली और डेलिबरेटली, उन्होंने इस हाउस को मिस-लीड करने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इस पर चर्चा नहीं हो सकती, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अब कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : जो मैटर ही नहीं है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। बिराजिये आप। मैटर एण्ड्स। कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है आप तो समझते हैं.... बिराजो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या–42 उद्योग।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-42, उद्योग एवं मांग संख्या-48 विद्युत की प्रस्तुति

श्री हरि शंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,87,68,000 (एक अरब सत्ताइस करोड़ सत्तासी लाख अड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : यह उद्योग की हो गयी। दोनों साथ ही चलेंगे, माननीय सदस्य, इसलिए मांग संख्या-48।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,57,72,19,000 (रुपये पांच अरब सत्तावन करोड़ बहत्तर लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए :—

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(1) सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला मंडी के पास औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

(2) राजस्थान में औद्योगिक प्रगति की रफ्तार धीमी होने तथा नये उद्योगों के नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

(3) उद्यमियों को नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु भू-आवंटन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(4) राजस्थान वित्त निगम, रीको, एस. एस. आई. एवं जिला उद्योग केन्द्रों के विलय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(5) जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(6) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(7) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में खनिज के प्रचुर मात्रा में भण्डार, माचा मोलन, चीनोड़ा कड़ाई माल होते हुए भी उद्योग खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

(8) पाली में खसरा नं. 537/1 चक नं. 2 पाली कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन कर नवकार सीमेन्ट (प्रा. लि.) को चालू कराने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

(9) बूंदी में सीमेन्ट उद्योग एवं कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

(10) सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री को चालू कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी)

(11) रामगंज मंडी क्षेत्र में कुटीर उधोगों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(118)

(श्री रामकिशन वर्मा)

(12) ग्रीन बैल्ट के लिए आरक्षित भूमि पर उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को भूमि आवंटन कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

(13) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(14) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर के स्तर को उठाने हेतु सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

(15) जनजाति क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष रियायत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(16) जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में उद्योग स्थापित करवाने की नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

(17) डूंगरपुर जिले में उद्योग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(18) डूंगरपुर जिले में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना कर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(19) गरीब आदिवासियों को ज्यादा रोजगार दिलाने हेतु डूंगरपुर जिले में रोजगारोन्मुखी उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) एवं **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) :

(20) राजस्थान की बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए समुचित उपाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(21) राजस्थान में ब्यावर एवं पाली शहर में औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण निवारक संयंत्र नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)

(22) राजसमन्द के भीम/देवगढ़ तहसीलों में रीको का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

(23) उद्योगों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाकर क्षेत्रीय लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(24) पाली शहर में औद्योगिक इकाइयां जो वर्षों से सुमेरपुर रोड़ पर कार्यरत हैं। उनको नियमित किये जाने में राज्य सरकार द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

(25) लवण क्षेत्र कुचामन जिला नागौर में बिना प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये भूखण्ड आवटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(26) नमक क्षेत्र के भूखण्डों के नाप परिवर्तन के मामले लम्बे समय से विचाराधीन पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(27) लवण क्षेत्र अलाटमेंट रूल्स जो नये सिरे से बनाये जा रहे थे, को फाइनल नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिये ।

(28) लवण क्षेत्र कुचामन जिला नागौर में आदर्श लवण कार्य की योजना को क्रियान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(29) राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये खादी पर्यवेक्षकों को अत्यधिक लम्बे समय तक वापस नहीं बुलाने से दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

(30) किशनगढ़ (अजमेर) में नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर)

(31) ग्रेनाइट औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित समस्याओं के उचित समाधान पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

(32) जिला सवाई माधोपुर में नये उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(33) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाने हेतु अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(34) राजस्थान में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)

(35) औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(36) दौसा में औद्योगिकरण न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)

(37) बीमार उद्योगों को फिर प्रारम्भ करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(38) राज्य में इन्फास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(120)

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(39) पाली विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाके के पारम्परिक उद्योगों के विकास के लिये रोहट में औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(40) प्रदूषण फैलाने एवं पर्यावरण को दूषित करने वाले उद्योगों को राज्य में आने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा)

(41) आर. एफ. सी. द्वारा लोन के वितरण में धांधली करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(42) तहसील मुख्यालय पचपदरा के पास रीको द्वारा भूमि अवाप्त कर औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(43) बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में गन्दे व रंगीन पानी से नाले भरे हुए होने से उत्पन्न समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

(44) राज्य में रूग्ण उद्योगों को औद्योगिक व आर्थिक रूप से स्वस्थ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(45) राज्य में प्राइवेट इन्डस्ट्रियल पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(46) राज्य में प्रवासी भारतीयों द्वारा राज्य में पूंजी निवेशन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(47) उद्योग लगाने में बेरोजगार युवकों विशेषकर इंजीनियर व अन्य टेक्नोक्रेट्स को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(48) कृषि उत्पादन पर आधारित (फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स) उद्योगों को प्रोत्साहन व अन्य सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

(49) सवाई माधोपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(50) एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर जो कि बन्द पड़ी है उसे पुनः प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(51) ऑटोमेटिक प्लांट्स के कारण गंगापुर सिटी की तेल मिलों व चावल मिलों के लिए उत्पन्न भारी संकट को दूर करने हेतु उनको संरक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर)

(52) श्री गंगानगर शहर की उद्योग विहार योजना में संचालित उद्योगों को

(श्री राधेश्याम)

विभिन्न सुविधाएं देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(53) ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को पनपाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(54) बुनकर सहकारी समितियों को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(55) हथकरघा उद्योग और ग्रामीण दस्तकारों के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए संचालित सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त होने से दस्तकारों और कामगारों को मदद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

(56) बूंदी जिले के केशवरायपाटन स्थित रूग्ण उद्योग को संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(57) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं अनुसूचित जाति के लोगों को बिना ब्याज ऋण सुलभ कराकर कुटीर उद्योग लगाने व बेरोजगारों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(58) ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग लगाये जाने की प्रक्रिया में सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(59) बूंदी जिले में सीमेन्ट एवं शक्कर के नये उद्योग लगाये जाकर सहयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(60) प्रदेश के सभी निजी एवं सरकारी उद्योगों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को लगये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)

(61) अजमेर जिले को पिछड़ा जिला नहीं घोषित करने से अजमेर जिले में नये उद्योग स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

(62) धौलपुर के ग्रोथ सेन्टर के लिए ग्राम मसूदपुर में खसरा नं. 85 की एक बीघा 18 बिस्वा जमीन के मालिक को मुआवजा नहीं दिए जाने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(63) औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न प्रदूषण से उत्पन्न गम्भीर स्थिति व प्रदूषण निवारण यंत्रों को उद्योगपतियों द्वारा लगवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

(64) राज्य सरकार की वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से स्थापित उद्योगों के बड़ी संख्या में बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(65) नसीराबाद के आस-पास सिरेमिक उद्योगों हेतु साधारण सुविधा केन्द्र खुर्जा की

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

शांति स्थापित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(66) नसीराबाद के निकट बैवन्जा में लघु उद्योग क्षेत्र हेतु भूमि का आरक्षण करने के बावजूद आधारभूत ढांचा स्थापित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(67) अजमेर के पास ग्राम माखुपुरा की उपजाऊ भूमि, जो ग्रीन बेल्ट में है, को विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु अनुचित अधिग्रहण करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

(68) रिकेन आयल मिल बून्दी के कब्जे में स्थित भूमि वास्तविक नाप में बताये गये नाप से ज्यादा होने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(69) रिकेन आयल मिल बून्दी द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि नियम विरुद्ध लेने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(70) मानसिंगका आयल मिल, गोविन्दपुर बावड़ी (बून्दी) द्वारा गलत तरीके से आवंटित करवाई गई भूमि की जाच नहीं होने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(71) बून्दी जिले में स्थापित उद्योगों द्वारा मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिये जाने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(72) बूंदी जिले में गलत तरीके से ग्रीन बेल्ट की भूमि को उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

(73) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में सरकार द्वारा कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(74) जिला उदयपुर के आदिवासी लोगों को उद्योगों में उचित रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 48 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 48 मुख्य शीर्षक विद्युत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(1) आर. एस. एम. एम. से खनन कार्य एवं लिग्नाइट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा बरसिंहसर में ताप बिजली घर स्थापना में पहल करने के बावजूद अपेक्षित कार्य नहीं होने पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(2) राज्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, शहरी कचरा एवं गोबर पर आधारित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भीमसेन चौधरी)

(3) रेगिस्तानी क्षेत्रों के काश्तकारों के लिये 10 खम्भा विद्युत कनेक्शनों में अनुदान पूर्ववत जारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

(4) मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में नये राजस्व गांव घोषित हुए हैं उन्हें विद्युत कनेक्शन तथा गांवों को कृषि कनेक्शन नहीं मिलने पर भी विद्युत मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(5) बिसाऊ कस्बे में सहायक अभियंता का कार्यालय नहीं खोलने पर भी विद्युत मण्डल को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

(6) खानपुर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों की विद्युत लाइन चोरी चले जाने के कारण उत्पन्न विद्युत अव्यवस्था की स्थिति में भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(7) खानपुर में विद्युत अव्यवस्था के निराकरण हेतु 133 के. वी. लाइन से नहीं जोड़ने पर भी विद्युत मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की अनियमित आपूर्ति से कृषि हेतु काश्तकार को हो रहे नुकसान पर भी विद्युत मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(9) बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र में 33 के. वी. सब स्टेशन ग्रिड डूगरा छोटा व सज्जनगढ़, छोटी सरवा में लगाने में असफल रहने पर भी मण्डल को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(10) कृषकों को कुशलगढ़ क्षेत्र में कृषि कनेक्शन समय पर नहीं देने के उपरान्त भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(11) बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र के रणजी, अंगायचा कब्बों की छायण के ग्रामों में विद्युत कनेक्शन देने में असफलता के उपरान्त भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(12) विद्युत मण्डल द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सानसेरा बड़ी, सानसेरा छोटी, गुन्दी बड़ी, बोरकुन्ड़ा चोरा छोटा मुढठा, चनावला में विद्युतीकरण करने में असफल रहने पर भी उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

(13) जैतारण 132 के. वी., जी. एस. एस. स्टेशन पर 12.15 एम. वी. ए. का ट्रान्सफारमर नहीं लगाने पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(24)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

(14) बून्दी जिले में विद्युत आपूर्ति में बार-बार कटौती होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

(15) सवाई माधोपुर जिले में विद्युत की व्यवस्था ठीक करने हेतु 132 के. वी. के ट्रान्सफार्मर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी)

(16) कोटा तापीय विद्युत परियोजना की ईकाइयों में बार-बार आने वाली खराबियों से उत्पन्न समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(17) रामगंज मण्डी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की कमी को पूरी करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(18) किसानों को समय पर पूरी बिजली नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सुरजगढ़)

(19) सुरजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत कनेक्शन दिये जाने में हो रही धांधली पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

(20) तहसील रामगढ़ (अलवर) के ग्राम साहूडोली में 33 के. वी., जी. एस. एस. बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) के ग्रामों के लोगों द्वारा मांग राशि जमा कराने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने पर भी मण्डल को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(22) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

(23) जन जाति समुदाय के काश्तकारों के कुओं पर फ्री कनेक्शन दिये जाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(24) जन जाति समुदाय के व्यक्तियों को उनके घरों में फ्री विद्युत कनेक्शन दिये जाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(25) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में शेष रहे 60 गांवों का विद्युतीकरण नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

(26) डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विद्युतीकरण नहीं होने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) एवं
श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

(27) प्रदेश में विद्युत की बिगड़ती व्यवस्था का सुधार न होने व ऊर्जा के कम उत्पादन पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(28) राजसमन्द जिले की भीम तहसील में 132 के. वी. का सब-स्टेशन नहीं लगाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(29) राजसमन्द जिले के भीम तहसील मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

(30) ग्राम बाबूलिया तहसील लाडनू में स्थापित सोलह सौ ट्रांसफार्नर के स्थान पर बड़ा पावर ट्रांसफार्मर लगाने में मण्डल की असफलता पर भी राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(31) कृषि कनेक्शनों पर काश्तकारों के लगातार मीटर के आधार पर बिल चुकाने के बाद भी झुंझुनूं जिले में आडिट के नाम पर कई-कई हजार के बकाया के बिल जारी करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(32) झुंझुनूं जिले में काश्तकारों के कुओं पर लगे मीटर को हटाकर जबरन फ्लेट रेट लागू किये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

(33) बेगूं पंचायत समिति के शेष गांवों का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी कोई योजना न बनाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(34) जिन किसानों की कृषि कनेक्शन हेतु फाइलें सन् 1988 से पेंडिग है उन्हें कनेक्शन बिना पोल कॉस्ट शर्त के दिलाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(35) घरेलू कनेक्शन में एल फार्म समाप्त किये जाने एवं मीटर कॉस्ट आवश्यक न कर गरीब ग्रामीणों को बिजली का प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(36) जिन कृषि कनेक्शन की फाइलें ट्रांसफार्मर के अभाव एव वोल्टेज रेग्यूलेशन की कमी से अस्थाई रूप से रद्द की गई हैं उन्हें बिना पोल कॉस्ट और प्रति एच. पी. कॉस्ट की शर्त के कृषि कनेक्शन दिलाए जाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

(37) पंचायत समिति लालसोट के ग्राम लालपुरा का 1974 में विद्युतीकरण

(126)

(श्री परसादी लाल मीणा)

करने के बाद भी किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(38) पंचायत समिति लालसोट में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(39) पंचायत समिति लालसोट में किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड नोट जमा कराने के दो तीन वर्ष बाद भी मण्डल द्वारा कनेक्शन नहीं दिये जाने पर भी सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(40) पंचायत समिति लालसोट के गांवों के विद्युतीकरण में शिथिलता एवं भेदभाव बरतने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(41) गांवों का विद्युतीकरण करने के बाद भी किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं देने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)

(42) नये गांवों को विद्युत कनेक्शन देने सम्बन्धी योजनाएं बनाने से पहिले वर्ष 1994–95 तक विद्युतीकृत घोषित ग्रामों को विद्युत कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग)

(43) डग क्षेत्र में योजनाबद्ध विद्युतीकरण नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं)

(44) ग्राम निम्बी जोधा तहसील लाडनूं में तैंतीस के. वी. का सब स्टेशन नहीं लगाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(45) तहसील लाडनूं जिला नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज की कमी के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(46) गत वर्षों में विद्युतीकृत करने के प्रोग्राम में सम्मिलित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(47) ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई में भेदभाव बरतने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(48) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्तमान स्वरूप को बदलकर विद्युत उत्पादन विस्तार तथा वितरण के लिए अलग-अलग एजेन्सीज कायम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

(49) झुंझुनूं जिले के बड़ा गांव को सहायक अभियन्ता, राजस्थान विद्युत मण्डल, झुंझुनूं के अधिकार क्षेत्र से हटाकर सुलताना सहायक अभियंता के कार्य क्षेत्र में लगाने की कष्टदायक स्थिति उत्पन्न करने के बाद भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(50) झुंझुनूं जिले के काश्तकारों से अपने कुंओं पर लगे बिजली के मीटरों को जबरन हटवाकर फ्लेट रेट कायम किये जाने की नियम विरुद्ध कार्यवाही पर भी मण्डल को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री मगराज चौधरी (आहोर)

(51) काश्तकारों द्वारा काश्त से सम्बन्धित कार्यों के निर्माण हेतु पक्की ईंटों का कजावा निकालने में विद्युत उपभोग सम्बन्धी कठिनाई का निवारण करने में मण्डल की असफलता के बाद भी उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार)

(52) निर्वाचन क्षेत्र खण्डार में वर्षों से पड़े विद्युतीकृत गांवों को बिजली दिलाने तथा नये गांव विद्युतीकृत किए जाने में मण्डल की असफलता पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(53) पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(54) राजस्थान के किसानों को दिन में आठ घण्टा बिजली नहीं दिये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(55) राजस्थान में अनुसूचित जाति की बस्तियों का सरकारी व्यय पर विद्युतीकरण किये जाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(56) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में जिन व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शनों के डिमान्ड नोटिस भर दिये गये उन्हें एक माह में कनेक्शन दिये जाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(57) जीनगला रेवेन्यू ग्राम नहीं है किन्तु 250 से अधिक आबादी के ग्राम हैं उनको विद्युतीकृत घोषित कर उस नगला तक मण्डल के व्यय पर लाइन खींच कर वहां ट्रांसफार्मर लगवाये जाने में असफल रहने पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री मगराज चौधरी (आहोर)

(58) जालोर जिले की पंचायत समिति जालोर के ग्राम हड़मतगढ़ एवं आहोर पंचायत समिति के ग्राम रातानाड़ा को विद्युतीकृत नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(128)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)

(59) ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बिजली की व्यवस्था होने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(60) ग्राम सुरिया तहसील निवाई में अभी तक भी.जी. एस. एस. 11 के. वी. के निर्माण नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(61) निवाई क्षेत्र के अनेक गांवों में विद्युत प्रदाय नहीं किये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)

(62) अधिशासी अभियन्ता कार्यालय को अन्यन्त्र ले जाने से जनता के लिए उत्पन्न कठिनाई पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(63) ग्रामीण किसानों को पर्याप्त बिजली न मिलने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)

(64) राज्य में विद्युत समस्या हल करने के लिए नये प्रोजेक्ट लगाकर विद्युत उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(65) लिग्नाइट पर आधारित प्रोजेक्ट ग्लोबल टेन्डर्स आमंत्रित कराने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(66) चित्तौड़गढ़ में तथा धौलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

(67) सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को तयशुदा न्यूनतम समय तक विद्युत उपलब्ध करवाने की सीमा तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(68) राज्य में औद्योगिक इकाइयों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर सील करने एवं सील तोड़-फोड़ की स्थिति में सख्त कानूनी कार्यवाही कर विद्युत चोरी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(69) पाली जिले में 220 के. वी. ग्रिड अतिरिक्त सब स्टेशन की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

(70) आसोतरा में जी. एस. एस. का निर्माण शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(71) ग्राम गोल सोढ़ा व चांदेसरा ग्रामों का विद्युतीकरण करने में विभागीय शिथिलत पर चर्चा के लिये।

(72) ग्राम घड़ी, सीकावाड़ा, गंगावास, बबलाई तथा नाडी आदि अनुसूचित जातियों

(श्री अमरा राम चौधरी)

की बस्ती की विद्युतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

(73) नेशनल केपीटल रीजन (जो राजस्थान का हिस्सा है) में केन्द्र द्वारा राजस्थान को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(74) बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये ।

(75) कृषि क्षेत्र में उद्योगों की भांति जनरेटिंग सेट्स पर रियायतों पर चर्चा के लिये ।

(76) राज्य के कृषि क्षेत्र में पूरी बिजली दिये बिना ही की जा रही वसूली पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(77) ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं में व्यापक फर्क को कम करने व उनको एक स्तर पर लाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

(78) ग्राम पादरू का जी. एस. एस. एक साल से अधिक समय से स्वीकृत होते हुए भी उसको अब तक न लगाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला (बैराठ)

(79) एक पोल के विद्युत कनेक्शन में होने वाले अत्यधिक विलम्ब एवं व्यय तथा विद्युत व्यवस्था का संधारण उचित रूप से नहीं करने पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

(80) गंगापुर सिटी का 132 के. वी. के फीडर की क्षमता नहीं बढ़ाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(81) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र का कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी मण्डल द्वारा समुचित विद्युत उपलब्ध न कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(82) सवाई माधोपुर जिले में विद्युत उत्पादन हेतु 87 मेगावाट का चम्बल नदी राहु घाट की योजना जो कि 1987 में प्रस्तावित थी कि स्वीकृति लेकर कार्य प्रारम्भ न करवाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(83) सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की स्थापना में हो रहे विलम्ब पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(84) प्रदेश में हाइटेंशन लाइन मकानों के ऊपर खींची होने के कारण उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन का खतरा

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

उत्पन्न होने के कारण सरकार द्वारा उन्हें हटाने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(85) प्रदेश में बिजली प्रदाय करने में प्रदाय अत्यधिक व्यवधान के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(86) राजस्थान नहर पर लघुपन बिजली घर निर्मित करने के पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने के बावजूद लघुपनबिजली घर स्थापित नहीं किये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन)

(87) केशवरायपाटन क्षेत्र के कापरेन नगर में स्थापित हो रहे 33 के. वी. सब स्टेशन की स्वीकृति होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू न होने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(88) केशवरायपाटन क्षेत्र के विद्युतीकृत गांवों में लम्बे समय से विद्युत सुविधा उपलब्ध न होने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(89) केशवराय पाटन क्षेत्र के जैथल गांव में 33 के. वी. सबस्टेशन स्थापित करने हेतु जो पूर्व में प्रस्तावित है तो इसी वर्ष 95-96 में वित्तीय स्वीकृति दिलाई जाने में राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(90) केशवरायपाटन क्षेत्र के सहायक अभियन्ताओं के अधीनस्थ स्टाफ में भारी कमी होने के बाद भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(91) केशवराय पाटन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जो विद्युत सुविधा से वंचित हैं, को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत सुविधा देने में राज्य सरकार द्वारा पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)

(92) अजमेर नगर खास कर पुराने मोहल्लों खादिम मोहल्ला, इन्द्र कोटलाखन कोटदा, दरगाह बाजार, नला बाजार की अत्यन्त पुरानी तथा क्षतिग्रस्त बिजली की लाइनों को नहीं बदलने पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)

(93) छोटी सादड़ी 6.5 के. वी. का नया ट्रांसफार्मर लगा कर नये विद्युतीकृत गांवों को कनेक्शन देने में मण्डल की विफलता पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(94) विद्युत मण्डल द्वारा किसानों को फसल के समय आठ घण्टे बिजली की आपूर्ति

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

न करने पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(95) निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद के रेवेन्यू गांव गोला व झड़वासा के मजरों यथा खेड़ा पृथ्वीराज, अमृतपुरा, गीगलपुरा, तितरड़ी एवं रसूलपुरा, मिजानपुरा को विद्युतीकरण का लाभ नहीं मिलने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर।

(96) रामसर (जिला अजमेर) गांव में गोटा-किनारी के लघु व घरेलू उद्योग हेतु बिजली अनवरत दिलाने में सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(97) नसीराबाद क्षेत्र के सिराधना ग्रीड स्टेशन से फीड गांवों को ब्यावर के बजाय अजमेर से विद्युत आपूर्ति करने बाबत कृषकों की मांग स्वीकृत न करने से बिजली की अत्यधिक कम सप्लाई से फसलों को हो रहे नुकसान पर भी मण्डल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(98) नसीराबाद स्थित सहायक अभियन्ता को तार, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों की कम आपूर्ति से मरम्मत एवं कार्यों में हो रहे विलम्ब पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

(99) नैनवां उप खण्ड में विद्युत मण्डल द्वारा सामान उपलब्ध करवाने में मण्डल की असफलता पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(100) ग्राम कुम्हारिया, गांव बन्धली, खासीपुरा तहसील नैनवां में डिमाण्ड राशि जमा कराने के पश्चात् भी विद्युत सम्बन्ध उपलब्ध कराने में मण्डल की विफलता पर भी उसे दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(101) नैनवां तहसील में डिमांड राशि जमा करवाने के बावजूद विद्युत सम्बन्ध समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर भी मण्डल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(102) सम्बल योजना में चयनित ग्राम मोतीपुरा (पंचायत माटून्दा) जिला बूंदी को विद्युतीकृत करने में बरती जा रही ढिलाई पर भी मण्डल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(103) कैथूदा तहसील नैनवां में बैरवा परिवार के व्यक्ति के पक्ष में जारी 39150/– के डिमाण्ड राशि को दुरुस्ती किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

(104) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया एवं वल्लभनगर, जिला उदयपुर के नवीन गांवों को विद्युतीकरण में सम्मिलित नहीं किये जाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(105) जिला उदयपुर के गांवों को विद्युतीकृत नहीं किए जाने पर भी मण्डल

(श्री कुबेर सिंह)

को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(106) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के ग्राम फलासिया में 132 के.वी. सब स्टेशन स्थापित नहीं किए जाने पर भी मण्डल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

(107) राज्य में विद्युत सप्लाई की दिन प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति पर भी मंडल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

(108) निर्वाचन क्षेत्र इटावा के गांव खातौली में 33 के.वी. की ग्रिड सब स्टेशन स्थापित न करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)

(109) सिवाना में 132 के.वी. सब स्टेशन की स्थापना करने में मण्डल की असफलता पर भी उसे दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्र बुड़ानिय (सरदारशहर)

(110) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ता संख्या की अधिकता को देखते हुए वहां अधिशासी अभियन्ता कार्यालय न खोलने से उत्पन्न कठिनाई पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(111) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के गत वर्ष जो गांव योजनानुसार विद्युतीकृत होने वाले थे उन्हें अभी तक भी विद्युतीकृत न करने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(112) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों को सहायक अभियन्ता के कार्य क्षेत्र से निकाल कर सहायक अभियन्ता, रतनगढ़ के अधीन कर जनता को राहत नहीं पहुंचाने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(113) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में 132 के.वी., ग्रिड सब स्टेशन स्थापित न करने पर भी मण्डल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(114) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कृषि कुओं हेतु कनेक्शन नहीं देने पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

(115) धौलपुर जिले में विभाग द्वारा सब स्टेशन नहीं खोलने से जनता को हो रही असुविधा पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(116) धौलपुर जिले में जनता द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करने के बावजूद

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

महीनों बाद भी बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाने पर भी मण्डल को दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(117) धौलपुर जिले को जो मध्य प्रदेश से बिजली मिलती थी वह अब रद्द करा दी जाने से बिजली की कमी की स्थिति में भी राज्य सरकार द्वारा विद्युत प्राप्त करने हेतु पहल न किए जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(118) धौलपुर जिले में विद्युत की बिगड़ती स्थिति पर भी मण्डल को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग के अनुरूप कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं पाइण्ट ऑफ आर्डर उठा रहा हूं।

यह आज जो विषय है, मुझे आपने बोलने के लिए बुक किया लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट पर जो कट मोशंस स्वीकार हुए हैं और इसमें जिस प्रकार की डिमाण्ड हैं, जैसे उद्योग और बिजली की डिमाण्ड है तो विद्युत के लिए कर्जे हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इसमें सम्मिलित नहीं है और जिस प्रकार के कटमोशंस स्वीकार होकर वितरित हुए हैं उसमें कनेक्शंस का मामला भी है, उनमें 132 के.वी. बनाने का मामला भी है, उनमें ए.ईएन. दफ्तर खोलने का मामला भी है, विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित सारे मामले इसमें आए हैं और इसलिए एक तो इस पर विद्युत बोर्ड का डिस्कशन और जो कटमोशंस स्वीकार हुए हैं वह गलत हैं।

इसी प्रकार उद्योग विभाग की जो डिमाण्ड है उसमें प्रशासनिक विभाग है उद्योग का, उस बात तक सीमित है लेकिन और इसमें रीको, आर.एफ.सी. के सम्बन्ध में भी कटमोशंस स्वीकार हुए हैं, वे भी आज इन दोनों डिमाण्ड पर डिस्कशन नहीं हो सकते। या तो अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार की व्यवस्था दें कि जो कॉल अटेंशन मोशन आपने सारे स्वीकार किए हैं या जो रिपोर्ट, 1993-94 की विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया है, उनको सम्मिलित करके हम चर्चा करें। अगर हमने सिर्फ डिमाण्ड तक ही चर्चा को सीमित रखा तो जो प्रशासनिक उद्योग विभाग है और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इन दो के अलावा हम चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें तो उस प्रकार से चर्चा प्रारम्भ की जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके अन्दर ये विषय आये थे, उस समय माननीय सदस्य भी मौजूद थे वहां।

(134)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं नहीं था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं होंगे तो बाद में आए होंगे और नहीं थे तो आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। इनके सामने यह बात तय हुई कि अपन विद्युत के ऊपर एक दिन अलग से नहीं दे पाएंगे, श्री भैरोंसिहजी खुद मौजूद थे, हमारे नेता भी मौजूद थे और फिर यह तय किया गया कि अपन बिजली की डिमाण्ड के रोज जब यह आएगा उसमें आप बिजली के बारे में जो कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं वे कह सकते हैं और उसी तरह से आप कट-मोशंस दे सकते हैं और उसी प्रकार से उद्योग के बारे में तय हुआ और इसीलिए यह सारे कटमोशंस भी आपने मंजूर किए आज का डिस्कशन, सारी विद्युत के ऊपर जिसको जो शिकायत है, उसमें बोर्ड भी शामिल है और डिमाण्ड भी शामिल है, दोनों के ऊपर आप विचार कर सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री तिवाड़ीजी ने कहा कि मैंने बिजली पर कटमोशंस नहीं दिए हैं। वह इसलिए नहीं दिए कि आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या फैसला किया, यह हमारी जानकारी में नहीं था। क्या आपने यह फैसला किया कि हम इसको जोड़ देंगे और इस पर ही आप बोल दीजिए और यह कर दीजिए। विद्युत जितनी बड़ी समस्या और संकट है, उस पर चाहे सरकार को एक दिन अलग से रखना पड़े, आप यह व्यवस्था दीजिए कि विद्युत के ऊपर अलग से बहस होगी और इसको खाली इण्डस्ट्री तक, क्योंकि इसमें दो लोन हैं, उस लोन तक कन्फाइनमेंट है और आप इसमें बिजली को और उद्योग को, मतलब जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं स्टेट के उनको चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अगर डाइल्यूट करना चाहे या कोई और डाइल्यूट करना चाहे तो यह सदन उसको डाइल्यट नहीं होने देगा। इसलिए आप कोई व्यवस्था दीजिए और आप इसमें विद्युत के ऊपर अलग से एक दिन तय करवाइये और उस पर बहस करवाइये और आज उद्योग की मांगों पर बात कराइये। क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, आपने सक्यूलेट नहीं किया कि सदस्य बिजली पर भी कटौती प्रस्ताव दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मेरा पाइंट ऑफ आर्डर इससे थोड़ा सा हट कर है लेकिन मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि आज विद्युत से सम्बन्धित अनुदान की मांगें प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं लेकिन मेरा बिन्दु दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय, हमें सभी विभागों के प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, उनको समय पर सक्यूलेट किया जाता है। उद्योग विभाग का भी प्रगति प्रतिवेदन हमें मिल गया है। वर्ष 1994-95 के लिए आर.एस.ई.बी. के लेखे हमें प्राप्त हो गए हैं लेकिन आर. एस. ई.बी. के प्रगति प्रतिवेदन, उसकी रिपोर्ट अभी तक सक्यूलेट नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के अन्दर आर.एस.ई.बी. की क्या कार्य प्रणाली रही है, कहां पर उसके डीड्स और मिस्डीड्स रहे हैं, जब तक उनके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक उस विषय पर चर्चा करना बेमानी है। मैं इसके बारे में यहां पर एक रूलिंग पहले के अध्यक्ष महोदय ने दी है, उसको भी कोट करना

(श्री लक्ष्मण सिंह)

चाहता हूं। 12.3.1982 की यह रूलिंग है, उस दिन विभाग की मांग के बारे में यदुनाथ सिंहजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा था कि "वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट देरी से प्राप्त हुई है, उनको सिर्फ एक दिन पहले प्राप्त हुई थी इसलिए इस बात के लिए आब्जेक्शन उठाया था उन्होंने कि इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि 8 तारीख को हमने प्रतिवेदन भेजा, 9 की और 10 की छुट्टी थी फिर भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पेज नम्बर ?

श्री लक्ष्मण सिंह : पेज नम्बर 132। इसको काफी पहले वितरित हो जाना चाहिए था ताकि वे अध्ययन कर सकें, उसके पश्चात् सदन में इस मांग के सम्बन्ध में चर्चा की जा सकती है।"

इसी प्रकार से यहां पर एक और 19.3.1981 को, पेज नम्बर 127 देख लीजियेगा माननीय मुख्य सचेतक महोदय, जो प्रगति प्रतिवेदन वितरण नहीं किया था उसके लिए माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा ने भी यहां पर आब्जेक्शन उठाया था तो उस वक्त भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूरा पढ़ो तो सही इसको।

श्री लक्ष्मण सिंह : पहले आप पढ़ लीजियेगा। उस वक्त भी अध्यक्ष महोदय ने यही व्यवस्था दी थी कि "प्रगति प्रतिवेदन समय पर सक्यूंलेट होना चाहिये, एक-दो दिन पहले प्रतिवेदन सक्यूंलेट हुआ उसके लिए एक तरह से सरकार को ताड़ना दी गयी थी परोक्ष रूप से।"

अध्यक्ष महोदय, यहां तो बिलकुल ही सक्यूंलेट नहीं हुआ है। सक्यूंलेशन नहीं हुआ है तो फिर उस पर हम क्या चर्चा कर सकेंगे। इसलिए मैं माननीय मोदीजी की बात से और तिवाड़ीजी की बात से सहमत हूं और इस विषय के महत्व को देखते हुए भी मेरा नम्र निवेदन है कि आज सिर्फ उद्योग की मांग पर चर्चा की जाए और विद्युत की मांग पर चर्चा के लिए एक अन्य दिन रख लिया जाए। वह राजस्थान के हित में होगा, इस सदन के हित में होगा और सदस्यों के हित में होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री हरिशंकर भामड़ा : ठीक है, मांग पास कर लीजिए, चर्चा बाद में कर लेना। मांग पास कर लीजिए चर्चा के लिए अलग से रख लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(15.00)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मांग पास करा लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : यह ठीक है, मांग पास करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मांग पास करा लें। (व्यवधान)

(136)

श्रीमती कमला : उप मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा है कि अभी आज तो आप मांग पास कर दें और बिजली के ऊपर अलग से चर्चा कर लें तो जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के एजेंडा के अन्दर आप अलग से भी हम चले जाएंगे और आगे भी कोई चर्चा नहीं होगी। इसीलिए पहले यह निश्चित होना चाहिये कि आप अलग से कोई दिन बिजली पर बहस के लिए देंगे, तो ठीक है। आज मांग पास कर लीजिये। नहीं तो जैसे है वैसे चर्चा....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आपकी व्यवस्था होगी, अगर बिजली पर अलग से चर्चा होगी तो मांग पास करने की बात करिये। कहीं आप मांग भी पास करा लें और चर्चा भी नहीं करायें, यह दोनों बातें नहीं चलने वाली। (व्यवधान) यह दोनों बातें नहीं होंगी। आपको पहले बिजली के लिए समय निश्चित करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जो बोल रहे हैं, आप उन्हें सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक मिनट बिराजें। ऐसा है कि आपका प्रस्ताव है, हमें वह स्वीकार है कि आज मांग पास करा ली, चर्चा बाद में की। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो चर्चा कर लीजिये। हम दोनों ओर से तैयार हैं। आप चर्चा कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चर्चा नहीं कराना चाहते, मांग पास कर दें, चर्चा बाद में करा लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमें तो आपके कहने पर विश्वास है लेकिन........।

श्री किशन मोटवानी : प्रगति रिपोर्ट नहीं दी हैं, उसका क्या करेंगे ? प्रगति रिपोर्ट नहीं दी है बिजली बोर्ड ने........ (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ जाएगी।

श्री किशन मोटवानी : आ जाएगी कब ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Progress report is not so important कि जिसके लिए मांग पास नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं ? श्री मोटवानी जी, आप तो उपाध्यक्ष रहे हैं, आप जानते हैं।

श्री किशन मोटवानी : (व्यवधान) बात आप कह रहे हैं न ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मांग की बात कर रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : डिस्कशन करने के लिए तो हम तैयार हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी भी विद्युत डिमाण्ड में नहीं आयी है और डिस्कशन हमेशा एक दिन हुआ है उस पर और विस्तार से चर्चा होनी चाहिये, इसलिए यह प्रकार ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब, श्री धनखड़ साहब, क्या बाकी रह गया ?

श्री हरजीराम बुरड़क : श्री धनखड़ साहब का हो गया, मेरा नहीं हुआ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, मेरा नहीं हुआ पर पहले आप बोल लीजिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली पर बहस का सवाल है । पहले तो श्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने बता दिया वह अनियमितता हुई नहीं, वह अलग बात है । लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी अनियमितता यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का बजट इस हाउस में पेश हुआ नहीं है । पिछले साल नहीं हुआ तो मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, माननीय अध्यक्षजी के कहने से इन्होंने पिछली बार रखा और इस बार रखा नहीं । स्पष्ट प्रोविजन है धारा 61 में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं इसकी दो-चार लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा आपको—"In February of each year the Board shall submit to the State Government in the prescribed form a statement of capital / revenue, receipt and expenditure for the ensuing year."

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : वह तो दे दिया सबका ।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या दे दिया ? क्या दे दिया ? आपको पता ही नहीं है । इसके बाद में देखिए, यह प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको विधान सभा में रखे, विधान सभा में उस पर डिस्कशन हो और इस सबमें जरूरी है, आखिर में सेक्शन 4 में यह लिखा है :

"The Board shall take into consideration.....and comment the said statement in the State Legislature. जब विचार हुआ कि बिजली बोर्ड दुबारा विचार कर बजट में आगे कार्यवाही करे और यह फरवरी में आना चाहिये । अब नया साल आ गया । अब इसमें कब विचार करायेंगे ? इस मांग पर आप विचार करवायें; नहीं करवायें, लेकिन इसके बारे में आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय धनखड़ साहब ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी, श्री घनश्यामजी ने बात उठायी बिजली पर, बिजली बोर्ड पर चर्चा होना एक अलग बात है । माननीय सदस्य ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसका बारीकी से अध्ययन करने पर साफ पता चलेगा कि क्या जो कटमोशन स्वीकार हुए हैं, वे हो सकते थे ? और मैं माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी बात को पूर्ण रूप से समर्थित करते हुए यह कहता हूं कि अगर राजस्थान विधान सभा नियमों से हटकर काम करेगी या अण्डर द टेबल काम करने की प्रक्रिया को अपनाएगी तो गलत होगा ।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा रही है कि किसी भी कमेटी में यदि कोई बहस होती है, बातचीत होती है, उसकी चर्चा सदन में नहीं की जाती, उस कमेटी की रिपोर्ट मात्र सदन में आती है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में आयी, उस रिपोर्ट में उस प्रकार का उल्लेख अंकन नहीं है, जिस प्रकार का कहा गया है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे । प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी

(श्री जगदीप धनखड़)

संस्था में, जहां हम सबने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है, किस प्रकार अलग हट सकते हैं। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने एक रचनात्मक सुझाव दिया है कि इसका रास्ता निकाला जाए। पर रास्ता निकालने का भी एक विधिक रूप होना चाहिए। मैं अपना आभार प्रकट करता हूं माननीय सदस्य की ओर कि उन्होंने राजस्थान विधान सभा को, जो डिरेल होने को जा रही थी कि हम मनमर्जी से काम कर लेंगे, मिली-भगत से काम कर लेंगे, आने वाले समय में हमारा कोई असेसमेंट नहीं कर पाएगा, उसको वापस हम लाएं तो सीमित करके आप उस पर अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस विषय पर मुझे बोलना पड़े कि जो बात इस सदन में सन् 1952 से होती आ रही है और जिसके बारे में आज तक कभी इस तरह का प्रश्न खड़ा नहीं हुआ और एक सामान्य बात है कि जब कोई भी विभाग चाहे बिजली विभाग हो या उद्योग विभाग हो, उसके अन्तर्गत काम करने वाले कारपोरेशन के लिए वह जिम्मेदार है। आप जब उसके लिए प्रश्न करते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं चाहे वह रीको का करें, चाहे आर. एफ. सी. का करें, चाहे आप आर. एस. ई. बी. का करें, और इसलिये इस बजट में इस विभाग की जब मांग विचारार्थ है तो स्वभावतः उस विभाग की एक्टिविटिज पर चर्चा होती है। यदि उद्योग विभाग की एक्टिविटीज पर कारपोरेशन शामिल नहीं है तो नहीं होगी चर्चा और शामिल है और इस सदन में हम उसके लिए जवाबदेह हैं, यहां रीको जवाबदेह नहीं है, आर. एस. ई. बी. जवाबदेह नहीं है। इस सदन के लिए मंत्री जवाबदेह हैं, जो उस विभाग का मंत्री है और उस विभाग की वह एक्टिविटिज है। इसलिए यह स्वाभाविक है, नेचुरल है। यह सवाल उठाना ही मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अब तक इस तरह की आपत्तियां हमेशा हर साल होतीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम पिछले तीन सत्रों से मैं यहां पर हूं, जब कभी यह सवाल नहीं हुआ कि साहब, कटमोशन आप उस पर नहीं दे सकते या उसके लिए स्पेसिफिकली होता है। हां, चर्चा अलग से होती है। आर. एस. ई. बी. पर आप अलग से चर्चा कर सकते हैं और किसी कारपोरेशन की जो रिपोर्ट आपके सामने आती है, जो भी रिपोर्ट सदन में पेश होती है, सदस्यों को यह अधिकार है कि उस रिपोर्ट पर वे चर्चा की मांग करें। यह केवल इनका नहीं, जितनी भी रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, जो भी रिपोर्ट्स आपको सप्लाई होती हैं, चाहे किसी कारपोरेशन की हो या किसी कमेटी की भी हों, तो आप जब चाहे तब उन पर भी चर्चा करवा सकते हैं। अब यह सामान्य बात है और इस सामान्य बात को आप इस तरह से उलझा रहे हैं और ऐसा बना रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गयी हो। इसलिए, मान्यवर, आप इसकी चर्चा कराइये और डिमाण्ड पर आगे कार्यवाही चालू करिये। मेरा यह निवेदन है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय

(श्रीमती कमला)

सदस्य ने जो मुद्दा उठाया था, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो रही थी, उसमें यही तय हुआ था कि विद्युत विभाग में कोई चर्चा के लायक बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वह एक इन्सपेक्टर इलेक्ट्रिकल्स का एक छोटा सा विभाग है। बाकी जो कुछ भी हमेशा होता आया है वह यह है, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, कि विद्युत मण्डल की रिपोर्ट्स पेश भी होती हैं और उन पर एक दिन चर्चा रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि विद्युत की मांग आज तक आयी हो और उस मांग के रेफरेंस में विद्युत मण्डल की उसके अन्दर चर्चा हुई हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि मांग आयी और उसके ऊपर सब कुछ चर्चा हुई है। इसलिए तय यह हुआ था कि विद्युत मण्डल की रिपोर्ट के ऊपर अलग से सदन के अन्दर एक दिन चर्चा होगी। लेकिन बाद में यह किस तरह से तय हुआ कि विभाग के नाम से वह मांग रख दी गयी। उसमें कटमोशन विद्युत मण्डल के हिसाब से भी आ गये, वे मंजूर भी हो गये और आप यह कह रहे हैं कि यह मामूली सी बात थी, यह तो बहुत बड़ा नियमों का उल्लंघन है। अब आप कराना चाहते हैं तो हमको तो खुशी है कि आप करा लें। हम तो तैयार होकर आए हैं बहस करने के लिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : श्रीमती कमला जी, आप इतनी पुरानी सदस्या हैं....

श्रीमती कमला : इसलिए मैं कह रही हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। आप विद्युत मण्डल की बात क्यों कह रही हैं? किसी भी रिपोर्ट पर आप चर्चा कर सकते हैं।

श्रीमती कमला : इसलिए तो मैं कह रही हूं, आप तो कह रहे हैं कि यह सामान्य सी बात है........।

श्री अध्यक्ष : आज विद्युत मण्डल की आप चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, एक छोटा सा पाइंट है। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अनावश्यक डिबेट हो रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा निवेदन है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो भी रिपोर्ट है, पहली बात तो वहां पर क्या तय हुआ है और जिस रिपोर्ट को हमने यहां स्वीकार किया है, उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। एक माननीय सदस्य ने उस पर आब्जेक्शन भी किया कि आपने वहां पर क्या चर्चा की और क्या नहीं की। ये जो डिमाण्ड्स पास होनी हैं, यह डिमाण्ड्स तो मुखबंद में भी होंगी और अभी भी होंगी। जहां तक सैक्रेटेरिएट ने जो कटमोशंस ग्राह्य किये हैं वे कटमोशंस उनके परव्यू में, वे डिमाण्ड की परव्यू में जो आते हैं, वे किये हैं। जहां तक चर्चा का विषय है····(व्यवधान) कैसा क्या हो गया, उन नियमों में आते हैं जो ही हुआ है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं हुआ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जवाब कौन देता है? आर. एस. ई. बी. के बारे में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

क्वेश्चन पूछते हो कि नहीं, जवाब कौन देता है ? उसके लिए कोई अलग निर्णय होता है क्या ? जवाब देते हैं ना। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विद्युत मण्डल की चर्चा करना चाहते हैं या नहीं या केवल टेक्नीकल्टी में ही उलझ करके समय जाया करना चाहते हैं ? तो वह बात दूसरी है टेक्निकल नहीं हुआ और वो टेक्निकल नहीं हुआ। आप जनता की भलाई करने के लिए विद्युत मण्डल के बारे में अलग से बात करना चाहते हैं तो वो बताएं। यह नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, क्या मतलब है इससे ? (व्यवधान)....बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : एक दिन अलग से रख दीजिए। आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप जो निर्णय कर देंगे वह मंजूर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जैसे यह कारपोरेशन है, बोर्ड है अब उनका बजट तो अपना होता है और बजट हम यहां पर पास भी नहीं करते। उसके बावजूद भी हम सारे प्रश्न यहां पर पूछते हैं। इसलिए उस मांग को आप प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा समाप्त हुई यहीं।....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यदि आप अलग से एक दिन, चार तारीख तक का तो एजेण्डा आ चुका है और बिजनस एडवाइजरी कमेटी में पास हो चुका है, पांच तारीख आपकी खाली रहती है। यदि आप पांच तारीख को बोर्ड के ऊपर डिस्कशन पूरे दिन रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको मंजूर रहेगा, रूल्स का भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : उप मुख्य मंत्रीजी, पांच तारीख के लिए कह रहे हैं आप।

श्रीमती कमला : हां आप कह दीजिए, पांच तारीख को अलग से करा देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देखिये, यह निर्णय हाउस में नहीं होते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो निर्णय हाउस में नहीं हो सकते, उनके प्रस्ताव रखने से क्या फायदा ? जहां निर्णय होते हों वहां रखिये। किसने मना किया है.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हाउस में क्यों नहीं हो सकता ? हो सकता है।

श्री परसादीलाल मीणा : चर्चा इसी सत्र में तो होगी, यह कहो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाउस से ऊपर नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप जरूर रखिये, किसने मना किया है ? आपका प्रस्ताव जिस स्तर पर होना चाहिए वहां उस पर

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

विचार कर लिया जाएगा मगर हाउस में यह निर्णय नहीं हो सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हमारा प्रस्ताव नहीं, आपने स्वयं ने यह कहा है कि अलग से एक दिन रख सकते हैं। अगर आप एग्री हो जाते हैं तो हम तो एग्री हैं ही। पांच तारीख रख दीजिए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं अभी भी मना कहां कर रहा हूं ? जिस स्तर पर आप प्रस्ताव रखेंगे, उस पर विचार होगा लेकिन हाउस में नहीं हो सकता। आप प्रस्ताव रखिये, हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लेंगे, आपके प्रस्ताव पर विचार कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हाउस में क्यों नहीं हो सकता ?

श्रीमती कमला : अब आपका आश्वासन मान लें ना ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हाउस सर्वोपरि है। हाउस अगर तय कर देता है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो इन्हीं मैम्बर्स की है। आप यह तय कर दीजिए, पांच तारीख को रख दीजिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो आएगा आपसे ही पास कराना है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आपकी सदारत में यह सदन जो तय कर देगा वह सर्वोपरि है। आप बड़े न्यायप्रिय हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शांतिकुमारजी, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर डिबेट करने की जरूरत पड़ रही हो। विराजिए आप।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले के अन्दर पूरे दिन की चर्चा रख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग और बिजली इन दोनों को साथ में रखने से पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होगी और इसमें सारी बातों को देखते हुए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए, अब इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : बिजनेस एडवाइजरी पर मत छोड़िये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। श्री तिवाड़ी जी, आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने तो व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा केवल आपसे इतना मार्ग-दर्शन चाहा था कि विद्युत मण्डल पर भी आज चर्चा हम कर सकेंगे या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पर कर सकेंगे। दूसरा हमने मांगा था कि उद्योग विभाग पर हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक विभाग पर या रीको और आर. एफ. सी. को जोड़कर करेंगे, इसमें आपकी व्यवस्था आ जाए। चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं इधर से प्रस्ताव यह आया कि विद्युत मण्डल पर विस्तृत चर्चा हो जाए और इस पर हम सब पक्ष में थे कि विद्युत

(142)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मण्डल पर विस्तृत चर्चा हो जाए। आप आज कराना चाहें आज करा लें, आज नहीं कराना चाहें अलग से डे निश्चित कर दें लेकिन चर्चा निश्चित रूप से हो जाए। आज अगर चर्चा होगी और आज अगर छूट देंगे तो विद्युत मण्डल पर भी चर्चा हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पर भी चर्चा हो जाएगी। आज अगर आप छूट देंगे तो प्रशासनिक, उद्योग विभाग पर भी हो जाएगी, रीको और आर. एफ. सी. पर हो जाएगी, आपकी व्यवस्था चाहिए। चर्चा तो होगी, या तो लिमिटेड होगी उद्योग विभाग और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पर। अगर आप छूट देंगे तो इसमें चर्चा साथ-साथ बिजली बोर्ड पर भी हो जाएगी और उन पर भी हो जाएगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन वह नियमों के अनुसार नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर अध्यक्ष महोदय रिलेक्स करके रूल्स को देंगे तो उसमें चर्चा हो जाएगी, इसलिए आप जो भी व्यवस्था करना चाहें कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक दिन अलग से दे दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके हिसाब से हम तैयार बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, क्या चाहते हैं आप ? आप भी अपनी बात कह दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे तो यह कहना है कि सरकार हमें प्लान का पैसा देती है, कर्जा देती है। हाउस में डिस्कस हो जाए तो उचित ही है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, बिराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह जो मांग है आपकी 48, इस मांग में आप जरा देखिये। इस मांग में बिजली बोर्ड को ऋण 356 करोड़ और सब्वेंशन 147 करोड़, यह है। यही मांग है। इसी मांग को लेकर हाउस में आए हैं आप।

श्री विष्णु मोदी : रेडा का भी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, हां, रेडा का भी है। अब बिजली बोर्ड को कर सकते हैं, या नहीं, देख लीजिए। यह बिजली बोर्ड की ही मांग है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिजली बोर्ड की चर्चा पांच तारीख को रख लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस दिन यह तय हुआ था कि इन दोनों को साथ-साथ रख ली जाए और सारे माननीय सदस्य बैठे थे, उस समय उन्होंने कहा, क्योंकि बिजली का यह जो बजट है उस हिसाब से कम आएगा समय और इसमें बिजली बोर्ड भी आ जाएं तो उस दिन उसकी चर्चा हो जाएगी। अब माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि नहीं, इस पर पूरी चर्चा हो और उद्योग की....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप पूरी करवाइये, चर्चा तो पूरी ही होगी। दोनों में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कराइये पूरी, कौन मना कर रहा है आप पूरी करायें, चर्चा सब पर करायें....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार बिलकुल तैयार है, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, राजस्थान की जनता का हित देखकर दीजिए। सब चाहते हैं चर्चा। पांच तारीख को करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अलग से चर्चा ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी पर डिमाण्ड पर पूरी चर्चा करायें आप.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : आप गाइडेंस दे रहे हैं नीचे बैठे-बैठे....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, मिसगाइड मत होइये आप, रिपोर्ट देखकर डिसीजन कीजिए। आप तो पांच तारीख को आर.एस.ई.बी पर चर्चा कर लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उप मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा, अलग से तारीख रख दें।

श्री लक्ष्मण सिंह : आर.एस.ई.बी. की रिपोर्ट सक्यूंलेट नहीं हुई है इसलिए आज चर्चा नहीं होनी चाहिए....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इण्डस्ट्री के साथ उसके जो कारपोरेशन इस सदन में जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, वह शामिल हैं। इसी तरह से बिजली विभाग के साथ आर. एस. ई. बी. के सम्बन्ध में इस सदन में मंत्री जवाबदेह है इसलिए सब पर चर्चा हो सकती है। सब पर कराइये चर्चा.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय मेरा तो सुझाव है कि पिछले कभी भी डिमाण्डस पर डिस्कशन करने का (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, यह मेरे समझ में कुछ औचित्यपूर्ण स्थिति नहीं थी कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था देने जा रहे थे उनके बीच में दो-तीन बार आपने उनको गाइड करने का....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। We are prepared. हम तैयार हैं, मैं यह कह रहा हूं चर्चा कराइये। इसमें गाइड करने की क्या बात हुई ?....

श्रीमती कमला : व्यवस्था के बीच में आपने उनको गाइड किया है। चर्चा तो हम चाहते हैं लेकिन प्रस्ताव यह है कि पांच तारीख को तो विद्युत पर हो जाए....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप चर्चा कराइये। गवर्नमेंट तैयार है। सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार है। यह कह रहे हैं कि उनका अधिकार है....(व्यवधान)....यह कहने का मुझे अधिकार है। अध्यक्ष जी को यह रिक्वेस्ट करने का मुझे अधिकार है। मैं अपने अधिकार में हूं....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नयी परम्परा मत डालिये। हमेशा से विद्युत बोर्ड के लिए एक दिन दिया जाता रहा है।....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आर. एस. ई. बी. का प्रतिवेदन आ जाने दीजिए मैम्बरान के पास में। पांच तारीख को पूरे समय कराइये। आज आप उद्योग का करा लें और किसी तरह की बाधा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 की एक धारा है जिसमें प्रावधान है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ना पड़ेगा That will have to be tabled in this House.

उस पर डिस्कशन होगा। अब किया ही नहीं इन्होंने तो आज विचार-विमर्श किस पर होगा। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय समझते हैं कि बिजली विभाग आर.एस.ई.बी. पर विचार व्यक्त कर दे। हम डायग्नोस करेंगे, आवश्यकता हुई आपका पोस्टमार्टम करेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अलग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कल 2(8) के अन्दर आप देखें....

श्री जगदीप धनखड़ : हम चाहते हैं कि उद्योग पर भी चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं पहले कह चुका हूं कि अलग से चर्चा करने का हर रिपोर्ट पर आपका अधिकार है। केवल बिजली बोर्ड ही नहीं, इस हाउस में माननीय सदस्यों को जो भी रिपोर्टस सक्युलेट की जाती हैं वह चाहे विधान सभा की कमेटीज की भी क्यों न हों, सदन की कमेटीज भी क्यों न हों। आप चाहें तो किसी पर भी चर्चा की मांग रख सकते हैं। मैं आपत्ति नहीं कर रहा इस बारे में।

श्री हरजीराम बुरडक : वह अलग बात है। यह तो एक्ट में प्रोविजन है। यह रिपोर्ट तो आवश्यक है।....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह अलग है तो अलग बोलेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हाउस में रिपोर्ट आना एक अलग बात है पर यहां भारत की संसद द्वारा बनाये हुए कानून के तहत एक विधिक जिम्मेदारी रखी गयी है। उस विधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना जरूरी है। उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता और माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा 50 साल से ऐसा नहीं हुआ, मैं कहता हूं सौ साल बाद भी कानून को अवोइड किया गया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं रुल 218 को कोट कर रहा हूं। इसके अन्दर सीधा लिखा है—Provided further that the Speaker may, on being satisfied as to the urgent need therefor, make such varia-

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

tion in the allocation of tims order as he may dcem appropriate. इसलिए आप चेंज कर सकते हैं। जो बी. ए. सी. ने रिकमण्ड किया है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं और परम्परा का ध्यान रखते हुए, जैसा है जैसा श्री खेतसिंह जी ने फरमाया, कभी साथ में डिस्कशन नहीं हुआ है।

बोर्ड पर अलग ही डिस्कशन होता है। आप क्यों परम्परा तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए इंडस्ट्री पर आप आज करा लें। अलग से फिर कर ही रहे हैं। क्या रिपीटीशन हो जाएगा? आज कर रहे हैं उस दिन फिर करेंगे, डबल रिपीटीशन का भी कोई मतलब नहीं निकलता। मुखबन्द के बाद भी बहुत सारी डिमाण्ड्स पर होता है। मुखबन्द के बाद भी बहुत सारी डिमाण्ड्स जो नहीं आती हैं उनके ऊपर भी होता है....(व्यवधान)

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा): जो जन-भावनाओं को जानें, जो किसानों के हितैषी हैं, इसलिए उन्होंने आइंदा पूरे दिन चर्चा रखने के लिए निवेदन किया है और हम भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। उस दिन यही बात हुई थी कि दोनों डिमाण्ड्स पर चर्चा हो जाएगी इसलिए इस बात में अब कोई सार नहीं है और अभी दोनों डिमाण्ड्स पर चर्चा प्रारम्भ की जाए। श्री घनश्याम जी। (व्यवधान) उस दिन भी यही बात हुई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप श्री खेतसिंह जी, स्वयं ने.... (व्यवधान) आप विराजिये अब....(व्यवधान) आप विराजिये....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसकी अलग से चर्चा भी की जा सकती है तो उसको आज खतम करने की क्या जरूरत है? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, दोनों ही डिमाण्ड्स पर चर्चा का जो अभी आपने निर्देश दिया स्ट्रिक्टली स्पिकिंग, डिमाण्ड संख्या 48 और 42, जिसका लिमिटेड स्कोप है, एम्बिट है और आर्बिट है। यहां पर चर्चा हुई थी जिस पर प्रभारी मंत्री स्टेटमेंट दे रहे थे और मैंने जब स्पेसिफिक 2–3 पाइंटेड प्रश्न पूछकर इनसे कहा था, पूछने से पूर्व एण्टायर आर. एस. ई. बी. के ऊपर इस सदन में चर्चा होगी कि नहीं? हां, निश्चित तौर पर एक दिन होगी। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में सरकार जो बिजनस लेकर लायी है, डिमाण्ड का एक प्रश्न यह था, लेकिन हमको यह इम्प्रेशन दिया गया था कि एण्टायर गेमट डिस्कस होगा और वह चीफ इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर की ही यहां चर्चा होनी है तो उसके बाद इसमें रह क्या गया है। इसलिये यदि पावर पर डिस्कशन होना है तो अलग से एक दिन निश्चित कीजिये जैसी कि यहां पर चर्चा हुई थी....

श्री हरजीराम बुरडक : एक्ट में अलग से पावर है।

श्री परसराम मदेरणा : एक्ट की छोड़ो। एक्ट में तो साठ दिन की असेम्बली का भी प्रावधान है और रूल्स को अमेंडमेंट कराने के अन्दर उप मुख्य मंत्रीजी ने बहुत इन्ट्रेस्ट लिया था लेकिन अब वे दरिया-

146

(श्री परसराम मदेरणा)

दिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ? साल भर में साठ दिन असेम्बली चलेगी कि नहीं चलेगी, यह भी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, होगी यह शब्द मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था, मेरी इच्छा है कि इस पर अलग से पूरी बहस हो। यह मैंने यहां कहा था और कार्य सलाहकार समिति में आप स्वयं बैठते हैं। कार्यक्रम आपने बनाया है। मैं आज भी बहस कराने को तैयार हूं और आप अलग से बहस करेंगे तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की जो मांग है, वह मांग संख्या 12 है और आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह मांग संख्या 48 है, जिसमें केवल आर. एस. ई. बी. को जो हमने ऋण दिया है और आर. एस. ई. बी. को हम सब्वेंशन कर रहे हैं, उसी पर चर्चा है। वह अलग बात है जो आप उठा रहे हैं।

श्री राधेश्याम : रिपोर्ट के बिना चर्चा किस बात पर होगी। यह पिछले साल की, 1994-95 की रिपोर्ट है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अपने कंटेंशन को शिफ्ट मत करिये। पहले तो आप कह रहे थे कि इस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। (व्यवधान) इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर पर चर्चा की बात प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कही उसके जवाब में मैं कह रहा हूं मांग संख्या 12 इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर की है, यह मांग संख्या 48 है जो उससे भिन्न है। इसलिए मांग संख्या 12 इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर की चर्चा का सवाल नहीं है, यहां तो मांग संख्या 48 का प्रश्न है। अब जहां तक सवाल है आज मांग होने के बाद भी यह ऑप्शन खुला हुआ है, बंद नहीं किया गया है। मैंने आपको फिर कहा है कि इस विषय पर हम फिर चर्चा कर लेंगे। आप कहो तो बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लेंगे। एक दिन हाउस को बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है और न हमारी कोई जिद है लेकिन आज जो डिमाण्ड है उस पर चर्चा शुरू करिये। डिमाण्ड को लिया है, डिमाण्ड पास करिये। इसको रोकने से क्या फायदा है। उसको अलग से आप कहेंगे तो बिजनस एडवाइजरी कमेटी में कर लेंगे, क्या आपत्ति है ? उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजली की डिमाण्ड पास करा दो, पास करे बाद, चर्चा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड का रेफरेंस मैंने आफ दी कफ, बिना डिमाण्ड को देखे यहां पर किया है और उप मुख्य मंत्रीजी ने जो मेरा ज्ञानवर्द्धन किया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं लेकिन आर. एस. ई. बी. के ऊपर एक दिन चर्चा होगी। खनिज नीति पर चर्चा के लिये आपने अलग से कोई दिवस मुकर्रर नहीं किया। उद्योग नीति पर मुझे मालूम

(श्री परसराम मदेरणा)

है कि आपने कितनी मेहनत की है। उसका हमको पता ही नहीं लग रहा है कि क्या किया ? एक वक्तव्य में कुछ बात आपने बतायी कि इतने अमेंडमेंट कर दिये हैं। कुछ बातें जो आटोमेटिकली हो जाएंगी लेकिन सदन में उसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। मैं पढ़ रहा था पावर आल डवलपमेंट इकानामिक एक्टीविटीज का फल्क्रम है।

It is a base, It is an input.

कोई भी सेल्फ सफीशिएंसी की बात करो, चाहे ग्रोथ की बात करो, चाहे इकानामिक डवलपमेंट की बात करो, चाहे परकैपिटा इनकम की बात करो, तो बिना पावर के पावरलैस निर्धन हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह तो डिस्कशन कर लेंगे। वह तय भी हो गया है। तय कर लेंगे दिन। उसमें बहस के लिये डेट तय कर देंगे। आप बैठ जाइये। डेट तय कर देंगे। हाऊस एक्सटेंड कर देंगे, मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसको गवर्नमेंट का आश्वासन मानकर ही चलता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बिलकुल मानिये। आप जब कहेंगे बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर जो भी डेट तय करेंगे, कर लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राधेश्याम : आसन की व्यवस्था हो जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब बिजली की डिमाण्ड पास करा दो आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय, मुझे आपने पूरा बोलने नहीं दिया और सब खड़े हो गये। मैंने यह कहा था, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में दोनों के बारे में बातचीत हुई थी और अब मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि दोनों पर डिस्कशन चाहे तो आज कर लें और चाहें तो बिजली के लिये अलग से एक दिन और बातचीत हो जाएगी, डिस्कशन कर दिया जाएगा। (व्यवधान) आप प्रारम्भ करें श्री घनश्याम जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार ने आश्वासन दिया है। उप मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है, उसके बाद मुझसे क्या चाह रहे हैं आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आश्वासन नहीं है।

श्री रामस्वरूप : आसन व्यवस्था दे.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, 218 के अन्दर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, बी. ए. सी. के पास जाने की जरूरत ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं ? (व्यवधान) उप

(श्री अध्यक्ष)

मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, उसके बाद भी आप खड़े हो रहे हैं।

श्री राधेश्याम : उप मुख्य मंत्रीजी पर पूरा विश्वास है हमको लेकिन आप तो व्यवस्था दीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष से बात करने पर....(व्यवधान) हाउस के आप मैम्बर हैं, आप इस तरह से पेश नहीं हो। आपने कोई बात कह दी, उसको पूरा सुन लीजिये आप। बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब बात तय हो गयी, तय हो गयी ना, डिस्कस हो जाएगा उस पर (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन आया है। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन करके एक दिन अलग से आर. एस. ई. बी. की गतिविधियों पर चर्चा होगी। आपने कहा, आपके इन्टेंशन में मुझे कोई शक नहीं है। आपने कहा-'चाहो तो' इसमें चाहने के बाद में तो फिर वैसा हो जाता है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप और हम तय करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आसन का मामला है। गवर्नमेंट और आसन में बड़ा फर्क है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, आप और हम तय करेंगे तो आसन मानेगा ही।

श्री परसराम मदेरणा : आसन तो मानने को तैयार है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आप और हम की बात कह रहा हूं। आप और हम जिस बात पर सहमत हैं, आसन मानता ही है। आसन आपकी और हमारी बात को मानता है, हमेशा मानता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने इसलिए **कहा कि मैं** अकेला तो तय नहीं कर सकता, बी. ए. सी. की राय आयेगी, बात तो मुझे माननी ही है। इसलिए मैंने यह शब्द यूज किया था, इसलिए मैंने कहा-'आप चाहो तो'। (व्यवधान) बिराजिये आप। माननीय सदस्य, आप प्रारम्भ करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उद्योग विभाग और विद्युत के प्रशासनिक विभाग और विद्युत के कर्जों पर चर्चा हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा लगता है कि आज आप तैयार होकर नहीं आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल मैं तैयार होकर आया हूं, अभी तैयार हो जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें।

मांग संख्या 42 एवं 48 पर विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग पर आज चर्चा हो रही है और उद्योग विभाग पर चर्चा करते समय मैं कहना चाहूंगा कि भारत की और प्रदेश की बदलती हुई परिस्थितियों में भारत सरकार की उदारीकरण की नीति और उद्योग हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय विकास के साधन बनेंगे। राजस्थान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति जारी की है और उस औद्योगिक नीति के कुछ परिणाम भी आए हैं। भारत सरकार ने श्री नरसिम्हा राव के पदारूढ़ होने के बाद आयात शुल्क में कटौती करके जिस प्रकार से बाहर के पूंजी निवेशकों को देश में आमंत्रित किया है, उसके बाद हमारे आधारभूत ढांचे को मजबूत करके पूंजी निवेशकों को और प्रवासीय राजस्थानियों को राजस्थान में बुलाकर उद्योग धन्धों के विकास करने की महत्वपूर्ण योजना बनानी थी, राज्य सरकार ने उस अनुसार औद्योगिक नीति की घोषणा की है।

राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। आज कई चीजों के उत्पादन में, जैसे तेल के बीज, सरसों, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। खाद्य के जो उत्पादन हैं, कल यहां पर चर्चा हो रही थी कि टमाटर की इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि आज टमाटर कई बार फेंकना पड़ता है, तो खेतों के मूलभूत प्रोडक्ट राजस्थान के बढ़ते जा रहे हैं। जब तक उनको हम खाद्यपरक उद्योगों में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक खेती भी हमारे लिए अलाभकारी रहेगी। आज राजस्थान में सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है कृषि जिसों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की और राज्य सरकार ने उसके हिसाब से व्यवस्था भी की है। जो नयी उद्योग नीति है, राज्य सरकार की उस उद्योग नीति के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति के अन्दर विपणन की व्यवस्था करने की और अधिक आवश्यकता है। आज खाद्य प्रसंस्करण के हमारे बहुत बड़े-बड़े कारखाने लग सकते हैं। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मंगोड़ी, पापड़, नमकीन, यह इस प्रकार की चीजें, हैं जो सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान से जाती हैं। इसी प्रकार से आचार, मुरब्बे के विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग अगर गांवों में लगें और उनको प्रोत्साहित किया जाय तो यह सबसे बड़ा राजस्थान के लिए काम हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि दो संस्थाएं आई थीं, राजस्थान में सर्वे कर रही थी। उन्होंने कैर के ऊपर सर्वे किया है। यह कैर शेखावाटी में बहुत जगह होता है, जंगलों में और आजकल बीहड़ों में भी होता है। कैर के बारे में जो फर्म्स आयी थीं कि कितना कैर मिलता है उस कैर को पर्चेज किया जाय। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से रेगिस्तान में, सेमी डेजर्ट में इस कैर के पौधे का विकास किया हमने उसको समझा नहीं। हमने सिर्फ उसको हमारे घर तक सीमित रखा। आचार डाल लिया या और कुछ कर लिया। आज इस कैर की इतनी

(150)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बड़ी खोज हो गयी है कि दुनिया के देशों की कम्पनीज कैर को अधिक से अधिक मात्रा में खरीद कर उस पर कारखाना लगाना चाहती हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां और भी बहुत सी चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर बाहर बहुत बड़ी खोज हो रही है। हमारे यहां कई लोगों ने इस प्रकार की इण्डस्ट्री बनायी है कि पांच लाख पौधे रोज थाइलैंड को एक महीने में निर्यात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं उनका एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट हमारे सामने उपलब्ध है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार खाद्यपरक जो नयी तकनीकी है उस तकनीक के आधार पर नये कारखाने लगाने के लिए राजस्थान में प्रोत्साहित करे और उसके लिए जैसे आपने नीति में घोषणा की है कि आप क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना चाहते हैं, तो जो चीज जहां पर उपलब्ध होती है, आज इसबगोल आपके जालोर में होता है, आपके जहां सरसों पैदा होती है, आपके जहां पर कैर पैदा होता है, आपके जहां पर टमाटर पैदा होता है, जो भी चीज जिस जिले में पैदा होती है उस जिले में उसके कारखाने लगा कर उसके विपणन की व्यवस्था की जाय, उसके निर्यात की व्यवस्था की जाय। जो पूंजी आने वाली है इन उद्योगों में, वह पूंजी जब तक नहीं आयेगी तब तक उन तहसीलों में, जिलों में उद्योग नहीं लग सकेंगे और जब तक आप रोजगार के साधन भी नहीं बढ़ा सकेंगे। हम खेती के विकास में लगे हैं, "व्यापारे बसते लक्ष्मी" कहा यह गया है कि लक्ष्मी व्यापार में निवास करती है। आज हम खेती पर कितना ही बोझ बढ़ा लें, खेती के लिए कितने ही अपने साधन जुटा लें लेकिन आर्थिक उत्थान अगर लाना है तो उद्योग और व्यापार को निश्चित रूप से बढ़ावा देना पड़ेगा। मुझे चौधरी श्री चरणसिंहजी की बात अच्छी तरह याद है, उन्होंने अर्थ-शास्त्र की बात कही, उन्होंने साफ लिखा कि जितना खेती पर बोझ कम होगा उतना देश तरक्की ज्यादा करेगा। इसलिए हमको भी आवश्यकता है आज आप एक सीमा तक बदल गये, 1952 की जनगणना के अनुसार हम यह कहते थे कि भारत गांवों का देश है और 85 पर्सेंट जनसंख्या गांवों में रहती है। आज जो जनसंख्या स्टडी के आंकड़े आ रहे हैं, सन् 2001 तक 35 करोड़ लोग शहरों में रहने लग जायेंगे और 40 पर्सेंट जनसंख्या हिन्दुस्तान की कस्बों और शहरों में आ जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : लक्ष्मी तो उद्योगों में विराजमान है और किसानों के कंगाली बैठी है। तो वेदों को पढ़ने वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण और विद्वान लोग हैं, वेद के ज्ञाता हैं, उनके अन्दर क्या है? लक्ष्मी है, सरस्वती है? सम्पन्न समाज में रहना चाहते हैं, या रहने वाले लोगों का असन्तुलन मिटाना चाहते हैं या विद्या पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान को फैलाना, यह भी कुछ लोगों की समाज के अन्दर बहुत महत्ती आकांक्षा भी है। बाड़मेर है वहां पर चार पर्सेंट फिमेल एजुकेशन है। इसलिए जो लोग वेद के ज्ञाता हैं उन लोगों को वहां जाकर उस रीजनल असंतुलन को दूर करना चाहिए। आपके यहां 68 पर्सेंट लिटरेसी और मेरे यहां पर 4.3

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्सेंट लिटरेसी है तो इसको कैसे दूर करेंगे। इनके साथ आप सामन्जस्य बैठाइए। केवल लक्ष्मी के पीछे भागते रहे तो लक्ष्मी पैदा तो करता है किसान और ज्यों ही लक्ष्मी एज आफ मेच्योरिटी में आती है, वह उसके कपड़े बनवाता है, गहने बनवाता है तो तुरन्त वह ऊपर चढ़ जाती है मेड़ी के अन्दर दौड़ती-दौड़ती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लक्ष्मी हमारे पास रहती ही नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह तो लक्ष्मी का भाग्य है कि वह पैदा किसी के घर में होती है और शादी के बाद और किसी के घर चली जाती है। यह भाग्य है।

श्री रामस्वरूप : लक्ष्मी भी उल्लू पर बैठ कर आती है। सवारी है उनकी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसीलिए आपके घर बिराज रही है। इसलिए माननीय मीणाजी के घर लक्ष्मी का वास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हमारा तो काम यह है कि हम तो पहले व्यवस्था करते हैं कि जितने भी किसान हैं उनकी शादी करवाते समय उनको एक-एक लक्ष्मी घर में दे देते हैं और लक्ष्मी के आने के बाद आप सब की तरक्की हुई उसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ी-लिखी नहीं होगी न कोई भी आज नयी तकनीकी वगैरह आप उनको बताना चाहते हैं चाहे टमाटर हो, चाहे दूसरी चीजें हों, कैर है, आप समझ लीजिये, आज कैर किस जगह पैदा होता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शेखावाटी में खूब हैं।

एक माननीय सदस्य : मारवाड़ में भी होता है।

श्री परसराम मदेरणा : मारवाड़ में हमारे गांव में भी खूब होता है।

नागौर में कैर होते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी जमीन में और उसमें फर्क है। कोई जमीन की फर्टिलिटी और प्रोफाइल में फर्क होता है। कैर जितने मीठे और बढ़िया हैं वे नागौर के होंगे और वह भी सड़क के किनारे गांवों का होगा जहां पर बढ़िया बैल होते हैं। वैसा कैर राजस्थान में कहीं पर नहीं होता। लेकिन यह सांगरी कहां होती है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सांगरी हमारे यहां बढ़िया होती है।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी तरफ तो खोके होते हैं। सांगरी कहां है। आप सुनिये। बाजरी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह आपको दे दी।

श्री परसराम मदेरणा : बाजरी अगर राजस्थान में किसी गांव में सबसे बढ़िया

(152)

(श्री परसराम मदेरणा)

होती है तो मारवाड़ में होती है और मारवाड़ में भी मेरे गांव चाड़ी में होती है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले....

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता मैं बहुत खेद प्रकट कर रहा हूं। आपके यहां बहुत बढ़िया होती है बाजरी, हमको क्या पता। एक-एक कट्टा माननीय सदस्यों को मिला होता तो हम सब....विराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कई लोग बातें ज्यादा करते हैं, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दो चीजें हैं। ट्रूथ एण्ड प्योरिटी। दो ही किसी आदमी में गुण है, दी शीयर वेट ऑफ ग्रेविटी। दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, उसका रास्ता साफ होगा। मैं बाजरी का दलिया खाता हूं, रात को सवा बारह बजे जाकर खाया था। अक्सर 15 दिन तक बाजरी की रोटी खाता हूं। मेरे गांव की बाजरी बहुत मीठी होती है। अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिया है....

श्री अध्यक्ष : निर्देश नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मुझे इस ओर के और उस ओर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को एक दिन बाजरी के बढ़िया सोगरे खिलाने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार शिरोधार्य किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और वह दिन जल्दी से जल्दी, सैशन के अन्दर ही आ जाए ताकि हम आपके घर आकर इसका रसास्वादन कर सकें।

(15.41)

(श्री समरथलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जिस जगह जो चीज पैदा होती है, उसको बढ़ाने का काम हमको करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको एक सावधानी की भी आवश्यकता है। वह सावधानी यह है कि जो खाद्य प्रसंस्करण और फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं उनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश की छूट नहीं देनी चाहिए और राजस्थान सरकार को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि भारत सरकार की छूट के बावजूद ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आलू की चिप्स बनाने के लिए, टमाटर केचप बनाने के लिए या केर-सांगरी, अदरक का कोई भी धन्धा करने के लिए, टमाटर की चटनी बनाने के लिए कम से कम राजस्थान में नहीं आयें। इसके लिए इस प्रकार के साधन अपनाये जाएं और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में एक फार्मूले के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के रूप में इनका प्रोडक्शन हों और राजस्थान सरकार एक लेबल के नीचे उनको परचेज करने की व्यवस्था कराये और स्वयं का लेबल लगाकर उनको बेचने, विपणन की व्यवस्था करायें। आज जापान में जो विकास हुआ है वह बड़े-बड़े उद्योगों के कारण तो हुआ

153

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ही है लेकिन आज वहां घड़ी बनती है, गाड़ी बनती है या वहां पर कोई साइकिल या मोटर साइकिल बनती है तो उसके पार्ट्स हजार. पांच सौ जगह से इकट्ठे होकर आते हैं, इकट्ठे होकर आने के बाद एक जगह असेम्बल होते हैं और वहां पर कम्पनी का ठप्पा लगने के बाद विश्व के बाजार में जाते हैं। यही कारण है कि आज जापान की मुद्रा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अधिक मजबूत है। जापान के सब लोगों को उससे रोजगार मिला है। लेकिन औद्योगीकरण के समय यदि हमने ध्यान नहीं रखा, अगर इनके विकेन्द्रीकरण का ध्यान नहीं रखा, औद्योगीकरण तो हो जायेगा, बड़े कारखाने भी लग जायेंगे लेकिन उद्योगों के आधार पर हम जो रोजगार देना चाहते है वह रोजगार नहीं दे सकेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार को रोजगार मूलक उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

मुझे खुशी है कि हमने हमारे बीच में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे उनको उद्योग विभाग सम्भला कर इस काम में लगाया। वे जब से आये हैं तब से वे उद्योगों के लिए जगह-जगह जा रहे हैं। मुझे उनकी प्रशंसा करने में, सदन में, कोई आपत्ति नहीं है। जो भी व्यक्ति राजस्थान में बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेगा, राजस्थान का नौजवान उस व्यक्ति के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्री के प्रयत्नों से राजस्थान सरकार ने हस्त शिल्प से बनी हुई वस्तुओं को जिस प्रकार पूर्णतया सैल्स टैक्स की छूट दी है, वह एक बहुत बड़ा साधन हमारे काम का है अगर राजस्थान के ठेठ गांव तक आप देखेंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कितने ही बड़े कारखाने लगायें, किसी जमाने में जब भारत आजाद हुआ था तब हमारा विश्व व्यापार में हिस्सा 2.5 प्रतिशत था, वह विश्व व्यापार में हिस्सा आज घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गया है लेकिन उस एक प्रतिशत में भी 75 प्रतिशत हमारा एक्सपोर्ट इन्हीं परम्परागत कारखाने से है, इन्हीं परम्परागत साधनों से हैं। इसलिए हमारे जो परम्परागत साधन है, जो रोजगार के साधन हैं, उनको अधिक मजबूत किया जाए और उनके लेबल के आधार पर हम इसका विकेन्द्रीकरण कर सकें, वह देखना चाहिए। इसी प्रकार कई इस प्रकार के उद्योग हैं जो राजस्थान में ही लग सकते हैं और राजस्थान में जिनकी बहुतायत है। ग्रेनाइट और संगमरमर, ये दो इस प्रकार की चीजें हैं। आज राजस्थान हिन्दुस्तान का 90 प्रतिशत हिस्सा संगमरमर का पूरा करता है, इसी प्रकार लाइम स्टोन हमारे पास बहुत है। लाइम स्टोन पर तो मेरे मित्र श्री मोदीजी ज्यादा बोलेंगे, उनका बचपन से लाइम स्टोन के बारे में बहुत अधिक अनुभव है और वह जानते हैं। मुझे तो संगमरमर और ग्रेनाइट का भी कोई ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार के उद्योग राजस्थान में विकसित हो रहे हैं और इसके बाद उसके कारण से जो छोटे उद्योग विकसित हो रहे हैं....(व्यवधान)....ये बचपन से मार्बल में खेले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ये ज्यादा क्या जानते हैं, आप जिसकी बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा स्टील ग्रेडेड लाइम स्टोन इनके पास नहीं है, वह जैसलमेर में है और वह कारपोरेशन के पास है और गवर्नमेंट उसका दोहन करती है। इसलिए आपने पूरा लाइम उधर डाल दिया, यह लाइम यूं मत फेंके। लाइम आपके पास भी है। सबसे बढ़िया लाइम है आपके पास, सरकार के पास, आप सरकार का हिस्सा हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं हूं, बिल्कुल हूं, मेरा उपयोग कराओ आप, क्योंकि हमारे यहां पर बाहर की सिफारिश अन्दर की सिफारिश से ज्यादा चलती है। आपकी सिफारिश से ही काम हो तो ठीक है वरना तो मैं जो कर रहा हूं वह सर्वश्रेष्ठ है।

श्री परसराम मदेरणा : राज की बात बताऊं। आप तो सरकार के पीछे हैं, स्तम्भ हैं उसके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार लाइम स्टोन पर आज सीमेंट के बहुत कारखाने लग रहे हैं, और मिनी सीमेंट प्लांट आज राजस्थान में बहुत भारी संख्या में लग रहे हैं, तो यह उद्योग हमारे लिए एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। इसी प्रकार से ग्रेनाइट और संगमरमर का उद्योग, यह उद्योग राजस्थान में इस प्रकार पनप रहे हैं, तो इन उद्योगों को अत्यधिक मात्रा में पनपाने की आवश्यकता है। मेरा उद्योग के बारे में कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप राजस्थान में इस प्रकार के उद्योग लगाइये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक काम में बहुत सफल नहीं हुए हैं। वह यह है कि एक बार अशोक लीलैण्ड का बड़ा कारखाना आया था उसके बाद हम बड़े कारखाने के लिए तरस रहे हैं। सीकर में खण्डेला में पायराइट्स के बहुत बड़े भंडार हैं और उस पायराइट्स के भंडार के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें बहुत बार की गयीं। सबसे बड़ा, दो सौ साल का पायराइट्स का डिपोजिट है और उससे जो खाद बनता है वह उत्तरी भारत की जमीन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। उस खाद की आवश्यकता भी है। बिहार में आमजार में एक छोटा-सा पाइराट्स का प्लांट है और सलफ्यूरिक एसिड, जो पायराइट्स से बनती है, उसका हम आयात करते हैं। हमारे देश को आयात करना पड़ता है। इतना बड़ा हमारे पास जब पोटेंशल है, एक बार जर्मनी की एक कम्पनी आयी थी और उसने इसमें टेक्नो इकोनोमिक सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद उस समय 9 सौ करोड़ रुपये का प्लांट लगाने की बात थी लेकिन आज उसका 3–4 हजार करोड़ रुपये का प्लांट है। मैं राजस्थान सरकार से चाहूंगा कि राजस्थान सरकार स्वयं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती लेकिन प्राइवेट इनवेस्टर्स और भारत सरकार से मिलकर इस पायराइट्स पर आधारित कारखाने को लगवाने का प्रयत्न किया जाए।

इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि खण्डेला के क्षेत्र में पानी की कमी है। सभापति महोदय, थोड़ा-सा दूर हटें, खण्डेला से अगर पलसाना की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सीकर की तरफ चलते हैं तो पर्याप्त पानी के भण्डार हैं और भू-गर्भ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जल सर्वे के अनुसार एशिया का सबसे अधिक मीठा भू-गर्भ जल शिव तालाब में, हमारे श्री अमरारामजी विधायक के धोद विधान सभा क्षेत्र में है। जब इतना भू-गर्भ जल वहां पर प्राप्त है, इतना पायराइट्स हमको खण्डेला में प्राप्त है और इससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, सस्ता खाद प्राप्त हो सकता है और उसमें लगने वाली बिजली उसी के द्वारा प्राप्त हो सकती है तो पायराइट्स पर आधारित यह खाद का कारखाना लगाने लिए राजस्थान सरकार को कोशिश करनी चाहिए। यह मेरी राजस्थान सरकार से मांग है।

इसके बारे में एक बात चली थी। भारत सरकार ने एक लाइसेंस जारी किया था। 136 करोड़ की लागत से केवल सलफ्यूरिक एसिड बनाने का कारखाना लगाना चाहते थे। हमने इसका विरोध किया। हम यह कहना चाहते थे कि सलफ्यूरिक एसिड का यह कारखाना वहां के साधनों का दोहन तो करेगा लेकिन सिर्फ 200 आदमियों को ही रोजगार देगा। तो हम चाहते हैं कि सलफ्यूरिक एसिड का नहीं, पायराइट्स पर आधारित खाद का कारखाना और सलफ्यूरिक एसिड का कारखाना साथ-साथ लगें ताकि उस क्षेत्र का विकास किया जा सके और आपने उद्योग नीति में क्षेत्रीय असन्तुलन करने की जो बात की है, उस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जा सके।

इसी प्रकार से मैं ऊन के उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बीकानेर में, चूरू में और कई जगह सरकार ने मिल लगायी लेकिन ऊन उद्योग में हम सफल नहीं हुए। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऊन का जो उद्योग है और सबसे ज्यादा ऊन भारत वर्ष में राजस्थान पैदा करता है और हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास साधन भी हैं और भेड़ें भी हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि ऊन पर आधारित उद्योग अधिक से अधिक राजस्थान में लगें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, सारे उद्योग हम लगाना चाहते हैं लेकिन उद्योगों के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वह है आज बिजली की। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हम पैदा करना चाहते हैं और जिसके आधार पर हम काम करना चाहते हैं उसमें सबसे मूल बात बिजली है और बिजली के बारे में जिस समय हम चिन्तन करते हैं उस समय, सभापति महोदय, मैं लीक से हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि जो स्टेट का सबसे पहला तरीका रहा है वह यह रहा है पानी और बिजली यह राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में इनको लेकर भारत सरकार का इस पर अधिकार होना चाहिए और भारत सरकार जिस प्रकार से वितरण करे उस प्रकार से राज्य की सरकारों को मानना चाहिए। आज हम छोटी-छोटी इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, रावी-व्यास के पानी पर समझ लें, चाहे यहां पर मैंने भाषण सुने दोनों तरफ के, जब से मैं राजस्थान की विधान सभा में आया हूं, भाषण सुनता आया हूं। यहां पर नाथपा झाकड़ी, कोल पार्वती, थीन डैम से होने वाली बिजली-कितने ही बिजली के

(158)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारखाने या टिहरी में बनने वाला बांध, सरदार सरोवर के बारे में और राजस्थान का जो चम्बल का पानी आता है उस पर बांध बना लिया उसके बारे में इन्टरस्टेट मैटर्स के बारे में राजस्थान विधान सभा के अन्दर कितनी ही बार भाषण हुए श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया, श्री शिवचरण जी माथुर के, श्री परसराम जी मदेरणा के और श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के–जितने भी बड़े-बड़े दिग्गज हैं उनके भाषण मैंने सुने हैं लेकिन आज तक राजस्थान का जो बिजली, पानी का हिस्सा है, वह हम पड़ौसी राज्यों से प्राप्त नहीं कर सके, चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम प्राप्त नहीं कर सके, यह सत्य बात है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मैं न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाना चाहता हूं, न कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं लेकिन सवाल यह है कि हम प्राप्त नहीं कर सके हैं और हमारा बहुत बड़ा हिस्सा आज वह दाबकर बैठे हुए हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को, विपक्ष को और हम सब को मिलकर यह मांग करनी चाहिए कि कम से कम बिजली पैदा करने के जो संसाधन हैं उसके लिए एक नेशनल ग्रिड बने। अगर नेशनल ग्रिड बनता है, सभापति महोदय, तो अकेले हिमाचल प्रदेश में लाखों मेगावाट हाइडल पावर को उत्पन्न करने की कैपेसिटी का सर्वे हो चुका है और उसमें राजस्थान को भी हिस्सा मिल सकता है....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान डूब जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं डूबेगा। 85 हजार मेगावाट है। सर्वे हो चुका है....

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन बात यह है कि बहुत लम्बे समय से इस विषय पर चर्चा हो रही है। आप जो कह रहे हैं मैं 101 फीसदी आपके विचारों से सहमत हूं और इसलिए हूं कि जब तक राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनेगी और स्टेट अपने क्षेत्रीयवाद के संकुचित विचारों से ऊपर नहीं उठेंगे, आप देखिये डिस्प्यूट आज चाहे कृष्णा की हो, चाहे गंगा की हो चाहे, यमुना की हो चाहे रावी-व्यास की भी हो लेकिन बात यह है कि वह स्टेट जो कई दफा आपको राइपेरियन कहती है और कई दफा बेसिन स्टेट्स हैं यह आपस में राइट्स का झगड़ा करके राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजली की भी यही बात है। कुछ एफलुएंट स्टेट्स आ गयी पहले। अपन बैकवर्ड यों ही नहीं रहे। बैकवर्ड होने के हिस्टोरिकल रीजन्स हैं लेकिन हमसे जो आगे थे उन तक पहुचने के लिए हमको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना है और वह भी हमको करना है होस्टाइल टेलेंट के अन्दर। होस्टाइल टेलेंट से मेरा मतलब है कि रेगिस्तान नहीं है लेकिन अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्रियेट करने में पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है, सर्विसेज को उपलब्ध कराने में पर यूनिट कास्ट ज्यादा पड़ती है तो हम थोड़े पीछे सरक जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि रेगिस्तान में जो चलता है वह करीब डेढ़ गज का एक कदम लेता है लेकिन आधा या पौन गज पीछे सरक जाता

(श्री परसराम मदेरणा)

है इसलिए उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर क्षेत्रीय असन्तुलन मिटाना है तो फिर बिजली की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और जलकी भी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अगर हम इन संकुचित विचारों से ऊपर नहीं उठेंगे तो आप यह निश्चित मानिये कि यह रीजनल इम्बेलेंस रहेगा विकास में। यह कांस्ट्रेंट भी रहेगा, यह इरिटेन्ट्स भी रहेंगे और इस सबूत में सभी पालिटिकल पार्टियों को सब अपने छोटे-छोटे मतभेद छोड़कर, अब क्लोजडोर में मीटिंग हो रही है, आपका, दिल्ली जाने का इरादा है. तो कम से कम आप भी राष्ट्रीय पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं, हम तो पहले ही से कर रहे थे, अब आपका भी दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो जाये और भी पार्टीज राष्ट्र के बारे में सोचें और राष्ट्र के हित में अगर कोई राष्ट्रीय नीति बनती है तो विकास को निश्चित तौर पर गति मिलेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, इसमें माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो मार्गदर्शन किया उसके लिए धन्यवाद देता हुआ मैं कहना चाहूंगा कि यह मैंने इसलिए कहा कि यह बात सही है कि हमने बहुत प्रयत्न किये लेकिन राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है उसका कारण रेगिस्तान है। यह सब जानते हैं। हाइडल पावर हमारे पास नहीं है। एक पर्सेंट जल हमारे पास नहीं है, 10 पर्सेंट हमारा क्षेत्रफल और 6 पर्सेंट जनसंख्या है, क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय जल और विद्युत की नीति बनायी जाये और राजस्थान को इसमें दोनों पार्टियों को मिलकर, सब पार्टियों को मिलकर पहल करनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान को तकलीफ है। राष्ट्रीय सम्पत्ति का दोहन नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कोई हिन्दुस्तान से अलग नहीं है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वह एकात्मकता के प्रति समर्पित सिस्टम है। हमारा सिस्टम जो संघात्मक है वह संघात्मक विभाजन की ओर नहीं है। एकात्मता के प्रति समर्पित संघात्मक हमारा ढांचा है। इसलिए भारत के ढांचे को केवल फेडरल ढांचा नहीं कहा जा सकता।

मैं 5 मिनट आपका समय बिजली के बारे में लेना चाहूंगा। इसके प्रशासनिक पक्ष के बारे में कहना चाहूंगा। विद्युत मण्डल के बारे में, सभापति महोदय, मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन एक दो बात हमें समझनी पड़ेगी। आज बिजली की कमी है यह कहने में किसी भी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं है। अब विरोधी पक्ष आरोप लगाये तो आरोप लगाये, सत्ता पक्ष आरोप लगा ले कि अपन पैदा नहीं कर सके, आप आरोप लगा लें कि आपने पैदा नहीं किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह बात साफ है कि हमारे पास बिजली की कमी है और आगे आने वाले पांच-सात साल में यही हालत रही तो 50 पर्सेंट से अधिक बिजली की कमी हमारे पास हो जायेगी और हम अंधकार में डूबते जायेंगे। आज 40 लाख उपभोक्ता बिजली के हमारे राजस्थान में हैं। अब बिजली को प्राइवेट सेक्टर में आपको जनरेट करना ही करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में जनरेशन होगा तो जिस प्रकार की बिजली की कास्ट आ रही है वह महंगी होगी

158

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसमें दो राय नहीं इसलिए हमको तैयार करना पड़ेगा उपभोक्ताओं को एक सीमा तक। मैं चाहता हूं उद्योग, व्यापार और घरेलू काम में जो बिजली आती है उसमें सभी प्रकार की सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए और चाहे जो महंगाई बढ़ती है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यह प्रदेश के हित में और देश के हित में भी है। यह किसी का अधिकार नहीं है कि एक बार जिसने बिजली प्राप्त कर ली वह दूसरों को आगे बिजली नहीं जाने दे।

श्री विष्णु मोदी : मैं एक बात आसन की इजाजत से पूछना चाहता हूं। जब आप इधर थे और जब दो पैसे यूनिट बिजली बढ़ी थी उस समय आपने क्या किया था और आज आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य मैं आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने जा रहा हूं। मैं वित्त मंत्रीजी के बजट के भाषण के पैरा 16 को पढ़ रहा हूं। 16 को नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वह पूरा वाक्य भी नहीं है, आधा वाक्य पढ़ रहा हूं। "आगे आने वाले वर्षों के लिए विवेकसम्मत समुचित उपभोक्ता मूल्य नीति के लिए अपने सुझाव दें तथा सरकार का मार्गदर्शन करें।" उसमें इधर से बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस सरकार का मार्गदर्शन कुछ कम किया। इसलिए मैं आपसे तो आशा रखता हूं, अपेक्षा है, आप सरकार का तो छोड़ो, सरकार का तो आप हिस्सा हैं, यू आर पार्ट आफ दी गवर्नमेंट, विवेकसम्मत समुचित उपभोक्ता मूल्य नीति, यह आप क्या चाहते हैं ? डेफिनेटली और बोल्डली कहिये हाउस के अन्दर। यह जो गोलमाल बात हो रही है उससे पता नहीं चलता कि क्या विवेक सम्मत है, क्या समुचित है, क्या उपभोक्ता नीति है ? आप साफ कहिए कि हमारी नीति यह है, क्लियरकट हमारी यह पालिसी है। आप इसमें एग्री करते हैं, इसमें कमी है तो बताइये। हमारे सामने कोई साफ आप्शन नहीं है और हमको बिटर डिसीजन लेना पड़ेगा और कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी अगर राजस्थान का विकास करना है। यह बात बिलकुल क्लियर है। यह छुपके-छुपके जादूगर की तरह-जमूरे, क्या दिखता है कि मुझे तीनों लोक दिखते हैं। जमूरे-बिजली दिखती है कि हां, ऊपर चमक रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यह बजट का पैरा जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पढ़ा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से पहल की है और मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो पहल की है उस पहल को सब राज्य सरकारों को स्वीकार कर लेनी चाहिए। भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने साफ कहा है कि अब वह समय निकल गया।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार की नीति व इनहेरेंटली बहुत ही करेक्ट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करेक्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर आप श्री नरसिंहराव जी का इस्तीफा क्यों चाहते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं ? आप तो कह रहे हैं कि जल्दी इस्तीफा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री नरसिंहराव जी का इस्तीफा हम नहीं चाहते।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आज की डिमाण्ड के ऊपर आप बोलेंगे नहीं क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पूछने का अभिप्राय क्या है, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रेरणा मिलती है, इनसे मार्गदर्शन मिलता है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय नीतियों का प्रश्न है। यह स्पेसिफिक नहीं आ रही है और अगर आप सुनना चाहते हैं तो उधर बैठे राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य एक दिन कह रहे थे कि आपने चालीस साल में पाप किया है। यह ऊपर लपेटकर के पाप करने की बात नहीं है, आप विवेकसम्मत, समुचित उपभोक्ता नीति का आज यहां पर खुलासा कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, विवेकसम्मत यानि अपना-अपना विवेक, जो मेरा विवेक है वह मैं प्रकट करता हूं। माननीय श्री मनमोहनसिंह जी, जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ-साफ कहा है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान की बातें करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऊपर से गंगा आती है कि आज तक हम जो सब्सिडी और छूट देते जा रहे थे उसका समय समाप्त हो रहा है. उसको धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि कृषि के क्षेत्र को छोड़कर, जब तक हम कृषि पर बोझ कम नहीं करेंगे, कृषि पर बर्डन कम नहीं होगा, कृषि जब तक लाभकारी नहीं होगी, तब तक अगर हम इस राष्ट्र की सम्पदा बढ़ा भी लें, बजट का घाटा पूरा भी कर लें लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसान का अगर रोजगार छीन लें, उस सम्पत्ति से कोई फायदा नहीं। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था लेकिन जब किसान का घर गरीब होगा तो सोने की चिड़िया किसी सेठ और करोड़पति के यहां या सरकार के खजाने में पड़ा हुआ सोना काम नहीं आएगा। इसलिए विवेक-सम्मत का मतलब है धीरे-धीरे, आज इसीलिए मैंने मांग की थी कि घरेलू उपभोक्ता, व्यापारिक उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की विद्युत की छूट नहीं दी जानी चाहिए। कृषि उपभोक्ता को पहले हमको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इसके सिस्टम को, उसको पर्याप्त बिजली देने की व्यवस्था करिये फिर उसको कैटेगरी में विभाजित करिए। आज शहरों के पास के जो किसान हैं, जो सब्जी पैदा करते हैं या कैश क्राप पैदा करते हैं उनका आपने दस पैसा या बीस पैसा बढ़ा भी दिया तो

(160)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई दिक्कत की बात नहीं है किन ठेठ रेगिस्तान में जहां बीस-बीस हार्स पावर की नीचे मोटर हैं, उस मोटर से पानी निकाल कर वह गेहूं पैदा करते हैं, उनका यदि आपने बढ़ा दिया तो उनके लिए अन-इकानामिक हो जाएगी और जिस समय हम बात करते हैं उस समय लोग कहते हैं कि यह बढ़ाना तो पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो इसके दो तरीके हैं। बिजली का रट बढ़ाते हो तो किसी न किसी तरह किसान को सब्सिडाइज्ड करना पड़ेगा। बिजली पर बढ़ा दे लेकिन अनाज पर सब्सिडाइज्ड करना पड़ेगा यह कोई नयी बात नहीं है। आज दुनिया के डवलप्ड और अनडवलप्ड सारे के सारे कन्ट्रीज हर प्रकार से अपने किसान को सब्सिडाइज करके उसको रखना चाहते हैं। 26 अरब रुपये का सब्सिडाइज्ड यूरोपियन कन्ट्रीज ने फूड खरीद कर समुद्र में डाल दिया। जमीन को खाली रखने के लिए, आप पैदा मत करो, इसके लिए किसान को अनुदान देते हैं। इसलिए हम पैसा बढ़ायेंगे तो भी किसान को दूसरे रूप में सब्सिडाइज करना पड़ेगा और कई सफेदपोश लोग इस तरह की बात कह दें, ब्यूरोक्रेसी में कई बार इस तरह की चर्चा चली कि यह किसान को ही क्यों ? मैं कहना चाहता हूं कि किसान को इसलिए कि इस हिन्दुस्तान में दो पर्सेंट और राजस्थान में चार पर्सेंट लोग हैं जो आर्टिकल 311 के अम्ब्रेला के नीचे चलते हैं। जिनकी सेवाएं सुरक्षित हैं, रिटायरमेंट के बाद जिनको पेंशन मिलने वाली हैं, अगर बीमार पड़ गये तो सारा का सारा खर्च सरकार उठाने वाली है लेकिन इसमें जो बाकी बचे हुए 96 पर्सेंट हैं उनमें से 60 पर्सेंट लोग खेती पर निर्भर हैं और उनके लिए किसी प्रकार का बीमा नहीं है, उनकी ओले से सुरक्षा नहीं है, उनकी पाले से सुरक्षा नहीं है, उनकी कोई अन्य सुरक्षा नहीं है तो उनको अम्ब्रेला देना ही पड़ेगा किसी न किसी प्रकार का और लोक कल्याणकारी सरकार को वह अम्ब्रेला देना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो पैदा करता है उससे कारखाने में जाकर माल पैदा होता है, ग्रोस नेशनल प्रोफिट बढ़ाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय भी वही बढ़ाता है। केवल किसान को पैसा दे दिया, कृषि मण्डी में आपको पैसा देता है। मिल में जाता है वहां पर आपको प्रोडक्शन देता है। सारा का सारा मूल आधार तो एग्रीकल्चर है।

श्री परसराम मदेरणा : He is exposed to the Vagaries of nature. यह उद्योग के साथ में नहीं है। आपने यूरोपियन आर्गेनाइजेशन की जो बात की लेकिन अमरीका और हमारे देश की हालत बहुत डिफरेंट है। यहां तो 70 पर्सेन्ट पापूलेशन का एग्रीकल्चर आकूपेशन है और अमरीका में न्यूयार्क से लेकर साउथ जोर्जिया तक कितने पर्सेंट लोग खेती करते हैं और वहां पर सब्सिडी का पर्सेंटेज क्या है, वह आपके पीछे बैठने वाले जो पंडित हैं, मैं समझता हूं इसमें, he will throw some light.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, लेकिन साथ-साथ हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पास विनियोजन करने वाला कौन आएगा। आज जो 4300 मेगावाट बिजली की बात कर रहे हैं उसमें 18,000 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट है और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

6 हजार करोड़ प्रतिवर्ष उसको परचेज करने के लिए राज्य सरकार को देने पड़ेंगे। यह 6 हजार करोड़ रुपये की गारंटी जब तक उन 18 हजार करोड़ रुपये के विनियोजन करने वालों को नहीं मिलेगी जब तक किसी भी प्रकार से आपके विद्युत का विकास नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ इस प्रकार के प्रयत्न हुए हैं जैसे डीजल जनरेटिंग सेट्स लगाने की व्यवस्था की बात हुई और छह डीजल जनरेटिंग सेट्स लगा रहे हैं। मैं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके पास 20, 25, 28 पार्टीज आयी हुई हैं तो आप छह का सलेक्शन क्यों कर रहे हैं? आप बीस का सलेक्शन क्यों नहीं करते? लगाने दीजिए बीस आदमियों को। फिर आपके पास सौर ऊर्जा के जो नये नये साधन आ रहे हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार विशेषकर, कहीं से भी कटौती करके या ऋण लेकर भी, या भारत सरकार की सहायता से या और अन्य किसी की सहायता से सौर ऊर्जा के बारे में अनुसंधान करने के लिए अलग से अनुसंधान शाला कायम की जानी चाहिए और सौर ऊर्जा के लिए करोड़ों रुपये का खर्चा राज्य सरकार को अगर करना पड़े तो इसके लिए किया जाना चाहिए। अगर किसी भी कीमत पर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो लेनी चाहिए। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं और दुनियां में, कम से कम हिन्दुस्तान में 300 क्लियर सन डेज राजस्थान में उपलब्ध हैं। राजस्थान में इससे बढ़िया साधन नहीं होगा। डीजल के भण्डार धीरे-धीरे खतम होंगे, कोयले के भण्डार धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं, हाइडल एनर्जी भी अपने आप में लिमिटेड है और एटामिक एनर्जी के विकिरण के कारण से बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गये हैं इसलिए सोलर एनर्जी बहुत बड़ा साधन है। जिस भगवान ने हमको बहुत कठिनाइयां दी हैं उसने हमारे ऊपर कृपा भी की है और यह सोलर एनर्जी हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा का स्रोत बन सकता है अगर आज की बहस में यह निकले, मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, किसी भी प्रकार की बचत करके इसके ऊपर अनुसंधान के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए। अगर विदेश से इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को इसके लिए बुलाना पड़े तो बुलाया जाए। भारत के वैज्ञानिक किसी भी प्रदेश में बुलाये जाएं, वैज्ञानिकों के अलावा भी जिनको इस बात का तकनीकी ज्ञान हो, बुलाया जाए और सोलर एनर्जी के लिए एक अलग से अनुसंधान कायम किया जाए। सोलर एनर्जी का अनुसंधान ही हमारे लिए काम में आयेगा और इसमें अनुसंधान हो रहा है। मथानिया में जो बिजली हमको मिलने वाली है, बहुत महंगी है। मथानिया के अलावा, जैसे आपने डिस्कस किया, जैसलमेर में जो प्रोजेक्ट आने की बात है सवा दो, तीन रुपये यूनिट के अन्दर, वैसे अगर प्रोजेक्ट आते हैं और वैसी टेक्नोलोजी भी अगर आती है तो उसको भी आयात करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। आज समय कम है, मैं तो संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों का विकास करना हो, चाहे खेती का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विकास करना हो, आज तो हालत यह हो गयी कि बिजली के बिना हमारे जैसे घर में भी जहां सुबह-सुबह प्रातःकाल में, मेरा तो यह सौभाग्य रहा कि मैं मेरी दादी की गोद में बैठता था और वह बिलोना बिलोती थी और फिर घी निकालने के बाद में उसके जो घी के हाथ थे, वे हाथ मेरे सिर पर पौंछ देती थी, बाल तो बचपन में रखते नहीं थे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जब ही इंटेलीजेंट हो।

श्री परसराम मदेरणा : जब गोद में बैठने के लायक थे तो बच्चों की मालिश भी घी से ही करते थे। आपकी की या नहीं की ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : की है। लेकिन आज क्या है ? आज तो उस हांडी में मशीन लगा देते हैं घी निकालने के लिए, वह भी बिजली से चलती है। कपड़े धोना भी बिजली से ही है, सारा काम बिजली से ही है और बिजली हमारी लाइफ लाइन हो गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : चटनी भी बिजली से ही बनती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चटनी भी बिजली से और सिर्फ एक काम बाकी बचा बिजली से, अगर वह काम और होने लग जाए....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा एक काम से मतलब है कि बिजली से अगर बोलने लग जाएं तो सारा काम ठीक हो जाएगा। सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सोलर एनर्जी के बारे में सारा विचार विमर्श करके राजस्थान में बनाने के प्रयत्न करें और जितना भार आप किसान पर डाल सकते हैं उतना क्लियर कहें, अभी जैसा कि माननीय श्री मदेरणा साहब ने कहा और समझे किसान समझेगा इस बात को कि, अगर आप बिजली देने की पुख्ता व्यवस्था करते हैं तो टाइम आ गया है कि आप धीरे-धीरे यह खतम करते चले जाएं और बिजली महंगी भी लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे। बिजली के क्षेत्र में भी आपने काम किया, विशेषकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि चौमूं किसानों का बहुत बड़ा गढ़ है, वहां की हर चीज विशेष है।

श्री परसराम मदेरणा : किसानों का गढ़ नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो आपके यहां है........।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी सबसे ज्यादा है।

श्री परसराम मदेरणा : I think it is about 98% which is almost highest in the State of Rajasthan.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय चौमूं विधान सभा क्षेत्र में 6 हजार बिजली के कनेक्शन हैं, साढ़े तीन हजार डिमाण्ड नोटिस अभी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जारी हो गये हैं और मैं समझता हूं कि 4–5 महीनों में 10 हजार कनेक्शन मेरे यहां बिजली के हो जाएंगे।

श्री रामस्वरूप : यह सारे आपको ही दे दिये क्या ? औरों को भी तो दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तरकीब है जो चौमू में ही आती है।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने समय दिया और राजस्थान सरकार ने उद्योग नीति जारी की है, उद्योगों के लिए वातावरण बनाया है, बिजली के लिए जो वातावरण बना रही है उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मांगों को पास करें और राज्य सरकार को औद्योगिक नीति के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और ऊर्जा मंत्री और अधिक ऊर्जावान बनें, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, उद्योग और बिजली के सम्बन्ध में आज विचार हो रहा है। जिसमें मैं सबसे पहले बिजली के सम्बन्ध में दो बात कहूंगा। माननीय विद्युत मंत्रीजी, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा 61 के अनुसार आपके पास विद्युत मण्डल द्वारा फरवरी में यह बजट आने वाले वर्ष का आ जाना चाहिए था और वह एक्ट में कम्पलसरी है, वह कोई इच्छा पर नहीं है और उस एक्ट को आप विधान सभा में रखते और यह चर्चा जो आप आज मांग पर करा रहे हैं उसके साथ अगर यह बजट भी होता तो और ज्यादा सार्थक चर्चा होती।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वैसे माननीय सदस्य, यह बजट कब-कब रखा गया है। आपके स्मरण में ?

श्री हरजीराम बुरडक : पिछले साल, आप देख लें, उसमें आप भ्रमित हो जाते हैं। इसमें तीन तरह की रिपोर्टस् आपको पेश करनी होती हैं और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, आपने एक रिपोर्ट पेश कर दी। मैंने यहां विशेषाधिकार का प्रश्न दिया और अध्यक्षजी ने आपको बुलाकर वह सारा बताया। उसके बाद में आपने ये दो रिपोर्टस् और पेश की। धारा 61 के अन्दर तो है बजट, वह आपने इस साल पेश किया नहीं, पिछले साल पेश किया था, चर्चा आपने करायी, नहीं करायी वह मैं भूल गया और धारा 69 में आप पेश करते हैं अकाउंट एण्ड ऑडिट, जो आपने कल पेश किये थे और धारा 75 में आप पेश करते हैं वार्षिक रिपोर्टस् जो आपने इससे पहले इसी सदन में पेश की हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी इच्छा शक्ति में तो मेरे को कोई सन्देह नहीं है लेकिन या तो ये अधिकारी लोग आपको भ्रमित करते हैं या आप उनको जिस हैसियत से कहना चाहिए वह कह नहीं सकते। पिछले साल आपने यह रिपोर्टस् पेश तब की जब मैंने यहां विशेषाधिकार का प्रश्न रखा। इसके साथ ही आपने यह जो रिपोर्ट रखी है, वह अकाउंट एण्ड ऑडिट की जो आपने रिपोर्ट रखी उससे एक साल पीछे की रखी है। तो ऑडिट एण्ड अकाउंट में

164

(श्री हरजीराम बुरडक)

तो आपको कुछ देरी हो सकती है, वह बात समझ में आ सकती है लेकिन जब अकाउंट एण्ड आडिट की रिपोर्ट आपने तैयार कर ली, हाउस में पेश कर दी, फिर वार्षिक विवरण पेश करने में क्या दिक्कत थी? वह भी आपने एक साल पहले के पेश किये, आडिट रिपोर्ट में ए जी. ने जो एतराज किये, वे भी देखें होंगे। यहां आपने कल पेश की और हमको सुबह मिली। हम जितना इसमें देख पाये, इसमें भयंकर एतराज आडिट रिपोर्ट में आये हैं। उसका पेज चार देखिये। पेज नम्बर चार में ऐसे एतराज हैं कि आपका कोई अकाउंट ही नहीं मिल रहा है। पहले ही नम्बर पर लिखा है कि 402.45 करोड़ रुपये की कीमत के सामान का सत्यापन ही नहीं है। इस प्रकार से यह लिस्ट लम्बी चौड़ी है, इसमें ज्यादातर में लिखा है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार की आडिट रिपोर्ट पेश कराकर आप जो यह लेखें प्रस्तुत कर रहे हैं वे बिलकुल खोटे हैं, इस हिसाब से आप यह लाभ-हानि जो दिखा रहे हैं वह भी बिलकुल खोटी हैं। जब आपका अकाउंट ही सही नहीं है और आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमको लाभ दिखाकर तीन पर्सेंट, सैण्ट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेने है। तो यह सारा का सारा धोखा है, आपके अकाउंट सही नहीं है, यह आप ही की रिपोर्ट है।

दूसरा, मेरा यह कहना था कि आप जो बार-बार यह दिखा रहे हैं कि हम छीजत में कमी कर रहे हैं, यह भी आंकड़े आपके बिलकुल गलत हैं। छीजत और चोरी अलग करने का आपके सिस्टम नहीं है, यह बात तो समझ में आ रही है क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा साधन हो तब ही अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग हो नहीं सकती। लेकिन इसमें आप दूसरा जो धोखा कर रहे हैं वह यह है कि आप जितनी बिजली देते हैं और जितनी आपका प्रोडक्शन या परचेज है, दोनों को मिलाकर जितनी राशि का आपका अन्तर आये उसको आप छीजत बता दो। तो इनकम साइड में जो दूसरी इनकम है बिजली की कीमत के अलावा, मीटर किराया या पैनल्टी है या जुर्माना, जितने भी आप वसूल करते हैं उनको सब को साथ कर देते हैं। इस हिसाब से आप अपनी छीजत को कम बता रहे हैं लेकिन यह आपका ही विज्ञापन है पिछले साल का, इसमें आपने सही-सही बात कही है। आपने इसको पढ़ा है या नहीं, यह मुझे पता नहीं। उसमें यह है कि 1981–82 में आपकी छीजत थी 31 पर्सेंट और 1993–94 में 42 पर्सेंट हो गयी। आप अन्दाज लगाओ कि कहां आप पहुंच गये? फिर आप कह रहे हो कि हमारे बिजली बोर्ड में घाटा है, घाटा पूरा करने के लिए हम रेट बढायें और यह आकड़े आपके ही दिये हुए हैं, उस विज्ञापन में यह लिखा है ऊर्जा उपलब्धि–मिलियन यूनिट–1981–82 4820 और ऊर्जा विक्रय–3634। इसका एवरेज आता है 31 पर्सेंट आपकी छीजत हुई है और 1993–94 में आपके पास ऊर्जा थी–15371 और अपने विक्रय की है–10828, इसका एवरेज आता है 42 पर्सेंट। इसलिए विद्युत मंत्रीजी, यह जो आंकड़े आपके अधिकारी और बोर्ड दे रहा है वह मेरे

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हिसाब से सही नहीं हैं और यह जो मैंने आंकड़े बताये हैं यह आप ही के बोर्ड के द्वारा छपवाये हुये विज्ञापन के हैं। इस बारे में आप अपनी जांच करें।

तीसरा, मेरा निवेदन था कि पिछले साल आपने अप्रेल में नये कृषि कनेक्शनों के बारे में एक आदेश जारी किया। उसमें आपने एग्रीकल्चर कनेक्शनों में पोल सब्सिडी को खतम किया, वह कम किया सो तो किया, लेकिन 10 हार्स पावर और 10 हार्स पावर से ऊपर का जो भेदभाव किया उससे काश्तकारों को बहुत तकलीफ हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने आपको उस समय भी निवेदन किया था तो आपने उस समय तो यह कहा कि 10 हार्स पावर से ऊपर की मोटरें बड़े काश्तकार लगाते हैं, मैंने आपको उस समय भी निवेदन किया था कि यह हार्स पावर का जहां तक सवाल है उसमें बड़े-छोटे काश्तकार का मामला नहीं है। जहां पर पानी 500 फीट गहरा निकालेंगे, 400 फीट गहराई से निकालेंगे तो वहां 10 हार्स पावर से कम की मोटर से पानी बाहर ही नहीं आता है चाहे काश्तकार 5 बीघा का ही हो। यह बात आपको आगे जाकर समझ में आयी और आपने उस आर्डर को विदड्रा किया। इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन इस पीरियड में जिन काश्तकारों से आपने ज्यादा पैसा वसूल कर लिया उन पैसों को वापस देने का या एडजस्ट करने का काम करना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी आपने ढाई हजार रुपये प्रति हार्स पावर का किया था उसमें आपने पैसे वापस देने का किया है, उसी हिसाब से इस सम्बन्ध में भी आप व्यवस्था करेंगे तो यह एक रूपता हो जायेगी। चूंकि कुछ लोगों से तो जहां आप 12 हजार रुपये लेंगे, वहां लग गये 56 हजार रुपये, बाकी लोगों के लग गये 12 हजार। एक ही साल में दो तरह के आदेश होंगे। अतः इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में भी कोई घोषणा करें।

इसके अलावा एक निवेदन यह था कि बिजली की सप्लाई के मामले में म्युनिसिपिल एरिया और पंचायत एरिया में जो आप भेदभाव कर रहे हैं वह बड़ी जगह पर तो अच्छा लग सकता है, जैसे मान लो जयपुर में तो, क्योंकि बड़ी सिटी है, सब लोगों का गांवों से और शहरों से कोई सम्पर्क भी नहीं है, कोई जान-पहचान भी नहीं है लेकिन छोटी जगहों में जहां म्युनिसिपल एरिया में तो बिजली रहे 24 घंटे और 2 किलोमीटर जाते ही पंचायत एरिया आता है, वहां बिजली नहीं रहे, इस सम्बन्ध में भी आपको सोचना चाहिये और यह भेदभाव मिटाना चाहिये। जब भी इस सम्बन्ध में छोटे अधिकारियों से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि साहब हमारे पास तो ऊपर के आदेश हैं। हमने उनसे यह भी कहा कि भाई, कोई आदेश आपके पास हों, रूल्स-रेगुलेशंस हों, कोई सर्क्यूलर हों तो वह बता दो। वह कहते हैं कि हमारे पास तो आदेश हैं और जो आदेश आते हैं वह हम रजिस्टर में लिख लेते हैं। अतः इस सम्बन्ध में भी आपको सोचकर कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिये और इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिये।

(श्री हरजीराम बुरडक)

चौथा, छोटे–मोटे मेरे एरिया के सम्बन्ध में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ से लाडनूं एक 33 के. वी. की लाइन है और वह तीन जगह घूमकर जाती है, वह बीच में 3 जगह टेप हो गयी। इससे वहां पर वोल्टेज की बड़ी समस्या है। वहां पर वाटर वर्क्स के बहुत ज्यादा कुएं हैं, एग्रीकल्चर का भी लोड हैं। अगर सुजानगढ़ से सीधी 33 के. वी. की लाइन हो तो इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकता है।

पांचवां, इसी क्षेत्र में एक गांव है बाटलिया। उसमें पहले सब स्टेशन बना था उस समय 160 का ट्रांसफार्मर लगा था उस समय लोड भी इतना ही था। कई वर्षों के बाद अब वहां पर एग्रीकल्चर का लोड इतना ज्यादा हो गया है कि वह ट्रांसफार्मर आये दिन जलता रहता है। वहां मीठा पानी होने के कारण आस-पास के काफी दूर-दूर के गांवों में पीने का पानी भी जाता है। इसलिए भी वहां लोड ज्यादा रहता है। इसलिए अगर वहां थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर आ जाय तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

उद्योग के सम्बन्ध में नयी औद्योगिक नीति राजस्थान की और भारत सरकार की, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की, वह सब बातें उप मुख्य मंत्रीजी करते हैं लेकिन वास्तव में इस बात की आवश्यकता है कि जो भी उद्योग लगें उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो उद्योग लगायेंगी उनमें इन्वेस्टमेंट तो इतना हैवी होगा और रोजगार बहुत कम लोगों को मिलेगा। राजस्थान में नमक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें सरकार को कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है, सरकार को सिर्फ रेगुलेट करना पड़ता है। पिछले समय में....(व्यवधान)....उप मुख्य मंत्री महोदय, जरा एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आप सुनवाइये, साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं सुन रहा हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : नमक उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें सरकार को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और हजारों-लाखों लोग इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। नावां और कुचामन क्षेत्र में काफी लोग इसमें लगे हुए हैं, रोजगार में लगे हुए हैं। वहां की एक स्कीम बनाई थी राज्य सरकार ने, आदर्श लवण फार्म बनाने की कि सरकार की तरफ से वहां पर बनायेंगे। थोड़े दिन तो वह स्कीम रही और कुचामन में उसके लिए 100 एकड़ या 100 हैक्टेयर जमीन एक्वायर की थी। वह आदर्श लवण फार्म तो धरा का धरा रह गया और वह कीमती जमीन लोगों को आवंटित कर दी। आवंटन करने के लिए सेलाइन एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1970 है उसमें स्पष्ट प्रोवीजन है कि एक महीने का गजट नोटिफिकेशन करके एप्लीकेशंस मांगेंगे और उन एप्लीकेशंस में आप चाहें जिसको अलाट करेंगे। लेकिन यह जितने भी अलाटमेंट हुए हैं उनमें न तो एप्लीकेशंस मांगी गयीं और न और कोई कार्यवाही की

(श्री हरजीराम बुरडक)

गयी, सिम्पली सीधे एक आर्डर निकाल दिया कि अलाटमेंट नियमों के नियम 12 के अनुसार, अब नियम 12 में अलाटमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है नियम 12 में सिर्फ अलाटमेंट करने के बाद उनका क्या करना है, शर्तें हैं, सिर्फ वह है। अलाटमेंट का नियम 10 है और 10 में वही प्रोविजन है कि एप्लीकेशंस मांगेंगे, उसके बाद में उनकी स्कूटनी करेंगे, उनको देखेंगे। उस हिसाब से आप अलाटमेंट करेंगे। वहां पर एक अलाटमेंट ऐसा किया है कि 25 साल पहले का अलाटमेंट किसी आदमी का था उस समय उस आदमी ने या तो कब्जा किया नहीं या और कोई कारण से, 25 वर्ष बाद में कह दिया कि उस समय पानी भरा हुआ था और अब पानी सूख गया है इसलिए उसको वापस अलाट किया जाता है। ऐसा कहीं भी आपके नियमों में प्रोवीजन नहीं है। इसके साथ ही साथ आप 12 महीनों से कह रहे हैं कि हम सेलाइन एरिया अलाटमेंट रूल्स नये सिरे से बना रहे हैं। अब इसमें कितना टाइम लेंगे ? पहले टाइम लगता था पर वह अलग बात थी, अब तो आप तो इतने एक्टिव आदमी हैं, अब तो उसको जल्दी फाइनल करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : किसको किया है, यह जरा बता दीजिए।

श्री हरजीराम बुरडक : वह मैं आपको अलग से बता दूंगा, यहां बताना ठीक नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अलग से बता देना।

श्री हरजीराम बुरडक : सेलाइन एरिया अलाटमेंट रूल्स आपने अभी तक फाइनल नहीं किये हैं और वहां पर कई उद्योगपतियों के चाहे पार्टनरशिप की वजह से हों या और कोई वजह से हों, प्लाट्स के स्थानांतरण के जो मामले थे वह लम्बे समय से एकदम बन्द पड़े हैं और यही कहा जा रहा है कि अलाटमेंट रूल्स जब चेंज हो जायेंगे तब करेंगे। उसको भी आपको जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री सभापति : श्री मदनमोहनजी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : सभापति महोदय, जो राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति और खनिज नीति बनायी, एक तो पहले औद्योगिक नीति सन् 1990 में बनी उसके बाद जून, 1994 में बनी लेकिन दोनों ही नीतियों में समानता है और मौलिक रूप से कुछ अन्तर भी हैं। जो मौलिक अन्तर भी है उसमें नियंत्रण मुक्त वातावरण सृजन करने का प्रयास किया गया है। नम्बर दो, निरीक्षण को वास्तविक रूप से नियंत्रित व कम किया गया है। नम्बर तीन, उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों के लिए एक समय सीमा भी तय की गयी है। यह जो समय-सीमा तय की गयी है, यह भी बात ठीक है और जो नये उद्योग लगेंगे, उनसे मिलने वाले रोजगारों के बारे में भी कहा गया है। आज तक इस राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण इलाका और सबसे बड़ा इलाका अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र आता है। उस क्षेत्र में लगभग 500 इकाइयां काम

(168)

(श्री मदन मोहन)

कर रही हैं जिनमें छोटी और बड़ी सभी हैं लेकिन अलवर जिले के मात्र उनमें साढ़े सात प्रतिशत श्रमिक कार्य करते हैं। क्या राज्य सरकार, इसमें जो रोजगार के बारे में कहती है, क्या रोजगार के लिए कभी इनके लिए कोई नियम बनाया गया है कि औद्योगिक नीति जो बनी है, उसमें इस राजस्थान के नागरिकों के लिए ऐसी कोई प्रशिक्षण की सुविधा दी गयी जिससे राजस्थान में जो स्थापित होने वाले उद्योग हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनमें राजस्थान के विद्यार्थियों और नौजवान युवकों को रोजगार मिल सकें ?

उसके साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही गयी है। राजस्थान में जितनी भी इकाइयां लग रही है उनमें क्षेत्रीय असंतुलन का पूर्णतया अभाव नहीं है। राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां, जितनी भी राजस्थान के बाहर से विदेशी कम्पनियां आयी हैं, वे सारी अलवर जिले में स्थापित हो रही हैं और अब भी जो राजस्थान के अन्दर करीब 9000 इकाइयां, जिनके बारे में सरिस्का में भी करीब 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि दिल्ली के अन्दर जितनी भी प्रदूषित इकाइयां हैं, करीब 9,000 हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने बन्द की हैं, उनको सबको राजस्थान के अलवर जिले में स्थापित किया जाय। अलवर जिले में ही हो, यह क्षेत्रीय असन्तुलन है या क्षेत्रीय समानता है।

औद्योगिक नीति के अन्दर निजी क्षेत्र को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है, इसके लिए माननीय उद्योग मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बनाये जा सकेंगे, विद्युत उत्पादन संयंत्र आ जायेंगे, दूर–संचार सुविधा भी निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जा सकेगी और 500 के. वी. क्षमता के डीजल जनरेटिंग सैट की अनुमति देने की प्रक्रिया भी सरल की है, इसके लिए तो राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की जितनी भी चोरी होती है, उसके लिए कभी कोई ठोस कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे ? राज्य सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनायी, इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं जिनकी वजह से निर्यात को प्रोत्साहन मिला है लेकिन आपकी खनिज नीति तैयार हो गयी लेकिन आज तक खनिज के निर्यात करने का कोई सफल प्रोग्राम नहीं बनाया। राजस्थान के अन्दर इतने खनिज पैदा होते हैं, जिसमें संगमरमर और ग्रेनाइट सबसे महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के अलवर जिले के अन्दर ग्रेनाइट और संगमरमर निकलता है लेकिन वहां पर पर्यावरण के नाम पर उन सारी खानों को बन्द कर दिया गया है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब वहां के प्रदूषण से उस खनन कार्य को रोका गया है तो वहां पर प्रदूषित इकाइयों को क्यों स्थापित किया जा रहा है ? आज तक जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनीं, उनका सुचारू रूप से उपयोग किया गया होता तो वास्तव में उसके परिणाम ठोस और आधार सहित प्राप्त होते।

सभापति महोदय, राज्य में औद्योगिक ढांचे का आधारभूत परिवर्तन भी मिला है।

(श्री मदन मोहन)

राज्य में सम्भावित औद्योगिक विकास को मध्य नजर रखते हुए वांछित विद्युत आपूर्ति की योजना बनाकर आगामी 5–6 वर्षों मे 4200 मेगावाट विद्युत उत्पादन में प्राथमिकता की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। अगले डेढ़–दो वर्षों में डीजल जनरेटिंग सैट के माध्यम से लगभग 700 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए मैं राज्य सरकार और उद्योग मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया।

राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसमें कृषि के आधार पर स्थापित किये जाने वाले उद्योग, उनको अभी तक कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी है, न राजस्थान के युवकों के लिए, कोई स्पेशल व्यवस्था की गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना भी औद्योगिक विकास हो रहा है, उसमें क्षेत्रीय संतुलन बनाना अत्यन्त आवश्यक है और जितनी औद्योगिक इकाइयां आज राजस्थान में आ रही हैं, उनमें राजस्थान के विद्यार्थियों को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसके साथ ही राजस्थान की जो कृषि नीति है, जो कृषि से सम्बन्धित उद्योग लगाये जा रहे हैं, उनमें आज तक कृषि के लिए ठोस कदम नहीं उठाये। जो राजस्थान का नम्बर एक का उत्पादक क्षेत्र अलवर जिला तिलहन का उत्पादन करता है, राजस्थान क्या हिन्दुस्तान का 42 प्रतिशत सरसों के तेल का उत्पादन करता है लेकिन उसके लिए, उसके आधार पर स्थापित होने वाले उद्योगों का पूर्णतया अभाव है। उन लोगों को अभी तक ऐसी सुविधाएं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदान की जाती हैं जिनसे उनका विकास आगे तक बढ़ सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, राजस्थान के ही अलवर जिले में जिस तरह से सारे खुर्द में शराब का कारखाना लगाया जा रहा है उस शराब के कारखाने की न तो अभी तक कोई परमिशन ली गयी है और न उसकी अभी तक इरिगेशन विभाग से एन. ओ. सी. जारी की गयी है। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से करना चाहता हूं कि इसके इरिगेशन के क्षेत्र में इतने भयंकर परिणाम सामने आयेंगे जिसकी कि आज यह सदन कल्पना भी नहीं कर सकता। उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, उस शराब के कारखाने को चलाने के लिए एक घंटे में करीब डेढ़ लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। वहां पर जर्मन सरकार की सहायता से पहले करीब 10 करोड़ रुपये उस पर खर्च किये जा चुके हैं और साढ़े सात किलोमीटर की वहां पर नहर बनी हुई है लेकिन सारे खुर्द नामक स्थान पर, उसकी झील को ही क्रय करके किसानों को भ्रमित करके वहां करीब रुपये 62,000 प्रति बीघा के हिसाब से जमीन खरीदी गयी जबकि उस जमीन का रेट वहां पर ज्यादा है। जितने भी उद्योगपति बाहर से आये हैं, उन्होंने सब ने साढ़े छह लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीदा है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उद्योग मंत्रीजी इस प्रकार से प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों, को वहां पर स्थापित करने की इजाजत अभी जारी रखेंगे या इस प्रकार के उद्योगों को बन्द करने का विचार रखते

(श्री मदन मोहन)

हैं ? इस उद्योग के कारखाने में यह कहा गया है कि यहां पर कच्चा माल तैयार होगा, इससे शराब तैयार नहीं होगी लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब शराब का कच्चा माल तैयार होगा, उससे प्रदूषण ज्यादा होगा या तैयार किये जाने वाले माल से ही यदि डायरेक्ट शराब ही तैयार की जाय, उसके लिए कोई कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाय तो उससे ज्यादा प्रदूषण होगा ? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे खुर्द नामक झील में जो यह शराब का कारखाना लग रहा है, केवल बीचों-बीच ही लग रहा है। करीब 267 हैक्टेयर भूमि के भराव की क्षमता वाली झील है जहां कि पर्यटन स्थल के रूप में फ्रांस की एक कम्पनी बोल्स का मैदान और पर्यटन स्थल बनाना चाहती थी लेकिन राज्य सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी और राज्य सरकार वहां पर शराब का कारखाना स्थापित करना चाहती है। मैं उप मुख्य मंत्रीजी से एक ही निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार की प्रदूषित इकाइयों को अलवर जिले में स्थापित नहीं करके राजस्थान के समुचित एवं संतुलित विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। (धन्यवाद)

श्री सभापति : अमरा राम।

श्री अमरा राम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आज उद्योग की मांग पर, औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से राजस्थान में औद्योगिक विकास होना चाहिए लेकिन जहां तक हमारी औद्योगिक नीति का सवाल है और हमारे औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण का सवाल है, जो औद्योगिक नीति बनायी है, उसमें न तो मजदूर संगठनों की राय ली गयी है और जो श्रम सलाहकार बोर्ड है, जब से भा. ज. पा. की सरकार आयी है, एक भी मीटिंग नहीं हो पायी है। और जहां तक जितनी आवश्यकता पूंजीपतियों के उद्योग लगाने की है वहीं अगर हमारे उद्योगों में औद्योगिक शांति नहीं होगी तो निश्चित रूप से औद्योगिक वातावरण भी नहीं बनेगा कि हमारे राजस्थान का औद्योगिक विकास हो। जहां तक सवाल है औद्योगिक विकास का, हम उदारीकरण और विदेशी पूंजी की बात करते हैं लेकिन जहां हमारी सरकार के उद्योग हैं जिनमें बहुत बड़ा पैसा इस जनता का इनवेस्ट है....।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी सरकार का मतलब बंगाल से है ?

श्री अमराराम : नहीं, यह राजस्थान की हमारी नहीं है तो क्या है ? जहां राजस्थान की जनता का पैसा लगा हुआ है चाहे वह जिलम संघ हो, चाहे और कोई हो, जिनको राजस्थान की सरकार नहीं चलाना चाहती, बेचना चाहती है और जिन पर बहुत बड़ा पैसा राजस्थान की सरकार का पहले लगा है, और भी जितने बीमार उद्योग हैं उनको चालू करने के लिए हमारी सरकार की इच्छा दृष्टिगोचर नहीं होती और जिस तरह की छूट आज हमारे राजस्थान में उद्योगपतियों को मिली है वह निश्चित रूप से एक उदाहरण है। जहां अलवर की चर्चा चल रही है कि बड़ा

(श्री अमराराम)

औद्योगिक विकास हुआ, मार्डन सिथेटिक्स, वहां मैंने खुद ने देखा है कि कोई भी कानून-कायदे, आज यह मैं कहूं कि वहां जंगल राज है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मजदूर ने लड़ कर जो आज तक कानूनी हैसियत हासिल की है कि वह गेट मीटिंग कर सकता है, अपनी यूनियन चला सकता है, मार्डन सिथेटिक्स के गेट के आस-पास और दो किलोमीटर तक आज मजदूर को मीटिंग नहीं करने दी जा रही और महज इसलिए कि तीन महीने से वहां के मालिक ने लाक-आउट कर दिया और आज उन मजदूरों को डराया जा रहा है, बाहर के गुण्डे लाकर उनको डरा-धमका कर जो 17 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की छूट, यह खुली छूट उदारीकरण नहीं, मैं समझता हूं राजस्थान के औद्योगिक विकास के बजाय विनाश का कार्य करेंगे। चाहे वह रींगस की पोलिस्पिन मिल मजदूर यूनियन हो। आज ऐसी छूट दी जा रही है। जहां जयपुर में एक दफा छंटनी की कोई भी छूट दी गयी है, सरकार और श्रम विभाग से एक दफा उनको स्वीकृति नहीं मिलने के बाद, मना करने के बाद भी दुबारा इस बात की लिख कर स्वीकृति दे दी जाती है कि यह उदारीकरण के तहत जो भी हमारे से मांगते हैं वह दी जानी चाहिए। औद्योगिक विकास अगर हम राजस्थान में चाहते हैं तो जो मजदूर संगठन राजस्थान के हैं, पहले जब उद्योग नीति बनायी गयी थी उसमें पहले भी विचार विमर्श करना चाहिए था और आज भी अगर हम राजस्थान का सम्पूर्ण औद्योगिक विकास चाहते हैं तो उसके लिए हमें उनसे चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इंगित किया है कि उदारीकरण की नीति से असमान विकास होगा, जब तक हमारा इनीशियेटिव उसके साथ-साथ नहीं होगा, जिस तरह से श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सीकर के खण्डेला में फायराइट्स का कारखाना लग सकता है, खाद निर्मित कारखाना हो सकता है, उसके बाइ-प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन केवल मात्र उसकी बात तक सीमित है। मैं समझता हूं कि सीकर जिले में अण्डर ग्राउण्ड वाटर की भी कोई कमी नहीं है लेकिन आज तक इस 47 साल के इतिहास में सीकर का औद्योगिक विकास नाम मात्र का रहा। जहां तक ग्रेनाइट्स है उसको और एक्सपोर्ट के साधन मिल सकते हैं तो तमाम जितनी भी क्षमतायें आज राजस्थान में खनिज के मामले में, कृषि के मामले में है, ऐसे उद्योग लगाये जा सकते हैं जिनसे राजस्थान औद्योगिक मेप में आगे बढ़ सकता है। तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि उन तमाम फेक्टर्स, जो औद्योगिक विकास में कार्य करते हैं, उनसे सहमति और सही राय भी बना कर ही आगे बढ़ा जा सकता है।

जहां तक बिजली का सवाल है, निश्चित रूप से आज जैसी हालत है, इस बारे में विशेष तौर से बाद में चर्चा होगी, मैं तो यही कहूंगा कि बिजली की राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग में डिमाण्ड है, उसके साथ उद्योग और किसान में जो भेद रहा है, उसकी समस्याओं को समझते हुए उसको मिटाने का प्रयास किया

(172)

(श्री अमराराम)

जायेगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में ऊर्जा और उद्योग पर जो चर्चा चल रही है मैं भी अपने आप को सम्मिलित करते हुए मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में माननीय मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आमेर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, मैं ऊर्जा मंत्रीजी को खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि गत सवा साल के अन्दर बिजली की समस्या जिस तरह से आयी उसके निराकरण के लिए इस विभाग का मुझे सहयोग मिला और भारी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स को बदलने से काश्तकारों को जो फसल के समय संकट सामने आने वाला था उससे काफी राहत मिली। इसी के साथ अभी वर्तमान समय में, इस वर्ष भी बिजली का काफी संकट रहा और मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति झोटवाड़ा, के अन्दर एक छोटा जी. एम. एस. बनाकर चालू भी कर दिया है पिछले दो दिनों में, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं। इसके साथ चौमू में 220 एम. वी. का जी. एस. एस. निर्माणाधीन है, उसका निर्माण भी हो चुका है, पावर सप्लाई भी चालू कर दी थी लेकिन उस ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने की वजह से उसके इंजीनियर को, जैसी मुझे जानकारी है, बुलाया गया है और अभी वह चालू नहीं हुआ है लेकिन वह निश्चित रूप से चालू हो जायेगा। उसके बाद मेरे क्षेत्र के अन्दर बिजली की जिस समस्या के बारे में आज सदन में चर्चा कर रहे हैं, मैं तो यह कहूंगा कि बिजली की समस्या का बिलकुल पूर्णरूपेण निराकरण मेरे क्षेत्र में हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय को कई बार मैंने निवेदन भी किया है कि मेरे क्षेत्र में रामपुरा डाबडी और जैतपुरा, दोनों के मध्य में 132 के. वी के जी. एस. एस. के निर्माण की चर्चा काफी दिनों से विचाराधीन है और उसके ऊपर लोड भी सबसे ज्यादा है। कई मेरे क्षेत्र के छोटे-छोटे जी एस. एस. जैसे रामपुरा है, खनिपुरा है, देवगुढा है, बड़पीपली है, खोरा बीसल है, इन सब को एक साथ जाइंट करने के लिए 1.2 के. बी. ए. का यदि जी. एम. एस. रामपुरा में बना दिया जाता है तो आने वाले कई वर्षों के लिए बिजली का संकट मेरे क्षेत्र से पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा। इसी के साथ-साथ दो छोटे, एक जाहोता और अनोपपुरा के मध्य में, एक पूनाणा के पास, 33 के. वी. ए. के दो जी. एस. एस. की और मैं आवश्यकता महसूस करता हूं। मंत्री महोदय, जिस तरह से मैंने आपका आभार व्यक्त किया है, आप लिख भी रहे हैं शायद, उस पर विचार भी हो जायेगा। उसी के साथ एक अन्य विद्युत सम्बन्धी मेरा निवेदन है। मेरे क्षेत्र के लिए एक ए. ईएन. आफिस अभी पूर्ण रूप से स्वीकृत हो चुका है, जैसी मुझे जानकारी है और उसका कार्यालय जैतपुरा के नाम पर रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उसका कार्यालय, जे. ईएन. आफिस

(श्री गोपीराम जाट)

मानपुरा में ही रखा जाय। वहां भवन बना हुआ है, वहां काश्तकारों को चारों तरफ से आवागमन की सुविधा भी है और जैतपुरा एक तरफ पड़ने की वजह से काश्तकारों को वहां जाने के लिए कोई साधन भी उपलब्ध नहीं होगा और मानसिक रूप से भी यदि आमेर तहसील का है, तो आमेर तहसील में ही इस कार्यालय को खोला जाय। उसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं।

इसी के साथ उद्योग मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन है उद्योग के विषय में। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मेरे क्षेत्र में मानपुरा-माचली में एक चमड़ा बेस उद्योग की स्थापना, जो विचाराधीन है, उसके लिए 95 बीघा जमीन का, जहां तक मुझे जानकारी है, आबंटन भी हो चुका है। इस चमड़ा उद्योग के खुलने से मेरे क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति के लोग, जो खास तौर से इस चमड़े के धन्धे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उसके साथ अन्य भी उससे सम्बन्धित छोटे उद्योग वहां के लोग लगा पायेंगे और उससे लोगों को अच्छे रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ती हैं। उप मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करता हूं कि हरमाड़ा से चंदवाजी के लिए एक बाई-पास रोड आमेर तहसील में से सेवापुरा होकर दौलपुरा और चोक में होकर बन रहा है। वहां कुछ दिनों पहले विभाग के कुछ अधिकारी गये बताये, कुछ सर्वे भी किया है और आगे के उद्योग की सम्भावनाओं को देखते हुए सेवापुरा पंचायत में करीब 300 बीघा जमीन ऐसी है जो उपजाऊ नहीं है, पानी भी वहां कम है और आगे कोई औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का यदि सरकार का मन है तो मैं उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे आमेर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आज भी बहुत जमीनें चरागाह में इस तरह की पड़ी हुई हैं, लोग उन पर कब्जा कर रहे हैं, बहुत कीमती जमीनें हैं, शहर के नजदीक भी है और ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से दिल्ली रोड और अहमदाबाद को जोड़ने वाला बाई पास भी उसके मध्य से ही गुजर रहा है तो भावी औद्योगिक सम्भावनाओं को देखते हुए उन जमीनों का यदि उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए मैं उप मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा के अन्दर एक प्रीमियर वेजिटेबिल नाम की बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। करीब तीन सौ परिवार उस उद्योग से जुड़े हुए हैं और पिछले तीन साल से उसके प्रोप्राइटर द्वारा एक साथ अचानक बन्द कर देने की वजह से जो वे अच्छे-खासे अपने परिवार को पाल रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे लेकिन उस उद्योग के बन्द हो जाने से आज वह लोग भिखारियों की स्थिति में आकर खड़े हो गये। उनके रोजगार का कोई साधन नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा में अधिकांश वैसे भी इकाइयां जितनी भी लगी हुई हैं वे सारी रुग्ण इकाइयां हैं, और उनके मजदूरों को आज रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। उसी के साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आर. सी. एस. वनस्पति भी कुछ दिनों से बन्द थी लेकिन

(174)

(श्री गोपीराम जाट)

मुझे जानकारी मिली है कि वह इण्डस्ट्री तो चालू हो रही है। और उनके मजदूरों का भी सब का करीब-करीब हिसाब उन्होंने कर दिया था। लेकिन प्रिमियर वेजिटेबिल जो कि आज की तारीख में करीब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की यूनिट होनी चाहिए उस इण्डस्ट्री को चालू करवाने के लिए सरकार किसी भी तरीके का सहयोग उनके मालिकों के साथ मिलकर या अपने उद्योग विभाग द्वारा किसी निजी या अन्य क्षेत्र में लेकर, उसको चालू किया जाय तो काफी मजदूरों को, जो आज रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, राहत मिल सकेगी। इतना ही निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल बैरवा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति जी, आज की मांग संख्या-42 और 48 पर चर्चा, उत्तर और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 42 एवं 48 पर विचार

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति जी, वैसे तो इस सदन में प्रायः प्रति दिन ही चाहे वह माध्यम कोई भी रहा हो, प्रश्न काल रहा हो, शून्य काल रहा हो, ध्यानाकर्षण रहा हो या नियम 295 का माध्यम रहा हो, बिजली पर किसी न किसी रूप में चर्चा अवश्य ही होती रही है और पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य इस बात को सरकार को अवगत करा चुके हैं। सरकार स्वयं भी शायद यह बात मानती है कि हम बहुत कम्फर्टेबल स्थिति में नहीं हैं और जो स्थिति है वह काश्तकारों के लिए बहुत दुखद स्थिति रही कि जिस समय उनकी फसलें पक रही थीं, उस समय बिजली नहीं मिल पायी। बिजली के नहीं मिलने से उनकी फसलें ठीक से पक नहीं पायीं और उनका बहुत नुकसान हुआ।

माननीय सभापति जी, मेरी माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से सीधा निवेदन है कि तीन तरीके से बिजली हम लोगों को उपलब्ध है। एक वह जो हमारे द्वारा उत्पादित की जाती है, दूसरी वह जो केन्द्र सरकार हमारे राज्य के अन्दर बनाती है, तीसरी वह जो बाहर से हमारे द्वारा खरीद की जाती है और अब इनमें सबसे ज्यादा सस्ती तो वही पड़ती है जो हमारी है या जो हमारे यहां पर बनती है, चाहे वह केन्द्र सरकार बनाती है आर. ए. पी. पी. के माध्यम से। एक दुखद स्थिति तो यह हुई है कि दो यूनिट हमारी आर. ए. पी. पी. की बन्द हो गयी और उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुन

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

रहे कि वह कब चालू हो पाएंगी या नहीं चालू हो पाएंगी। लेकिन जो तीसरी, चौथी यूनिट हैं, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा जोर ज्यादा दें. अगर वह बनें तो उनसे हम लोगों को काफी कुछ राहत मिल पायेगी। इस साल में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा है और उन्होंने अपना मन यह बताया है कि 4280 मेगावाट बिजली की व्यवस्था कुछ निजी क्षेत्रों से वे कर रहे हैं लेकिन उसके अन्दर जो बात मुख्य रूप से अभी सामने आयी है, हमारे माननीय श्री तिवाड़ी जी ने यह बात कही कि वह बिजली निश्चित रूप से हमको बहुत महंगी मिलेगी। इस हालत के अन्दर चूंकि आप जानते हैं कि जो एक बार एक सुविधा का उपभोग कर चुके हैं, दुबारा आप उसको अचानक महंगा करेंगे तो एक बहुत भारी अशांति फैल जाएगी और दिक्कतें सामने आ जाएंगी। इसलिए हमको वे साधन अपनाने चाहिए जिनसे कि बिजली हम लोग सस्ती उत्पादित कर सकें और काश्तकारों और व्यापारियों को सस्ते दामों पर दे सकें। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, साहब।

देखिये, जो सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र है वह ऐसा क्षेत्र है, जिससे हमें सस्ती बिजली मिल सकती है। अभी बात सामने आयी भी थी कि तीन सौ क्लियर डेज हैं जहां हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है। उनके अन्दर ही हमको शोध करना चाहिए, उनके माध्यम से ही हमको बिजली....

एक माननीय सदस्य : जब तक फसल आ जाएगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अब इस समय कौन-सी फसल है। यह तो शोध करिये आप। यह तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हमारे पास जो भी साधन हैं उनके अन्तर्गत बढ़ोतरी करने के लिए हमको वह माध्यम जरूर अपनाने पड़ेंगे कि जिनसे हमको बिजली सस्ती उपलब्ध हो और उसमें सौर ऊर्जा का क्षेत्र निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र है जिससे हम लोगों को सस्ता माल मिल सकेगा।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात तो ठीक है कि जो हमारे पास माल है उसी का वितरण हो पाएगा लेकिन जो माल है उसकी समुचित देखरेख, उसका समुचित वितरण भी अगर हो तो वह भी हमको राहत दे सकता है। हम प्रायः यह देखते हैं कि बिजली की चोरी बहुत होती है और वह बिजली की चोरी कोई अकेला उपभोक्ता कर रहा हो, अपने तरीके से कोई करता हो, ऐसा भी नहीं है। जब तक आपके महकमे की मिली-भगत उसके साथ नहीं है तब तक नहीं कर सकता। चूंकि एक-एक जगह की जानकारी आपके कर्मचारियों को है और वे सीधा पैसा उनसे ले आते हैं और वह उस बात को चलाकर करवाते हैं। लिहाजा एक तो आप इस बात पर ध्यान दीजिये कि उस तरफ आप रोकथाम कर सकें।

दूसरी बात यह है कि जो बहुत छोटे-छोटे काम हैं उनको तो टॉप प्रायोरिटी पर आपको करना चाहिए। मेरा अपना निवाई

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

क्षेत्र है उसके बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो सहायक अभियंता हैं, प्रायः वहां मिलते ही नहीं हैं, दफ्तर के अन्दर रहते ही नहीं हैं। जब जाइये तब ही गायब। मैं कल गया और चार बजे के वक्त गया तो जो वक्त दफ्तर का है उस वक्त मिलने चाहिए लेकिन उसके अन्दर भी वह गायब। इस तरीके से अवस्था यह आयी कि बिजली की कमी आ रही है, काश्तकार भागकर तो वहीं आयेगा तो जहां से बिजली जा रही हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर से बात करेगा, जूनियर इंजीनियर से बात करेगा। ऐसे वक्त के अन्दर जब किल्लत आ रही है किसी चीज की तो उन अधिकारियों का यह फर्ज बनता है कि वह उनको तसल्लीबख्श जवाब दें, बजाय इसके कि वह उनको अपमानित करें, उनको दुतकारें, फटकारें और बुरा व्यवहार करें। गत वर्ष यही व्यवस्था रही इन्हीं इंजीनियर के साथ में, कि वह लोग आये थे। मैंने स्वयं कहा उनसे कि हमारे मूण्डिया गांव से लगाकर राहुली तक की स्थिति बड़ी खराब है, वहां बहुत कम बिजली पहुंच पा रही है, बहुत लो वोल्टेज हो रहा है और लोगों की मोटरें बराबर जल रही हैं, आप इस तरफ ध्यान दीजिये। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। उसके लिए लोग वहां आये और आकर जब उनसे बात हुई तेज-तेज बात की, तेज उन्होंने भी बात की होगी लेकिन इन्होंने फर्जी, झूठी रिपोर्ट थाने के अन्दर करा दी। आज वे काश्तकार मारे-मारे फिर रहे हैं। जो लोग आपके उपभोक्ता हैं, जो आपकी बिजली खरीद रहे हैं और जिनके लिए हमारा कल्याणकारी राज्य है, हम चाहते हैं कि उन काश्तकारों को राहत दें और उनको बजाय राहत के हम उनको मुकदमे दे दें और हम उनको फंसा दें यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारिये।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे मेरे कुछ गांवों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि गत वर्ष आपने हमारे गांव मंजूर किये थे—मनमोहनपुरा, श्री सुखपुरा, श्री सुखचैनपुरा, बाड़ रामपुरा, लक्ष्मीदामोदरपुरा, मोटूका, बाड़ गोरखुर्द, बाड़ कोरकलां। इसी तरीके से 8 टोंक पंचायत समितियों के गांव थे लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ आपको यह बात कह रहा हूं कि इनमें से आधों में भी विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है, और जब जाकर उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास खम्भे ले जाने का साधन नहीं है। खम्भे जैसे-तैसे आये तो वह काश्तकार आये, उन्होंने कहा साहब, लाइये हम ले जाते हैं, आपके पास ले जाने का साधन नहीं है तो हम ले जाते हैं। अपने साधनों से ले गये वहां ले जाकर गाड़ दिया तो अब तार नहीं हैं। तार तो + + + काश्तकार नहीं ला सकते।

(17.00)

तार तो हमको रखना पड़ेगा। उस तार के अभाव के कारण वह खम्भे खड़े-

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

खड़े झांक रहे हैं। और तो और यह तो अभी गड़े हैं, नटवाड़े की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 20 खम्भे ऐसे हैं जो हरिजन बस्तियों के अन्दर लगे हुए हैं और वे तारों के अभाव के कारण 10 साल से इन्तजार कर रहे हैं कि बिजली उधर भी सप्लाई हो। इसी तरह से गांव जीवली है। वह भी अलग से हरिजनों की बस्ती है। उस बस्ती के अन्दर पोल तो गड़े हुए हैं लेकिन तार नहीं हैं अगर तार हों तो ही बिजली वहां पहुंचेगी। इसी तरह से ग्राम जेवाड़िया है, ग्राम जेवाड़िया के अन्दर पोल तो गड़े हुए हैं और वहां तार भी पहुंचे लेकिन पता नहीं किन कारणों से, वहां से तारों का गट्ठा उठाकर के दूसरी जगह लगा दिया गया। तो जहां गरीब लोग हैं उनके ऊपर तो खास तौर से ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि आप उनका ध्यान रखें जो सुविधा सम्पन्न हों। अब सरकार की स्कीम है कि चम्बल के जो गांव हैं उन चम्बल के गांवों के अन्दर यह तमाम एमेनिटीज हैं, वह आप उपलब्ध करवायेंगे। उनके अन्दर बिजली भी एक विशेष एमेनिटी है। एक बहुत विशेष सुविधा है जो आपको उन्हें देनी चाहिए। उनके कुछ गांव हैं जिनके बराबर के गांव में तो बिजली पहुंच गयी लेकिन बराबर के गांव में जो बस्ती बसी हुई है जो खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की है वहां तक बिजली नहीं पहुंच पायी है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप नोट फरमा लें। सुखाड़िया नगर है, मूंडिया वालों की ढाणी है, अलियाबाग है, बेखवा है, काला नाडा है, मोजा लौहारों वालों का है, मोजा दहलोद वालों का, बराठिया और बंथली वालों का मोजा, खेड़ी मानपुर और दौताणा यह विशेष गांव हैं जहां पर बिजली बराबर के गांवों में तो पहुंच गयी मगर उन हरिजन बस्तियों के अन्दर नहीं पहुंच पायी। इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान देकर के हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने की कृपा करें।

एक बात और मैं विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, मंत्रीजी, कोई कर्मचारी सरकारी सेवा के अन्दर रहते हुए कोई मर जाता है, तो उसके आश्रितों में से किसी एक व्यक्ति को आप सर्विस देते हैं। एक सामान्य सा नियम आपने बना रखा है। राज्य के सभी महकमों में होता है। मेरे क्षेत्र के एक श्री दियालराम थे। वे आपके बिजली महकमे के अन्दर सर्विस करते थे जहां उनको कैंसर हो गया। अब गरीब आदमी के पास कितने साधन हो सकता हैं, कैंसर में कितना पैसा वह लगा सकता है जो कुछ भी था, सब लगा दिया। उसके बाद भी वह बच नहीं पाये, मर गये। अब उनके आश्रितों में 4–5 छोटे-छोटे बच्चे हैं और एक उनकी विधवा पत्नी है। उनके मां-बाप बूढ़े हो गये कमाकर देने की स्थिति में नहीं हैं। अब आपके बोर्ड ने इस साल से यह बात तय कर दी बतलाते हैं कि 400 रुपये का उनको भत्ता दे दिया जाए, और चूंकि वह महिला हैं, उनको सर्विस नहीं दी जाए। पुरुष को दी जा रही है तो महिला को क्यों नहीं दी जाए। वह भी तो बराबर की नागरिक है। उनको

(178)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

काम, जैसा आप ठीक समझते हैं उस तरह का काम देकर के राहत पहुंचाएं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 8–9 वर्षों से बार-बार वही गांव रिपीट हो रहे है और आज तक उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ। एक तो उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ, दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैसे हर वर्ष एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 5–6 गांव विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा जाता है तो मैं उससे भी वंचित रह गया। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में आम चर्चा है कि आप अपने क्षेत्र में विधायक बनने के बाद गांवों का विद्युतीकरण नहीं करा सके। मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान) अब मैं निर्दलीय रहता, नहीं रहता। इससे आपको क्या फायदा है? मैं निर्दलीय रहने का इच्छुक नहीं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : श्री रामप्रतापजी निर्दलीय रहे, नहीं रहे जो आपके साथी थे वह तो अब घर गये और ये हमारे साथ वापस आ गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निर्दलीय होते तो मंत्री होते आप। दुर्भाग्य है आपका।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सदस्य आपको ध्यान होगा कि गंगानगर जिले मे 4 मंत्री थे....

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी सहानुभूति आपके साथ है।

श्री रामप्रताप कासनियां : और चारों में से मैं एक ही दुबारा चुनकर आया हूं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिये। यह बी. जे. पी. की ही करामात है।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं आप।

श्री सभापति : कृपया अपनी बात कहें।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ गांव फेज प्रोग्राम में शामिल किये बिना ही इंजीनियरों ने अपनी मनमर्जी से उनका विद्युतीकरण कर दिया। फेज प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हैं और गांवों का विद्युतीकरण कर दिया। इसके अलावा....

श्री सभापति : आप आसन की तरफ देखें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा कुछ ढाणियों में कनेक्शन देने के लिये, इंजीनियरों ने अपनी मनमर्जी से, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लोगों से पैसे लेकर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

के, जैसे एक गांव से दूसरे गांव को लाइन जानी है और उसकी लम्बाई 5 किलोमीटर है, ढाणी वालों से मिलकर के, इंजीनियरों ने उस लाइन की लम्बाई 3–3, 4–4 किलोमीटर तक बढ़ा दी । इसके अलावा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ए. ईएन. के दफ्तर में, एक्स. ईएन. के दफ्तर में कनेक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि 3–3, 4–4 वर्षों से, घरों के कनेक्शन लेने के लिए लोग चक्कर लगाते हैं । बहुत लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि हमें घरों का कनेक्शन तो दिलवाएं । माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं ताज्जुब करेंगे कि एम. एल. ए. गांव में एक-एक घर में कनेक्शन दिलवा दें, यह बड़ा मुश्किल काम है । मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्शन देने की ऐसी नीति अपनायें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके । गांव के अन्दर, जब भी गांव का विद्युतीकरण हो जाए उस समय कोई ए. ईएन. या जे. ईएन. गांव में जाकर वहां पर लोगों के प्रार्थना-पत्र ले ले और जो भी व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहे, नियमानुसार, जैसे एक पोल पर तीन कनेक्शन होने चाहिए, इसमें मेरा यह सुझाव है कि गांव के अन्दर ए. ईएन. और जे. ईएन. जाकर एप्लीकेशन ले और ग्रुप स्कीम, यह पढ़े-लिखे बताते हैं ग्रुप स्कीम, मैं इस बारे में ज्यादा तो समझता नहीं हूं, नकल ही करता हूं । आप ग्रुप स्कीम बनाकर और जितने लोग कनेक्शन ले सकें उन सबका एक साथ ही निर्णय वहां पर हो जाए । इसके अलावा, एक बात खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में लाइन खींच दी, गांव में 10–20 घरों में जिनको कनेक्शन देना है, उनको दे दिया और बाद में जो रह गये वे रह गये । और गांव के अन्दर तार हवा में झूल रहे हैं । कोई ऊंट गाड़ी, कोई ट्रेक्टर या कोई पशु उस लाइन के नीचे से निकले, पशुओं में भी ऊंट विशेषकर लम्बा होता है तो उस ऊंट की गरदन तार से टच हो जाती है । जिससे उसकी/मृत्यु हो जाती है । इसके अलावा गांव के लोग तार खिचवाने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं । खाली विभाग से एक दो व्यक्ति, जो जैसे तार खींचने के मामले में एक्सपर्ट हों, चाहे वह लाइनमेन है या कोई दूसरा व्यक्ति है, एक दो व्यक्ति अगर गांव में चले जाएं, तो बाकी काम तो सारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही करते हैं । चाहे लाइन खिचवाने का हो, चाहे कोई पोल लाने का हो, यह तो पूरे राजस्थान में ही चल रहा है और इसमें मेरा कोई चार्ज भी नहीं है कि वे लोग बिल उठाते हैं, नहीं, बिल भी नहीं उठाते हैं विभाग वाले ।....(व्यवधान) यह गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके अलावा, जे. ईएन. और ए. ईएन. जो हैं, बिजली चोरी की हाउस में बहुत चर्चा होती है, चोरी होती है कारखानों में और वह भी होती है मिली भगत से और वह परम्परा डाली हुई है, विपक्ष में बैठने वाले लोगों ने । अब कुछ सुधार उसमें जरूर हुआ है पर जितना होना चाहिए अभी तक उतना नहीं हुआ ।

एक, सभापति महोदय, हमारी अलग ही परेशानी है । जो गांव नहरी क्षेत्र में आ गये, सिंचाई प्रोग्राम उन गांवों का, जैसे

(180)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पांच हजार घरों की आबादी है एक गांव में और उनका विभाजन हो गया चार चकों में अलग-अलग। उन गांवों को अलग-अलग रिकार्ड के अन्दर, चार नामों से पुकारा जाता है और रेवेन्यू तहसील के अन्दर जैसे एक गांव है, जाखड़ावाली, तो वह जाखड़ावाली के नाम से ही जाना जाएगा परन्त बिजली डिपार्टमेंट का इंजीनियर चाहे तो उस एक चक को विद्युतीकरण घोषित होते ही, फेज प्रोग्राम में शामिल होते ही पूरे गांव को कनेक्शन दे दें और इंजीनियर नहीं चाहे तो एक चक के अन्दर ही कनेक्शन मिलेगा, बाकी तीन हिस्से गांव के कनेक्शन से वंचित रह जाएंगे और यह कहेंगे कि तीनों गांवों को आप फेज प्रोग्राम में शामिल करवाओ तब आपके गांवों का विद्युतीकरण होगा। गांव एक ही है, आबादी सम्मिलित है, कोई लम्बी चौड़ी दूरी भी नहीं है, चिपके हुए घर हैं पर चकबंदी की एक बाउण्ड्री लाइन खिंच जाती है उससे गांव चार जगह या दो जगह विभाजित हो जाता है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं चोरी के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। चोरी जो है, वह करते हैं कारखाने वाले और यह मैंने इस समय देखा है। दो–चार बार तो मैंने आपस में झड़प होते देखी है, कारखाना वालों की और इंजीनियरों की कि हमने आपको इतनी बिजली दे दी, बदले में हमें क्या मिला? इस तरह का वातावरण ऊर्जा विभाग में बना हुआ है, इसमें अभी तक और सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो हमारे मंत्रीजी इस मामले में सक्षम हैं, धीरे–धीरे कंट्रोल तो करेंगे यह तो मुझे पक्का भरोसा है परन्तु तीस–चालीस वर्षों का बिगड़ा हुआ जो मामला है, वह जल्दी से सुधारा जाए यह बड़ा मुश्किल काम है।

सभापति महोदय, इसके अलावा तीन–तीन सौ, चार–चार सौ वर्ष पुराने जो गांव हैं, वे आज तक सर्वे प्लान में भी शामिल नहीं हैं। बहुत पुराने गांव हैं, और जिन चकों में आबादी नहीं है, वे सर्वे प्लान में शामिल हो गये। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप उन पुराने गांवों को सर्वे प्लान में शामिल करें और अगर नये गांव सर्वे-प्लान में शामिल करने में कोई परेशानी है तो जो चक पहले से ही सर्वे प्लान में शामिल हैं, जिनमें आबादी नहीं हैं, उनके स्थान पर वे गांव लिये जाएं, ताकि गांवों का विद्युतीकरण हो सके। मोटे रूप में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि अब किसी की आलोचना करूं, किसी अधिकारी की आलोचना करूं तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह गांव जो बार-बार रिपीट हुए हैं, इससे लॉस हुआ है, उसकी माननीय मंत्री महोदय पूर्ति करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, उद्योग पर अभी चर्चा हुई। मैं भी अपने आपको शरीक करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

(श्री रामस्वरुप)

पहले उद्योग । उद्योग सभी जगह खुल रहे हैं और नये उद्योग भी खोले जाएंगे लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है, यहां की जन-संख्या सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित है लेकिन कभी किसी ने किसान के दुःख-दर्द को नहीं सुना । उद्योगपति पैसे वाले होते चले जा रहे हैं । देश में सबसे ज्यादा अगर सरकार में किसी का हिस्सा है तो वह उद्योगपतियों का होता है । सरकार कोई भी बनाते हैं तो उद्योगपति बनाते हैं इसलिये किसानों के बारे में कोई सोच नहीं सकता । इस सदन के माध्यम से मेरा तो एक सुझाव है कि हम सबको आज सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित करना चाहिये, माननीय सभापति महोदय, सभी लोग सैण्ट्रल सरकार से मांग रखें कि हमारी कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कृषि को ही उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि किसान को लोन मिल सकेगा, किसान की एक बैंक लिमिट होगी, किसान के पास एक पास बुक होगी जिस प्रकार उद्योगपति जाकर बैंक से पचास लाख रुपया उठा लेता है, एक लाख रुपया उठा लेता है और बाद में उसका उत्पादन होता है, बाद में उसकी पैदावार होती है, सब कुछ होता है लेकिन पैसा उसको पहले मिल जाता है तो वह आगे चलकर उसके जरिए धन्धा चला लेता है । इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए । हमारी जो केन्द्रीय सरकार है, वह भी इस पर विचार कर रही है । कई बार हमारे माननीय नेताओं ने इस प्रकार की बातें रखी हैं तो मेरा भी आज इस सदन के माध्यम से नम्र निवेदन है कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके हमको सैण्ट्रल सरकार को भेजना चाहिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ।

दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर राजस्थान में जितने भी पुराने उद्योग हैं, नये उद्योग की चर्चाएं होती चली जाती हैं, पुराने उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं देता है । जिला सवाई माधोपुर से मैं आया हूं, जिला सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट फैक्ट्री है, जिसकी चर्चा हर बार सदन में हर सदस्य ने की है । मेरे से पहले भी हमारे जितने सदस्य आये उन्होंने भी की थी और हमारे यहां एक बहुत बड़ा आन्दोलन, सीमेंट फैक्ट्री जो बन्द हो गयी है, इसको लेकर हुआ था । उस समय हमारे डॉ. किरोड़ीलालजी, जो एम. पी. थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा आन्दोलन इसके बारे में चलाया था । पांच हजार मजदूर यहां पर धरने पर भी बैठे हुए थे माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां । लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज तक उनके दुःख दर्द को किसी ने भी नहीं सुना । माननीय उद्योग मंत्री तो शायद यहां पर बिराजमान हैं नहीं, वह तो गायब हो गये हैं....(व्यवधान)....ठीक है आप बिराजमान हैं तो । इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा सीमेंट उद्योग, जो सवाई माधोपुर फैक्ट्री का है, उस उद्योग को बन्द किये हुए इतने वर्ष हो गये, पांच हजार आदमी आज तक उसके बेरोजगार पड़े हुए हैं । सीमेंट फैक्ट्री का जो सामान है, पचास पर्सेन्ट चोरी जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट तक दर्ज हो चुकी है

(श्री रामस्वरूप)

और इस प्रकार कुछ सामान जो बचा हुआ है वह भी चोरी चला जाएगा जिन लोगों के पास आज रोजगार नहीं हैं, जिनके बच्चे आज रोजी–रोटी को तरस रहे हैं वे भी हमारे भाई हैं, वे कर्मचारी हममें से ही गये हैं। आज उनकी क्या हालत हो रही है, इसके बारे में आज सदन को........।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बिजली तो मुफ्त में मिल रही है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप कांग्रेस का धुआं निकालिये, मैं चिमनी से धुआं निकाल दूंगा।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, उन पांच हजार आदमियों की रोटी-रोजी और पेट का सवाल है। (व्यवधान) जो सीमेंट फैक्ट्री का सवाल है, वह उससे जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं आज आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि उन व्यक्तियों के बारे में कुछ विचार किया जाए। अगर सरकार उसकी जगह कोई नया उद्योग खोल रही है तो मैं चाहता हूं कि उन्हीं कर्मचारियों को उस उद्योग में लिया जाए ताकि उनको रोटी-रोजी तो मिल सके, यह आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी कुछ हमारे श्री पल्लीवालजी कह रहे थे, वास्तव में यह सत्य बात है। अपने राजस्थान के मुख्य मंत्री, माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब 1991 के अन्दर जिस समय लोक सभा के चुनाव हुए थे, मैं भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार था लोक सभा का और उस समय जब उनको यह पता लग गया कि कांग्रेस वहां से जीत रही है, सवाई-माधोपुर के अन्दर तो उन्होंने यह विचार बनाया कि अब तो एक ही उपाय है इसको हराने का, रामस्वरूप मीणा को हराने का एक ही उपाय है कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह इस मांग संख्या में नहीं है।

श्री रामस्वरूप : यह नहीं है साहब, लेकिन दुःख दर्द को तो हमें कहना ही पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी आखिर में वहां गये और इस बात की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, जो मैं निवेदन कर रहा था, जिसका जिक्र श्री पल्लीवालजी ने कर दिया था, वह लोक सभा के चुनाव में वहां गये। मैं निवेदन कर रहा हूं, कहां से यह बात पैदा हुई। यह चुनाव की बात है, चुनाव में माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारे। सभापति महोदय, मीटिंग की, बहुत बड़ी एक विशाल सभा हुई थी, सारे सीमेंट फैक्ट्री के लोग वहां आये थे, उनको उन्होंने सभा कर के यह कहा था कि सारे लोग आज मेरी आवाज सुनें, अगर आपको सीमेंट फैक्ट्री चलवानी है तो आप लोग कांग्रेस की धुआं निकाल दो, मैं सीमेंट फैक्ट्री की धुआं निकाल दूंगा। वह लोग दुःख-दर्द से पीड़ित 5000 आदमी, जिनकी रोजी-रोटी का सवाल था, जो दुःखी थे, जो परेशान थे, जिनके बच्चे रो रहे थे, उन 5000 लोगों ने सोचा, ठीक है कांग्रेस तो दुबारा आ जाएगी, कोई बात नहीं अगर हमारी धुआं निकल जाती है फैक्ट्री की तो कांग्रेस की हम निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके। और उसी का परिणाम हुआ, उसी

(श्री रामस्वरूप)

घोषणा का परिणाम हुआ कि मैं मामूली वोटों से, मात्र 8000 वोट से लोक सभा चुनावों में हार गया। मेरी हार की मुझे जरा चिन्ता नहीं हुई लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री सवाई माधोपुर आकर सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर देंगे। 5000 आदमियों की भूख का सवाल उन्होंने रख दिया, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो, कोई बात नहीं मैं हार गया लेकिन हमारी सीमेंट फैक्ट्री तो चालू हो जाएगी। लेकिन जब पता लगा बात का, समय जब गुजरता गया, मुख्य मंत्रीजी तो आकर के गद्दी पर बैठ गये, तब पता लगा कि सीमेंट फैक्ट्री तो आज तक नहीं चली है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, यहां बिराजमान है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे आपका जरूर विश्वास है, वह तो असत्य जरूर बोल गये लेकिन, उप मुख्य मंत्रीजी, आप सवाई माधोपुर पधारें, उससे पहले मेरा एक निवेदन है, आपको भी वहां का बुलावा आया है 5000 आदमियों के बारे में उन्होंने तो कुछ नहीं सोचा अभी तक, आप तो इस प्रकार का असत्य मत बोलना, आप तो सत्य आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं आप तो कम से कम इसी सदन में जब उद्योग का जवाब दें उस समय आप यह भी जवाब देना कि जो सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर आज 5000 आदमी भूखे मर रहे हैं उनको उद्योग चला कर आप किस प्रकार रोजगार दे रहे हैं। सभापतिजी, यह मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है।

तीसरा, हमारा विद्युत का मामला है। माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मैं तो सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मेरे यहां टोडाभीम के अन्दर को-आपरेटिव सोसायटी थी, आपने और श्री भण्डारीजी ने हमारी को-आपरेटिव सोसायटी को तोड़ कर हमारा उद्धार तो कर दिया, यह तो बहुत खुशी की बात है लेकिन अब हम और भी दुखी हो गये। पहले तो को-आपरेटिव से ही दुखी थे, सभापति महोदय, अब को-आपरेटिव तो टूट गयी और अब जिन्होंने इसका चार्ज लिया है वह कहते हैं कि अभी चार्ज ही हमने नहीं लिया। अभी तक हम कागज देख रहे हैं, अभी तो फाइलें देखेंगे। हमारा तो ढेर हो गया, किसान तो मर जाएगा फाइल देखते रहे साल भर ही तो। इससे तो अच्छा हमारी को-आपरेटिव ही थी, तो फिर को-आपरेटिव को तोड़ने का मतलब क्या निकला, माननीय मंत्री महोदय? इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कोई एक्स.ईएन. लेवल का आदमी टोडाभीम में बैठा दिया जाए जहां एम. डी. बैठता था उसकी जगह आप एक्स.ईएन. बैठा दें ताकि वह तुरन्त ही वहां के सारे रिकार्ड को अण्डर में ले लें और लेने के बाद वहां की जिन समस्याओं के कारण आपने को-आपरेटिव तोड़ी है उनका निराकरण वह तुरन्त ही कर दें। इसमें सबसे बड़ी समस्या टोडाभीम के अन्दर आपका कुछ बकाया पैसे की है, उस बकाया पैसे में मैं हर तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, जो बकाया है उसको वसूल करने का वक्त अब है। उस समय यह लोग तकाजा करते हैं जब किसान की रोजी-रोटी का सवाल होता हैं, जिस समय उसकी गेहूं की फसल पकने वाली होती है, जिस समय उसका ट्रांसफार्मर जल जाता है या और कोई

(184)

(श्री रामस्वरूप)

कारण हो जाता है, उस समय यह इस पर बकाया का तकाजा करते हैं। आज उसकी फसल पक चुकी है, आज उसके पास पैसा आया हुआ है, आज उसने फसल बेची है, ऐसे समय में आप नोटिस दीजिये, किसान को अल्टीमेटम दीजिये, 15 दिन का, एक महीने का, जितने भी दिन आप चाहें, आज अल्टीमेटम दो आप, उसमें हम सहयोग करेंगे। जितने भी हम जन-प्रतिनिधि हैं, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस समय किसान के पास पैसा है, आपका पैसा वसूल हो सकता है। इस के साथ ही साथ आपको उनकी समस्याएं भी सुननी पड़ेंगी।

माननीय मंत्रीजी, मेरा एक सुझाव है, ठीक है, आपने लाइनें डाल दी हैं, बिजली आपने दे रखी है लेकिन 10 प्रतिशत आपके ट्रांसफार्मर इसलिए फुंकते हैं क्योंकि आपकी लाइनें ढीली हैं, उनकी हालत खराब है और लाइनें जब फाल्ट होती हैं और जैसे ही लाइन फाल्ट होती है सीधी ही आपके ट्रांसफार्मर को जला देती है। गांव के अन्दर 10 प्रतिशत नुकसान आपका इस प्रकार होता है। किसान जान-बूझकर कोई ट्रांसफार्मर नहीं फूंकता है। 10 प्रतिशत ट्रांसफार्मर तो इसलिए फुंकते हैं कि गांव के अन्दर लाइनों का रख-रखाव नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लाइनों के ऊपर कोई जिम्मेदार आदमी को रख दें, पहले ऐसा था लेकिन आजकल उस जिम्मेदार आदमी को हटा दिया गया या क्या कारण हुआ? उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां खतम कर दी हैं। ऐसा कर दिया जाए कि 10 गांवों के ऊपर, 15 गांवों के ऊपर या 5 गांवों के ऊपर लाइनमैन कोई इस प्रकार का नियुक्त कर दिया जो गांव के अन्दर रहे, वहीं उसका हैडक्वार्टर हो और लाइनों को वह देखता रहे। यह मेरा सुझाव है, सभापति महोदय।

मेरा विनम्र निवेदन है कि किसानों को जो आप कनेक्शन देते हैं इसमें घोटाला होता है, इसका मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आपने पहले सोचा भी है, अखबारों में आपने दिया है कि जिनको आपको कनेक्शन देने हैं उनकी एक सार्वजनिक स्थान पर लिस्ट लगा दी जाए कि इस महीने में, मई में इतने कनेक्शन हम किसानों को दे रहे हैं और हमारी सरकार इतने कनेक्शन टोडाभीम के अन्दर देना चाह रही है, उन कनेक्शनों में इन-इन व्यक्तियों की लिस्ट है प्रायोरिटी के आधार पर इनको कनेक्शन दिया जाएगा, इससे भ्रष्टाचार मिट जाएगा। यही है मूल कारण जो गुप्त रहता है। वह लोग कहते रहते हैं हम आपको कनेक्शन देंगे, वह कहते हैं कि आपका तो नम्बर ही नहीं है जबकि उनका नम्बर होता है तब भी वह पैसा ले लेते हैं और कह देते हैं कि आपका नम्बर आएगा 5000 रुपये दे दें रिश्वत हमारे लिए। रिश्वत जो चलती है उसका कारण यही होता है, जो आपकी गोपनीयता होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी राजस्व अभियान चलेंगे गर्मियों के अन्दर, इन राजस्व अभियानों के अन्दर आपका कर्मचारी भी रहे, आपका ए.ईएन. रहे, जे.ईएन. रहे, उस समय यह फाइलों के साथ ले जाएं और उस समय गांव में कह दें कि आपके इतनी फाइलें हैं, इन फाइलों के पैसे जमा कराइये हम आपको कनेक्शन देंगे। बाकी और फाइलें जमा करा दो।

(श्री रामस्वरूप)

तो राजस्व अभियान के साथ उसको भी जोड़ दो, क्या बुरा है ? यह भी किसानों का ही मामला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गर्मी के दिनों में जो लाइनें खराब हों उनको ठीक करवा दिया जाए, जो पैसा बकाया है उसको आप गर्मियों में वसूल कर लो और जो भी नयी फाइलें आप लगा रहे हैं वह भी राजस्व अभियान के साथ ही ले ली जाएं, यह मेरा निवेदन है। काश्त का जब समय होता है, जिस समय उसकी फसल होती है उस समय यह कार्य नहीं किए जाएं। उस समय तो वैसे ही बिजली का संकट रहता है, किसान परेशान रहता है और उस समय हर किसान आपसे लड़ने को तैयार हो जाता है। इस समय करो आप इस सारे काम को। पहले उसकी लाइन ठीक कराओ, अच्छी बिजली की व्यवस्था कर दो इस समय और इस समय पैसा वसूल करो हम आपके साथ हैं हर तरह से। यह कारण है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने बिजली की व्यवस्था सुधारी, मुझे इस बात की खुशी है।

मेरा एक निवेदन और है। एस. सी., एस.टी. के लिए आपने कुछ सुविधाएं दे रखी हैं कनेक्शन के अन्दर, उन सुविधाओं के बारे में अभी तक उनको पता भी नहीं है। सब के कनेक्शन समान आपने कर रखे हैं। पहले एस.सी., एस.टी. के लोगों को फ्री लट्ठे मिलते थे, आज भी शायद उनको कुछ सुविधाएं हैं लेकिन उनको आज तक पता नहीं और उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता है। तो इसलिए इन लोगों को जो सुविधाएं दी गयी हैं उनका भी प्रचार किया जाए कि एस.सी., एस टी. के लोगों के लिए यह सुविधा है, अखबारों के माध्यम से उनको भी पता चले, जनप्रतिनिधियों को भी सूचना भेजी जाए ताकि हम भी उन लोगों को बता सकें। इसलिए मैं और अधिक समय नहीं लेते हुए, सभापति महोदय, पुनः माननीय उद्योग मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि सीमेंट फैक्ट्री के बारे में मुझे विश्वास है कि अवश्य सदन में आप कुछ न कुछ सुविधा के बारे में घोषणा करेंगे और बिजली के बारे में हमारे किसानों के लिए बिजली का जो अधिक पैसा है उसमें कुछ रियायत देते हुए, बिजली के मीटर लगाते हुए, सभापति महोदय, मैं यह भूल गया था, मीटर की बात और है। किसान के आपने मीटर को हटा रखा है। हमारे यहां टोडाभीम में बिलकुल ही नहीं लगाये गये हैं। पहले कोई पुराने मीटर जरूर थे। अब कुछ किसान ऐसे हैं जिनके कुओं के अन्दर पानी बीत गया है, कृपया उनके यहां तो आप मीटर लगवा दें जब पानी ही नहीं है उनके यहां और बिजली कम काम में लेते हैं। तो उनकी भी वही रेट और जो रात-दिन मोटर चलाते हैं उनकी भी वही रेट, दोनों की एक ही रेट बना रखी है आपने। मेरे यहां कुछ कुएं तो ऐसे हैं जो रात-दिन चलते हैं जिनमें बोरिंगों के अन्दर खूब पानी होता है और कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी की कमी है। तो उनके यहां आपने मीटर नहीं होने से फ्लेट रेट लगा रखी है। तो जो लोग मीटर लेना चाहें उनको तो आप मीटर दें और जो फ्लेट रेट पर चलाना चाहें उनको फ्लेट रेट दें। यह सुविधा आप दें।

(188)

(श्री रामस्वरूप)

पुनः, सभापति महोदय को विशेष धन्यवाद देता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हू ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़ ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : माननीय सभापति महोदय, आज बिजली की मांग पर मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे क्षेत्र रावतभाटा में तीन बार पधारे, 132 के.वी., जी.एस. एस. का शिलान्यास किया जिसका कार्य प्रगति पर है और उसी दिन बेगूं में ग्राम आवन-हेड़ा में 33 के.वी., जी.एस.एस. का शुभारम्भ किया । जिससे आज उस क्षेत्र के काश्तकारों को बिजली सुचारू रूप से मिल रही है । आपने बेगूं क्षेत्र में पधार कर जो हमारी सार-सम्भाल ली, काश्तकारों की बातें सुनीं उसके लिए माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई है ।

इसके साथ ही आपने एग्रीकल्चर में लगने वाले एल. फार्म को खतम किया, जिससे काश्तकार की परेशानी दूर हुई है । अब कुछ मेरे क्षेत्र की मांगें हैं, उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र बेगूं में करीब ढाई हजार कृषि की फाइलें सात-आठ सालों से पैंडिग हैं । पिछली बार 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब से जो फाइलें पेंडिग थीं उनको क्रमशः निपटाते-निपटाते योजना-बद्ध तरीके से 1986 तक की फाइलों को कनेक्शन दिये गये ।

मेरा इसमें यह सुझाव है, मांग है कि अभी भी सात-आठ साल से जो पेंडिग फाइलें हैं, उनको उसी तरह योजनाबद्ध तरीके से साल, दो-दो सा । में लेकर निप-टाया जाए और उनको कनेक्शन दिया जाय । चूंकि पहले से ही वह आदमी, हमारे क्षेत्र में छोटे-छोटे काश्तकार हैं, पांच-पांच, छह-छह बीघा के । इतने बड़े काश्त-कार नहीं हैं कि वह पोल कास्ट पर और हार्स पॉवर पर लगने वाली कास्ट जमा करा सकें । इसलिये उनके लिये यह शर्त लागू नहीं की जाय । वह अगर पैसे वाले होते तो इतने बरस तक उनकी फाइलें पेंडिग भी नहीं रहतीं और सबका नम्बर काटकर पहले वे ले लेते, कर लेते । इसलिये उनके साथ न्याय किया जाये और उनको नम्बर आने पर कनेक्शन दिये जाएं । यह मेरी एक मांग है ।

दूसरी मांग मेरी यह है कि बेगूं को जो बिजली मिलती है, वह बिजली माण्डल-गढ़ के 132 के.वी., जी.एस.एस. से मिलती है और कई बार पीक सीजन में माण्डलगढ़ वाले काट देते हैं । बेगूं के काश्तकारों को भारी परेशानी होती है । इसलिये मेरी मांग है कि बेगूं क्षेत्र इतना फर्टाइल और काफी लम्बा-चौड़ा और काश्तकारी इलाका है, उस इलाके में एक 132 के.वी., जी.एस.एस. बनाया जाए ।

कुछ काश्तकारों की फाइलें इसलिये भी अस्थायी तौर पर रिजेक्ट की गयी हैं कि उनके वी.आर. नहीं बैठते या ट्रांसफार्मर पर ओवर लोड है तो उनका 7-8 साल में नम्बर आया तो यह कहकर रद्द कर दी गयीं । उन फाइलों को लिया जाये, यह मेरी मांग है ।

(श्री रामस्वरूप)

पिछली साल आपने सात सौ पचास ग्राम और ढाई हजार कुएं विद्युतीकृत किये हैं। इस वर्ष 1995-96 में आप क्या करने वाले हैं, कितने गांवों को कनेक्शन देंगे, कितने कुओं को देंगे, यह अभी बताया नहीं है, कृपया यह जानकारी दिलायें।

एक सबसे मोटी बात यह है कि छोटे-छोटे लोग घरों में बिजली लेकर प्रकाश में रोटी खाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मुझे पता चला है डी.एल. कनेक्शन में 500 रुपये मीटर कास्ट, ढाई सौ रुपये सिक्योरिटी और सौ रुपये लेबर चार्जेज, यूं करके साढ़े आठ सौ के करीब यह पड़ता है। और इसके साथ एल. फार्म भी देना जरूरी है। आजकल डी.एल. फार्म के लिये अस्सी रुपये लगते हैं, यह उस गरीब पर बहुत बड़ा भारी भार पड़ता है। कृपया यहां भी एल. फार्म समाप्त करें और जो मीटर खरीदना चाहे, यह जरूरी नहीं करें कि वह मीटर खरीदेगा और कास्ट जमा करायेगा, उसी को कनेक्शन देंगे। जो खरीदना चाहे, वह खरीदे। लेकिन यह जरूरी नहीं करें। छोटे-छोटे आदमियों के लिये, कि वह मीटर कास्ट जमा करायें, तभी उसे कनेक्शन मिलेगा।

गांवों में शाम के वक्त पॉवर कट का एक बहाना लेकर अंधेरा कर दिया जाता है। आज शहरों के अन्दर जगमगाती लाइटें हैं और गांव के अन्दर यह कह देते हैं कि हम एक फेस दे रहे हैं। एक फेस से गांव का पूरा नहीं पड़ता है और एक फेस भी कभी कोई काटकर कौनसा दे देते हैं, कभी कौनसा दे देते हैं जिससे आधे गांव में अंधेरा हो जाता है, आधे गांव में उजाला रहता है और आज भी डिम लाइट में वे खाना खाते हैं या चिमनी की रोशनी उनको करनी पड़ती है, लालटेन जलानी पड़ती है। इसलिये गांव और शहर के साथ यह भेद-भाव नहीं रखा जाए और उनको भी जैसे शहर में चमचमाती लाइटें हैं, कम से कम खाना खाने के लिये पॉवर लोड न सही, प्रकाश के लिये तो उनको बिजली मुहैय्या हो, यह मेरी मांग है। माननीय मंत्रीजी जब वहां पधारे थे, आपने नये गांवों की घोषणा भी की थी और भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति को सम्पूर्ण इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया था। लेकिन भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में भी अभी कुछ मजरें और ढाणियां शेष रह गये हैं, जिनकी अभी कोई यहां से सूचना नहीं पहुंची है। एक तो उनको और एक कृपया जो घोषणा की है, उन गांवों को भी विद्युतीकृत करें। यह मेरा सुझाव है। आपने समय दिया, सभापति जी, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूडी (अनुपस्थित)। श्री जितेन्द्र नीनामा (अनुपस्थित)। श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार शहर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज हम विद्युत की डिमाण्ड पर चर्चा कर रहे हैं जो मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण

(17.55)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

विषय हमारे लिये व राजस्थान की जनता के लिये है। मैं मेरी भावनाओं का इजहार लेनिन के विचारों से शुरू करना चाहता

(188)

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

हूं। उनके विचार थे कि जिस देश में बिजली नहीं, वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने अपने समय में बिजली को बढ़ावा देने के लिये, चूंकि वह अपने देश को बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत देखना चाहते थे, उन्होंने कतई परवाह नहीं की सड़कों की, उन्होंने कतई परवाह नहीं की अन्य जो योजनाएं थी, जो विकास कार्य होने चाहिये उनकी, उन्होंने कतई कम्प्रोमाइज नहीं किया, विद्युत के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। आज तो खैर, आप कह सकते हैं कि रशिया की हालत खराब है लेकिन आज से चार-पांच साल पूर्व संसार के अन्दर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर आया था। यदि हम भी हमारे भारतवर्ष का, यदि हम भी हमारे राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा। बिजली के उत्पादन को बढ़ाना होगा।

मैं परसों पुलिस की डिमाण्ड पर बोल रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। जहां सरकार में बैठे हुए लोगों को चाहे कितनी भी खिलाफत क्यों नहीं हो, खिलाफत करने वाले खिलाफत करेंगे। लेकिन यदि किसी चीज से उस प्रदेश में व उस प्रदेश में रहने वाली जनता की ज्यादा प्रगति होती है, उन्नति होती है तो आपको कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिये। आज भी मैं यह कहता हूं कि बिजली के मामले में आपको किसी प्रकार से कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिये और यदि आप कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं हम भी हमारे राजस्थान का विकास कर सकेंगे, राजस्थान का चहुंमुखी विकास कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारे राजस्थान के अन्दर इलैक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह सही नहीं है। उसका मेनेजमेंट सही नहीं है। आज हर साल हम 10-12 करोड़ का घाटा सहन कर रहे हैं। यह घाटा हम क्यों सहन कर रहे हैं? क्यों राजस्थान की जनता हमारे इस घाटे को सहन कर रही है, बर्दाश्त करती जा रही है? मेरा यह मानना है कि आज हमें बिजली की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। इसलिए हम उस घाटे को बर्दाश्त कर गये। नहीं तो यह घाटा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

आज मिस-मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सही नहीं है। आज किस प्रकार से हमारे यहां बिजली की चोरी हो रही है, छीजत हो रही है मेरा तो यह मानना था कि 32 प्रतिशत हमारे राजस्थान में छीजत हो रही है लेकिन हमारे लाडनूं से आने वाले सदस्य ने मुझे आंकड़े दिखाये व खुद भी बोल रहे थे कि 42 प्रतिशत बिजली की छीजत हो रही है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। यह इतनी बड़ी चिन्ता का विषय है कि आज यदि 42 प्रतिशत छीजत हमारी बिजली की हो रही है तो हम कहां भला कर पायेंगे राजस्थान के लोगों का, कहां आगे बढ़ा पायेंगे हम राजस्थान को? मैंने एक पेपर में पढ़ा था भण्डारी जी का एक स्टेटमेंट था कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए एल. टी. लाइनों को छोटा करना पड़ेगा, उसकी लम्बाई को कम करना पड़ेगा। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं और बहुत से विद्वान, बहुत से लोग उससे सहमत हैं। आज यदि हम एल.टी. लाइन की

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

लम्बाई को छोटा नहीं करेंगे तो यह छीजत बढ़ती जाएगी। आज हमारी लाइनें ओवर लोड हो चुकी हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इस छीजत को रोकने के लिए एक बात को सोचना बहुत जरूरी है।

आज हम लोग यहां पर घोषणा करते जाते हैं। हर बजट भाषण में घोषणा करते हैं कि हम इतने कुओं को कनेक्शन देंगे, इतने गांवों में बिजली देंगे, इतने गांवों को कनेक्शन देंगे। लेकिन यदि यह अन्तरात्मा से सोचें कि क्या हम यह सही घोषणा कर रहे हैं, क्या हम यह घोषणा करके हमारी राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्या हम राजस्थान की तरक्की करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहते। जिन गांवों में आप बिजली पहुंचा चुके हैं उन गांवों में तो आप कनेक्शन दे ही नहीं पाये। तो फिर आगे गांवों की घोषणा करने का लाभ क्या प्राप्त हुआ? किस प्रकार की घोषणाएं आप कर रहे हैं? आज एक गांव के अन्दर हम जाते हैं लोग कनेक्शन की डिमाण्ड करते हैं। एक गांव में पांच सौ घर हैं, आपने पचास, सौ-दो सौ लोगों को कनेक्शन दे रखा है और बाकी लोग बिना कनेक्शन बैठे हैं। क्योंकि यह प्रजातन्त्र है, क्यूं बैठे रहेंगे लोग? जब पैसा देने को तैयार हैं वे, बिजली लेने को वे तैयार हैं तो आप उनको कनेक्शन क्यों नहीं देते? कनेक्शन नहीं देंगे तो निश्चित रूप से चोरी होगी। तो आप कृपा करके इस प्रकार की घोषणाएं बन्द करें और जो गांव हमारे अधूरे पड़े हैं या पूरे नहीं हुए हैं कृपा करके उनको बिजली पूरी दीजिये। जब तक यह काम आप नहीं करेंगे तब तक हम इस चोरी को मंत्री महोदय नहीं रोक सकते। माननीय उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, भारी मात्रा में उद्योगों में भी चोरी होती है इसके ऊपर भी कन्ट्रोल जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी बार-बार यहां घोषणा कर रहे हैं कि हम 4300 मेगावाट बिजली लेकर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेरे विद्वान साथियों से पूछना चाहता हूं कि वह बिजली ला कहां से रहे हैं? यह तो कम से कम बताएं कि वह बिजली ला कहां से रहे हैं। आप पांच साल के अन्दर बिजली को प्राइवेट सैक्टर में देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप प्राइवेट सैक्टर में दीजिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पांच साल हो गये प्राइवेट सैक्टर में, सार्वजनिक सैक्टर में बिजली देने की बात हमको कहते हुए। रेट हम तय नहीं कर पाये कि किस रेट में होगा। मैं कहना चाहता हूं किस बात की चिन्ता कर रहे हैं आप? यह रेट का चक्कर क्या है? समझ में नहीं आता, आप खुले दिल से सौंप दीजिए प्राइवेट सैक्टर को। जो रेट आएगी, जिसको जरूरत होगी ले लेगा बिजली, जिसको जरूरत नहीं होगी बिजली नहीं लेगा।

मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान के अन्दर मारुति कार जब आयी थी उस वक्त मैं समझता हूं 45 हजार या 55 हजार उसकी कोस्ट थी और मारुति कार जब देश के अन्दर आने वाली थी बहुत

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

से लोगों ने उसकी खिलाफत की थी लेकिन आज क्या हालत है मारुति की ? आज ढाई लाख रुपये तक मारुति की कीमत पहुंच गयी है और पचास हजार रुपये ब्लैक देना पड़ता है आज उस गाड़ी को लेने के लिये। मैं सोचता हूं कि संसार के अन्दर इतने कम समय में चार गुना रेट किसी चीज की नहीं बढ़ी होगी। तो फिर आज बिजली में यह रेट तय करने में सालों साल क्यों गुजार रहे हैं और किस बात का भय है ? आप तय करिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपसे यही सुनना चाहते थे।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप तय करिये उनको देना है। मेरा खुद का सोच है। हम किसानों को बिजली देते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य, अपना चिन्तन पहले भी बता चुके हैं यह उनका स्वयं का चिन्तन है और चिन्तन करके पिछली बार जब बोले थे तब भी चिन्तन करके ही बोले थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आज हम किसानों को बिजली देते हैं, आज हम उद्योगों को बिजली देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बिजली महंगी हमारे उस प्राइवेट सैक्टर के माध्यम से आ रही है चाहे उसकी रेट चार रुपये है या कम है तो वह बिजली, आज हमारे मुख्य मंत्रीजी तो विदेशों में दौरा कर रहे हैं और सम्माननीय श्री मामड़ा जी देश में दौरा कर रहे हैं, उन फैक्ट्री वालों को न्यौता दे रहे हैं बुलाने के लिए। तो यह महंगी बिजली वह ले लेंगे क्योंकि उनको बिजली की जरूरत पड़ेगी। आज जो बिजली उद्योगों को दी जा रही है, मैं कहता हूं कि बिजली को बढ़ावा देने के लिए कहीं तो आपको कम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यदि उस कम्प्रोमाइज से कोई नुकसान होता है तो होने की काई परवाह नहीं करनी चाहिए।

आज जो बिजली उद्योगों को दी जा रही है सस्ती दर के ऊपर वह किसानों को ट्रांसफर कर दीजिये और जो महंगी बिजली आ रही है वह उद्योगों को दे दीजिये, उत्पादन बढ़ेगा और जो बिजली की आज कमी महसूस कर रहे हैं वह दूर होगी। अध्यक्ष महोदय, यह थोथी घोषणाएं और इस प्रकार की बातें करेंगे, मजाक करेंगे तो मैं तो मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी और देश का नौजवान हम सबको माफ नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, कई बार सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि कांग्रेस ने योजनाएं नहीं बनायी, दूरदर्शी योजनाएं नहीं बनायी लेकिन धौलपुर, चित्तौड़गढ़, मथानियां, सूरतगढ़ यह योजनाएं किसने बनायीं ? मैं तो समझता हूं कांग्रेस ने ही ये योजनाएं बनायीं, एक्जीक्यूट उन्होंने की है और करनी हैं लेकिन जिस प्रकार का मैनेजमेंट और जो बिजली विभाग में चल रहा है, हम सब देख रहे हैं उससे तो मुझे मुश्किल लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू में तो ठीक है बिलकुल।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चूरू में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन मेरे परम मित्र हैं राठौड़ साहब। यह अच्छे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं लेकिन चोरी बड़े तरीके से करते हैं। छीजत यह कर रहे हैं, मेरे सरदारशहर क्षेत्र की छीजत कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे अनुमति लेकर की है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मेरे से अनुमति नहीं ली है। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहां से चुनकर आया हूं। अभी, मंत्रीजी, आप जांच करा लें, मैंने आपको व्यक्तिशः भी कहा था कि कृपा करके मेरी बिजली रतनगढ़, सरदारशहर और चूरू मत भेजिये, रहने दीजिये। आपके दिमाग में यह है कि ऐसा नहीं है तो मेरे क्षेत्र के लोगों में भावना क्यों पैदा हो गयी है? आम आदमी कहता है कि बिजली का जो सारा सामान है, तार है, ट्रांसफार्मर है, वह चूरू चला गया है और चूंकि पहले सम्माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजे हुए थे, अब सदन के उप मुख्य मंत्रीजी बनने के बाद में इनका तो कम हो गया और उधर से ज्यादा ट्रांसफर करना शुरू हो गया और मैं आ गया इन दोनों के बीच में। तो मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि मैं बीच में हूं तो सरदारशहर की आप कल्पना कीजिये। उसका हक उसको दीजिये। ज्यादा मत दीजिये आप लेकिन उसका हक तो दीजिये।

अभी उदारीकरण की हम बात कर रहे हैं। श्री तिवाड़ी जी, इससे बड़ा सुन्दर अवसर हमारे लिये नहीं हो सकता लेकिन यह अवसर खतरनाक भी बहुत है। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि दुधारू तलवार है। आज हम लोग देशों में, विदेशों में हमारे जो एन. आर. आईज. हैं, बड़ी कम्पनियों वाले हैं, उनको हम बुला रहे हैं। उनको हम न्यौता दे रहे हैं कि आप हमारे राजस्थान में आइये। लेकिन मैं, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि उन्हें आप बिजली कहां से देंगे और वह क्यों विश्वास करेंगे आप पर? आप कहेंगे, नहीं हम बिजली दे देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? किस आधार पर वह अपने यहां आयेंगे? देखिये आज जो जिस प्रकार से फैक्ट्रीज के लोग हमारे देश में पधारे हैं, अब क्यों आयेंगे हमारे यहां? उनको हमारे राजस्थान की चिन्ता थोड़े ही है। उनको हमारी चिन्ता थोड़े ही है। उनको चिन्ता है इस बात की हम वहां फैक्ट्री लगाये यहां हमको पैसा मिल सके। हमको लाभ मिल सकें तो आप वह कहां से देंगे। तो वह महाराष्ट्र में जायेंगे, वह गुजरात में जायेंगे, जहां पर उनको बिजली, पानी और सुविधाएं मिलती है, वहां जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रदेशों से हम कितने पीछे हो जायेंगे? कौन माफ करेगा हमें? हम इतने पीछे हो जायेंगे कि हमारा जो इकानामिक असंतुलन है वह इतना बिगड़ जाएगा कि आने वाले सालों में हम उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिये सही समय पर चेतना बहुत जरूरी है। सही समय में योजना बननी जरूरी है और

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

योजना बिलकुल सही बननी जरूरी है। यदि सही योजना नहीं बनी तो हमारे राजस्थान के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पायेगा। मैं चेता रहा हूं कि सही वक्त पर मैनेजमेंट को ठीक नहीं किया तो तरक्की के बजाय हमारा भट्ठा बैठ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय, शीघ्रता करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, एक-दो बात और कहना चाहता हूं। आज जो हम बिजली के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसानों के अन्दर, गांवों के अन्दर, और उद्योगों के अन्दर कृपा करके कागजों में जो रिकार्ड बन गया है आपका। किस गांव का विद्युतीकरण हो गया, आप सही जांच करवाइये। उस ग्राम में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। उस गांव में या तो एक खम्भा है, या दो खम्भे खड़े हैं और वह पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा है, रिकार्ड में बिजली लग गयी है तो इससे क्या भावना लोगों में फैल रही है? चोरी तो हो रही है छीजत तो हो रही है लेकिन भावना हमारे प्रति क्या बन रही है? आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि पिछले वर्ष हमारे विधान सभा क्षेत्र में 6 गांव मजूर हुए थे, लेकिन अब तक एक भी गांव विद्युतीकृत नहीं हुआ। एक गांव में पोल नहीं पहुंचे और उन 6 गांवों में एक गांव ऐसा है जो उससे पहले साल की योजना में शामिल है। वह इसलिये जोड़ दिया 6 गांवों में कि उस साल उस योजना के अन्दर उसका विद्युतीकरण नहीं हुआ। तो 5 गांव मुझे पिछले साल मिले योजना में, एक गांव पुराना मिला। मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि 6 गांवों में एक भी गांव आप कर देते तो मैं गांवों वालों को जाकर कह तो सकता था कि एक गांव कर दिया, इतना भेदभाव क्यों? किस बात के लिए आप भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के साथ? आपने गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया। अधिकारी कहते हैं कि जो गांव अब तक विद्युतीकृत नहीं हुए हैं, जिन गांवों में पोल नहीं पड़े हैं, जिन गांवों में तार नहीं खींचे हैं, उनको रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? या तो हमने आपको व्यक्तिशः कह दिया, अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से कह दिया, यदि इसके उपरांत भी नहीं हुआ तो कौनसा तरीका हम अपनायें कि जिससे हमारे साथ भेदभाव मिट सके?

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा के करीब 55 गांवों को सरदारशहर ए. ईएन. के नीचे से निकालकर रतनगढ़ ए. ईएन. के नीचे लगा दिया गया। क्यों? किस बात के लिए? क्या सरदारशहर के लोगों को तकलीफ होगी तो वह रतनगढ़ के ए. ईएन. के पास जायेंगे? चूरू जिले के अन्दर सरदारशहर का विधान सभा क्षेत्र है, जहां पर एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी 10–15 किलोमीटर से कम नहीं है और वह भी टीलों का गांव है और वहां से लोग चक्कर काटते-काटते रतनगढ़ तहसील में जायेंगे? मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा आदेश जो आपके बिजली विभाग ने किया है, उसको तुरन्त निरस्त किया जाए। उन गांवों को सरदारशहर के नीचे

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

रखा जाए। चूरू के बाद सबसे ज्यादा पापूलेशन सरदारशहर की है। एक एक्स. ईएन. आफिस खोलना है मुझे ऐसा मालूम चला है। मेरा निवेदन है कि चूरू जिले के अन्दर सबसे ज्यादा कंजूमर सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर है। यदि आप कंजूमर को आधार पर मानते हैं तो आपको सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक्स. ईएन. आफिस खोलना चाहिये। मैं जब चुनकर आया तो मुझे पता लगा, मैंने मंत्रीजी से पूछा कि हमारे यहां पर 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन को मंजूरी दिलायें, कृपा करके आप इसको लगवा दीजिये। एक-डेढ़ साल हो गया मुझे बराबर कहते हुए। अभी तक वह लगा नहीं है। मैं मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और हमारे बहुत होशियार चिकित्सा मंत्रीजी से कहता हूं कि आप वहां बराबर जाते हैं सरदारशहर के अन्दर और आप भी बराबर वहां कह कर आते हैं कि हम बिजली का पूरा ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप सबसे मेरी गुजारिश है इस सदन से....

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : कृपा करके राजस्थान की स्थिति को सुधारिये, आप कोई कम्प्रोमाइज मत करिये। आपको राजस्थान को आगे बढ़ाना है। एक बात और कहूंगा नहीं तो मुझे गिला रहेगा। इस विभाग के जो चेयरमैन हैं बिजली बोर्ड के, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत मेहनती हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके बनने के बाद मैंने मूल्यांकन किया है, शायद यह पूर्व चेयरमैन के भूत से ग्रसित हैं। क्योंकि इनके समय में बिजली बोर्ड फल होने की दशा में कार्यरत चल रहा है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण हैं? सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शायद यह जो कार्यवाही करना चाहते हैं, चाहे नीचे के लेवल पर कोई रोक लगा रहा होगा। ऐसा मानना है, हो सकता है सही नहीं हो। लेकिन मेरा स्वयं का यह मानना है कि इनके नीचे जो एक्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देना चाहते हैं और वह उनकी योजना....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप मेरी भावनाओं को समझकर राजस्थान के विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की आम चर्चा के समय मैंने बिजली के संकट के बारे में निवेदन किया था। बिजली मंत्रीजी एक बहुत अच्छे किसान हैं। हमें हमारे क्षेत्र में जब बिजली पूरी नहीं मिलती थी हम इनके पास आते तो यह हमसे ज्यादा दुःखी प्रतीत होते थे। यही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि जितनी चेष्टा इन्होंने, जिस स्रोत से भी, जिस दर से भी बिजली प्राप्त हो सकती थी, की। यह जरूर मानता हूं

(18.00)

कि कमी रही, पीछे से सप्लाई कम रही। कुछ दुर्भाग्य तो हमारा रहा, कुछ ऐसे

(194)

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

प्लांट खराब हो गये, रावतभाटा परमाणु संयंत्र फेल हो गया। परन्तु यह मैं कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के पास या सरकार के पास बिजली की अगर एक यूनिट भी है तो वह अपनी जेब में नहीं रख सकता। जितनी भी हमें मिली सारी हमने वितरित की। मेरी प्रार्थना है वह यह है कि विद्युत के उत्पादन में राजस्थान सरकार का, राजस्थाम बिजली बोर्ड का नियन्त्रण हो उस ओर विशेष ध्यान देने की बात है। मैं जानता हूं एक दो साल में इसके कोई परिणाम नहीं मिलेंगे, इसकी एक यूनिट भी हमें नहीं मिलेगी परन्तु आने वाले सालों में यह राजस्थान में उत्पादन बिजली का इतना कर दें कि जितने भी उपभोक्ता हों, चाहे उद्योग के हों या कृषि के हों या घरेलू हों, वे पीड़ित न रहें। मैं धनाभाव के बारे में भी मानता हूं 2500 करोड़ रुपये का ऋण आपने मांगा है, इस विधान सभा ने उदारता से आपको ऋण सीमा स्वीकृति दी है और यह राजस्थान सरकार की क्रेडिटिबिलेटी है कि आप जितना भी ऋण लेना चाहेंगे, जितना भी धन इकट्ठा आप करना चाहेंगे वह एक दिन के अन्दर हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो भी योजनाएं विचाराधीन हैं सूरतगढ़ है, मथानिया है, धौलपुर में जो प्राइवेट सैक्टर में दे रहे हैं और जो भी आपके विचार में आ सकते हैं उनसे उत्पादन शीघ्र लेने की कृपा करें। मैं कल विद्युत सचिव से मिला था। यहां पर एक योजना कोल इण्डिया लिमिटेड की अण्डर ग्राउण्ड कोल गेसिफिकेशन की थी जो रूस के विशेषज्ञों द्वारा बनायी हुई है। उस सम्बन्ध उन्होंने मुझे बताया कि भारत सरकार को इसको शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए लिखा गया है। मैं विद्युत मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे दिल्ली जाए, वहां के केन्द्रीय विद्युत मंत्रीजी से मिलें और इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करवायें। यह योजना ऐसी है जिससे पर्यावरण खराब होने की कोई आशंका नहीं है। जमीन के अन्दर कोयले का खनन नहीं होगा, ऊपर के सरफेस पर कोई बिगाड़ नहीं होता, बन कर सीधे ही टरबाइन में जाती है और सस्ती व शीघ्र उत्पादन देने वाली योजना है।

श्री अध्यक्ष : यह आपके उधर है क्या?

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, मेरे क्षेत्र में है। उत्पादन तो हम करते हैं लेकिन हानि नहीं रोकी गयी ट्रांजिट लोस अगर नहीं रोका गया तो किया हुआ उत्पादन काश्तकारों या उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पायेगा। जितने ज्यादा जी. एस. एस. बना सकें, कृपया आप बनाइये।

मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, गत वर्ष मैंने बहुत प्रयत्न करके राज्य सरकार से 100 बीघा जमीन मेड़ता में 220 के.वी. का स्टेशन बनाने के लिए उपलब्ध करवायी थी, पैसा बोर्ड ने दिया लेकिन मैं बोर्ड को बताना चाहता हूं कि वही जमीन दो माह बाद 42 हजार रुपये

(195)

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

में रोडवेज को दी गयी जबकि मैंने आपको सिर्फ 19 हजार मात्र में दिलवायी थी। यह समझकर कि बोर्ड में टोटा है, कुछ राहत दी जाय। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, मुझे इस बात की जानकारी है और मेरे पास सबूत भी है कि मेड़ता में 400 के.वी. का जी. एस. एस. स्टेशन बनने का प्रस्ताव है और अगर चाहे तो मैं बता भी सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेड़ता में, प्रकार लेकर मेड़ता के ऊपर रख कर आप घुमायेंगे तो राजस्थान के चारों तरफ का वह केन्द्र बिन्दु है और आप यदि बिजली का वितरण मेड़ता से ही करेंगे तो ट्रांजिट लोस सबसे कम होगा। इसलिए मेड़ता का जी. एस. एस. शीघ्रातिशीघ्र बनायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां लाइन डल चुकी है, करोड़ों रुपये की लाइन 220 के.वी. की आ चुकी है। एक ट्रांसफार्मर आ चुका है, मेड़ता में पड़ा है उसको जमीन पर उतारना पड़ा क्योंकि वहां पर प्लेटफार्म नहीं बना था। गत वर्ष कुछ राशि उपयोग में आयी है यह मुझे मालूम है। मेरी प्रार्थना है कि साल भर के अन्दर उस जी.एस.एस. स्टेशन को सम्पूर्ण करवाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी बचपन की गलियां है, आप मेड़ता में खेले हैं याद होगा आपको, कम से कम उसको तो याद रखें, कुछ तो हमें राहत दें। रिकवरी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों से पैसा वसूल करने में आपको कोई बाधा नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। वसूली पूरी कीजिये, काश्तकारों से चोरी भी रोकिये। आज उद्योगपति सौ रुपये का नोट देकर वकील खड़ा करके करोड़ों रुपये की राशि नहीं देने के लिए स्टे ले आता है। इस विधान सभा में नया कोई एक्ट लाना पड़े तो लायें, उसको रोका जाय और उनसे करोड़ों रुपये की वसूली की जाय उससे आपके घाटे में कुछ कमी आयेगी।

अंत में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम इस साल जब हमारी रबी की फसल की बुवाई का टाइम आये उससे पहले जितना आप बिजली में सुधार कर सकते हैं कीजिये और रबी की फसल पर आप कितनी बिजली प्रति दिन देंगे वह हमें जरूर बतायें ताकि हम उतने ही बीज बोयें जितनी आप बिजली दें। एक इसके अन्दर पाबन्द है, श्रीमान, आप तो बोल देते हैं कि आठ घंटे मिलेगी लेकिन एक यहां पर कोई एल.डी. बैठा रहता है, लोड सेटिंग वाला एस.ई. बैठा रहता है। उसके पास जो पहुंच जाता है उसको ज्यादा बिजली मिल जाती है और जो उसके पास नहीं पहुंचता है उसको कम बिजली मिलती है। अब सारी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कंट्रोल करने की बात है। आपको बता सकता हूं अगर आप चैक करेंगे तो राजस्थान के सारे जी.एस.एस का आप रेकार्ड मंगवा लीजिये भिन्न-भिन्न जी.एस.एस. से भिन्न-भिन्न आवर्स पर बिजली गयी है और किसी को अधिक गयी है किसी को कम गयी है और इसका उदाहरण मेड़ता भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय थोड़ा संक्षिप्त करें।

198

श्री भंवरसिंह डांगावास : अब धन्यवाद ही दे रहा था। मान्यवर, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : आपने कहा कि 5 साल में कोई बिजली अपने यहां राजस्थान विद्युत मण्डल में पैदा होने वाली नहीं है। आप इसको करेक्ट करें। अभी रामगढ़ का ढाई के वी. का चालू हो गया है और तीन का होने वाला है पांच-सात दिन में।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैंने पहले मेरे पूर्व भाषण में भी कहा था कि रामगढ़ वाला शुरू हो चुका है आप उसको देख लेना।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप कह रहे हो कि उत्पादन बढ़ा नहीं है....

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं नागौर जिले की बात कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब आप बिराजिये। माननीय श्री रतनलालजी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिएं भौतिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उद्योगों में अधिक से अधिक पूंजी का निवेश हो इस बात के लिए प्रत्येक सरकार प्रयत्न करती है। हमारे प्रदेश में 1978, 1990 और 1994 में तीन औद्योगिक नीतियां बनी हैं। 1978 से 1990 के बीच में जो औद्योगिक नीति थी उसके अनुरूप उद्योग कितने लगे और उसके बाद 1990 में उसको फिर परिवर्तन करना पड़ा और उसके बाद 1994 में यह नयी औद्योगिक नीति हमारे सामने आयी है। प्रश्न इतना है कि हमारे प्रदेश के 1978 से लगाकर आज तक जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं, जो भी उद्योग मंत्री रहे हैं, वे लगातार प्रवासी राजस्थान के उन उद्योगपतियों के पास, प्रवासियों के पास जाते रहे हैं और उद्योग के लिए उनको बराबर आमंत्रण देते रहे हैं। इस सबके बावजूद राजस्थान में उद्योग और पूंजी निवेश का कार्यक्रम जिस गति से होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमको इस बात की समीक्षा करनी होगी कि औद्योगिक विकास तेजी से क्यों नहीं हो पा रहा है और पूंजी निवेश तेजी से क्यों नहीं हो पा रहा है। इस बात की आज बड़ी आवश्यकता है। इस आधार पर मैं समझता हूं कि वर्तमान औद्योगिक नीति में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि समयबद्ध चाहे भूमि का मामला हो, चाहे दूसरे इसी मामले से सम्बन्धित मामले हों उन सब के लिए नियत और सीमा उन्होंने तय की। मैं समझता हूं कि यदि हमारी नीयत है और सीमा के अन्दर काम होता है तो औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान आज बड़ा पिछड़ा माना जाता है उसके आगे बढ़ने के अवसर हैं।

मैं लम्बी चौड़ी बात न करके इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी बहुत है और बड़ी तादाद में गांवों में भी बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से जब युवकों के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इन्टरव्यू होते हैं तो बड़ी लाइनें लग जाती हैं और इसकी बड़ी मांग रहती है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी बेरोजगारी का द्योतक है। इस दृष्टि से राजस्थान के गांवों में कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और छोटे प्रकार के कई उद्योग जब तक हम नहीं लगा पाएंगे तब तक शहरों पर इसका भार निरन्तर बढ़ता जाएगा और शहरों की स्थिति भी यह हो गयी कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीनें उपलब्ध नहीं और दूसरे साधन, बिजली और पानी की व्यवस्थाएं करने में कठिनाई है इसलिए गांवों में भी आपको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

नयी नीति में आपने थोड़ा सा संकेत दिया है और मैं समझता हूं कि इसको आप और भी गम्भीरता से लें और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक दृष्टि से विकास को आप पूरा-पूरा ध्यान दें। जैसे खादी में 1 लाख, 68 हजार, 889 श्रमिक लगे हुए हैं, इसी तरह 2 लाख, 54 हजार, 936 ग्रामोद्योग में आज के दिन लगे हुए हैं। ये आंकड़े बोलते हैं और भारत सरकार ने जैसा कि अभी घोषणा की, बड़ी तादाद में खादी और ग्रामोद्योग को धन सुलभ कराया जाएगा। इसलिए राजस्थान सरकार इस बारे में योजनाएं तैयार करके आधार-भूत ढांचा अभी से बनाये, उसका अधिक उपयोग राजस्थान में हो।

इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान की धरती विद्युत सम्पदा से भरी हुई है। खनिज विभाग और उद्योग विभाग सब समन्वय करके यदि राजस्थान में खनिज उद्योग के विकास की दृष्टि से तैयारी करें तो राजस्थान में इसकी बहुत संभावनाएं है। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड एक बहुत बड़ा संस्थान राजस्थान सरकार के अन्तर्गत चलता है और इसको मार्बल, ग्रेनाइट और रॉक फास्फेट के बड़े-बड़े क्षेत्र दिए हुए हैं। उसके बावजूद भी मेरा यह मानना है कि इसकी देखरेख और व्यवस्था पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें कभी भौतिक सत्यापन नहीं होता, इसके माल के मामले में कई प्रकार की बातें सामने आती हैं, मशीनों और और पार्ट्स के मामले सामने आते हैं कि वहां बड़े गड़बड़ घोटाले हैं। ये मामले भी सामने आते हैं कि वहां स्टोर रजिस्टर और दूसरी पंजिकाएं तक भी गायब हैं जिनमें लाखों करोड़ों का अता-पता नहीं है, ये स्थितियां हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को जो इस प्रकार का बहुत बड़ा औद्योगिक संस्थान है और जिसको बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, करोड़ों की आमदनी बढ़ाकर उससे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय, उस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं उद्योग की बात इतनी ही करना चाहता हूं कि गांवों में औद्योगिक दृष्टि से काफी प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। अब 2-3 मिनट अपनी बात बिजली पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान के किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि प्रगतिशील

(श्री रतनलाल ताम्बी)

किसान कहलाने वाले हमारे बिजली मंत्री महोदय राजस्थान की बिजली में बहुत कुछ सुधार करेंगे और सौभाग्य से मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि बिजली बोर्ड के अध्यक्ष श्री भंडारी, जहां-जहां संकट आता है, इनको हमेशा वहां-वहां लगा दिया जाता है। 2 साल पहले इनको जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दिया गया था। डेढ़ साल हुआ होगा, एक साल हुआ होगा और जिलों में जा-जाकर इन्होंने बड़ी मीटिंगे कीं और प्रयत्न किया कि योजनाएं किसी तरह गति पकड़ सके, जनता जल योजनाएं, सारा कुछ किया और आप सबको विदित है कि राजस्थान में पीने के पानी की दृष्टि से बहुत संकट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री भंडारी दो-दो साल तक एक साथ कहीं नहीं रहते।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चिंता करते हैं, प्रयत्न करते हैं और उसके बाद इधर-उधर हो जाने से वे योजनाएं वहां की वहां रह जाती हैं। अगले महीने, डेढ़ महीने बाद पानी की समस्या का राजस्थान के अन्दर भयंकर संकट आने वाला है, इसी तरह से बिजली की स्थिति भी है। बिजली की बड़ी-बड़ी योजनाएं बन रही हैं, कई वर्षों से सुनते हैं। अब 42 सौ मेगावाट बिजली 18 हजार करोड़ रुपये की पूंजी निवेश से निजी संस्थानों के माध्यम से राजस्थान में लागू करने की बात है। यह पता नहीं कब लगेंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारे क्षेत्र के किसानों को नियमित बिजली नहीं मिलने से रबी की फसल पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है। इन दिनों बालकों की परीक्षाएं चल रही हैं, उस समय भी बिजली बराबर नहीं मिल रही है। एक बार बाई दी वे मैं तो था नहीं, मंत्री महोदय उधर से गुजरे, लोगों को मालूम पड़ गया, इनको वहां रोक लिया, रोक कर इनको काफी कहा-सुना। काफी कहने-सुनने के बाद इन्होंने कहा मैं सब व्यवस्थाएं ठीक करता हूं। मैंने भी यहां निवेदन किया है। हमारे यहां मोरला ग्रिड स्टेशन है जो जहाजपुर तहसील की सीमा में स्थित है। उसका सारा कंट्रोल बीसलपुर और देवली से होता है। कुछ इलाका बूंदी से कंट्रोल होता है। तो वहां आने वाली बिजली का नियंत्रण दूसरे अधिकारियों के पास होने से हमारा इलाका हमेशा प्रभावित रहता है। किसान गाली दे रहे हैं, छात्र गाली दे रहे हैं, बिजली मंत्रीजी, इस व्यवस्था में आप सुधार करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में लाइन लोसेज भी बहुत ज्यादा है। मीटर वाले मामले में तो काफी गड़बड़ चलती है और कम्प्यूटर के बिलों ने तो हमारे किसानों को परेशान कर डाला। जब-जब भी बिजली के बिल आते हैं तो साधारण मकान वाले 18-18 और 22-22 हजार रुपये के बिजली के बिल लिये फिरते हैं। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था को आप ठीक करेंगे। 'मेरी कांस्टीट्यूएंसी जहाजपुर तहसील में घेवरिया स्थान है और कोटड़ी तहसील में 30-40 गांवों में बिजली की समस्या है, 33 के.वी. का एक स्टेशन काफी समय से लम्बित है। बिजली मंत्री महोदय और बोर्ड के चेयरमैन....

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमारजी मीणा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस बात को देखेंगे और अव्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। ऐसे ही 33 के.वी. लाइन रोपा और पंडे के बीच डालने से 30-35 गांवों की समस्या का समाधान हो सकता है। बातें तो बहुत लम्बी थीं, एक बात और कहकर बात समाप्त करता हूं कि किसानों की हितैषी होने का दावा यह सरकार करती है और प्रगतिशील किसान होने का दावा माननीय विद्युत मंत्रीजी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आप किसानों के लिए बिजली कनेक्शन के मामले में जो खम्भों के रेट्स और जो नीति निर्धारित की है, वह किसान की हितैषी है क्या ? आज हमारे इलाके के किसान तो कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं और हजारों दरख्वास्तें भी विभाग में लम्बित पड़ी हुई हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर पुर्नविचार किया जाए और किसानों को इस तरह बिजली सुलभ करायी जाए कि इससे उनको कम से कम पैसा देना पड़े। 3 साल पहले, 4 साल पहले दरख्वास्त का कितना पैसा लगता था....

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य इस पर कह चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सब निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो उद्योग नीति की डिमांड चल रही है उसमें अपने आपको शामिल करते हुए सबसे पहले तो मैं उद्योग मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि दौसा जिला सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डवलप है लेकिन दौसा जिले की एक तहसील सिकराय अभी भी, आज भी बिना उद्योगों के चल रही है। वहां आज भी उद्योगों की घोषणा आपने नहीं की है। मेरी आपसे सबसे पहली मांग यही है, प्रार्थना है कि सिकराय को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आप घोषित करें जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, उद्योगों से बेरोजगारों को रोजगार मिलें, उद्यमियों को उद्योग मिलें और क्षेत्र का डवलपमेंट हो तो मेरी आपसे सबसे पहली मांग है कि सिकराय को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित करें।

मान्यवर, बिजली की मांग में अपने आपको सम्मिलित करते हुए बिजली मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों को फसल के वक्त में और विद्यार्थियों को परीक्षा के टाइम में बिजली की ज्यादा जरूरत होती है। मान्यवर, दोनों ही वक्त में न तो किसानों को पूरी बिजली मिली और न विद्यार्थियों को ही समय पर बिजली मिली। इसके बारे में सरकार बिलकुल फैल रही। 8 घंटे की घोषणा की थी लोगों को 2-2 घंटे भी बिजली नहीं दी। जो किसान अपनी खेती को ही अपनी पूंजी समझता है उसकी पूंजी नष्ट हो गयी और किसानों के साथ आपने दो नम्बर का व्यवहार किया। मान्यवर, जब किसान को बिजली की जरूरत थी उस वक्त जयपुर शहर में सोडियम लाइटें, मरकरी लाइटें और हैलोजन लाइटें

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

जल रही थीं। आपने बड़े उद्योगों पर कटौती नहीं की, बड़े उद्योग बड़े आराम से चल रहे थे। उस समय आप कटौती करते शहरों में और बड़े उद्योगों में तो किसानों की फसल अच्छी होती। आज किसान आपको गालियां निकाल रहे हैं, खेती के टाइम पर तो बिजली नहीं दी और अब बिना मतलब बिजली दी जा रही है।

दूसरे, मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 132 के.वी. का जी.एस.एस. स्वीकृत है लेकिन आज तक भी नहीं लगा है। कई बार मैं सचिव से मिला और हमने काफी मांग की लेकिन आज तक भी 132 के.वी. का जी.एस.एस. नहीं लगाया। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही ग्राम गुमानपुरा का एक कालारामा नाम का ग्राम है और दो-तीन ग्राम और हैं जहां विद्युत लाइन बिलकुल दो मीटर ऊपर है, लोग नीचे होकर चलते हैं और गयी दफा भी एक ऊंट और एक व्यक्ति मर गया था जिसके बारे में मैंने निवेदन किया था और सदन के अन्दर भी मैंने निवेदन किया था लेकिन आज भी न तो वह खिंचे हैं और जनता उनके नीचे से झुक कर जाती है। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। मान्यवर, इसी तरह से मेरे क्षेत्र के 15-20 गांव हैं जो तीन-चार साल से विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हो चुके हैं, वहां खम्बे गड़े हुए हैं और तार भी खिंचे हुए हैं लेकिन विभाग की लापरवाही से आज तक बिजली नहीं दी गयी है। तार उठाकर ले गए, लठ्ठों को डाल दिया। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर पुनः तार लगायें। निम्न ग्रामों को गेरोटा, अम्बाड़ा, गढोरा, जगतापपुरा, कालाखो, जोध्या, मोहलाई, डनाकर, गेरोली, बेहराखड़ा, सुरेर, कुशल का चेना का बास, बालकिशन का बास, मीकरी, टोरड़ा, फराशपुरा यह कुछ ग्राम हैं जिनमें आज भी खम्भे गड़े हुए हैं और कुछ जगह तार भी खिंचे हुए हैं, कुछ जगह टूट रहे हैं और कुछ जगह लोग ले गये हैं तो इन सभी ग्रामों में जो स्वीकृत हैं पुनः आप बिजली से उनको जोड़ें और ग्राम की जनता को बिजली दें।

मान्यवर, लास्ट में यह एक समस्या और है कि सिकराय में ए.ईएन. का आफिस है लेकिन ए.ईएन. कभी भी आफिस में नहीं बैठते हैं। घर पर ही अपनी व्यवस्था करते हैं। हम कई दफा उनसे मिले भी। मिलते हैं तो दो दिन वहां रहते हैं और 5 दिन आउट आफ आफिस रहते हैं। तो यह भी व्यवस्था की जाये कि ए.ईएन. और जे ईएन. हैड क्वार्टर पर ही रहें और आफिस में बैठें।

इन्हीं शब्दों के साथ में उद्योग मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित करें और बिजली मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि जो ग्राम बिजली लगने से बच चुके हैं उनको विद्युत से जोड़े।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में 40 गांव कई वर्षों से विद्युतीकृत

(श्री हरिनारायण बैरवा)

हो रहे हैं और उनमें अभी तक भी बिजली नहीं पहुंची है। वह गांव हैं—भूरीपहाड़ी, डूंगरी, बड़ोद, पादड़ा, आंकोदा, पादड़ा तोपखाना, परसीपुरा, डाविच, सिगोर कलां, सिगोर खुर्द, जाखोदा, पीपलेट, बसो कलां, बसो खुर्द, इटावा, बिलोया, आदलवाड़ा खुर्द, नरोड़ा, पीलेण्डी, गुणशीला, टापुर, महापुरा, ऐंचर, भाड़ोदा, पीपल्या, डेहकवां, भावपुर, मिड़, बागड़दाकलां, मोलनपुर, बागोरा, देवली, सेवंतीखुर्द, बोली, बगीना, सिरोही, नाहरी, गणेशगंज, विजयपुरा, गुड्डी, करमापुर आदि। इन गांवों को विद्युतीकृत तो कर रखा है किन्तु इनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और यहां पर कई गांवों में खम्भे भी गड़े हुए हैं लेकिन तार नहीं पहुंचे हैं। इसलिए इन गांवों के अन्दर जल्दी से जल्दी खम्भे और तार पहुंचाकर बिजली पहुंचाई जाये।

साथ ही, जो गांव विद्युतीकृत नहीं हुए हैं उनको भी विद्युतीकृत किया जाये। ऐसे भी गांव हैं जो गैर आबाद हो चुके हैं और वहां से लोग निकल कर दूसरी जगह जा बसे हैं, किन्तु काश्तकारी की जमीन वहां पर मौजूद है और कुएं भी खुदे हुए हैं इसलिए जो गांव गैर आबाद हैं वहां पर आदमी तो नहीं रहते हैं लेकिन वहां की भूमि काश्तकारी के काबिल है उन गांवों को भी विद्युतीकृत कराया जाये ताकि किसानों को बिजली मिल सके।

साथ ही, जहां गांवों में बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं वहां तो बिजली पहुंच गयी लेकिन ऐसी बस्तियों से हरिजन बस्तियां मुश्किल से सौ, दो सौ मीटर की दूरी पर हैं और ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर हरिजन बस्तियों में बिजली नहीं पहुंची है। हरिजन बस्तियों में भी बिजली पहुंचना आवश्यक है। गांव तो एक ही है किन्तु पास में ढाणियां हैं उन ढाणियों में भी बिजली पहुंचाने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त, जो फाइलें पड़ी हुई हैं, जिनके डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं तो ऐसी फाइलों को नम्बर पर लगाकर उनको कनेक्शन दिलाये जायें और जिन फाइलों के डिमाण्ड नोटिस जमा नहीं हुए हैं उनके डिमाण्ड नोटिस जमा करके ऐसे गांवों में भी बिजली पहुंचाई जाये। भूरी पहाड़ी और डूंगरी दोनों ग्राम पंचायतों को श्यामपुरा लाइन से जोड़ा जाये। भगवतगढ़, कुशतलां और बहरावण्डाकलां में 33 के. वी. के सब-स्टेशन खोले जायें ताकि एरिया पर जो अतिरिक्त भार पड़ता है उससे बिजली की लाइन खराब हो जाती है उस एरिया पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े और क्षेत्र में बिजली अच्छी तरह से पहुंच सके।

साथ ही, उद्योग के लिए भी इस बार माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात आयी थी कि राजस्थान में 13 सीमेंट फैक्ट्रीज चालू हैं और 3 नये कारखाने लगाये जायेंगे। मैं सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बिलकुल पास में बसा हुआ हूं, सीमेंट फैक्ट्री में ही रहता हूं इसलिए एक सीमेंट फैक्ट्री (जयपुर उद्योग) का कारखाना है उसको भी चालू कराया जाये ताकि वहां के जो पांच हजार मजदूर

202

(श्री हरिनारायण बैरवा)

परिवार हैं उनको रोजी-रोटी मिल सके। उन पांच हजार परिवारों का ही मामला नहीं है पूरे जिले की ही आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। पूरे जिले की जो आर्थिक स्थिति है वह इतनी खराब हो गयी है कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इसलिए सीमेंट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर को भी चालू कराया जाये।

साथ ही, मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्डार है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें कृषि के अलावा अन्य कोई दूसरे साधन नहीं हैं जिनसे कि लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। अतः शिवाड़ चौथ का बरवाड़ा और खण्डार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम। (अनुपस्थित) श्री शंकरलालजी (अनुपस्थित) श्री दयारामजी। (अनुपस्थित) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई और राजस्थान सरकार ने भी 1978 में बनाई, 1990 में बनाई, और 1994 में औद्योगिक नीति बनाई। मुझे कहने में बिलकुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि न तो भारत सरकार की औद्योगिक नीति में और न राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति में हमारे सवाईमाधोपुर के लिए कुछ नहीं किया। सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर आजादी के पूर्व दो बड़े कारखाने थे–एक था एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री और दूसरे भारत सरकार का गंगापुर सिटी के अन्दर रेलवे लोको शेड और केरेज शेड। राजस्थान सरकार ने तो चौपट कर दिया सीमेंट फैक्ट्री को और भारत सरकार के माध्यम से हो गयी केरेज और लोको शेड। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि सवाईमाधोपुर राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और इस औद्योगिक दृष्टि से भी यह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है। जैसे-तैसे करके बिड़लाजी ने खाद का कारखाना लगाया। उसमें तीन-चार करोड़ की पूंजी भी खराब की लेकिन उसको शेर और बघेरे खा गए, रणथम्भौर गेम सेंचुअरी ले गयी। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले का जब तक भला नहीं हो सकता जब तक कि सवाईमाधोपुर जिले को आप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करेंगे। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं होने के कारण इस सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं है।

दूसरे यहां पर सबसे बड़ी मैन पानी की समस्या है जो कि उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। अफसोस तो इस बात का है कि सवाईमाधोपुर जिला जिसके अन्दर राजस्थान की बारह माह बहने वाली नदी चम्बल और बनास, जिनमें हमेशा पानी रहता है। उस पानी का वहां पर किसी प्रकार से सदुपयोग नहीं है। न तो उस पानी की सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था है न ही उस पानी की कल कारखानों के लिए व्यवस्था है।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का, जो उप मुख्य मंत्री भी हैं, ध्यान इस बारे में दिलाना चाहूंगा कि सवाईमाधोपुर जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसा कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एग्रीकल्चर बेस ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाये जाएं, उनकी सवाईमाधोपुर जिले में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर सरसों का उत्पादन शायद राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, मूंगफली का तो अपना प्रथम स्थान रखता ही है इसके अलावा टमाटर वगैरह यह छोटी-मोटी चीजें हैं जिनका वहां अच्छा उत्पादन होता है। आज गंगापुरसिटी में सौ तेल मिलें लगी हुई हैं लघु इकाई के रूप में। अध्यक्ष महोदय, आज उन मिलों की स्थिति बड़े-बड़े प्लांट लग जाने के कारण से बड़ी दयनीय हो चुकी है और उन तेल मिलों की स्थिति इतनी बदतर हो गयी है, अगर उनको संरक्षण नहीं दिया गया तो यह तेल उद्योग समाप्त हो जाएगा। कारण कि जो बड़ी इकाइयां हैं, जो एगमार्का हैं उनकी तुलना में उन छोटी इकाइयों में तेल के उत्पादन में पर्सेंटेज भी कम आती है और इसके अलावा एगमार्का तेल के मुकाबले में उनका तेल दो सौ रुपये क्विंटल कम में बिकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज वह इकाइयां बिलकुल मरणासन्न स्थिति में हैं अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गंगापुर का लघु उद्योग जो तेल उद्योग के नाम से है, एक प्रकार से बिलकुल समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि गंगापुर के अन्दर आज से 25 साल पूर्व चावल की दस मिलें थीं, आपको आश्चर्य होगा कि सारे राजस्थान के अन्दर सिर्फ गंगापुर सिटी एक ऐसा स्थान था जहां पर चावल की मिलें थीं लेकिन आज वह चावल की सब मिलें समाप्त हो चुकी हैं, सिर्फ एक मिल गंगापुर के अन्दर चलती है उसका भी हलर और सेलर के चक्कर में, भारत सरकार ने यह आदेश दिये कि हलर समाप्त कर दिये जाएं और उनके ऊपर सेलर लगा दिए जाएं इस कारण से वह सारी की सारी मिलें बंद हो चुकी हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक आप सवाई-माधोपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं करोगे तो कोई भी उद्योगपति सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर उद्योग लगाने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप सवाईमाधोपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करवाएं, यही मेरा उद्योग के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है।

बिजली के मामले में सिर्फ एक ही बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह मैं मानता हूं कि आज बिजली की सारे राजस्थान के अन्दर बहुत कमी है। कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें कीं, यह तो मैं जानता हूं कि राजस्थान के अन्दर जब तक स्वयं का उत्पादन नहीं होगा तब तक बिजली की कमी दूर नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है, 1987 के अन्दर

204.

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जब श्री शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने चम्बल नदी के ऊपर रोहू घाट के ऊपर बिजली के उत्पादन का एक प्रस्ताव तैयार करवाया था जिसके अन्तर्गत 87 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो सकती थी। वह प्रस्ताव आज तक विचाराधीन है। जैसा कि रिपोर्ट के अन्तर्गत मैंने पढ़ा, जब तक मध्य-प्रदेश के मुख्य मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे और उसके बारे में पूरी तरह से विचार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की खुशहाली के लिए, सवाई-माधोपुर जिले की खुशहाली के लिए और राजस्थान में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से जो 87 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्रस्ताव रोहू घाट में विचाराधीन है, उसको आप तुरन्त मन्जूर करवाएं, भारत सरकार को भेज कर शीघ्र स्वीकृति लें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनगोपालजी कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और ऊर्जा की मांग पर चर्चा हो रही है। नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद प्रवासी राजस्थानी और सारे देश में जो राजस्थान के उद्योगपति हैं वह राजस्थान में आने लगे है, राजस्थान में भी जो पूंजीपति रह रहे हैं वे भी उद्योगों में रुचि लेने लगे हैं और जो नयी औद्योगिक नीति आयी है उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। इस नये बजट में भी उद्योगों को विकास के लिए जो छूट मिली है, दो साल के लिए सब्सिडी मिली है और इसके साथ बिक्री कर में छूट जो नये उद्योग लगते हैं उसमें 75 पर्सेंट तक है लेकिन जो विस्तार में भी 60 की जगह 75 पर्सेंट किया है उससे भी उद्योग धन्धों के विकास के लिए एक वातावरण बना है। इसके साथ एक लाख की आबादी से ज्यादा वाले नगरों में जो उद्योग-धन्धे लग रहे हैं उनमें सब्सिडी के लिए भी जो एक साल का विस्तार किया है उससे नये उद्योग लगे हैं लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हुआ है या लाइसेंस मिल गया है और उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, उन लोगों को राहत मिली है और एक वातावरण बना है।

इसके साथ-साथ, औद्योगिक विस्तार का वातावरण बना है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आने लगी है कि वहां अब जमीन और प्लाट्स मिलना कठिन हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मेरा एक सुझाव है कि हर साल इसकी समीक्षा होनी चाहिये। औद्योगिक क्षेत्र में जब ब्लाक हो जाता है उसके बाद गये औद्योगिक क्षेत्र के लिए विचार किया जाता है और दो-तीन साल लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और किशनगढ़ का एक उदाहरण दूंगा। किशनगढ़ में उद्योग लगने का एक वातावरण तो बना लेकिन उसमें एक ऐसा ब्लाक हो गया, मार्बल उद्योग का बहुत बड़ा वातावरण बना लेकिन उसके

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

विस्तार का कोई साधन नहीं रहा। चारों तरफ ग्रीन बेल्ट है। अब नया औद्योगिक क्षेत्र कहीं भी डवलप करने के लिए दो-तीन साल का समय लगेगा। जो वातावरण बना है इसको बनाये रखने के लिए हर साल औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिये समीक्षा होनी चाहिये और इसके साथ-साथ ब्यावर, अजमेर कहीं भी लीजिये, आज ब्यावर में कोई उद्योग लगाना चाहे, औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट की भी जमीन नहीं है अब उसको विस्तार के लिए कहीं अन्य जगह जाना पड़ेगा। ब्यावर में 20–25 मिलें लगी हुई हैं, एक वातावरण बना, एक्सपोर्ट भी होता है लेकिन नये उद्योग डवलप के लिए उन्होंने अन्य जगह रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन जो वातावरण बना हुआ है उसमें ट्रबल आयेगी। ऐसे ही विजयनगर में, अजमेर में....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें। इन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अजमेर औद्योगिक क्षेत्र में भी ऐसी की ऐसी समस्याएं हैं। मेरा इसमें एक ही सुझाव है कि अगर हर साल इसमें समीक्षा हो और विस्तार का ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से जो एक वातावरण बना है वह आगे बढ़ेगा।

उद्योग-धन्धे तो लग रहे हैं लेकिन राजस्थान में उद्योग नीति में एक कमी है, वह रोजगारोन्मुखी होनी चाहिये। रोजगार हर साल कितना दिया जाएगा, कितने लोगों का रोजगार उद्योग-धन्धों के माध्यम से होगा इसका एक निश्चित टार्गेट होना चाहिये, उसी के आधार पर उद्योग धन्धे लगें तो निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक नीति से बेरोजगारी दूर करने में भी लाभ मिलेगा। मैं एक उदाहरण दूं। हमारे क्षेत्र में श्री सीमेंट है। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है लेकिन इस क्षेत्र के केवल 100 लोग लगे हुए हैं बाकी सब आउट आफ राजस्थान के आते हैं। तो यह एक नीति तो बनानी पड़ेगी कि जिस क्षेत्र में वह उद्योग लग रहा है वहां के स्थानीय लोग चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हों, चाहे लेबर में हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हों, वहां के लोग लगें। लाइसेंस देते समय इस नीति को भी जोड़ना चाहिये जिससे निश्चित रूप से फायदा होगा।

एक मेरा यह कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र और रीको वगैरहा के आफिस में बड़ा अन्तर रहता है। इनके दफ्तर सारे किराये पर शहरों में हैं। मेरा यह सुझाव है कि औद्योगिक क्षेत्र में ही इनके कार्यालय हों जिससे उद्योग-धन्धे वालों को सुविधा मिले। इन्होंने बहुत खर्चे पाल रखे हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी किराये पर बिल्डिंस ले रखी हैं, बहुत से ओब्लाइज कर रहे हैं लेकिन जब अपने पास जमीन है तो निश्चित रूप से जहां उद्योग-धन्धे लगते हैं वहीं कार्यालय हों तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : ऊर्जा के मामले में मेरे को कहना है कि विजयनगर से जालिया के लिए 33 के. वी. 8 साल

206

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

पहले स्वीकृत हुई थी और माननीय मंत्री महोदय से सम्पर्क करने से पिछले साल उस पर काम शुरू हुआ, केवल खम्भे गड़े, उसको एक साल लगा। अब उस पर तार पता नहीं कब खींचेंगे ? उस क्षेत्र के लिए बिजली कब आयेगी ? यह इस बात का द्योतक है कि इस विभाग में कार्य क्षमता बढ़ानी है और इसकी कार्यकुशलता बढ़े। अगर आपने लाइन स्वीकृत कर दी, खम्भे भी गड़ गये, तार भी आ गये, अगर साल–दो साल तक उस पर काम नहीं होगा तो बिजली नहीं पहुंचेगी और उसका कोई उपयोग नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्षजी, जो बजट सदन में पेश किया गया था उसमें बिजली का उल्लेख करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि राजस्थान में बिजली की कमी को देखते हुए सरकार स्वयं इसकी पूर्ति नहीं कर सकती और हम उम्मीद करते हैं कि निजी क्षेत्र के माध्यम से यह पूर्ति सम्भव होगी और उन्होंने सदस्यों से सुझाव मांगे थे कि सदस्य अपनी राय जाहिर करें।

माननीय अध्यक्षजी, जब सरकार स्वयं बिजली उत्पादन करने में सक्षम नहीं है उस हद तक तो इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं कि हमें निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन की पहल करनी पड़ेगी और जब सरकार इस तरह की बात कर रही है तो जिन लोगों ने काफी समय पहले आवेदन कर रखा है बिजली उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में और जिनका मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट की डिबेट पर उत्तर दिया तो जिक्र भी किया कि कुछ लोग लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं और उत्पादन नहीं कर रहे हैं। मैं सदन का ध्यान सेंचुरी टैक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पावर प्रोजेक्ट चित्तौड़ के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं कि उन्हें 500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक 1988 में लाइसेंस जारी किया गया था और लाइसेंस जारी करने के बाद अभी तक उनको क्लियरेंस नहीं मिला है। निजी क्षेत्र में उत्पादन की बात की जा रही है। 500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन चित्तौड़ को 1988 में लाइसेंस जारी किया गया है। गत वर्ष के जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाले उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि सरकार निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन कराये। सरकार के सामने चिन्ता सिर्फ एक बात की है कि जो बिजली की अण्डरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी सैण्ट्रल गवर्नमेंट को कि यह जो बिजली है उसको आप क्रय करेंगे और जब उसको क्रय करेंगे और उसकी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आती हैं, मैं समझता हूं सरकार उसकी वजह से झिझकती है।

माननीय विद्युत मंत्रीजी, बिजली की जो कीमत आप काश्तकार से वसूल करते हैं उस कीमत में आप वृद्धि नहीं करें क्योंकि

(श्री भरत सिंह)

वह काश्तकार पर काफी भारी है और बिजली, जो पैसा काश्तकार दे रहा है उसको उतनी बिजली मिल भी नहीं रही। बिजली की दर नहीं बढ़ायें, दूसरे सोर्सेज से आप रेवेन्यू कलक्ट कर सकते हैं। यह अध्ययन करना है आपको कि बिजली से सिंचाई की क्या दर पड़ती है, डीजल से जो काश्तकार अपना खेत सिंचित करता है वह अपना एक बीघा खेत किस कीमत पर सिंचित कर रहा है और फ्लो-इरिगेशन में किस राशि पर सिंचाई हो रही है? रात-दिन का अन्तर है। सबसे जो गरीब आदमी है वह डीजल से खेती कर रहा है, डीजल से अपना खेत सिंचित कर रहा है और, मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि कोटा सम्भाग में भी अधिकांश काश्तकार, क्योंकि बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिन घंटों में बिजली नहीं मिलती उनमें वे जनरेटर चलाकर, डीजल पम्प चलाकर अपनी पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए चाहें आप कीमत नहीं बढ़ायें, उनको तो बढ़ी हुई कीमत पर अपना खेत सिंचित करना पड़ रहा है। उसकी तुलना में राजस्थान में 28 लाख हैक्टेयर जमीन तो कुओं से बिजली से सिंचित है, 14 लाख हैक्टेयर नहर से सिंचित है। उस सिंचाई और बिजली की सिंचाई में रात–दिन का अन्तर है। माननीय अध्यक्षजी, यह इस सदन को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें काश्तकार को बिजली देनी पड़ेगी, तो जो सस्ती दर पर सिंचाई कर रहा है उससे आप दर बढ़ाकर इसकी पूर्ति इस रूप से करें क्योंकि जब तक हम तरीके नहीं ढूंढेंगे इसका समाधान नहीं होगा। चुनी हुई सरकार हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ायें तो कहीं यह तो नहीं होगा कि लोग नाराज हो जाए और आप इस बात को देखते रहें और हम इस बात में उलझे रहें तो आप अपना समय निकाल देंगे। वह 1988 का आवेदन है, आपका टर्म पूरा हो जाएगा, इस पर बात चलती जाएगी कि हम निजी क्षेत्र में इसको करने वाले हैं मगर होगा कुछ नहीं। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, आप दृढ़ता के साथ निर्णय लीजिये और बिजली से जो काश्तकार सिंचाई कर रहा है उसकी कीमत नहीं बढ़ाते हुए दूसरी तरह से आप इसको कम्पनसेट कर सकते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह तरीके भी बताइये।

श्री भरत सिंह : वह बता देंगे तो जब उस साइड में आयेंगे तो हम क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री परसराम मदेरणा : (व्यवधान) इसमें गाइड लाइन दीजिये आप। आप गाइड लाइन नहीं दे रहे हो और केवल सुझाव मांग रहे हो। हमारे सुझावों को कब आपने एक्सेप्ट किया है? हमने कोई अफीम के डोडे पी रखे है जो हम आपको सुझाव देंगे?....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हमारे मुख्य मंत्रीजी तो आपके सुझावों को ही क्रियान्वित करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और उसको आप मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर हमारे दिमाग में यह रिजर्वेशन है कि यह सुझाव

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार मानेंगी कि नहीं मानेंगी तो फालतू सुझाव देने वाले हम भी नहीं हैं, मंत्री महोदय।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, बिजली से ही उद्योगों का विकास जुड़ा हुआ है और जब बिजली नहीं है तो उद्योग के विकास पर शह लगी हुई है। जो भी उद्योग इस देश में आना चाहते हैं, बिजली की पूर्ति नहीं होने की वजह से वह नहीं आ सकते। मेरा सुझाव है कि बिजली के लिए तो मैंने जिस पर ध्यान दिलाया उस पर आप चिन्तन करें और निर्णय लें मगर जहां तक उद्योग का सवाल है, उद्योग मंत्रीजी का मैं ध्यान दिलाऊंगा कि राजस्थान में ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्यूरिज्म की राजस्थान में व्यापक पोटेंशियलिटी है, और अगर आपने ट्यूरिज्म को विकसित किया तो ट्यूरिज्म के इन्फ्रास्ट्रक्चर में बिजली की आवश्यकता नहीं होती जैसे दूसरे उद्योगों में पड़ती है आपकी जो इण्डस्ट्रियल पालिसी है उसमें बातें तो काफी हैं, उसमें ट्यूरिज्म का आपने जिक्र किया है मगर मैंने ट्यूरिज्म के सम्बन्ध में प्रश्न किये हैं और मुझे जो उत्तर मिला है, जो आपकी पालिसी में दिया है और जो मंत्रीजी ने उत्तर दिये हैं उनमें रात दिन का अन्तर है। आपके पास इतना मैटीरियल, इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्यूरिज्म का अवेलेबल है, देखने की जगह के रूप में, मगर उनको विकसित करने के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार को विकसित करना है उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। मुझे खुशी है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। ट्यूरिज्म के इन्फ्रास्ट्रक्चर में रोड की आवश्यकता आती है और आपने जो सड़क नीति बनायी है उसमें ट्यूरिज्म के महत्व के स्थानों का जिक्र किया है मगर सड़क का जो जिक्र है वह कब बनेगी, वह बनेगी अगली शताब्दी में। जो प्राथमिकता ट्यूरिज्म इम्पोर्टेन्स की रोड को दी है वह इस शताब्दी के लिए नहीं दी है, वह अगली शताब्दी के लिए है। यह पूरा खतम हो जाएगा, अगले साल चलेंगे तो। आप ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री को डवलप करना चाहते हैं तो अपनी प्राथमिकता 1971, 1981, 1991 की जो हैं उसको तो आप मेंटेन करिये, उसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं मगर जो ट्यूरिज्म की इम्पोर्टेन्स की रोड है, उनके लिए आप अभी से ध्यान दें और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री बाबूलाल जी। पाइंटेडली कुछ बात कहें। बार-बार सब तरफ से दबाव आ रहा है माननीय सदस्यों का। बोलने दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग और विद्युत पर सदन में चर्चा चल रही है, सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने औद्योगिक नीति बनायी। औद्योगिक दृष्टि से विकास करने के लिए नीति का निर्माण हुआ लेकिन इस नीति का वाकई में इम्पलीमेंटेशन करना है तो सब जगह जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहां भी औद्योगिक दृष्टि से विकास होना चाहिये।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उद्योग का नाम आता है तो राजस्थान में कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। कोटा में बड़े-बड़े उद्योग हैं लेकिन यह झालावाड़ जिले का दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं कि कोटा से लगे होने के बाद भी औद्योगिक दृष्टि से वह बहुत पिछड़ा हुआ है। झालावाड़ में किसी भी तरह के उद्योग को विकसित होने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अभी 4-5 साल पहले राज्य सरकार ने उसको ग्रोथ सेंटर के रूप में डवलप करने का निर्णय लिया था तो पूरे झालावाड़ जिले की जनता के मन में यह आशा जगी कि झालावाड़ जिले का विकास होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक दृष्टि से ग्रोथ सेंटर डवलप करने के लिए मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां जमीन भी इस सम्बन्ध में रिजर्व कर ली गयी है लेकिन उसको डवलप करने के लिए, उसमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जिसका कि पैसा भी केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुका है उसके बावजूद भी पानी के सोर्सेज किसी तरह से डवलप नहीं किये गये और आज वह इस वजह से अधूरा पड़ा हुआ है, बन्द पड़ा हुआ है। उस जगह जमीन की रेट राज्य सरकार ने बहुत ज्यादा लगायी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में जिस तरह से ग्रोथ सेंटर का काम रुका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी जमीन का निर्णय लेकर डवलप किया जाए। जिससे हमारे झालावाड़ जिले का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में संतरे की बहुत बड़ी काप होती है, करोड़ों रुपये का संतरे का व्यापार होता है यदि वहां पर फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाने के लिए किसी उद्यमी को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से इस तरह के उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग का मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कोप है इसलिए वहां इस तरह के उद्योग लगाने के लिए अवसर प्रदान किये जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में ट्यूरिज्म का अच्छा स्कोप है। ऐतिहासिक स्थलों की दृष्टि से ऐतिहासिक महल यहां तक कि कोलरी की बहुत गुफाएं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोलरी की बोध धर्म की बहुत गुफाएं हैं, पुरातत्व विभाग उनकी देखभाल करता है परन्तु गुफाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की मदद नहीं की जाती है, किसी भी तरह से उनका विकास नहीं किया जाता है। ट्यूरिज्म के पाइंट आफ व्यू से किसी भी तरह से राजस्थान के मानचित्र पर वह आ नहीं पायीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को भी विकसित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बिजली तो बिलकुल बाकी है।

(210)

श्री अध्यक्ष : सब के कई बाकी हैं और आप सब....आप पाइंटेडली बात कहें ना फटा-फट, फटा-फट ।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं टू दी पाइंट ही बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय विद्युत की चर्चा चल रही है इसलिए मैं मेरे डग विधान सभा क्षेत्र की बात आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा । मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में अभी लगभग 50 पर्सेण्ट ही इलैक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो पाया है । डग पंचायत समिति में कुल 232 गांव हैं और उनमें से अभी तक 117 गांवों को ही विद्युतीकृत घोषित किया गया है लेकिन उनमें भी मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकृत घोषित तो हो गये हैं लेकिन उनमें अभी तक तार नहीं लगे हैं, विद्युतीकरण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है । इसलिए जल्दी से जल्दी उनमें तारों की व्यवस्था करके उनको विद्युतीकृत करवाया जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं वह यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 40-50 किलोमीटर का क्षेत्र चम्बल नदी और आऊ नदी से पूरा कवर्ड है । एक तरफ एम. पी. बोर्डर है और एक तरफ राजस्थान बोर्डर है । एम. पी. बोर्डर का हर किसान उसी नदी से पानी लेकर खेती करता है और अपनी फसल लेता है और आज मेरे विधान सभा क्षेत्र का किसान सिर्फ एक नदी बीच में है उस नदी से पानी लेता है । मेरे क्षेत्र का किसान इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं होने की वजह से पूरी खेती से वंचित रहता है । मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से यह विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां पानी के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं और सोर्सेज के इतने अथाह भण्डार हैं कि वहां उस पानी से हजारों लाखों बीघा भूमि सिंचित हो सकती है ।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि गांवों का विकास करने के लिए डी. आर. डी. ए. के पास पैसे की कोई कमी नहीं है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास करोड़ों रुपया लिफ्ट इरिगेशन का पड़ा हुआ है लेकिन लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम इसलिए पूरी नहीं हो पाती है कि वहां पर गांव इलैक्ट्रिफाइड नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में एक पालिसी बनाये। वह गांव इलैक्ट्रिफाइड हों या नहीं हों लेकिन उस चीज का फैसला राज्य सरकार को करना है, जब सरकार के पास आलरेडी पैसा है, उस गांव को इलैक्ट्रिफाइड करने का पैसा डी. आर. डी. ए. देगी लेकिन मैंने जो भी लिफ्ट इरिगेशन के प्रपोजल्स बनवाये उन प्रपोजल्स को यह कह कर डिक्लाइन किया जाता है, साहब, कि ये गांव इलैक्ट्रिफाइड नहीं हैं । यह काम राज्य सरकार का है । राज्य सरकार को यह पालिसी बनानी चाहिये कि चाहे गांव इलैक्ट्रिफाइड हों या नहीं हों उनमें यदि लिफ्ट इरिगेशन के सोर्सेज हैं तो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम वहां पर लागू होनी चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से

(श्री बाबूलाल वर्मा)

कि मेरा पूरा क्षेत्र मध्य-प्रदेश से घिरा हुआ है । आधी बिजली राजस्थान से सप्लाई होती है और आधी बिजली मध्य प्रदेश से सप्लाई होती है । मध्य-प्रदेश से जब सप्लाई होती है वह अपनी इच्छानुसार सप्लाई करते हैं । उसका परिणाम यह होता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के समय अन्धेरा रहता है मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जैसे इलैक्ट्रिफिकेशन का मामला है, इससे निश्चित रूप से उद्योगों का भी विकास होगा । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जी रावत (अनुपस्थित) । श्री नाथूरामजी (अनुपस्थित) । श्री राधेश्याम जी । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री खेतसिंह जी से बात हुई है । सब माननीय सदस्य जाना चाहते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर शुरू किया जाए ।

श्री विष्णु मोदी : नो, नो ।

श्री अध्यक्ष : 2-3 माननीय सदस्य ही रहे हैं । 3 ही रहे हैं ।

श्री विष्णु मोदी : जिनको जाना है वह चले जाएं....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत तो भागने की रहती है....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप भी जाओ फिर ।+ + +कोई जरूरत नहीं है ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप....। विराजें आप ।

श्री विष्णु मोदी : उद्योग विभाग की चर्चा का विषय है और आपको जाना है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमको कोई जाने की जल्दी नहीं है । आपको जाने की जल्दी है ।

श्री विष्णु मोदी : फिर क्या बात है ? किसको जल्दी रहती है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके अलावा ।

श्री विष्णु मोदी : हमको तो कोई जाने की जल्दी नहीं है । हमें भी काम है, हमें भी जाना है....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । श्री राधेश्याम जी । (व्यवधान) बोलने दें, माननीय सदस्य । मैं निपटा रहा हूं आराम से ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की डिमाण्ड्स पर

+ + +अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

212

(श्री राधेश्याम)

कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा और कुछ अपनी विधान सभा क्षेत्र की समस्याएं भी आपके माध्यम में रखना चाहूंगा । सबसे प्रथम तो सरकार से....

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, 3-4 माननीय सदस्य हमारे और बोलने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । आप निश्चित रहें, मैं सब करवा दूंगा । आप बोलते रहें ।

श्री राधेश्याम : सबसे प्रथम तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अगर 3 साल पूर्व जब 1990 में बी. जे. पी. की सरकार थी, जैसी सोच आज है ऐसी सोच अगर तीन साल पूर्व होती तो शायद आज बहुत सारा सफर हमने तय कर लिया होता । आज जिस गम्भीरता से बी. जे. पी. की सारी सरकार, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरह से लगा हुआ है, क्योंकि आपको यह तो विदित ही है कि हर चीज जैसे मेरे पूर्व हमारे नेता महोदय भी कह रहे थे कि आज लोग चटनी भी मिक्सी में बनाते हैं बिजली से, बिलौना करना हो तो भी बिजली से, हर काम के लिए बिजली की आवश्यकता है । हमारा कोई भी कार्य होता है वह बिना बिजली के नहीं हो सकता है । जब तक हमारा प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा, लागत तो हो बहुत ज्यादा और प्रोडक्शन हो कम तो वह प्रदेश और देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है । अगर हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे आगे जाना चाहता है तो जो सबसे जरूरी चीज है वह बिजली है । उसके लिए एक दो सुझाव भी पास हैं, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : हां, वह सुझाव ही दें ।

श्री राधेश्याम : मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं, कि सबसे पहले तो मैं हमारे बिजली मंत्रीजी का और भण्डारी जी का बहुत आभारी हूं, कि खासकर गंगानगर जिले के अन्दर चाहे बिजली कम है लेकिन फिर भी बिजली के मामले में काफी कार्य भण्डारी जी और हमारे मंत्रीजी के आने के बाद में हुआ है । चूंकि

(19.00)

कांग्रेस की यह रीति-नीति है कि कांग्रेस खुले दिल से जो कार्य करती है उसकी प्रशंसा भी करती है, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और खास तौर से भण्डारी जी जब से आये हैं, बहुत ही सुन्दर कार्य उन्होंने इस मामले में किया है । आशा ही नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस कार्य में लगते हैं, वैसे तो मुझसे नाराज रहते हैं लेकिन जब भी किसी कार्य में लगते हैं तो इनका मिशन यह होता है कि वह टार्गेट एचीव किया जाए । तो मैं आपकी तरफ से निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके यह सूरतगढ़ का जो थर्मल प्लांट है, जिसके लिए सी. एम. साहब ने भी बजट भाषण में यह बात कही थी, सी. एम. साहब ने यह फरमाया है कि 1996-97 में यह प्रोडक्शन में आ जाएगा पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए अभी तक सरकार गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है । अगर सरकार गम्भीरता से विचार करे तो हमारे उप मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री, विद्युत मंत्री और दूसरे जितने भी मंत्री है,

(श्री राधेश्याम)

उनको वार-वार सूरतगढ़ जाना चाहिये और हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनको वहां अपने बोर्ड की मीटिंग रखनी चाहिये ताकि लोगों के ऊपर नजर रह सके। सैंट्रल गवर्नमेंट की आप इतनी तारीफ कभी-कभी करते हैं और सैंट्रल गवर्नमेंट आपकी तारीफ करती है, कृपा करके आप उनके ऊपर दबाव डालें ताकि 1996 के अन्दर आपको सूरतगढ़ का प्रोडक्शन मिल जाए तो समझा जाएगा कि आपके वास्तव में ही वह कार्य हुआ है।

यह आपकी जो राम-लक्ष्मण की जोड़ी है, हमारे विद्युत मंत्रीजी बहुत सीधे और बढ़िया मधुर स्वभाव के हैं और भण्डारी जी बड़े कार्य-कुशल हैं, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मैं साफ-साफ निवेदन करूंगा कि 220 के. वी. की लाइन जो गंगानगर में लगने वाली थी गंगानगर से हटाकर हनुमानगढ़ में लग गयी जबकि वहां अभी आवश्यकता नहीं थी। वहां लग गयी, कोई बात नहीं लेकिन गंगानगर के पास ही लालगढ़, जिसकी जगह आर्मी ने दी है, बहुत बड़ी जगह है और पास ही औद्योगिक नगर रीको, जो गंगानगर से 10 किलोमीटर पर है, स्थित है। अगर आप 220 के. वी. की लाइन गंगानगर के अन्दर ले जाते हैं तो आप लोगों का बहुत बड़ा एचीवमेंट होगा, क्योंकि गंगानगर जिला ही एक ऐसा जिला है जो बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। आप कहेंगे कैसे, वह इस तरह कि हमारे आठ जिले ऐसे हैं जिनके अन्दर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है केवल मात्र एक गंगानगर है जहां 50 प्रतिशत है। सारे राजस्थान में रेश्यो में सबसे कम गंगानगर जिले में है। आप जब भी रिप्लाई दें तो मेरा यह निवेदन है कि 220 के. वी. की लाइन की बात, मुझे पूरा विश्वास भी है और आशा भी है कि मंत्रीजी यह घोषणा जरूर करेंगे और इसी के साथ-साथ मैं आपका इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शीघ्रता से समाप्त करें।

श्री राधेश्याम : हां, अभी तो एक सैकण्ड तो हुआ नहीं....

श्री अध्यक्ष : मैं सबका टाइम भी नोट करता हूं। आप भी पाइंटेडली कहें। आप विद्वान हैं। गागर में सागर भरिये आप।

श्री राधेश्याम : पन बिजली और लघु बिजली की तरफ भी सरकार द्वारा ध्यान कम दिया जा रहा है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इनकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए। साथ ही मैं मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देना चाहता हू, क्योंकि मेरे साथी श्री बनवारीलाल जी कह रहे हैं कि आप मक्खन लगा रहे हैं लेकिन सच्चाई तो कहनी पड़ेगी कि आपने गंगानगर में अभी एक सर्कल खोला है एस. ई. का, एक्स. ईएन. का, अभी मेरे ख्याल से 2–4 दिन में या तो पोस्टिंग हो गयी है या होने वाली है, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने खुले दिल का एक नमूना दिखाया है। इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं।

हमारे यहां जवाहर नगर के अन्दर बिजली की 33 के. वी. की लाइन आबादी के ऊपर से जा रही है। कम से कम 25

(श्री राधेश्याम)

बच्चे, औरतें, व्यक्ति वहां मौत के शिकार हो चुके हैं क्योंकि पहले वहां मकान नहीं होते थे अब वहां जवाहर नगर बस गया, सुखाड़िया नगर बस गया, अशोक नगर बस गया, न जाने कितनी ही कालोनियों का आगे विस्तार हुआ है और वह लाइन बिलकुल मकानों के ऊपर से जा रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आये दिन घटनाएं होती रहती हैं, कृपया मंत्री महोदय, यह नोट करेंगे और इसको दिखवाकर, एक तो मुखर्जी नगर, आदर्श नगर में और जवाहर नगर में यह खतरनाक मौत की चीज है, इसको कृपया आप जल्दी दूर करवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने।

श्री राधेश्याम : साथ ही मैं उद्योग के बारे में बात कहूंगा। मैंने उद्योग के बारे में तो बात ही नहीं की....

श्री अध्यक्ष : अब आप इतनी जल्दी, एक मिनट में कह दीजिये, आप।

श्री राधेश्याम : दो मिनट और दे दीजिये।

उद्योग मंत्रीजी ने नयी औद्योगिक नीति बनायी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं लेकिन साथ ही साथ मेरी आपसे प्रार्थना भी है कि गंगानगर के लिए आपके दिमाग में कोई चीज रह गयी है, पता नहीं, गलती से, वैसे मैं यह नहीं कहता कि आप हमेशा ही कोई भेदभाव करते हैं, श्री भामड़ा जी की तो आदत ही नहीं है। कृपया करके रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, एक प्लाट नहीं है वहां शुगर फैक्ट्री लगाने लोग आये, तीन किलोमीटर जाकर के लोगों ने पंजाब में लगा ली, बिजली उनके पास सस्ती, बिजली खूब है और अपने यहां जो सब्सिडी आप दे रहे हैं, वे तो देते हैं 30 प्रतिशत और अपन देते हैं 20 प्रतिशत, इस सब्सिडी को आपको बढ़ाना चाहिये। रीको औद्योगिक क्षेत्र है उसके अन्दर पानी की कमी है, सड़कों का अभाव है, वृक्ष नहीं है, इतना प्रदूषण फैलता है, पार्कों की जगह छोड़ी हुई है लेकिन पार्क नहीं बने हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि, उप मुख्य मंत्रीजी, आप एक बार पधारें, उसका निरीक्षण करें....

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल जी।

श्री राधेश्याम : उसके अन्दर बहुत बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री लगी है और एक घी फैक्ट्री वहां लग रही थी। उन्होंने 25 बीघा जमीन भी खरीद ली क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जमीन नहीं थी। जब जमीन उसने खरीद ली, उसके बाद वह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राधेश्याम : दो साल तक मारे-मारे फिरते रहे और अब उसका कन्वर्शन होने में बड़ी भारी परेशानी हुई। ये जो छोटी-छोटी कठिनाइयां हैं और खास तौर से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राधेश्याम : आपने दो मिनट के लिए तो कहा ही था।

श्री अध्यक्ष : मैं बिलकुल समय नोट कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम : मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो बताना जरूरी है। जैसा आप हुक्म करें, मैं तो....

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट और कह दें आप।

श्री राधेश्याम : मैं आधा मिनट में कह दूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है (व्यवधान) वह तो आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा ही है। आप तो जवांई राजा हैं। हम तो आपका बहुत आदर करते हैं। आप हमारी मदद किया करो।

श्री अध्यक्ष : बोलिये-बोलिये। ऐसे तो देर हो जायेगी।

श्री राधेश्याम : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में वो पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना चाहिये और वहां पर जो भी कमी है, एक दफा आकर के देखें। टेलीफोन व्यवस्था नहीं, उद्योग चलेगा कहां से। कहीं रेलवे लाइन नहीं, उद्योग के लिए ये चीजें होना बहुत आवश्यक है। आप कह दोगे कि, रेलवे तो सेन्टर का मामला है, टेलीफोन सेन्टर का मामला है। नहीं, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसको हम खुद पेन लेकर, दर्द लेकर कि हमारा राजस्थान तरक्की करे, सभी तरह से हम उसके अन्दर....

श्री अध्यक्ष : विजयेन्द्र पालजी।

श्री राधेश्याम : धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि 8 बजे ही रिप्लाई शुरू करवा रहे हो तो सत्ता पक्ष के एम. एल. एज. को तो बहुत मौका मिलता है, मंत्रीजी से मिलने का, उनसे बात करने का, उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है। आप अपोजिशन को बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी सबको बुला लूंगा। आप बिराजिये। श्री विजयेन्द्र-पाल जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, टाइम के अभाव के कारण मैं तो 2–3 सुझाव ही देता हूं....

श्री राधेश्याम : मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव रह गया। मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड के लिए और इजाजत दीजिये।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे यहां पर इलैक्ट्रिफिकेशन है, दो पंचायतें ऐसी हैं गंगानगर पंचायत और करणपुर पंचायत, उनमें मात्र 10 गांव बाकी हैं, अगर वे गांव भी जोड़ दिये जाएं, क्योंकि वह आबादी में नहीं हैं, तो।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से मिलकर सारी बात कर ही सकते हैं। बिराजिये। आप।

श्री राधेश्याम : दो पंचायत समितियों में 100 प्रतिशत आपका इलैक्ट्रिफिकेशन

(श्री राधेश्याम)

हो जाएगा और सरकार यह कह सकेगी कि हमारा इलैक्ट्रिफिकेशन 100 प्रतिशत हो गया।

श्री अध्यक्ष : विराजिये-विराजिये। श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 2–3 सुझाव ही दे रहा हूं। उद्योग पर तो मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं, जैसा श्री घनश्याम जी ने कहा और सही कहा कि हमको इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के अन्दर ज्यादा ध्यान देकर जितने भी बाहर के एन. आर. आईज. आयें या जितने भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आयें वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप के लिए ही आयें तो इस एडवांस टेक्नोलोजी को हमें एक्विजिशन करना चाहिये बनिस्पत कंजूमर आइटम के अन्दर आयें, एक बात तो यह है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं कि रीको ने बहुत अच्छा काम किया है, पर मेरा एक निवेदन है कि माउण्ट आबू और आबू रोड के बीच जो जमीन ले रहे हैं, वहां पर बहुत ही बड़ा चन्द्रावती हैरिटेज है, अरबन सिविलाइजेशन जो थी 10-12वीं सेंचुअरी के अन्दर, उसको वह अवाप्त कर रहे हैं। मेरा निवेदन है रीको वालों से कि वे जाकर देखें क्योंकि यह नेशनल हैरिटेज है। सबसे बड़ा, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी, उससे भी बड़ा, 10वीं और 12वीं सेंचुअरी का सबसे बड़ा रबन सिविलाइजेशन है। इण्टरनेशनल लोग वहां पर आकर देखना चाहेंगे और वहां पर आप इण्डस्ट्री लगा रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे हो जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इण्डस्ट्रियल जमीन नहीं लें। आगे पीछे करके, वह जमीन छोड़ देनी चाहिये। वह ट्यूरिज्म एट्रेक्शन हो सकता है, सबसे बड़ी चीज हो सकती है। जो भी माउंट आबू के अन्दर, श्री मामड़ाजी भी जानते हैं, एक चीज इसके अन्दर थोड़ा ध्यान दे दें।

विद्युत के बारे में मेरा सजेशन है कि जो छह डीजल जनरेटिंग सेट्स 100 मेगावाट के अपन ने छह जगह लगाने की बात कही है, मेरा एक ही सुझाव है कि लाइन लोसेज कट करने लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उदयपुर लगे, एक भिवाड़ी लगे, एक यहां पर लगे, जोधपुर लगे, मैं कहता हूं कि लाइन लोसेस, यह सोर्ट आफ केप्टिव पावर प्लांट जो बना रहे हैं, मेरा सुझाव है कि 600 मेगावाट तो एक ही जगह लग जाएं तो छह जगह आपको जमीन नहीं लेनी पड़ेगी, छह जगह आपको ओवर हेड्स नहीं लगाने पड़ेंगे, छह जगह आपको सिविल वर्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम भी फास्ट हो जाएगा, एक ही फायदा आपको नहीं होगा। आपका जो केप्टिव पावर प्लांट हैं, लाइन लोसेज कम हो जाएंगे। एक मेरा निवेदन यह है कि आज जैसे आप यह कह दें कि 100 मेगावाट भिवाड़ी के लिए है, 100 मेगावाट भीलवाड़ा के इण्डिस्ट्रियल एरिया के लिए है, लाइन तो जा ही रही है, यह तो है नहीं कि वही बिजली वहां पर देनी है, कोई बिजली पर लिखा तो है नहीं ए. बी. सी., कि ए बिजली वहां जा रही है, वहां पर आप 100 मेगावाट यहां पर रख कर दे दें और 600 मेगावाट एक ही जगह लगायें तो आपकी जमीन का भी बचाव होगा,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जल्दी लग जायेंगे सिविल वर्क्स, ओवर हेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यही दो सुझाव हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री बनवारी लाल जी।

एक माननीय सदस्य : दो मिनट।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : दो ही मिनट, चिन्ता मत करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, पूरा बोलें आप तो।

श्री बनवारी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत प्रयत्नशील हैं कि किसी प्रकार से राजस्थान में उद्योग लगें और आप प्रयास भी कर रहे हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि ऐसी स्थिति में आप अगर राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा जिलों को इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करा देंगे तो आपके इस प्रयास में काफी मदद मिलेगी। मसलन धौलपुर जिला है, अगर आप इसको इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड घोषित करा देते हैं तो जो आगरा के उद्योगपति हैं, वहां पर्यावरण की वजह से, उनके उद्योगों को शिफ्ट करने की, उनको हटाने के लिए आदेश दे दिये गये हैं, अगर धौलपुर इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड घोषित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर, चूंकि आगरा के नजदीक है, तो वहां पर वह उद्योग आ जाएंगे, काफी रोजगार वहां के लोगों को मिलेगा और आर्थिक स्थिति वहां के लोगों की सुधरेगी।

इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि जो 16 जिलों को आपने लिस्ट भेजी है, पर्टिकुलरली और जिले अगर केन्द्र से नहीं हो पाते हैं तो धौलपुर या सवाई माधोपुर, इन जिलों के लिए आप विशेष रूप से दीजिये। आपने 16 जिलों की लिस्ट भेज दी और सेंटर से आ गयी। अब वह फीजिबल नहीं हो सकती मान लीजिये धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों का आप देखिये कि वहां ब्राडगेज है, नेशनल हाईवे है, बिजली की काफी अच्छी स्थिति है और प्रदेश के बजाय, वहां चम्बल का पानी है, सारी चीजें उपलब्ध हैं तो एक्चुअली आप धौलपुर के लिए या सवाई माधोपुर के लिए सैंट्रल गवर्नमेंट से इंसिस्ट करिये कि उसको इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड घोषित करे। दूसरा मेरा निवेदन यह है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वहां डाकू भी हैं।

श्री बनवारी लाल शर्मा : यह भी सही है कि डाकूग्रस्त एरिया है, अगर वहां पर ज्यादा उद्योग आ जाएंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों की जो प्रवृत्ति बेरोजगारी होने के कारण, परेशानी होने के कारण उधर डाइवर्ट हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उस समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके यहां आने के बाद में डाकू समस्या का तो कुछ समाधान हुआ होगा।

श्री बनवारी लाल शर्मा : वह तो ऐसा है, मुख्य मंत्रीजी यहां पर हैं, उनमें और

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

मेरे में कोई फर्क नहीं है, वहां के जन प्रतिनिधि सभी ऐसे होते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : आप यही कहलवाना चाहते थे न ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : दूसरा, मेरा निवेदन है, धौलपुर में आपने जो ग्रोथ सैंटर लिये हैं उनके लिए जमीन एक्वायर की है उसमें दुर्भाग्य से, गलती से एक काश्तकार जो ग्राम मसूदपुर में खसरा नम्बर 85 है, एक बीघा 18 बिस्वा का कोई काश्तकार है बेदरिया, टेलर मास्टर है और वह अनुसूचित जाति का है, वह रह गया, उसके 65,500 रुपये का अवार्ड तो डिपार्टमेंट ने मान लिया लेकिन उसमें टेक्नीकल प्रोब्लम क्या आ रही है कि या तो दूसरी प्रोसेस फिर एक्वायर करने का शुरू करें, और रीको कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रजिस्ट्री हो जाए। अब चूंकि वह अनुसूचित जाति का है और इसलिए रजिस्ट्री हो नहीं सकती है और वह कहते हैं कि सरेंडर कर दे, सरेंडर अगर करे तो रीको पैसा कैसे दे ? तो मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार से या तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से रिलेक्सेशन दिलवायें, क्योंकि कोई इण्डिविजुअल तो उसको खरीद नहीं रहा, गवर्नमेंट खरीद रही है तो रजिस्ट्री के लिए आप रिलेक्सेशन दिलायें और उसको मुआवजा दिलवायें।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि बाड़ी में जो आपने रीको का इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया है उसमें समस्या क्या आ रही है कि वहां पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वहां के काफी यूनिट्स सिक हो गये हैं। अब वह सिक यूनिट्स हो गये हैं और आपके प्रावधानों में है कि आप रीको एरिया में किसी को प्लाट देंगे तो पानी और बिजली आप उपलब्ध करायेंगे। अब वहां बगैर पानी के, बिजली के लिए तो कोई भी आदमी डीजल इंजन सेट ले आये, लेकिन अब पानी कहां से लाये और उस पानी के बगैर बहुत से जो यूनिट्स सिक हो गये हैं, ऐसे उद्योगों को रियायत देने के लिए आप क्या सोच रहे हैं ?

इसके अलावा मेरा विद्युत मंत्रीजी से निवेदन है कि विभाग जो चीज मंजूर कर देता है उसको क्रियान्वित करने में काफी समय क्यों लग जाता है ? धौलपुर के लिए एक विद्युत का सब स्टोर मंजूर हुआ है। आज कोई भी सामान लेने के लिए धौलपुर वालों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को भरतपुर जाना पड़ता है और वहां पर छोटा-मोटा सामान लेने के लिए परेशानी होती है। आपने वहां की समस्या को ध्यान में रखते हुए सब स्टोर मंजूर कर दिया लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, स्टाफ नहीं ले रहे हैं, बिल्डिंग नहीं ले रहे हैं, आखिर कारण क्या है ? इसको मेहरबानी करके जल्दी से शुरू करवाइये। धौलपुर जिला टेल एण्ड पर पड़ता है, हालांकि मैं मानता हूं कि विद्युत की सब जगह परेशानी है, दिक्कत है, आपके प्रोजेक्ट खराब हो गये उनके कारण आपने काफी प्रयास किया लेकिन

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

धौलपुर जिला टेल एण्ड पर पड़ता है, जहां की भी बिजली हो, धौलपुर को पहले बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि अभी श्री भंवर सिंहजी ने बताया था, जो भी कंट्रोलर है, कम से कम इसमें समानता रखनी चाहिये, यह नहीं हो कि कोई टेल एण्ड पर है तो उसकी बिजली काट दी जाए। आखिर वहां धौलपुर में आपने अंदाज लगाया है कि कितने एम्पीयर लोड की आवश्यकता है, कितने एम्पीयर लोड मिल रहा है, इसकी कभी जानकारी प्राप्त की है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हम तो जब धौलपुर रहे बिजली गयी ही नहीं।

श्री बनवारी लाल शर्मा : वह तो इसलिए नहीं गयी कि आपको चुनाव जीतना था और उसके बाद जैसे ही आप आये हैं, बिजली गुल हो गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मंत्रीजी, बिजली तो गयी लेकिन रेस्टोर कुछ ही मिनटों में हो गयी क्योंकि आप वहां थे।

श्री बनवारी लाल शर्मा : दूसरा विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब बिजली की कमी थी तो मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से आप बिजली धौलपुर को दिलाते थे। लेकिन पता नहीं उनके बिजली का बिल आपने नहीं चुकाया या वहां के बोर्ड से कोई आपके डिफरेंसेज हो गये, लेकिन जिस समय आपने बिजली वहां से ली थी तो 33 के. वी. की करीब 50–55 किलोमीटर की लाइन राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान के विद्युत मण्डल ने अपने पैसों से खिंचाई थी और आज मध्य प्रदेश वाले अपनी उस लाइन से ही हेतमसर पर एक सब स्टेशन बनाकर अपने एरिया को बिजली दे रहे हैं और आपको बिजली नहीं दे रहे हैं। हमारे इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों है ? या तो अपने उनसे चार्ज करिये या बताइये कारण क्या हैं कि आप वहां से बिजली नहीं ले रहे हैं ? जो भी कण्डीशन है उसको आप देख लें। बहुत से गांव जो आपके इलैक्ट्रिफाइड हैं, बहुत से गांव जिनमें डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करा दिये हैं लेकिन तीन-तीन साल हो गये और उन लोगों को वहां कनेक्शन नहीं दिये हैं। कारण क्या है कि आपके पास सामान नहीं है, कभी कहते हैं कि कण्डक्टर नहीं है, कभी ट्रांसफार्मर नहीं है, कभी आपके लाइन का सामान नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : तार नहीं है।

श्री बनवारी लाल शर्मा : तार नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों है ?

मेरा एक निवेदन और है विद्युत मंत्रीजी से, आप रेवेन्यू विलेज को इलैक्ट्रिफाइड करते हैं लेकिन ढाणियां जो है वह काफी दूर हैं उस रेवेन्यू विलेज से और उनकी काफी पोपुलेशन है, लेकिन आपके प्रोसिजर के हिसाब से, विभाग के नियम-कायदों के हिसाब से वह इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसे जो गांव, रेवेन्यू विलेज....

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने तीन बात के लिए ही कहा था ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : नहीं-नहीं, एक निवेदन और है, अध्यक्ष महोदय। बिजली मिलती नहीं है, कभी आपके किन्हीं कारणों से नहीं मिलती है और उन पर फिर भी बिजली के बिल आ रहे हैं, मेहरबानी करके उनको भी देखें। अंत में मैं यह अर्ज करूंगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जरूरी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें, अभी समय जाया नहीं करें ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : अन्त में मेरा निवेदन यह है कि आपने पिछले सत्र में यहां पर कहा था कि धौलपुर के लिए थर्मल पावर प्लांट हमने स्वीकृत करा दिया है । मेरा निवेदन है कि यह धौलपुर के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है हालांकि इस प्रोजेक्ट को सन् 1984 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने मूव किया था बिजली की समस्या को देखते हुए, राजस्थान की समस्या को देखते हुए, और आपने भी प्रयास किये और हमने भी प्रयास किये और पर्यावरण विभाग से इसका आपको क्लियरेंस मिल गया। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल आगरे का कोई पर्यावरणविद् है मिस्टर एम. सी. मेहता, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में फिर एक अपील कर दी है । अब कभी घड़ियाल के नाम पर, कभी फोरेस्ट सेंक्चुअरी के नाम पर, कभी ताजमहल के नाम पर उस प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं । मेरा यह निवेदन है कि तीन सप्ताह का आपको जो समय दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, नोटिस दिया है, अच्छा वकील करिये, अच्छी पैरवी करिये, किसी प्रकार जल्दी से जल्दी उस याचिका को खारिज करवायें और कार्य शुरू करवायें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री कन्हैया लालजी मीणा ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को और माननीय श्री शेखावत साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि 1990 से लेकर अब तक जो किसानों के लिए बिजली को सरकार ने प्राथमिकता दी है वह अपने आपमें एक उपलब्धि है और उसके लिए तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा ।

इसके साथ ही, समय की कमी को देखते हुए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड में बिजली की कोई कमी नहीं है चाहे लालसोट से आने वाले विधायक महोदय यह जरूर कहें कि बिजली नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है लेकिन अगर आप दौसा जिले में देखें तो सबसे ज्यादा कहीं पैदावार हुई है तो लालसोट में, दौसा में, बांदीकुई में, बस्सी में लहलहाती हुई फसलें हैं । 10 घंटे तो बिजली कम से कम मिली ही है लेकिन 14 घंटे, 15 घंटे से कम बिजली कतई नहीं मिली । इसमें अगर कहीं कमी आयी है तो कर्मचारियों की कमी की वजह से आयी है, इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति 1980 के पूर्व में हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक कर्मचारियों की नियुक्ति

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

नहीं हुई, अब उस समय कंजूमर थे उससे दुगने, तिगुन कंजूमर हो चुके हैं, अतः कर्मचारियों की नियुक्ति जरूर की जाए। उस व्यवस्था में कमी जरूर हो सकती है, बिजली आने में कोई कमी नहीं है। साथ ही, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम एक कर्मचारी चाहे लाइनमेन स्तर का हो, वह नियुक्त होना चाहिये जिससे कि बिजली की जो ट्रिपिंग या बिजली आने में जो व्यवस्था की कमी है वह दूर हो सके। इसके साथ ही, उद्योगपति व्यापारियों में जितनी बकाया राशि है और जो कोर्ट के जरिये स्टे लेकर बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को, कि वहां पर अच्छे वकीलों को नियुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसको ज्यादा लम्बी नहीं करें, यह बात कई माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : क्योंकि एडवोकेट्स पर उद्योगपति कहीं से भी दबाव डालकर उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं इसलिए अच्छे वकीलों को इसमें नियुक्त किया जाए और वह राशि वसूल की जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त प्राथमिकता योजना में जो कनेक्शन पूर्व में दिये गये थे और शेष रह गये थे उसे तुरन्त प्राथमिकता वाली योजना में जो किसान कनेक्शन लेने वाले हैं उनको तुरन्त प्राथमिकता में कनेक्शन दिये जाएं। साथ ही, सिक्योरिटी की राशि, जो किसान वन पोल, टू पोल और सामान्य श्रेणी में थे उन्होंने जो सिक्योरिटी राशि जमा करा दी है उसका एक निश्चित समय होना चाहिये कि सिक्योरिटी राशि जमा हो जाने के बाद में दो महीने, तीन महीने या 6 महीने में आप उनको कनेक्शन देंगे। इससे उस किसान को यह आशा रहेगी कि इतने दिन में मेरा कनेक्शन आ जाएगा। साथ ही, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि लक्ष्य के अलावा आपने जो नर्सरी योजना लागू की है, आज तक देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था और आज भी किसान उन्हीं कुओं और डीजल से, जो लाखों रुपये खर्च करके अपने कुएं बनवाते थे और लाखों रुपये का कुआ बनाने के बाद वह नर्सरी योजना में, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : पढ़कर नहीं बोलेंगे कोई माननीय सदस्य। यह किसने लिखकर दिया है ?

श्री कन्हैया लाल मीणा : नर्सरी योजना में वह काश्तकार कनेक्शन लेकर अपने कुओं को विद्युतीकृत करवा सके हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य पाइंट लिखकर लाये हैं। बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं पूछना चाहता हूं आपको किसने लिखकर दिया है

(श्री परसादीलाल मीणा)

भाषण ? आप लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : इसमें दौसा और लालसोट की बात आयी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको भाषण किसने लिखकर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह आपने ही लिखकर दिया है। बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप, लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे अब। नहीं, आपको लिखकर किसने दिया है भाषण ? यह बतायें पहले।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, परसादीलाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय श्री परसादीलालजी, आपके पड़ोस में चाकसू में 11 पंचायतों में आप देखिये, 87 गांव थे, एक गाव विद्युतीकृत नहीं था लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विद्युत मंत्री महोदय को कि आज शत प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण हो गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : आपके पड़ोस में आप देख रहे हैं, एक लाइन नहीं थी, एक खम्भा नहीं था लेकिन आज उन गांवों में विद्युतीकरण हो गया है और उन किसानों को जो किसान कनेक्शन लेने की जल्दी करते हैं अगर नर्सरी योजना में देते हैं तो सामान्य श्रेणी के किसानों को जल्दी लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। एक आपसे निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री महोदय, तारों की चोरी बहुत हो रही है, सीमा के बाहर तारों की चोरी हो रही है इन चोरियों को रोकने के लिए कोई न कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे तारों की चोरी रुके।

श्री अध्यक्ष : आप यह 295 में पढ़ चुके हैं। बिराजें आप।

श्री कन्हैया लाल मीणा : दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो ट्रांसफार्मर और एक तारों की खिचाई, यह समस्या बहुत लम्बे समय से है। यदि वहां पर ऊंट तारों के नीचे से गुजरता है तो तार उसको छू जाते हैं और कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन तारों की खिचाई के ऊपर ध्यान दिया जाए और अगर काश्तकार या जन-प्रतिनिधि आपको किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उस शिकायत का भी एक निश्चित समय होना चाहिये कि एप्लीकेशन देने के इतने दिन बाद में अगर शिकायत सही पायी गयी तो कार्यवाही होगी। यह जरूरी नहीं है, उसमें शिकायत सही नहीं हो तो कार्यवाही नहीं करे। साथ ही, जिन किसानों ने डायरेक्ट कनेक्शन ले रखे थे वह मजबूरी में ले रखे थे उनका ढाई हजार रुपये प्रति कनेक्शन आपने बढ़ा दिया है. प्रति हार्स पावर का, मैं निवेदन करूंगा जो हजार

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

रुपये पहले थे तो ऐसे ऐसे किसानों को जो कनेक्शन लेना चाहें....

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कह रहे हैं कि मुझे तो इनकी श्रीमती जी ने लिखकर दिया है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : नहीं, वह तो कहती हैं, रोजाना तारीफ करती हैं वह तो। मैं इनको जानता हूं, रोजाना आकर बताकर जाते हैं सारा।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : विजिलेंस कमेटी द्वारा जिन किसानों को पकड़ा गया है, जिनकी विद्युत मोटर ले आये हैं, उनके स्टार्टर्स ले आये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यह गरीब काश्तकार हैं, ऐसे काश्तकार कम रियायती दर पर कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको....(व्यवधान) किया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। श्री राम नारायणजी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : श्री कन्हैया लाल जी, आपकी श्रीमती जी बुला रही हैं। श्रीमतीजी का मैसेज है भाई, जाओ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जिन गांवों को आप तुरन्त योजना के तहत 20-25 प्रतिशत कनेक्शन दे चुके हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाए।

श्री रामनारायण मीणा : श्रीमती जी का टेलीफोन है। आपकी श्रीमती जी का टेलीफोन आ गया।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जिनमें 50-60 कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता योजना या नर्सरी योजना में या किसी भी योजना में जहां लाइनें चली गयी हैं उनको तो विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाए। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तूंगा बहुत बड़ा कस्बा है, लालसोट में भी आधे लालसोट में बिजली उधर से जाती है, वहां एक सहायक अभियन्ता का कार्यालय हो, इसके लिए मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें, यह सब बातें आपने 295 का प्रस्ताव जब नोटिस पढ़ा था उस समय बता चुके हैं आप। आप विराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो हीरावाला और विशेष गांव बस्सी को इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। कानोता के पास में जो हीरावाला में इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित हुआ है वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उनमें क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये लेकिन जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने राजस्थान से भी बाहर के जो लोग हैं, यू.पी., एम.पी. और बिहार के हैं उनको लगा रखा है, मैं

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर क्षेत्रीय कर्मचारी लिए जाएं, क्षेत्रीय लोग नहीं मिलें तो राजस्थान के लिये जाएं, बाहर के नहीं लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल जी, बिराजें आप। श्री रामनारायण जी, बोलिये आप। कन्हैया लाल जी की बात अंकित नहीं करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल जी, बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के बारे में काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों के बारे में बात हो गयी, अखबारों में भी आता है, आपकी पार्टी की रीति-नीति के बारे में भी सब आता है। यह तो सही है कि आपने उद्योग नीति, खनिज नीति, सड़क नीति, बहुत-सी नीतियां बना दीं, जैसे सब कुछ आपने ही किया हो इस राजस्थान के लिए, फिर भी, खैर कोई बात नहीं है। आप भारत सरकार के लिए कहते हैं, प्रधानमंत्रीजी के लिए कहते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश ला रहे हैं। आपका प्राक्कथन है, आपके मुख्य मंत्रीजी का लिखा हुआ, उसमें लिखा है अब भारत में अटैच्ड विदेशी विनियोजन आ रहा है। यह तो आप मानते हैं कि देश के विकास के लिए विदेशी विनियोजन जरूरी है। खैर, जो भी है लेकिन मैं छोटी बात कहना चाहूंगा छोटे लोगों के लिए, आप तो अरबपतियों की, करोड़पतियों की बात करते हैं क्योंकि सूटकेस लेकर अरबपति, करोड़पति सैक्रेटेरिएट में आते हैं, गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल से पास मिलता है। मैं जवाहर रोजगार योजना के तहत....

श्री अध्यक्ष : माननीय, इस तरह की बातें नहीं कहें।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर भी।

श्री रामनारायण मीणा : यह वास्तविकता है, मैं साबित कर दूंगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अच्छे विधायक हैं इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कोई अच्छी बात करें।

श्री रामनारायण मीणा : खैर, मैं केडिया के बारे में बात नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, और विधायक बुरे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बुरा नहीं कहा है। इनको अच्छा कहने का मतलब

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

225

(श्री अध्यक्ष)

यह नहीं है कि आपको बुरा कहा है। माननीय, बोलिये आप, बोलने दें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं सारी बातें कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको आप लोन देने की बात कर रहे हैं और उनको लोन स्वीकृत किया जा रहा है उसमें जो करप्शन हो रहा है, देखें-अनदेखें, जाने-अनजाने में, उसके ऊपर कैसे कण्ट्रोल किया जाए, उसका कोई न कोई तरीका निश्चित तौर पर निकाला जाए। और उसके बाद में वे लोग बैंक में जाते हैं। आप लिस्ट बनाकर के देते हो, नम्बर एक वाले को बैंक वाले कर्जा नहीं देते नम्बर दस वाले को दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है बैंकों में? यदि इसमें बैंक इन्वाल्व हैं, जैसे आजकल नयी परिपाटी चली है, तो आप अपने अधिकारियों से कहें कि उस पर कण्ट्रोल करें। बैंकिंग अथोरिटीज से आप बात करते हैं लेकिन वे अपने कण्ट्रोल में नहीं आते। इसका कोई ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि भारत सरकार के माध्यम से और आपके माध्यम से किसी गरीब को आप मदद करना चाहते हैं, उसको सही ढंग से मदद हो सके।

इसी के साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें आप गरीबों की, जैसे नैनवां में हुआ, शिल्प योजना के तहत रैगरों को पैसा दिया 20-20, 25-25 हजार रुपया, उनकी औरतों को निकाला गया, चमड़े को बाहर फैंक दिया गया। उनको आज दिन तक नल के कनेक्शन नहीं, बिजली के कनेक्शन नहीं, उनका कर्जा दुगना हो गया। उनको तो फैंक दिया लेकिन फैक्ट्री वालों के ऊपर जब 10-10, 20-20 करोड़ रुपये का कर्जा होता है या आपका पैसा बकाया होता है उनके किसी के कभी ताला नहीं लगाते। इसलिए नहीं लगाते, जैसे कोटा में एक गोल्डन डेयरी है, पता नहीं कितने वर्षों से बन्द पड़ी है। आर.एफ.सी. की जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को या तो आप क्विकली डिस्पोजल कीजिये, पैसा आपका अटका हुआ है, उनका ब्याज बन्द हो जाता है। यह सारी बातें हो रही हैं। इसके अलावा आप देखें, बिक्री कर माफ करते हो उन करोड़पतियों का, उन फैक्ट्री वालों का, कौनसे हैं, जो तेल निकालते हैं सोयाबीन का। पांच साल के लिए आपने बन्द कर दिया। करोड़ों रुपयों का आपको नुकसान है। क्या इसके पीछे कोई बात है? और गरीबों की आप चुंगी माफ नहीं करते। गांव का काश्तकार आता है, बांदीकुई का मामला है, आपने नीति बनायी, मथुरादास माथुर कमेटी बनायी, उद्योगों के लिए, सबके लिए जरूरी है कि आप चुंगी माफ करने के लिए आप सरलीकरण नहीं कर रहे। आपने कोटा में, यदि कोई उद्योगपति नाराज हो गया तो उसके कोयले पर या केमिकल पर मर्जी आयी, जितनी चुंगी लगा दी। किसी से खुश हो गये, उसकी चुंगी माफ कर दी। आप कृपा करके, ईमानदारी यदि बरतना चाहते हैं, नगरपालिकाओं के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं तो, उद्योग मंत्रीजी, आप चुंगी में एकरूपता लाइयेगा ताकि उसमें कुछ न कुछ फायदा हो और बे-ईमानी की बू कम से कम आ सके।

228

(श्री रामनारायण मीणा)

मैं इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भिवाड़ी में खूब उद्योग लगाये हैं, कोटा में लगाये हैं लेकिन जो एरिये पिछड़े हुए हैं, आप गरीबों को नौकरी देना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, उस एरिये में उद्योग लगाएं। मैं नहीं कहता कि नैनवां आपके लिये सूटेबल नहीं है तो आप लगायें। जो दूसरे एरिये हैं, जहां आपको पानी मिल सकता है, पानी नहीं मिले तो दूसरे ढंग से उसका कोई तरीका निकाला जा सकता है, ऐसी जगहों पर जहां कोई उद्योग नहीं है, जहां श्रमिक अशांति नहीं हो ऐसे उद्योगों को आप ऐसी जगह पनपाने की बात करें।

मैं इसके साथ ही, चूंकि आप कहें इसके पहले इस बात को मानता हूं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप तो किसानों के हितैषी हैं, किसानों की बात करते हैं, दिल से करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसान हो, हमारी जात के हो लेकिन कृपा करके जैसे उद्योगों को आप दूसरे दिन बिजली दे देते हैं और उसमें 25 आदमियों को नौकरी मिलती है, उसको दे दी जिसमें हजार कुओं की बिजली के बराबर बिजली की खपत आती है, आप 25 काश्तकारों को बिजली प्राथमिकता से दे दीजिये उद्योगों के बराबर आपको रोजगार मिलेगा। आप क्यों नहीं ऐसी नीति बना रहे हैं? यह सदन आपके साथ है। कल को आप कह दें कि हम से लोगों ने कहा ही नहीं, हम कहते हैं कि यह सदन आपके साथ है, किसानों को प्राथमिकता दीजिये। इसलिए आप ऐसी नीति बताइए। हम आपके बिना कहे ही विश्वास में हैं कि किसान को 5-5, 10-10, 15-15 साल लगना न पड़े और फिर एक काश्तकार के पास 40 हजार का डिमाण्ड आता है जिसके पास पांच बीघा जमीन है। उसके लिए आप कंसेशन क्या कर रहे हैं? आप सौ बीघा वालों को उसी दिन दे दीजिये और मर्जी आए, जितना पैसा लीजिये। जिस काश्तकार के पास 5 बीघा जमीन है और 5 बीघा की कीमत दस हजार रुपये नहीं है, उसको 40 हजार रुपये का डिमाण्ड आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऊर्जा मंत्रीजी, कि आप सारी बात से वाकिफ हैं और आप जानते हैं कि गांव के गरीब आदमी के साथ क्या समस्याएं हैं, उसकी कैसे मदद हो सकती है।

इसके साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं, पोलिटिकली आप डिसीजन लीजिये लेकिन इतना मत लीजिये कि उसमें कोई गड़बड़ और बे-ईमानी हो। आपने एक 33 के.वी. स्टेशन रायफल्स के बजाय, जिसके लिए 1983 से हम लग रहे थे वह खटखड़ में दिया। खटखड़ में आपका एक कार्यकर्ता कहता है, 15 हजार रुपये दे दो नहीं तो खातियों, तुमको भगा दूंगा। इस तरह से आपके नजदीक जो लोग आते हैं उनके ऊपर थोड़ा आप कण्ट्रोल करें। आप ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन कुछ आदमी, ऐसे हैं और उसके बाद में उनको नोटिस दिलावें और उनको भगाने की बात करें। खटखड़ का मामला मुझे आपसे अलग से कहना चाहिये था लेकिन बात चल गयी। यदि वहां कोई जगह उपलब्ध नहीं है तो

(श्री रामनारायण मीणा)

हम जाकर के जगह उपलब्ध करायेंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जो किसी के नहीं हैं, जो शासन में रहता है उसी के साथ चले जाते हैं, वे अपने निजी बनते हैं और बदनाम करते हैं पूरे डिपार्टमेंट को, पार्टीज को और मंत्रियों को। जब आप एरिये में जाए तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मुंह न लगाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिये, ग्रीन बैल्ट जहां है, आपने योजना बनायी है, प्लान बनाया है जैसे बूंदी में प्लान है। कलक्टर ने रिकमण्ड की बालाजी इण्डस्ट्रीज की चूंकि वहां इण्डस्ट्री लग गयी इसलिए इस इण्डस्ट्री की जमीन भी ग्रीन बैल्ट से निकाली जाए और अन्तर कितना है, 5–6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर के अन्तर में, फिर उस फैक्ट्री पर आप 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हो और यहां आकर के जीरो कर देते हो। वह कहता है कि सरकार तो मेरी जेब में है। ऐसे जो केसेज हैं उन पर आप कण्ट्रोल कीजियेगा। नैनवां रोड पर आपकी बहुत जमीन पड़ी हुई है औद्योगिक क्षेत्र के लिए आप वहां दीजियेगा सौ बीघा, हजार बीघा, दो हजार बीघा आपको जमीन मिलती है। ग्रीन बैल्ट की जमीन निकालने में, करने में अफसरों की, पान की दुकान में छोटी-छोटी होटलों में जिस तरह की बदनामी होती है, वह बदनामी खतम हो।

इसी के साथ मैं आपको दुबारा निवेदन करना चाहूंगा और आखिरी बार निवेदन करना चाहूंगा, ऊर्जा मंत्रीजी और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हो, विधान सभा का कोई भी माननीय सदस्य कहीं जाता है, बिजली की क्या हालत है राजस्थान में लोग हमसे यह कहते हैं। इस सम्बन्ध में आपकी गति बहुत धीमी है। आप इसमें फेल्योर जा रहे हो। सौ मेगावाट आप बढ़ा नहीं पा रहे हो। इसलिए बिजली के ऊपर कुछ भी करना पड़े, दृढ़ शक्ति से, दृढ़ चित्त से, आप दोनों मंत्री बैठे हैं, कृपा करके इस मामले में आप आगे बढ़े। मुझे यही कहना है। बिजली में अगर आप आगे नहीं बढ़े तो हमारा राजस्थान, आप विकास के लिए कुछ भी करिये, घोषणा करिये, नारेबाजी करिये, किसी पार्टी की बदनामी और अपनी बढ़ाई, कुछ भी करिये लेकिन राजस्थान के विकास की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए कृपा करके, सारी बातों को छोड़कर के, राजस्थान के इंटरेस्ट में आप इस काम को कीजिये और बिजली बढ़ाइये। इसलिए मैंने राहुघाट के लिए प्रश्न पूछा था, और भी बातें कही थीं, ऐसी जो योजनाएं आपकी पड़ी हुई हैं, जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगे और किसी भी तरह (व्यवधान) किसी को देकर के....।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में ध्यान देंगे, बिजली का जनरेशन बढ़ायेंगे और ईमानदारी से बढ़ायेंगे, नारेबाजी, प्रचार से या नेतागिरी से बातें न करके ईमानदारी से काम करेंगे? इसी में राजस्थान का हित है। धन्यवाद। एक और

(श्री रामनारायण मीणा)

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती उजलाजी को डिप्टी मिनिस्टर बनाने का एक प्रस्ताव आज कर लीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री परसादी लाल जी।

श्री रमाकान्त : बी. जे. पी. का नम्बर लीजिये। उधर से कांग्रेस का हो गया।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो लिस्ट है वह तो एग्जास्ट हो चुकी है।

श्री रमाकान्त : मैं बोल लेता हूं, आप कहें तो दो मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी बोले लें, आप फिर बोल लीजियेगा। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा माननीय सदस्य बोलें। आप बोलें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली और उद्योग की अनुदान की मांगों पर एक साथ विचार हो रहा है। पहले तो मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि हमारे दौसा जिले में उद्योगों का विकास नहीं के बराबर है। उद्योग मंत्रीजी, उसका कारण है कि उद्योगों को ग्रामीण इलाके में बिजली पर्याप्त नहीं मिलती है। लालसोट में आज से 20 साल पहले एक औद्योगिक क्षेत्र रीको के द्वारा तय किया गया था। 20 साल में वहां 20 धन्धे भी नहीं लगे और कम से कम जो धन्धे लगे, जिन लोगों ने वहां पर लगाने की कोशिश की उन्होंने अपने उद्योगों को बन्द करके वह किसी दूसरे को दे दिया, कभी तीसरे को नीलाम कर दिये, मतलब उनको बिजली के कारण कभी सफलता नहीं मिली यही हाल आपके दौसा में है। ग्रामीण इलाके में उद्योग-धन्धे न पनपने का कारण है कि वहां पर बिजली नहीं पहुंचती है। अपने उद्योगों को चलाने के लिए उनको पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण वे घाटे में जा रहे हैं। उसके बाद कोई शहर का आदमी, आगे बढ़ने की, उधर जाने की कोशिश नहीं करता है। गांव के लोग शहरों में उद्योगों में काम करने के लिए पलायन करते हैं। कोई मजदूरी करने आता है कोई कहीं आता है। आप गांवों में उद्योग लगाने से पहले, बिजली की जो आपाधापी मची हुई है या बिजली के कारण वहां उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं आप उस ओर ध्यान दीजिये नहीं तो आपके शहरों के चारों तरफ सारे उद्योग-धन्धे हो जायेंगे। गांवों की तरफ आपके अधिकारी भी ध्यान नहीं देते है, कोशिश भी नहीं करते हैं।

सरकार बेरोजगारों को ऋण देती है पर मेरे को लग रहा है, उद्योग मंत्रीजी, कि इतने लोगों को ऋण दिये पर कोई सफल नहीं हुआ, किसी ने कोई धन्धा नहीं किया। सब्सिडी मिली, लोन मिला, उसको खा पीकर रास्ते पर हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, हमारे दौसा जिले में 1500 लोगों के आवेदन आये। आपने उनके इंटरव्यू लिये। 500 या 600 लोगों को आपने चयनित करके उनको बैंकों में भेजा। उद्योग मंत्रीजी, आपका अभी मुझे जवाब मिला था 2-3 दिन पहले कि 600 में से 45 लोगों को भी बैंकों से लोन नहीं मिला आपने जवाब में कह दिया कि बैंकों पर

(श्री परसादीलाल मीणा)

हमारा नियंत्रण नहीं है। तो आप क्यों उनके इंटरव्यू लेते हैं, क्यों इधर-उधर उनके टप्पे लगाते हैं, क्यों बैंकों के चक्कर लगवाते हैं और क्यों आपके अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं ? आपका बैंकों पर नियंत्रण नहीं है आप कोई दूसरी जगह, आर. एफ. सी., रीको, कहीं से भी व्यवस्था करिये। बेरोजगार आपके इतनी संख्या में हैं, कम से कम 1500 लोगों में से आप 500 लोगों को भी रोजगार दें तो हम मानेंगे कि बेरोजगारी को आपने दूर किया हैं और उद्योगों से बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो, उद्योग मंत्रीजी नौकरियों से आपकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी।

मेरा माननीय विद्युत मंत्रीजी से, खास तौर से किसानों के बिजली के सम्बन्ध में निवेदन करना है। बिजली बोर्ड में भण्डारी जी पहले चेयरमैन आये, बीच में उनको हटाया। ऊर्जा मंत्रीजी से उनकी नहीं पटी। फिर दुबारा जब उसका काम नहीं चला तो फिर आये। यह सही बात है, अध्यक्ष महोदय, कि बिजली बोर्ड बहुत घाटे में जा रहा है और इस घाटे को दूर करने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया, थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है, तो भण्डारीजी ने निश्चित रूप से किया है और वे इस कोशिश में हैं कि बिजली बोर्ड कैसे इस घाटे से अपने आपको उबारे। उन्होंने कोशिश की है, वन पोल-टू पोल चोरियों को रोकने की। ज्यादातर चोरियां वन पोल, टू पोल की दूरी से होती है। वन पोल, टू पोल में जिन लोगों ने कनेक्शन लिये और जो लोग लेने में उत्सुक हैं, वे काफी संख्या में आये। मैं इस योजना का बहुत हिमायती हूं, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे किसी की प्रायोरिटी नहीं मारी जा रही है। जिनके आवेदन आलरेडी दिये हुए हैं, जो लोग 15-20 हजार रुपये खर्च करके भी अगर वन पोल, टू पोल में कनेक्शन ले जाते हैं तो वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और किसानों की बहुत जबरदस्त डिमाण्ड है। उन्होंने एक बार, अभी मार्च में वापस बन्द कर दिया। हम जब गांवों में जाते हैं तो लोग हमसे कहते है, साहब, आप वन पोल, टू पोल के आवेदन वापस खुलवाओ। तो इस तरह की जो योजना है, उससे बिजली की चोरी दूर हुई है, यह सही बात है पर, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे वहां से 500 एप्लीकेशस आयीं उनमें से केवल 49 लोगों के आपने एस्टीमेट बनाये। आपके जे. ई. एन. और ए. ईएन. एस्टीमेट नहीं बनाते हैं, हालांकि कनेक्शन लेने के लिये लोग उत्सुक हैं। उनको एस्टीमेट बनाने के लिये पहले रिश्वत दो, उनके पीछे-पीछे घूमों। मंत्रीजी, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइये कि जिसकी एप्लीकेशन आएगी उसका एस्टीमेट इतने दिन में बन कर तैयार होकर उसको डिमाण्ड नोटिस चला जाएगा। आप 400 एप्लीकेशस को लेकर आज तक बैठे हैं। आप उनको डिमाड नोटिस जारी नहीं करते हैं। आप उनको यह नहीं कहते हैं कि आपको कनेक्शन मिल जाएगा। वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। तो वे लोग अपनी ही कोस्ट पर, अपने ही बलबूते पर कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको तुरन्त देना चाहिये। आप महीने में, दो महीने में उसका एक फिक्स प्रोग्राम बनाइये।

230

(श्री परसादीलाल मीणा)

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपसे मेरे को एक आपत्ति है कि आपके बिजली बोर्ड ने एक योजना बनायी है, नर्सरी योजना और उस नर्सरी योजना में अभी बिलकुल अन्धेरे में रखा गया है। भण्डारीजी को तो चिन्ता है कि बिजली बोर्ड का दीवाला कैसे दूर हो पर यह नर्सरी योजना में आपको पब्लिक के सामने और आज जब आप अपना जवाब दें, आपको खुलासा करना चाहिये कि नर्सरी में जो किसान कनेक्शन लेगा, बोर्ड ने तीन-चार बार इसके आर्डर बदले हैं, कभी कहा है कि हम 2500 पर हार्स पावर के हिसाब से लेकर, खम्भे की इतनी कीमत लेकर, सैकण्ड खम्भे पर 11,000 रुपये लेकर कनेक्शन देंगे और आपने फिर दुबारा एक आर्डर निकाला कि हम उसमें जो 2500 पर हार्स पावर के हैं, उसको छह महीने तक एडजेस्ट कर देंगे या दो बार, तीन बार, चार बार किश्तों में लेंगे। पर मन्त्रीजी, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है, उसमें यूनिट रेट क्या रखा है आपने ? यूनिट रेट, जैसा कि हमें पता चला है और जैसा कि किसानों को अभी मालूम नहीं है, आपने दो रुपये 50 पैसे यूनिट रेट रखा है। यह बड़ी आपत्ति की बात है। नर्सरी योजना हो और चाहे कोई योजना हो आप किसानों को बराबर समझिये, वो ओन कोस्ट पर ले रहे हैं। कहां वे प्राथमिकता तोड़ रहे हैं ? आप दो रुपये पचास पैसे क्यों ले रहे हैं उनसे ? आप इसका खुलासा करिये, उसी रेट में दीजिये। आप कहते हैं कि हमारा बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है, हम बिजली पचास पैसे में नहीं दे पा रहे हैं, पहले तो सरकार 27 पैसे में ही बिजली दे रही थी अब तो आप पचास पैसे ले रहे हो। हम यह मानते हैं कि यह सरकार किसान की विरोधी है, हितैषी नहीं है, हमको तो बिजली वही एक रुपये में पड़ रही है, रेट बढ़ रही है आपकी। क्योंकि आप पूरी बिजली, जितनी हमको चाहिये, आप फ्लेट रेट हमसे, किसानों के 80 पर्सेंट कनेक्शन आज फ्लेट रेट पर हैं और फ्लेट रेट में आप 10 घंटे तो बिजली देंगे पहले तो कम से कम 10 घंटे बिजली मिलती थी, आज चार और पांच घंटे बिजली मिलती है। हमको तो वही एक रुपये यूनिट पर बिजली मिल रही है। कभी किसान के अलावा कोई बिजली के लिए आन्दोलन नहीं करता। जब हमारी सरकार थी, आपने किसानों को बिजली देने के लिए आन्दोलन किया। कभी भी शहरों में उद्योगपतियों की यह मांग नहीं आती है कि हमको बिजली नहीं मिल रही है। शहर में कभी एक मिनट भी बिजली नहीं जाती है। आपने देखा होगा कि आज किसान बिजली के लिए चार चार, पांच-पांच घंटे इंतजार करता है, कभी रात को दो बजे आ रही है, कभी एक बजे आ रही है, आप दिन में बिजली देने की बात करें। आप चाहे एक रुपया यूनिट लें, आप चाहे कोई रेट बढ़ायें। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं इस मामले में सदस्यों के विचार जानना चाहता हूं। आप कर दीजिये हमको कोई आपत्ति नहीं है पर किसान को 10 और 12 घंटे बिजली मिले, इस साल से आप यह करें। नहीं हमको तो वही बिजली पड़ रही है, एक रुपये यूनिट ही....

श्री कन्हैया लाल मीणा : दस-बारह घंटे तो मिली है बिजली....

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलें बीच में। बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको किसी ने लिख कर दे दिया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय लिमिटेड है, आपस में बात नहीं करें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंत्री बनें, तब बात करना। आपको किसी ने + + + कर भेजा है, किसी ने गाइड करके भेजा है और जैसे वो + + + होता है ना, दूसरे की फूंक से बजता है, आप तो वैसे ही + + + हैं....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य तो यह कह रहे थे कि हमारे यहां पर 14 घण्टे बिजली मिली है। दो घंटे फिर कम कर दिये। अभी तो आप 14 घंटे कह रहे थे। अब बीस मिनट में ही कम हो गये दो घंटे।

श्री कन्हैया लाल मीणा : नहीं। बिलकुल जैसा यह कह रहे हैं, 10 घंटे से कम, तो बिजली मिली ही नहीं, वास्तव में नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपस में डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं, आप बिराजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा : कम से कम 10 घंटे तो मिली ही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादीलालजी, संक्षिप्त में शीघ्र समाप्त कीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बोलना शुरू हुआ हूं, अभी....

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है, मंत्री बैठे हैं, बिजली बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य, यूं तो रात के एक बजे तक भी चलाते रहेंगे तो चलता रहेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जब-जब भी बिजली का संकट आया है, अखबारों में विज्ञप्ति जारी की है, कभी उसको चार घंटे भी किया है, कभी पांच घंटे भी किया है, कभी छह घंटे भी किया है। यह तो आपका बिजली बोर्ड का रिकार्ड बोल रहा है, आपके अखबार बोल रहे हैं, आपकी विज्ञप्तियां बोल रही हैं, पता नहीं माननीय सदस्य + + + खाये हुए है ? इनको अता-पता ही नहीं है कि लालसोट में क्या हो रहा है ?

श्री परसादीलाल मीणा : + + + ?

श्री अध्यक्ष : माननीय....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अपनी बस्सी की....(व्यवधान)....इस तरह बातें नहीं करें, आप बिजली बोर्ड की विज्ञप्तियां देखें, आपको दूसरों के बारे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं, अध्यक्ष महोदय, कह रहा था नर्सरी योजना का आप और खुलासा करें।

मैं दूसरी बात कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा होने के बाद एल फार्म लगने के बाद और फिटिंग होने के बाद भी दो-दो, तीन-तीन साल तक किसानों को कनेक्शन नहीं मिलते हैं। मेरे इलाके में 500 ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान है, जिनके दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल से कनेक्शन के पैसे जमा हैं और उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जब वहां सहायक अभियन्ता के आफिस में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास सामान ही नहीं है, कनेक्शन कहां से दें। तो आपने डिमाण्ड नोटिस क्यों जमा किया ? आपने क्यों पैसे जमा किये हैं आप उनको कनेक्शन दीजिये। मेरा ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि आपने एक ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की है, कागजों में विद्युतीकरण कर रखा है, मैंने माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान में तीन हजार के आसपास ऐसे गांव हैं जिनका कागजों में विद्युतीकरण कर रखा है। आपने न वहां लाइन खींची, न ट्रान्सफार्मर रखे हैं, न वहां एक कनेक्शन दिया है, इस तरह की....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त कीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : स्थितियां करके आप करना क्या चाहते हैं ? मेरे इलाके में और सारे दौसा जिले में भी इस तरह की स्थितियां हैं, जो कमेटियां आपने बनायी हैं उनमें बार-बार कहते हैं, आपने कहा कि यह कमेटियां जो निर्णय करेंगी उसको बिजली बोर्ड के अधिकारी मानेंगे। ऊर्जा मंत्रीजी, बिजली बोर्ड के अधिकारी उसमें से किसी भी बात को नहीं मानते हैं। आखिर किसानों को बिजली मिलेगी कैसे ? हमने एजिटेशन भी किया, तीन-चार घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को इस फसल में नहीं मिली किसानों की फसल सूख कर चौपट हो गयी। आप चाहे कुछ भी कहें पर इस सीजन में जो बिजली मिली है, वह किसानों को बहुत कम मिली है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि आज किसानों को खम्भे भी ले जाने पड़ते हैं, गड्ढे भी उनको खोदने पड़ते हैं और आपके ठेकेदार और आपके इंजीनियर मिलकर उनका पेमेंट उठाते हैं। इस तरह जो आपाधापी मची हुई है, इस तरह की जो स्थिति है उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिये और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके वन पोल, टू पोल की योजनाएं बिलकुल यथावत जारी रहनी चाहिये और मैंने सुना है कि आपके अध्यक्ष ने....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकान्तजी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वन पोल और टू पोल के जो आवेदन विचाराधीन रह गये हैं उनको भी नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया और नर्सरी की रेट, जैसा कि हमको भ्रम हुआ है, 2.50 रुपये यूनिट है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी स्पष्ट कर देंगे, आप विराजिये। श्री रमाकान्त जी।

श्री परसादीलाल मीणा : उसको आप बदले और आप जवाब दें इस समय इस नर्सरी योजना का खुलासा करें कि आखिर है क्या नर्सरी योजना ?

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके। माननीय श्री रमाकांतजी।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक प्रश्न उठाया था कि सरस्वती का क्या उपयोग है लक्ष्मी के अन्दर ? तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरस्वती के बिना लक्ष्मी आ ही नहीं सकती और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि आन्ध्र प्रदेश के अन्दर और कर्नाटक के अन्दर इतना औद्योगीकरण हुआ है वह इसलिए हुआ है कि भारत सरकार के ज्यादातर अनुसंधान केन्द्र वहां ही लगे हुए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के अन्दर भी ज्यादातर इस प्रकार के आई. टी. आई अनुसंधान केन्द्र हैं जिनके आधार पर, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से लड़ाई लड़ें और राजस्थान के अन्दर जो अनुसंधान केन्द्र अभी तक नहीं लगे। इन चीजों के अन्दर, वह चाहे इलेक्ट्रोनिक की बात हो, चाहे मेटल की बात हो, चाहे केमिकल की बात हो, यह सारे के सारे उद्योग वहां लगने का कारण एक मात्र है कि वहां पर अनुसंधान केन्द्र हैं। पंजाब में भी जो बहुत ज्यादा उद्योग लगे हैं उन सब का कारण यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आई. टी. आईज. हैं, मैं तो समझता हूं कि फिफ्टीन के अन्दर ही वहां पर इतने ज्यादा आई. टी. आईज. और ट्रेनिंग सेंटर्स आ गये और वह एक मुख्य कारण रहा है वहां पर लघु उद्योग लगने का।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, औद्योगिक नीति बहुत अच्छी बनायी गयी है परन्तु उसके अन्दर एक बात रह गयी है। राजस्थान के अन्दर मेडिकल प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, एक छोटासा उदाहरण देता हूं, सदाबहार प्लांट है तो उस सदाबहार से कैंसर की दवा बनती है, यदि हम इसके अन्दर कोई विशेष प्रावधान रखें कि जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, हिमालय के बाद दूसरा नम्बर हिन्दुस्तान में मेडिसिन प्लांट्स का राजस्थान का है तो उनको कुछ विशेष सहायता दी जाए तो उसके आधार पर बहुत उद्योग लग सकते हैं।

मैं तीसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम को उन उद्योगों पर ज्यादा जोर देना चाहिये जिनका रा-मैटीरियल यहां हो, जिनका मार्केट यहां हो और जिनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लेबर राजस्थान की लगती हो। इससे जो अन्य उद्योग लगते हैं, जैसे डी. सी. एम. ने लगा दिया कास्टिक सोडा का, कोई रेयन का प्लांट लगा दिया, किसी ने कुछ और लगा दिया, इस तरह के बड़े-बड़े केमिकल प्लांट लगा दिये, करोड़ों-अरबों रुपये के प्लांट हैं, हमारी महंगी बिजली उनको जा रही है, हमारा महंगा पानी उनको जा रहा है, हमारी महंगी जमीन उनको जा रही है परन्तु हमारे जी. डी. पी. में उनका आधा प्रतिशत भी कोई सहयोग नहीं है। इसलिए जो बड़े मल्टीनेशनल्स हों, चाहे बड़े अरबपतियों के बड़े-बड़े उद्योग हों, जिनका हमारे रा-मेटीरियल या हमारी मार्केटिंग से कोई

(239)

(श्री रमाकांत)

सम्बन्ध नहीं उन उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देकर इन दो चीजों पर, जिन से उद्योग लग सकते हैं उन पर हम उद्योग नीति के अन्दर जरासा ध्यान दें तो मैं समझता हूं हमारे जी डी.पी के अन्दर हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अन्दर उसका ज्यादा लाभ मिलेगा।

यहां पर एक बात और औद्योगिक नीति के अन्दर कही गयी है। एक्सपोर्ट ओरियंटेड जो यूनिट्स हैं उनके अन्दर 10 करोड़ से ऊपर की है उनको बिजली की कभी कटौती नहीं होगी। अच्छी बात है, करिये एक्सपोर्ट ओरियेंटेड, परन्तु एक्सपोर्ट ओरियटेड की ज्यादा आवश्यकता है भारत सरकार को। उनको जितना भी कंसेशन देना चाहिये, दीजिये पर वह सारा का सारा कंसेशन भारत सरकार से लीजिये। हमारे यहां तो छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उनके अन्दर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज दीजिये, उनको ज्यादा प्रिफरेंस दीजिये तो मैं समझता हूं कि हमारा ज्यादा लाभ होगा।

श्री परसराम मदेरणा : एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फोरेन एक्सचेंज कहां से आएगा ?

श्री रमाकान्त : एक्सपोर्ट भारत सरकार के लिए ज्यादा लाभदायक है, जरूर करवाइये।

श्री परसराम मदेरणा : फोरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो पैट्रोलियम प्रोडक्ट कहां से आएगा ? और पैट्रोलियम नहीं होगा तो कल ट्रक और ट्रैक्टर बंद हो जाएगे न राजस्थान के अन्दर।

श्री रमाकान्त : मैं विरोधी नहीं हूं इसका परन्तु इसके लिए आप कंसेशन भारत सरकार से लीजिये, यह कर रहा हूं। एक्पोर्ट ओरियंटेड से हमारी ओरीजिनल स्टेट की इकानामी में कोई फर्क नहीं आने वाला है।

श्री परसराम मदेरणा : एक तरफ तो राष्ट्रीय नीति की पानी और बिजली की बात कर रहे थे और फिर क्षेत्रीयवाद की बात करने लग गये यहां पर।

श्री रमाकान्त : मैं उसके फेवर में हूं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि हमारे बजट में उसका भार मत डालियेगा और जो सीमित पैसा उपलब्ध है उसको हमारे छोटे उद्योगों में, गांव के उद्योगों में लगाइयेगा और एक्सपोर्ट ओरियेंटेड जरूर लगाइयेगा, परन्तु भारत सरकार से पैसे लीजियेगा।

मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उसके अन्दर 40 पर्सेंट भाग कृषि का है और उद्योगों का केवल मात्र 11 पर्सेंट ही है सारा का सारा। और वह 40 पर्सेंट बड़ा फ्लक्चुएट करता है, प्रकृति पर मुनस्सर करता है। इसलिए उद्योगों पर हम को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा परन्तु ऐसे उद्योग, मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जिसके अन्दर हम अपनी इन्टरनल इकानामी को ही ज्यादा स्पीड दे सकें। उनको यदि आप लेंगे तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अन्दर ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा।

(श्री रमाकान्त)

मार्बल ग्रेनाइट के अन्दर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी होना चाहिये परन्तु जैसे जोधपुर की पट्टियां हैं, जोधपुर की पट्टी भी इन्टरनेशनल उपयोग में आने वाली हैं। किसी जमाने में मैं सरकार के अन्दर था, मुझे याद है कि जापान की एक बहुत बड़ी टीम आयी थी वह चाहती थी कि इनका बड़े पैमाने पर उपयोग हो, यहां से एक्सपोर्ट हो परन्तु उनका ठीक प्रकार पोलिशिंग का, ठीक प्रकार की कटिंग का, ठीक प्रकार का डवलपमेंट नहीं था इसलिए वह काम नहीं आ सकीं। तो चाहे वह चित्तौड़ की पट्टी हो, चाहे बिजौलिया की हो, चाहे जोधपुर की हो, पट्टियों को भी हम दुनिया के अन्दर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, परन्तु उनका ठीक प्रकार से अनुसंधान करके उनके लिए प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए।

अगली बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारी गरीब जनता में गलीचा उद्योग बहुत ज्यादा प्रोस्पर कर रहा है, परन्तु उसके अन्दर सारे के सारे दिल्ली के और बाहर के लोग आकर गरीब जनता को एक्सप्लाइट कर रहे हैं। वह उनको सूत देते हैं, गलीचा बनवा कर ले जाते हैं और उनको जो पैसा मिलता है वह बहुत कम मिलता है। इसके अन्दर स्टेट की तरफ से कोई इस प्रकार की चीज होनी चाहिये कि जो उद्योग पनप गया है इसको हम आर्गेनाइज सैक्टर के अन्दर लेकर आएं और उनका जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है उसको रोका जाए।

मैं टेलीग्राफिक लेंगुवेज में एक मिनट में खतम करने वाला हूं, बात तो बहुत लम्बी-चौड़ी है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो छोटे-छोटे लोग हैं वह व्यापार में तो आने लग गये परन्तु अभी जो किसान वर्ग के अन्दर पैदा हुए लोग हैं वह उद्योगों के अन्दर नहीं आ रहे हैं। हमें कुछ इस प्रकार का पालिसी के अन्दर परिवर्तन करना चाहिये कि गांवों में जाकर उनके अन्दर जागरुकता पैदा करें, उनके अन्दर प्रोत्साहन पैदा करें और उनकी जो बेसिक रुचि है उसको निकाल कर वहां इस तरह की चीज पैदा करें तो उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, गांव के लोग आगे आ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा। यह जो कहा गया है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 पर्सेंट का प्रॉफिट करेगी, उन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो इस तरह की बात है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है बाहर के लोगों की। वह जो मल्टीनेशनल्स के द्वारा यहां पर बिजली पैदा करना चाहते हैं इसलिए वह पहले यह बताना चाहते थे कि जितनी भी हमारे इलैक्ट्रिक कारपोरेशंस हैं यह ठीक काम नहीं कर रहे हैं इसलिए बाहर के लोग यहां आ जाएं। हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बाहर के लोगों के हाथों में बिजली, जो मुख्य चीज है, पूरी की पूरी काबू में आ गयी तो हम उनके जंजाल से निकल नहीं पायेंगे। क्योंकि पैसा हमारे पास है नहीं। इसलिए सही बात है कि हमको उनको भी साथ लाना पड़ेगा, परन्तु इसके बारे में हम को बहुत

(श्री रमाकान्त)

ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सारा का सारा कब्जा उन लोगों के हाथ में नहीं चला जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहा जाता है कि बिजली की रेट्स हम को बढ़ानी चाहिये, कृषि वालों के लिए बढ़ानी चाहिये, हमारे गांव के जो लोग हैं, आखिरकार आप अरबों रुपये की इन्दिरा गांधी कैनाल लेकर जो पानी दे रहे हैं उसमें कौनसा आप तीन या चार पर्सेंट रियलाइजेशन कर रहे हैं ? करोड़ों रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसके अन्दर न कोई ब्याज आता है, कुछ नहीं आता है और उनको पानी मिल रहा है। तो यदि राजस्थान के एक या दो इलाकों के अन्दर उन किसानों को इतनी बड़ी मदद मिल रही है तो बाकी जो राजस्थान के लोग हैं, जो कुएं में से पानी निकालते हैं उनको भी हम बिजली उसी आधार पर यदि सस्ती से सस्ती रेट पर दें तो मैं समझता हूं कि हम उन लोगों की बहबूदी के बारे में ज्यादा ध्यान रख सकेंगे।

कुछ अमरीका की बात पूछी थी पर वह तो चले गये, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुजी मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य रहा मेरा, दूसरे बजट की चर्चा और डिमांडस के समय मैं रहा लेकिन उद्योग के ऊपर शायद ही कभी कहीं जिक्र हुआ। मुझे लगता है कि उद्योग के बारे में बात करना हमारी फैशन है और उस पर करना कुछ नहीं, यह हमारी एक्टीविटी है।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद में देश में कांग्रेस की सरकार ने एक इंडस्ट्रियल पालिसी दी और वह 70 के दशक तक, 80 के दशक तक एक माइल स्टोन थी। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मुझे हाउस के मूड का भी पता है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : हम बड़ी गम्भीरता से सुन रहे हैं आपका भाषण, आप गम्भीरता से भाषण दें। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अच्छे सुझाव आने दीजिये। माननीय, बोलने दें आप। खुद भी उद्योगपति हैं कई बातें कह सकते हैं, बोलने दें।

श्री विष्णु मोदी : जब 1947 में देश आजाद हुआ उस समय दुनिया की जो परिस्थितियां थीं, उस समय हमारे पालिसी मेकर्स ने इस देश में एक इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की जो आधारशिला रखी, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त के संदर्भ में वह नीति बिलकुल सही थी क्योंकि उस वक्त न, तो कोई टेक्नोलोजी देने में इंट्रेस्टेड था न कोई दूसरी जगह डवलपमेंट करने को इंट्रस्टेड था। मैं यह बात इसलिए कह रहा

(20.00)

हूं कि गवर्नर एड्रेस पर इस सरकार ने यह कहलाया कि चालीस साल के पालिसी निर्माताओं ने अपनी गलती महसूस की।

(श्री विष्णु मोदी)

लेकिन अब एक वक्त आया। दुनिया की दूरिया कम होने लगी। बेरियर्स हटे और चीन जैसा देश, जो क्लोज डोर था उसमें भी इन्वेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरे में कमी महसूस की गयी। पब्लिक सैक्टर में खूब इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन उस वक्त आवश्यकता थी इस बात की, उससे जितने रिटर्न्स मिलने चाहिये थे, नहीं मिले। जितने साधन, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वह भारत सरकार हो, उसके काफी सारे साधन उसमें चले गये। यह महसूस किया गया दुनिया में, हिन्दुस्तान में ही नहीं कि आज जो लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की हम बात कह रहे हैं, हम तो वास्तव में दस साल बाद में कर रहे हैं। दुनिया में यह सिलसिला सन् 1980 के शुरू में ही शुरू हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हम उसमें लेट हैं और दुर्भाग्य भी आज है, इस देश का....

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : फिर दुर्भाग्य ?

श्री विष्णु मोदी : सुन लो आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें। मंत्रीजी बोलने दें।

श्री विष्णु मोदी : अब यह आपके समझ के बाहर की चीज है। इसलिए मंत्रीजी क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम इस नीति में पोलिटिकलाइज हो गये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह वित्त मंत्री हैं और इनके समझ के बाहर है ?

श्री विष्णु मोदी : मैंने आपको बात बतायी थी, जो श्री धारीवाल साहब ने कही ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, बीच में टोका-टोकी से समय जाया होगा।

श्री विष्णु मोदी : इसमें पालिटिकलाइज हो गया। आज चाहे मुख्य मंत्रीजी या उप मुख्य मंत्रीजी स्वदेशी के नाम पर, कंज्यूमर गुड्स के नाम पर और किसी नाम पर, इनको पता है कि सिवाय इन्वेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर या दूसरे सैक्टर में, बिजली में एक तरफ ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, एक तरफ रोज नेगोशिएट करते हैं और दूसरी तरफ स्वदेशी, कंज्यूमर प्रोडेक्ट और उस तरह की बात करते हैं और जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी, उसको बजट भाषण का पार्ट बनाया। पैरा 14–मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं "मात्र अकादमिक क्षेत्रों में चलन या अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के सुझावों के कारण, सुधार या पुनर्गठन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।" कहां तो विश्व बैंक आ गया इनको यहां सुझाव देने और कहां अकादमिक चर्चा हो गयी। यदि हमारे ढांचे की कमजोरियों में गहरे विश्लेषण तथा विसंगतियों के आकलन तथा विकास की गति बढ़ाने से, के उद्देश्य से सुधार की आवश्यकता बनती है तो हम ऐसे सुधारों को सहर्ष लागू करेंगे। राजस्थान में एक कहावत है—'मन भावे, मूंड हिलावे' और यह भी कहां से टेका, राजस्थान में नकल करने की तो प्रवृत्ति है,

(238)

(श्री विष्णु मोदी)

लेकिन नकल में अक्ल कैसे लगे, उसकी नहीं है। यह सब्स्टेंस इन्होंने लिया 4 जनवरी, 1995 को प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने कलकत्ते में भाषण दिया था कि—"किन्तु हम विश्वव्यापीकरण महज उसकी खातिर नहीं कर रहे हैं। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें इससे देने वाले और लेने वाले, दोनों को लाभ है" और आगे उन्होंने कहा है—"यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। मैं विदेशी निवेश के प्रस्ताव की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूंगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि न तो हम पर कोई छा रहा है, न ही हम अपना देश बेच रहे हैं। एक तो विदेशी निवेश के लगभग, जिन कंट्री में अभी तक जो विदेशी निवेश आया है, वह 90 पर्सेंट इण्डियन कम्पनी के जोइंट सैक्टर में आया है। जो 90 पर्सेंट इन्वेस्टमेंट आया है वह इण्डियन कम्पनी के जोइंट सैक्टर में आया है और 10 पर्सेंट निवेश आधारित। अर्थात् 90 पर्सेंट इन्वेस्टमेंट भारतीय उद्यमियों की साझेदारी में है। दूसरी, हमने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट शब्दों में जता दी है कि हम निवेश पर आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में और प्राथमिकता वाले अन्य उद्योगों में चाहते हैं। अभी तक जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों बातें मैंने इसलिए स्पष्ट करनी चाही है कि जब तक हमारे में क्लिअरिटी नहीं हो, कंसेप्चुएलिटी नहीं होगी और जो हम बात करेंगे उसके रांग सिग्नल्स आएंगे। अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे केडिया ग्रुप का कोई एक लम्बा-चौड़ा झगड़ा चल रहा है। आप कहां आते हैं पिक्चर में? राजस्थान सरकार का क्या लेना-देना है? न तो उसने आपसे जमीन ली, न आपने कोई लाइसेंस दिया। एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी अलवर में है तो सैंट्रल एक्ट है....(व्यवधान) तो मेरा इसमें जिक्र करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज आवश्यकता है हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कल्चर की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री माथड़ा जी, जिसके लिए मुख्य मंत्रीजी और सारी बी. जे. पी. पार्टी, कि हम एक बहुत जबरदस्त इण्डस्ट्रीज पॉलिसी लाये हैं और इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं समझता हूं सदन में वह बाईपास नहीं रखेंगे और इस पर चर्चा करायेंगे। लेकिन मैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में इतना कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बीच में न बोलें।

श्री विष्णु मोदी : I will just finish, Sir.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां भी क्या किया? वही नकल की। मेरे पा

(श्री विष्णु मोदी)

हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल की इण्डस्ट्रियल पालिसिज हैं, उनमें से कहीं से कुछ लिखा, कहीं से कुछ लिखा, यह सब पालिसिज हैं और उसमें एक बात जो कही कि हमने आर्डर्स निकाल दिये। आर्डर्स निकाल दिये तो वो एक्शन प्लान है। पालिसी एक चीज है और एक्शन प्लान दूसरी चीज है। इसी पालिसी में सिर्फ एक बढ़िया आर्ट पेपर, बढ़िया प्रिंटिंग, बढ़िया फोटो और बढ़िया सब चीज करने के अलावा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भी एक आकर्षण है।

श्री विष्णु मोदी : इन्सेंटिव्ज आज आपको देने होंगे, क्योंकि आज यह लाइसेंस परमिट कोटा खतम हो गया, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था। अब तो जिसको वहां ठीक सुविधा मिलेगी, वहां जाएगा। अगर आपके एडजोईनिंग स्टेट में इन्सेंटिव्ज हैं तो उसके एट पार आपको आना होगा, तो यह सब इन्सेंटिव्ज कुछ नहीं है बल्कि इसमें एक लिस्ट में उप मुख्य मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो सिर्फ एक बात के बारे में दें। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि का रूपान्तरण, राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए रूपान्तरण नियम, 1992 में प्रावधान है कि—"निर्धारित प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के अन्दर आवश्यक जांच-पड़ताल करने के उपरान्त आदेश प्रसारित करेगा अन्यथा आवेदन अगले उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। इन नियमों के सम्बन्धित प्रावधान इस अभिप्राय से संशोधित किये जाएंगे कि यदि निर्धारित अधिकारी पूर्ण आवेदन प्राप्ति से तीस दिवस के अन्दर रूपान्तरण निस्तारित करने के आदेश प्रसारित न कर दे तो औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण स्वीकृति मान ली जाएगी।" क्या इसके अन्दर आपने डीम्ड एप्रूव्ल एक भी दिया है ? पूरे स्टेट में अगर आपने डीम्ड एप्रूव्ल किया है एक भी तो आप उसको स्पेसिफाई करें....(व्यवधान) पेंडिंग की लिस्ट बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हैं ही नहीं।

श्री विष्णु मोदी : ठीक है। एक दूसरा नगरीय इस भूमि, अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत छूट देने की शक्तियां नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आम छूट दी जाएगी। इसका बता दें, क्या हुआ ? और जो एक भी पेंडिंग नहीं है, उसका मैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय समय बहुत लिमिटेड है और आप उद्योग के जानकार हैं, (व्यवधान) मेरा निवेदन सुनें आप, मैं जो कह रहा हू वह सुनें आप। मैं यह कहना चाह रहा हूं, आप एक मिनट बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा टाइम भी दे दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका टाइम है ही नहीं, बिराजें। बिराजें आप। आज आपको टाइम नहीं दिया है पार्टी ने। मैं कह रहा हू कि आप राजस्थान का बेटर इण्डस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सके, चूंकि आप उद्योग के मास्टर हैं, वह आप दो-चार सजेशंस दें। यह पालिसी यू हो गयी और यह क्या-क्या, वह क्या-क्या। सीधे सजेशंस दें। मैं आपका आभारी होऊंगा, आप सजेशंस दें।

(२५८)

श्री विष्णु मोदी : मैं वही बात कर रहा हू । सीधे ही सजेशन दे रहा हूं ।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ में, अभी एक माननीय सदस्य ने और निवेदन किया था, पिछले 10 महीने से मैंने चीफ सैक्रेटरी, इण्डस्ट्री सैक्रेटरी, यू. डी. एच. सैक्रेटरी, कलक्टर और सबको चिट्ठियां लिखीं, कि क्योंकि रीको के पास जमीन नहीं है और वह उनके पास अवेलेबल नहीं है । लेकिन वो पिछले दस महीने से....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजस्थान को फायदा हो जाएगा आपको नुकसान हो जाएगा ।

श्री विष्णु मोदी : श्री वी. पी. सिंह जी, राजस्थान को फायदा हो जाने दीजिए । राजस्थान में अगर उद्योग लग जाएंगे, औद्योगिकीकरण हो जाएगा तो यह सीमित साधन की बात खतम हो जाएगी ।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : आपने वी. पी. सिंह जी को तो नहीं कहा, समझ से बाहर है मामला ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, पिछले दस महीने से एम्पावर्ड कमेटी से लेकर सैक्रेटरी इण्डस्ट्रीज से लेकर डाउन दी लाइन, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ और क्या हालत है कि अगर एक लैंड यूज का मसला है तो पहले कलक्टर के एप्लीकेशन लगेगी वह उसको टाउन प्लानिंग में भेजेगा, टाउन प्लानिंग वापस कलक्टर को भेजेगा, फिर एस. डी. ओ. से तहसीलदार आएगी, फिर कलक्टर के पास आएगी, फिर यू. डी. एच. डिपार्टमेंट आयेगी, यू डी. एच. डिपार्टमेंट फिर चीफ टाउन प्लानर को भेजेगा, चीफ टाउन प्लानर वापस अपने जो टाउन प्लानिंग का आफिस है वहां भेजेगा, वह फिर वापस चीफ टाउन प्लानर को भेजेगा और वापस फिर कलक्टर के होते हुए सेक्रेटेरिएट में आएगी और मंत्रीजी तक आएगी और मंत्रीजी श्री भंवरलाल जी के आफिस में फाइल पहुंचने के बाद तो वर्षों उसका क्या होगा, उसका कोई पता नहीं है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वन विंडो नहीं है ।

श्री विष्णु मोदी : कोई वन विंडो नहीं है । मैं इसीलिए कहता हूं कि आप यह इण्डस्ट्रियल पालिसी के नाम पर सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपकी यह पालिसी बनाने के पहले राजस्थान में दो साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और इस इण्डस्ट्रियल पालिसी के आने के बाद में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ वह फिगर आप बता दें ?

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के अन्दर ट्राइबल एरिया है । रीको का काम, काफी कल्चर बदली है । मैं रीको को एज होल कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं । आर. एफ. सी. में भी कल्चर बदली है लेकिन रीको का काम जमीन बेचने का नहीं है । रीको का काम इण्डस्ट्री लगाने का है, रीको का काम ठीकरिया इण्डस्ट्रियल एरिया में कोई जगह नहीं है लेकिन एक कानून बना

(श्री विष्णु मोदी)

रखा है कि जहां रीको का इण्डस्ट्रियल लैंड होगा उसके दो किलोमीटर के अन्दर कोई लैंड कन्वर्ट नहीं करेंगे । आप मत करें । अगर आपके पास प्लाट खाली है, अगर रीको कोई इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप कर रही है उसमें उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आप मत करो लेकिन जहां रीको का इण्डस्ट्रियल एरिया फुल-फिल हो गया है, जहां कोई जगह खाली नहीं है वहां आप क्यों नहीं कन्वर्जन करते हैं ? वहां क्या करोगे आप ? लेकिन यह इस तरह के ईरिटेंट्स हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जो परेशानी का कारण है, जिसके कारण से जो इण्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसको भी नुकसान हो रहा है । आज स्थिति क्या है ? हम टाइनी सैक्टर की बात करते हैं, हम काटेज इण्डस्ट्री की बात करते हैं हम आर्टिजन्स की बात करते हैं । हम स्माल स्केल की बात करते हैं, यह सब राजस्थान के दूर-दराज के गांवों में इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं । वहां इण्डस्ट्रियल आपके प्लाट्स नहीं हैं, वहां इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं बने हुए हैं तो उनका कनेक्शन रूरल फीडर से है और उस रूरल फीडर की जो हालत है, चार से छह घंटे से ज्यादा उस छोटे टाइनी सैक्टर, काटेज सैक्टर को, स्माल सैक्टर को, और आर्टिजन्स को बिजली नहीं मिल रही है । हालत यह है कि आज अगर कोई बिजली का डायरेक्ट फीडर लेना चाहता है कि कोई स्माल स्केल इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, जहां कि रीको का डवलप्ड एरिया नहीं है तो वहां वह डायरेक्ट फीडर के लिए पैसा जमा कराना चाहता है । तो आज आपकी आर. एस. ई. बी. स्कीम है कि कोई अगर नयी यूनिट आएगी, डायरेक्ट फीडर लेगी तो उसका वो कोस्ट उससे लेगी लेकिन धीरे-धीरे उस कोस्ट का बिलों में समावेश हो जाएगा । लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वह अगर चाहती हैं कि मुझे इससे बिजली नहीं मिल रही है रूरल फीडर से लेकिन मैं इसको डायरेक्ट फीडर से ले लेता हूं, जितनी कोस्ट है आप मेरे से ले लीजिए और जिस तरह से आप नयी इण्डस्ट्री के लिए समावेश करते हैं उस तरह से आप समावेश कर दीजिये, लेकिन इसके लिए नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को और ऊर्जा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप जानकारी करा लें कि, लोड एक्सटेंशन अगर एक इण्डस्ट्री लगी हुई है और वह एक्सपांड करना चाहती है तो उसका लोड एक्सटेंशन कितने दिन में होता है और उसके अन्दर कितना भ्रष्टाचार है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि छह-आठ-दस महीने के पहले तो कोई सुनवायी नहीं होती और पचास हजार रुपये बिना उसका काम नहीं होता । तो आज आवश्यकता इस बात की है कि....

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरे कोई माननीय सदस्य बोलें तो पांच-सात मिनट और यह बोलें तो आधा घंटा, घंटा भर । यह × × × नहीं होना

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

चाहिये । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । यह अध्यक्ष की विवेक पर डिपेंड करता है कि कौन सदस्य क्या बात कह रहा है । आप बिराजें । माननीय सदस्य, जल्दी भाषण समाप्त करें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्पीकर के विवेक की बात तो है ही और फिर आपका विवेक तो विवेक है ही ।

श्री अध्यक्ष : किसके क्या सजेशन आयें इतना मैं भी समझता हूं और इस तरह से गाइडेंस देने की जरूरत भी नहीं है ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक और परेशानी है कि रीको ने एक प्लाट दे दिया । आजकल एक टाइम टैस्टेड राजस्थान में नया प्रचलन हुआ है, वास्तुकला का । कोई इण्डस्ट्री लगी है, पहले आर्किटेक्चर होता था लेकिन आजकल वास्तुकला के ऊपर बहुत जोर है और लोगों का यह मानना है कि जो सिक इण्डस्ट्री थी, उन्होंने वास्तुकला के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन चेंज कराया तो उसके अन्दर उनकी इण्डस्ट्री वापस वायबल हो गयी । तो, उसमें जैसे वैस्ट फेसिंग कोई प्लाट है तो वास्तुकला का मेन जो सब्जेक्ट है कि नोर्थ-ईस्ट खाली रहना चाहिये तो वैस्ट फेसिंग जो प्लाट होता है उसको एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन कराना ही पड़ता है वास्तुकला के हिसाब से और रीको के चार्जेज हैं कि अगर आपका एक्सेसिव कस्ट्रक्शन हो गया तो फ्रंट साइड है तो पांच पर्सेंट, दूसरा साइड है तो तीन पर्सेंट और दूसरा साइड है तो दो पर्सेंट, और यह बहुत ही ज्यादा है । तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रीको खाली जमीन से, या फाइन से पैसा कमाने का इंस्टीट्यूशन नहीं है । यह इंस्टीट्यूशन है इण्डस्ट्रियलाइजेशन करने का ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्सेंटिव्ज जो हैं, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को बहुत ही कान्फिडेंटली, सीरिअसली निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव हो....(व्यवधान)....सब्सिडी हो या रजिस्ट्रेशन हो बगैर पैसे लिये हुए, बगैर भ्रष्टाचार के आप जो इन्सेन्टिव देने की बात करते हो, न तो सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव मिलता है, न सब्सिडी होती है और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है । रजिस्ट्रेशन का आलम तो यह है कि आपका डायरेक्ट्रेट या दूसरे जो डाउनवर्ड आफिसेज हैं वह अपने आप में एक्सपर्ट हैं । वह यह समझते हैं कि हम ज्यादा समझते हैं जो लॉज है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं । एक पर्टिकुलर केस में तो मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि यह नार्म्स में नहीं आ रहा है तो मेहरबानी करके इसको रिजेक्ट कर दीजिये तो कम से कम उसको रिड्रेसल तो मिल जाएगा लेकिन वह पेंडिंग पड़ी है इस बारे में कि यह स्माल स्केल में आएगा कि मीडियम स्केल में आएगा । खुद के नार्म्स हैं सब्सिडी के मामले में कि एक पर्टिकुलर मशीन को सब्सिडी दे दी लेकिन दूसरी पर्टिकुलर मशीन की सब्सिडी रिजेक्ट कर दी और उसके लिए मैंने सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीज को, डायरेक्टर इण्डस्ट्रीज को दो-दो रिमाइण्डर भेजे हैं

(श्री विष्णु मोदी)

लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर यूनिट को आपने सब्सिडी दी और दूसरी पर्टिकुलर यूनिट को आपने सब्सिडी, उसी मेक को मना कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं क्विकली आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे राजस्थान में ब्रोड गेज का एक बड़ा इन्फास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि हम वैस्टर्न राजस्थान में केमिकल जोन के लिए हमारे आइडियल सिचुएशन है तो हम उसके अन्दर एक्सपर्टाइज लगाते हैं कि केमिकल जोन हम कहां बना सकते हैं जिससे कि गुजरात में जैसे केमिकल इण्डस्ट्री बहुत आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास साल्ट है, लाइम स्टोन है, लिग्नाइट है; वाटर है, लैण्ड है और अब ब्रोडगेज है। अध्यक्ष महोदय, 1994 में जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि हम नहीं कह सकते कि आप वहां जाकर इण्डस्ट्री लगायें तो इसके बारे में यह हुआ कि लाइसेंस खतम कर दिये तो पार्लियामेंट में भी बहुत सीरियस डिबेट हुई और यह हुआ कि इससे तो इम्बैलेन्स बढ़ जाएगा। उस सीरियस कंसीडरेशन के बाद में 1994 के बजट में गवर्नमेंट आफ इण्डिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि मैं एक कमेटी कांस्टीट्यूट कर रहा हूं और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मैं फाइव ईयर टैक्स हॉली-डे दूंगा और उस कमेटी की रिकमण्डेशन करीब-करीब फाइनल स्टेज पर हैं और उसमें राजस्थान के दो या तीन जिले से ज्यादा नहीं आएंगे। मैंने इस बारे में उद्योग विभाग को, मुख्य मंत्री जी को श्री मामड़ा साहब को यह निवेदन किया कि आपने पोलिटिकल, पहले तो जैसे हमारे पुराने ठिकाने थे उसी तरह से जिले बन गये फिर बाद में हमने कुछ पोलिटिकल जिले बना लिये, 31 हो गये लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है, जैसे उदयपुर का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि उदयपुर का हिन्दुस्तान जिंक और उदयपुर शहर का एरिया उसमें सीमेंट प्लांट भी आ गया, और यह भी आ गया अगर यह हट जाता तो बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वह फाइव ईयर टैक्स हॉली-डे की स्कीम मिल जाएगी, उसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि जब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का खाली फार्मूला था तो कानपुर के उत्तर प्रदेश की उस वक्त की गवर्नमेंट ने कानपुर जिले के दो टुकड़े कर दिये। एक कानपुर शहर, एक कानपुर देहात। तो उसी कानपुर में अगर वह एक ही जिला रहता तो वहां पर इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता और उसके बाद दो जिले करने के कारण वहां कानपुर के अन्दर जबरदस्त इण्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : यह सभी जगह तकलीफ आयी है। जैसे झुंझुनूं है....(व्यवधान) मावली की नहीं उदयपुर की है। आसीन्द से बड़ी है।

श्री विष्णु मोदी : आवश्यकता इस बात की है कि एक बार हमने गलती की है कि जो एच. वी. जे. पाइप लाइन है, वह बांसवाड़ा से राजस्थान के अन्दर घुसती है और हरियाणा के पास बाहर निकलती है लेकिन

2-45

(श्री विष्णु मोदी)

उस वक्त हमारी लॉबी नहीं हुई, दो सर्वे हुए थे। एक जो अभी मध्य प्रदेश से निकली वह, एक इधर से, उस वक्त हमारी लॉबी नहीं थी इसलिए वह मध्य प्रदेश से निकल गयी और आज मध्य प्रदेश से उसे कितना बड़ा फायदा हुआ है। अगर हम यह जिले अभी नहीं करेंगे, अगर हमने जिलों का पुनर्गठन इण्डस्ट्रियल बेनीफिट को मद्देनजर रखकर नहीं किया तो हमें उससे बड़ा नुकसान होने वाला है चित्तौड़गढ़ को आप निकाल देंगे। प्रतापगढ़ और कुछ उदयपुर का मिलाकर कर दें। मैं पालिटिकली नहीं, टोटल इस बात से कि यहां इन्वेस्टमेंट फाइव ईयर टैक्स हॉली-डे एक बहुत बड़ा रिलीफ है और उससे जहां फाइव ईयर टैक्स हॉली-डे होगा वहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, कई और सदस्यों ने भी चर्चा की आज दुनिया भर में जो सेल है वह फेयर्स के थ्रू है। चाहे जैम एण्ड ज्वैलरी हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे स्टोन हो, चाहे कोई भी हो, टोटलिटी यह फेयर्स से हैं। तो मैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हर साल कम से कम तीन फेयर, एक हैंडीक्राफ्ट्स, एक जैम एण्ड ज्वैलरी, एक गारमेंट्स का, एक स्टोन इण्डस्ट्री का, क्योंकि हमारे यहां का काफी मिनरल आज एक्सपोर्ट होने लगा है। इसके साथ भी कंटेनर सब्सिडी है कि कंटेनर में जो माल जाएगा उसकी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है। लेकिन आज राजस्थान का मिनरल काफी मात्रा में कंटेनर के बजाय ओपन वैसल्स में जा रहा है। हम अगर कोशिश करेंगे तो आखिर उसमें बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें अब।

श्री विष्णु मोदी : पांच मिनट तो लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे। पूरे 22 मिनट हुए हैं।

श्री विष्णु मोदी : 5 मिनट और लगेंगे मैं बहुत तेजी से आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आपने आक्ट्राय बेनीफिट दे रखा है लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी ने देखा है कि इसकी प्रेक्टिकल प्राब्लम कितनी है? तीन फार्म देते हैं। पहले तो आप फार्म इश्यू कराओ। तो जब फार्म इश्यू कराओगे तब भेंट चढ़ाओ और फिर वह तीन फार्म मिलते हैं। माल आक्ट्राय किस पर लगती है जो माल बाहर से आता है। तो आप पहले वहां के जो ट्रक, जिस पर माल लेकर आएगा उसको वह फार्म भिजवाओ या आदमी चुंगी नाके पर खड़ा हो कि वहां दो फार्म भर कर दे और फिर वह अन्दर आएगा, फिर एक फार्म वहां जायेगा। आज तक किसी ने कोशिश ही नहीं की कि इसकी क्या टैक्निकल प्राब्लम हैं? क्या परेशानी है? इसमें कितनी कठिनाई है और कितना क्या इसमें है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटे-छोटे इरिटेंट्स हमारे इण्डस्ट्रियलाइजेशन में बाधक हैं। मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जगह-जगह के लोगों को, एसोशिएशंस को बुलाकर खुली डिबेट और एक परमानेंट

(श्री विष्णु मोदी)

फीचर रखें जिससे कि छोटे छोटे इरिटेंट्स को खतम किया जा सके ।

अब बिजली में मैं अपने आपको कंफाइन करते हुए जितनी आज सदन के सामने डिमाण्ड है....

श्री अध्यक्ष : वह तो बाद में कर लेना।

श्री विष्णु मोदी : बहुत जरूरी है। चीफ इलैक्ट्रिक इंस्पेक्टर की पोस्ट हमारे यहां कई दिनों से खाली है । मैं समझता हूं कम से कम चीफ इलैक्ट्रिक इस्पेक्टर की पोस्ट, सरकार जल्दी से जल्दी भर दे । अध्यक्ष महोदय, दूसरा, चूंकि यह लोन का मसला है । एक रेडा का है। रेडा के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सब्सिडी डिफरेंशिएट है । एक ही चीज की एक आदमी को सब्सिडी डिफरेंट दी गयी । किसी को ज्यादा दी गयी, किसी को कम दी गयी । मेरा निवेदन है कि रेडा में जो सब्सिडी हो उसकी एक लिमिट हो। फाइनली ऑन दी लोन आफ आर. एस. ई. बी. मेरा इस सरकार पर आरोप है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं विद आल सिसिअरिटि एण्ड सीरियसनेस । आप लोन दे रहे हैं लेकिन सूरतगढ़ थर्मल जो सबसे पहले आने वाला है और कोई प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है ग्लोबल टेंडर और 4000 मेगावाट इन सबको तो साइड लाइन करने की बात है, यह कोई नहीं आने वाले हैं। नियर फ्यूचर में जो आने वाला है तो वह सूरतगढ़ आने वाला है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि इस बोर्ड के कारण और इस गवर्नमेंट के कारण आपने उसको एक साल स्लीपेज कर दिया है । कोल हैंडलिंग के इक्विपमेंट का आपको जिस टाइम पर आर्डर दे देना चाहिये था, वह आपने नहीं दिया । उसके बाद में जो आपने अब दिया है उसमें आपने जिसको कम रेट थी, एक नार्म्स होते हैं मुझे आज ही जानकारी मिली है कि जब टैक्निकल बिड्स पहले इवेल्यूएट हो जाती है और जब टैक्निकली जो आदमी साउण्ड होता है उसी को खाली फाइनेंशियल बिड के लिए बुलाया जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट का जो अवार्ड कर दिया है, जो लोएस्ट था उससे 5 करोड़ रुपये में आपने ज्यादा किया है । आप इसी तरह से लोन यहां से कराते रहेंगे, इस तरह से 5-5 करोड़ रुपये ज्यादा के आप ठेके देते रहेंगे, साल भर में उसको आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसके अन्दर जो प्लांट की कोस्ट थी वह बढ़ेगी और जो आप इस तरह से काण्ट्रेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों राजस्थान की जनता को और कर के भार से दबाते जा रहे हैं । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग की मांग संख्या 42 पर आज जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने बहुत ही अमूल्य सुझाव दिये उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूं। किसी भी नीति का सफल होना या असफल होना उसके परिणामों से ज्ञात होता है। नीति अच्छी है, बुरी है, सफल है, असफल है, जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उससे उसका सही आकलन होता है । माननीय सदस्य, जो यहां बिराजे हुए

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हैं घर जाने के लिए बड़े उत्सुक हैं लेकिन श्री विष्णु मोदी जी ने जो सवाल उठाये हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूं । यदि आपमें धैर्य हो तो शांति से आप सबको थोड़ा समय मुझे देना पड़ेगा वरना मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता । लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आज इस उद्योग नीति पर जितने सुझाव आए हैं....(व्यवधान)....वह भी आएगी । बिलकुल आएगी । सरकार की नीयत क्या है ? सरकार की नीति क्या है ? इस नीति के उद्देश्य क्या हैं उसको कार्यान्वित करने के हमने कौनसे तरीके सोचे हैं ? यदि इन बातों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं....

श्री विष्णु मोदी : नीति पर फिर एक बार चर्चा करा लें ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो मैं समझता हूं बहुत सी आपत्तियां या बहुत से सुझाव उससे कवर हो सकते हैं । इसलिए पहले तो मैं इस नीति के सम्बन्ध में जो मेरे अपने विचार हैं और जो सरकार के विचार हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने, श्री विष्णु मोदी जी को छोड़कर, करीब-करीब सभी ने जो सरकार की नीति और नीयत है उसका समर्थन किया है ।

श्री विष्णु मोदी : नीयत का तो मैं भी समर्थन करता हूं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इसलिए मैं अपनी बात हमारी इस नीति के बारे में कहूं तो मैं समझता हूं काफी कुछ कवर हो जाएगा । लेकिन फिर भी जो आपत्तियां आयी हैं वैसे तो मेरे पास आपके सारे कटमोशंस के जवाब हैं । आप चाहें तो वह 74 जवाब भी यहां आपको दे सकता हू । लेकिन फिर आपको बैठना पड़ेगा । मैं आपको 74 के जवाब दे सकता हू ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठेंगे । यह तो राजस्थान की तरक्की का सवाल है । हर माननीय सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र में कैसे इण्डस्ट्री डवलप हो सकती है उसकी पूरी जानकारी बताइये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नीति का निर्माण चार उद्देश्यों को लेकर किया गया है । राजस्थान में जो गरीबी है वह मिटे, जो बेकारी है वह कम हो, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का जीवन स्तर उठे, आज की महगाई की मार को सहन करने की उनमें क्षमता पैदा हो, अधिक से अधिक राजस्थान में पूंजी निवेश हो ताकि उसके निमित्त राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया जा सके और राजस्थान का विकास हो सके । इस नीति के ये मुख्य उद्देश्य हैं । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैंने इसके दो भाग किये हैं । एक-भाग जिसके बारे में श्री विष्णुजी बोल रहे थे, वह यह है कि जो उद्योग राजस्थान में अभी लगे हुए हैं उन उद्योगों को क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उनको क्या परेशानियां निरन्तर आ रही हैं । हम जब तक उनको दूर नहीं करेंगे तो हमारी नीति का प्रचार करने वाले सबसे पहले वही लोग हैं । जो वर्तमान में उद्योग लगे हुए हैं यदि उनमें असंतोष है और बाहर जाकर या यह कहें कि राजस्थान में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हमने उद्योग लगाया लेकिन हम इसका पश्चाताप कर रहे हैं, हम परेशान हैं, तो हम कितना भी प्रचार करें, चाहे मुख्य मंत्री जावें, चाहे मैं जाऊं, चाहे अखबारों में आये उसका असर नहीं होगा और उनके अनुभव के कारण लोग निराश होंगे। इसलिए मैंने यहीं से इस नीति की अनुपालना की शुरूआत की है। जो सबसे बड़ा कस्ट्रेंट था कि राजस्थान की नौकरशाही की जो पृष्ठ भूमि है, आप सब जानते हैं वह फ्यूडल है। न स्टेट थी, उद्योग विकास का कोई कारण नहीं था स्टेट के जमाने से और जो परम्परा चलती आयी 1990 के पहले जब लाइसेंस राज था, तो उद्योग विभाग अधिकांशतः लाइसेंस देने का ही काम करता था उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात सैकण्डरी थी, प्रमुख बात लाइसेंस देने की थी। तो सारे नौकरशाही की मनोवृत्ति एक विशेष प्रकार की हो गयी कि औद्योगिक विकास में मदद करने के बजाय उसमें रोड़े कैसे अटकाये जायं, इस तरह की मनोवृत्ति उनकी बनी हुई थी। तो सबसे पहले इस प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी।

मुझे इस बात की खुशी है कि जब से मैंने चार्ज लिया तब से लेकर आज तक जयपुर में जो हमारे उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनकी मनोवृत्ति में एकदम परिवर्तन आ गया और उसका फीड बैक मुझे मिल रहा है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मुझे मिल रहा है, राजस्थान में हमको वह रेस्पांस मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला। हम जो चाहते हैं वह सारी सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो सहयोग उनके पास है वह सहयोग हमको दे रहे हैं। अब उद्योग लगाना नहीं लगाना यह मर्जी की बात है लेकिन इस लेवल के लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं लेकिन मैं इसको नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक परकोलेट करना चाहता हूं।....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, नौकरशाही पर इस प्रकार से....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप प्लीज देखिये, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : पहले बोलने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, नौकरशाही पर इस प्रकार का लांछन लगाना....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बिराजिये, प्लीज।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। लांछन नहीं लगा रहे हैं, सुधार करने की बात कह रहे हैं। आप माननीय सदस्य बिराजिये। तसल्ली से सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति की बात करूंगा तब वह बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : आज की नौकरशाही हैं उनकी भी इज्जत है उन पर लांछन लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई लांछन का सवाल नहीं है। बिराजिये आप। आपको यदि

(श्री अध्यक्ष)

नौकरशाही से कोई फायदा उठाना है तो आप जो चाहे उनकी वकालत करिये कोई दिक्कत नहीं है कहने में।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे तो उठाना है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, उठाना है तो करिये लेकिन मुझे नहीं उठाना है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपको इण्डस्ट्री नहीं चलानी है. आप बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे राजस्थान के हित की बात करनी है और जो वस्तु स्थिति है वह सदन के सामने रखी है। I am not a hypocrite. मुझे धोखा नहीं देना है, मैंने उद्योगपतियों को भी धोखा नहीं दिया है। आप पावर की बात कह रहे थे. मैंने बैंगलौर, कलकत्ता वहां भी स्पष्ट कहा है कि राजस्थान में पावर की पोजीशन यह है। आप हमारे पास आकर कहें कि हमको आप बिजली दीजिये, आज हम इस पोजीशन में नहीं है लेकिन आप बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं तो जब तक आपका कंस्ट्रेक्शन कम्प्लीट होगा दो-तीन साल में तब तक हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको पावर पूरा देंगे और जब सारी उनको पावर्स की स्कीम बतायी कि 4200 मेगावाट अधिकतम पैदा कर रहे हैं तो लोग सन्तुष्ट हो गये। आखिर उद्योगपति राजनीतिज्ञ कम होता है केलक्युलेटिव ज्यादा होता है। मैं समझता हूं कि अपनी इण्डस्ट्री को वाच करने की क्षमता उनमें हम सबसे अधिक है। इसलिए आप इस बात की चिन्ता छोड़िये। तो सबसे पहले मैंने इस तरफ ध्यान दिया और एक नयी चीज इन्ट्रोडयूस की कि उद्योगपति जो यहां पर हैं उन सारे उद्योगपतियों का और प्रशासन के अधिकारियों का टेबल के आर-पार, आमने-सामने बैठकर वार्तालाप हो और इस तरह का वार्तालाप राजस्थान के जितने भी वर्गीकृत उद्योग हैं उनका, मैंने स्वयं जयपुर में एक बार आमने-सामने न केवल वार्तालाप की बल्कि उस समय केवल उद्योग विभाग ही नहीं टैक्सेशन विभाग भी, आर. एस. ई. बी., पी. एच. ई. डी., पर्यावरण के उच्च स्तर के अधिकारी बैठ कर जिन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता था हमने किया है और यह परम्परा नीचे तक कर दी है और राजस्थान के प्रदेश तक स्तर मैंने अलग अलग वर्गों की सलाहकार समितियां बना दी हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है और उनकी नियमित बैठकें करने की हमने व्यवस्था कर दी है। हर महीने, दो महीने में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाएंगी। सम्पूर्ण राजस्थान में केवल जयपुर में ही नहीं जिला स्तर पर होगी और जिला स्तर पर इस प्रकार की सलाहकार समितियां बन गयी हैं जो आमने-सामने बैठक करके और उनकी दैनन्दिगी जो कठिनाइयां हैं और जो तुरन्त सोल्व की जा सकती हैं उनको तुरन्त करना, और जिसको जितना समय चाहिये, जो सम्भव नहीं है वह सम्भव नहीं है वह बता देना ताकि कोई भ्रम में न रहे। सब चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, साफ-साफ हो, उनको भी अपनी स्थिति का पता हो। यह एक नयी प्रथा हमने शुरू की है नीचे तक।

इसके अलावा मैंने स्वयं ने उद्योग भवन में हर गुरुवार को बैठना शुरू किया है। रीको, आर. एफ. सी., हमारे उद्योग के

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सचिव हम सब एक साथ बैठते हैं। पूरे राजस्थान के लोग अपनी-अपनी व्यक्तिगत समस्याएं लेकर उद्योगपति और सामूहिक समस्याएं लेकर आते हैं और वहां पर तत्काल चाहे वह आर. एफ. सी. की हो, चाहे रीको की हो, चाहे उद्योग विभाग की हो जो केवल इस कारण से लम्बित हो रही हो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया उसका तत्काल समाधान किया जाता है। जिसमें समय चाहिये उसमें समय बता दिया जाता है और फिर उस समय में वह काम होता है।

इसके अलावा राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए हस्तशिल्प की बात कही गयी। लघु उद्योगों में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका लोगों को पता नहीं है। इसलिए हमने उद्योग मेले लगाने की प्रथा शुरू की है। हर वर्ष राजस्थान में अपनी कोशिश तो यह है कि प्रत्येक जिले में उद्योग मेला लगे। अभी तक तीन मेले लग चुके हैं। जोधपुर में, भीलवाड़ा में और कोटा में। मैं स्वयं वहां पर गया हूं और जिन लोगों ने उन उद्योग मेलों को देखा है और वहा पर जिस तरह की कला और जिस तरह की चीजें बनाकर लोग रख रहे हैं, मुझे भी आश्चर्य है, मुझे भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि राजस्थान में हस्तशिल्प और लघु उद्योग में ऐसी-ऐसी चीजें बनती हैं कि जिनका हम प्रचार करेंगे तो उनको लोग आसानी से खरीदेंगे। इसलिए उनको मार्केट में लाने के लिए, डिस्पले करने के लिए लोगों को मौका दिया।

श्री विष्णु मोदी : साहब, यह बात तो आप कह रहे हैं लेकिन इनकी जो सेल के लिए जब तक आप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगी। यह केवल इसलिए कि लोगों को जानकारी हो कि राजस्थान में इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार के आइटम बन रहे हैं जो हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प की और अन्य चीजें बन रही हैं, तो यह उद्योग मेले लगाने की प्रथा हमने शुरू की है ताकि जो पहला चरण है, यहां पर जो उद्योगपति अपना काम कर रहे हैं उनके मन में किसी बात को लेकर शंका पैदा नहीं हो, परेशानी पैदा नहीं हो, उनको अनावश्यक कठिनाई पैदा नहीं हो। इसके अलावा भी मैंने अपने सारे विभाग को इस सम्बन्ध में इस बात के लिए भी तैयार किया है कि उद्योग विभाग उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए है उसके लिए समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं है। यदि कानून में भी कहीं रास्ता नहीं है तो कानून के अन्तर्गत ही हम इस तरह से उद्योगपतियों की सहायता कर सकते हैं। ऐसे रास्ते निकालने के लिए आर. एफ. सी., रीको सब प्रयत्नशील हैं। यदि कानून के कारण किसी उद्योगपति को परेशानी हो रही है और उसी कानून में कोई रास्ता निकल सकता है तो इस प्रकार के हमारे पास केसेज भी आये हैं उनका रास्ता निकाला है, उससे उनको बड़ी सहूलियत हुई है, सांत्वना मिली है और उनको लगा है कि अब हमारी कैसी भी समस्या हो यदि किसी भी तरह से सुलझ सकती है तो

258

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

उसमें उद्योग विभाग अपनी ओर से प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखेगा। अब जो चीज कानून न नहीं हो सकती, वह हो ही नहीं सकती। यह इसका कार्यक्रम है।

इसके अलावा अब जो आगे की बात है। देखिये, राजस्थान में जो मैंने आपको इस उद्योग नीति के उद्देश्य बताये, इस बेकारी को दूर करने के लिए कौनसे क्षेत्र हैं, सबने कहा कि सर्विस के योग्य तो कोई क्षेत्र रहा नहीं। आप पढ़े-लिखे लोगों को या किसी को भी सर्विस दे सकते नहीं और वैसे भी राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विस में आ ही नहीं सकते। इतने लोग बेकार हो रहे हैं उनके लिए क्या करें। जहां तक एम्प्लायमेंट का दूसरा क्षेत्र है, वह कृषि का है। सबसे ज्यादा कृषि में एम्प्लायमेंट है। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी तरफ आप नजर डालें तो राजस्थान में कृषि के कुछ क्षेत्र हैं जिनका विकास होना चाहिए, उनका विकास हो रहा है। सिंचित जमीन भी जहां पर नहरें हैं चाहे माही का क्षेत्र हो, चम्बल का क्षेत्र हो चाहे इंदिरा गांधी कैनाल का क्षेत्र हो, इनके अलावा बाकी राजस्थान में कृषि के डवलपमेंट के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जहां पर लोगों को तत्काल एम्प्लायमेंट दिया जा सके। जो लोग परम्परागत तरीके से कृषि करते हैं वहीं करते हैं। इसलिए जब तक हम दूसरा कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक लोगों की बेकारी दूर नहीं होगी, उनको काम नहीं मिलेगा। इसलिए एकमात्र तरीका, राजस्थान का औद्योगिकीकरण, जिससे हम राजस्थान के लोगों को काम दे सकते हैं, उनकी गरीबी हटा सकते हैं, नारों से नहीं, और उनके जीवन स्तर को उठा सकते हैं। पूंजी-निवेश भी हम कर सकते हैं। मेरी राय में एकमात्र यही तरीका है।

इसलिए राजस्थान सरकार ने अपना पूरा ध्यान राजस्थान के औद्योगिकीकरण की तरफ कंसन्ट्रेट किया है। इसलिए आज जो विभाग इंडिपेंडेंट काम करते थे उनको हम धीरे-धीरे कोआर्डिनेट कर रहे हैं। चाहे वह बिजली विभाग हो, चाहे पर्यावरण विभाग हो, चाहे पानी विभाग हो, चाहे रेवेन्यू विभाग हो, ताकि उद्योगों को पनपाने में उनका भी सहयोग मिल सके, वह अलग से अपनी बात नहीं सोचें। इसलिए यह बात मन में ठानकर स्पष्ट होकर कि राजस्थान का औद्योगिक विकास ही यहां की इन समस्याओं के समाधान करने का एकमात्र तरीका है, इस मामले में हम बिलकुल स्पष्ट हैं, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है।

अब जहां तक उद्योगों का प्रश्न आता है हमने इसकी कैटेगरी की है, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और हस्त शिल्प, मुख्य रूप से ये कैटेगरीज है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान सरकार का ध्यान कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग लघु और हस्त शिल्प पर है। क्योंकि यह हमारा सोच है कि हम अधिकतम लोगों को इसी के माध्यम के काम दे सकते हैं। जहां तक बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों का प्रश्न है वे अपनी शर्तों पर आते है आपकी शर्तों पर नहीं और यदि उनको आज

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आकर्षित करना है, उनको उद्योग लगाने के लिए प्रवृत्त करना है तो उनके लिए एकमात्र तरीका है राजस्थान में उनके लिए आधारभूत सुविधाएं तैयार की जाएं। यदि राजस्थान में उनको आधारभूत सुविधाएं मिल जाती हैं तो मेरा दावा है कि राजस्थान आज उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशल है और खास तौर से जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सारे हिन्दुस्तान की पूंजी का 60 प्रतिशत कन्ट्रोल राजस्थान के लोग कर रहे हैं उस राजस्थान में यह कहा जा रहा है कि यहां उनको उद्योग पनपाने की वृद्धि नहीं है। लेकिन अब उन प्रवासी राजस्थानियों में भी अनेक कारणों से यह इच्छा हुई है कि हम एक न एक उद्योग राजस्थान में लगायें और राजस्थान से जिनका सम्बन्ध पीढ़ियों से टूट गया है, वे भी उस सम्बन्ध को जोड़ना चाहते हैं। उनकी बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा है। इसलिए हम उनकी यही मदद कर सकते हैं कि उनके लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया करायें। तो एक ओर से सरकार ने अपना पूरा ध्यान कंसट्रेंट किया है आधारभूत सुविधाओं के लिए, पावर के लिए किया है, सड़क नीति बना कर सड़कों के लिए किया है। यह इनलैण्ड कंटेनर्स की आपने बात कही, बोण्डेड ट्रक्स की हमने व्यवस्था की है, ये सारी बातें आज हम धीरे-धीरे करते जा रहे हैं।

खनिज नीति में जो हुआ है या जो पर्यटन नीति बनाने जा रहे हैं, ये सारी बातें कंसट्रेंट है कि राजस्थान में आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए, आधारभूत सुविधाएं तैयार की जाएं इसलिए उसके बारे में मैं अपने आपको बहुत सिद्धहस्त नहीं मानता और मैं यह भी नहीं मानता कि मुझे उसमें अक्ल लगाने की जरूरत है। अलग-अलग डिपार्टमेंटों ने जो अपनी-अपनी नीति बनायी है उन नीतियों का परिणाम निश्चित रूप से राजस्थान में इन्फास्ट्रक्चर के डवलपमेंट में होगा, मेरी यह मान्यता है इसलिए मैं अपना ध्यान उधर उस काम में लगाता हूं। यह बात सही है कि लोग आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि वे अपनी शर्तों पर आएंगे। मैं उनको कह दूं कि आप पांच सौ करोड़ रुपये लगाओ, जैसे आपने अभी अलवर का मामला बताया। वह पांच सौ करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट है, इस बात को या तो आप समझते हैं या जो समझदार आदमी हैं वे समझते हैं। जिन लोगों ने यह भी देखा है कि उद्योग विभाग का कोई लेना देना भी नहीं है और यह भी देखा है कि उसमें जिस प्रकार की टेक्नीक से वह उद्योग लगाया जाएगा उसमें एक बून्द पानी भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए प्रदूषण का सवाल नहीं है, जो कुछ वेस्टेज बचेगा उसका वहां पर चारा बनेगा और उसमें जिस आधार पर रेक्टिफाइड स्प्रिट बनेगी वह आधार है सड़ा हुआ अनाज, जो 50 प्रतिशत सड़ा हुआ अनाज है। तो आसपास के किसानों को सड़ा हुआ अनाज भी बेचने का मौका मिल गया तो मैं समझता हूं कि उनके लिए तो यह बहुत बड़ा वून है....(व्यवधान).... नहीं है तो नहीं है। अब आप सुन लीजिये, आपके पास नहीं है तो फूड कारपोरेशन के पास बहुत पड़ा है लेकिन मेरा कहने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

का मतलब है कि हरेक आदमी यह नहीं समझता । नहीं समझता तो उसमें पापुलिस्टिक नारे लगाये जा रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका मतलब यह कह दें कि शराब के मामले में केवल श्री विष्णुजी ही समझदार हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में जो पापुलिस्टिक नारे लगाने वाले हैं और जो प्रतिनिधि मण्डल हमसे आकर मिलते हैं, मैं उनमें से कइयों को पर्सनली जानता हूं कि उनकी रातें रंगीन हुए बिना उनको नींद ही नहीं आती लेकिन यह दुर्भाग्य है देश का । हम जब गम्भीरता की बात करते हैं तो इन बातों को हमें सोचना चाहिये । इसलिए जहां तक मीडियम और वृद्ध उद्योग का प्रश्न है उसके लिए हमने यह नीति बनायी है । अब हमारा सारा कंसंट्रेशन लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग पर है ।

अब प्रश्न आता है कि गांवों में लघु उद्योग लगे । इसके लिए मैं समझता हूं कि इस पालिसी में बहुत स्पष्ट है । हमने 1995 तक सब्सिडी रखी लेकिन लघु उद्योगों के लिए 1997 तक, जो एक लाख से कम गांवों में लगेगी उसके लिए 1997 तक चल रही हैं । इसेंटिव उनको पूरे मिलेंगे । उनको जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं वे सारी सुविधाएं उनको मुहैया की जाएंगी ताकि गांवों में लघु उद्योग पनपें । हमारी ओर से जो व्यवस्थाएं हम कर सकते थे, वह हमने की हैं ।

इसके अलावा जहां तक कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग का प्रश्न है, हस्तशिल्प का प्रश्न है, अभी हमने हस्तशिल्प के बारे में यह कदम उठाया है कि उस पर सारा सैल्स टैक्स माफ कर दिया इसके बाद हस्तशिल्प में अधिक बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए हमने हस्तशिल्प की अलग से एक सोसायटी बनायी है जो केवल इसी में लगेगी ताकि हस्तशिल्पियों को हम कम पैसे पर, कम ब्याज पर ऋण दे सकें और उस संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर्स खोलकर ट्रेनिंग देंगे । हमने यह तय किया है कि कुटीर उद्योग और ये उद्योग नहीं पनपने के दो कारण हैं । एक कारण तो यह है कि दुर्भाग्य से हमारे गांवों में अभी वर्किंग कल्चर नहीं है । लोगों को यह विश्वास नहीं होता । मैं अभी पचास गांवों में जाकर आया हूं । हमारे हैण्डलूम के चेयरमैन और खादी बोर्ड के एम. डी. दोनों को साथ लेकर पचास गांवों में आमने-सामने लोगों को मैंने मिलाया है कि ये इतने लोग बैठे हैं, ये सब काम कर सकते हैं लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता । पहले जिस तरह का 40 साल तक उनके साथ जो व्यवहार हुआ है तो वे यह समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है यह सब धोखेबाजी है । हमको काम तो मिलेगा नहीं, आप हमको धोखा दे रहे हैं । यह उनके अंदर विश्वास जमा हुआ है लेकिन इस विश्वास को दूर करने के लिए हमने वह भी तरीका निकाला है कि सारे गांव, हर गांव में हमने दो-दो, चार-चार, पांच-पांच घर छांटे हैं और अलग-अलग जिलों में हमने अलग-अलग आइटम्स तय कर दिये हैं कि इस जिले में यह आइटम्स हो सकते हैं । जैसे आपने अभी पापड़, बड़ी, केर, सांगरी की बात की, हो सकता है कि

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आज लिज्जत पापड़ बनाने वाला वह घरों में बनाता है, घरों में बना-बनाकर बेच रहा है, अरबपति हो गया है, सामान्य आदमी था। इस तरह से हमने यह भी तय किया है कि यदि हमें इसमें एक ब्रांड करना पड़ा राजस्थान का तो वह भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जो कंस्ट्रेंट है कि वर्किंग कल्चर नहीं है, वह हमको पैदा करनी पड़ेगी।

देखिये, उद्योग पनपाने के लिए आप यह कहें, बहुत से लोग तो जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि यह उद्योग विभाग नहीं उद्योगपति विभाग है, क्या यही सारे उद्योग लगायेगा। आपको वहां उद्योग लगाना चाहिये, आपको वहां उद्योग लगाना चाहिये, हम लगा रहे हैं उद्योग? हम तो उद्योग लगाने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, लगाने के लिए तो जो उद्योगपति हैं, इंटरप्रिन्योर्स जो कमाना चाहते हैं, जिनकी समझ में यह बात आ गयी है कि नौकरियां मिलेंगी नहीं तो बजाए भूखे मरने के हम कोई छोटा-मोटा धन्धा शुरू करें तो जितना हजार बारह सौ रुपया महीना मिले। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं हमारे खादी बोर्ड का जो सूत और ऊन कातने का काम है यदि ऊन कताई का काम घर-घर में करें तो यह व्यवस्था की है कि खादी बोर्ड के लोग उनको घर बैठे ऊन देंगे, वह कात कर देंगे और वह उसको पैसा देंगे उनकी ग्रेड्स बनी हुई है 15 रुपये से लेकर 45 रुपये तक की। यदि वह 45 की ग्रेड बना देते हैं तो हर घर में 45 रुपये रोज की आमदनी होती है। तो इससे उनके घर में अतिरिक्त आमदनी होगी। मगर यह बात समझाने के लिए कुछ लोगों को काम में लगाना पड़ेगा और इसलिए फील्ड में हमें जाना पड़ेगा। सारे लोगों को फिल्ड में लगाना पड़ेगा। वह हमने सारी व्यवस्था कर ली है और जो दूसरी प्राब्लम्स आती हैं, जहां तक खादी बोर्ड का सवाल है उसमें तो यह प्राब्लम नहीं आती है लेकिन यदि हमने और किसी ब्रांड की यदि बात की जैसे पापड़-बड़ी की बात की, तो पापड़-बड़ी बनाने वाले तो बहुत हैं मगर उनकी मार्केटिंग कौन करेगा? तो जब तक कोई आदमी तैयार नहीं होगा कि जो यह कहे कि मैं सामान आपको घर-घर में देता हूं और यह क्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी और यह क्वान्टिटी है। क्वालिटी और क्वान्टिटी मेंटेन करता हूं आप बनाकर मुझे दे दीजिए तो या तो वह अपने आप का ब्रांड बनाकर और प्रचार करके उसको बेचे या ऐसे सारे राजस्थान में इस तरह के लोग मार्केटिंग करने वाले हों तो हम उनके माध्यम से राजस्थान का एक ब्रांड भी बना सकते हैं और उसमें ट्रेनिंग के लिए जितना पैसा लगेगा राजस्थान सरकार ट्रेनिंग के लिए खर्च करने के लिए तैयार है।

हमारे अगले बजट में हमने सबसे ज्यादा पैसा इस बात के लिए दिया है, क्योंकि एक यह भी कारण है कि गांवों में जो लोग काम करना भी चाहते हैं उनको यह पता नहीं कि हम क्या करें। वह काम करना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं है और जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तो जो पढ़े-लिखे शिक्षित लड़के हैं या जो अशिक्षित लड़के भी हैं वह चाहते हैं कि हम काम करें लेकिन उनको सिवाय इसके कि कहीं जाकर

(254)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हम चपरासी बन जाएं या एल. डी. सी. बन जाएं और दूसरे काम का उनको ज्ञान ही नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक काम दें तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने बहुत अच्छी बात कही है, सर। पर यह जो मल्टी नेशनल कम्पनीज आ रही हैं उनसे मुकाबला करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो सबसे ज्यादा बात करते हैं उससे कुछ कर दें कि....

श्री अध्यक्ष : पापड़-बड़ी की बात हो रही है। बिराजिये आप। घरों में जो पापड़-बड़ी बनती है उसकी बात हो रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप कहें तो मैं उदाहरण के लिए पूरे 30 जिलों का (व्यवधान) थक गये क्या ? थक गये हों तो मैं बन्द कर सकता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप थक गये तो कहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि आप थक गये हों तो मैं आप पर हावी होना नहीं चाहता हूं। थक गये तो मैं बैठ जाऊंगा....

श्री परसादीलाल मीणा : आप थक गये होंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, मैं नहीं थका हूं। मैंने तो शुरू ही किया है अभी।

इसके अलावा हमने राजस्थान के अन्दर वह भी छांट लिये हैं, जिसके आधार पर हम राजस्थान में उद्योग धंधे लगा सकते हैं चारों प्रकार के। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऊन आधारित, खनिज आधारित, चमड़ा आधारित, ग्लास एण्ड सिरेमिक्स, इलेक्ट्रानिक्स, पर्यटन उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, हाथकरघा — यह कुछ ऐसे उद्योग हैं कि जिनके लिए जो रॉ-मैटीरियल राजस्थान में है, यह भी सरकार के ध्यान में है बल्कि यह भी हमारे मुख्य मंत्री जी कई जगह घोषणा कर चुके हैं और वह तो यह भी चाहते हैं कि राजस्थान का ऊन राजस्थान से फिनिश होकर जाए, राजस्थान का चमड़ा राजस्थान से फिनिश होकर जाए, राजस्थान का खनिज राजस्थान से फिनिश होकर जाए। यह हमारी मंशा है, यह हमारा सोच है। अब आप यह कहेंगे कि यह कब होगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि उद्योग धंधे लगाने के लिए किसी उद्योगपति से पहले बात करने के लिए वर्षों निकल जाते हैं। यह कोई आपके और हमारे मन की बात नहीं है। उद्योगपतियों को समझाना पड़ता है और उसका मन कब बनता है, कितनी बातें वह सोचते हैं, कितने कैलकूलेशंस वह करते हैं। आखिर तो रिस्क उसकी लग रही है। उद्योग सफल होगा तो वह पैसा कमायेगा। उद्योग यदि फेल हो गया तो वह डूबेगा। इस बात को वह समझता है। इसलिए हताश करने की चीज नहीं है लेकिन आज हम राजस्थान को इस स्थिति में ले आये हैं कि आज राजस्थान के बारे में केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर के भी लोग सोचने लगे हैं कि राजस्थान एक राज्य है कि जहां पर उद्योग धंधे लगाये जा सकते है, पनपाये जा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सकते हैं और उनसे हम कमाई कर सकते हैं। इस स्थिति में हम राजस्थान को ले आये हैं।

अब जहां तक कुटीर उद्योगों का प्रश्न है हर जिले में हम यह चाहते हैं कि उस जिले में जो हमारा रा-मैटीरियल मिल रहा है, वैसे आप चाहें तो 30 जिलों के कुछ मैंने छांट रखे हैं कि किस जिले में क्या है और मैं समझता हूं कि आपको भी इस बारे में जानकारी होगी तो हमारी मदद करेंगे और उद्योग धंधे लगाने में केवल उद्योग विभाग से ही काम नहीं होगा इसमें हमें जन सहयोग चाहिये, हमें आप लोगों का सहयोग चाहिये आपकी हर कांस्टीट्यूएंसी में क्या है यह आपको अधिक पता है। अब पंचायत समितियों में जो उद्योग प्रसार अधिकारी हमारे पहले थे हम फिर उनको लगा रहे हैं और उनका एक ही काम है कि वह गांव-गांव में जाकर देखें कि फिलहाल जो हमारे पास हैण्डलूम के ट्रेनिंग सेण्टर्स हैं, हमारे जो लघु उद्योग निगम है उसके गलीचे बनाने के सेण्टर्स हैं उन सेण्टर्स पर ट्रेनिंग लेकर उन लोगों को सैटल किया जा सकता है या नहीं। चार पर्सेण्ट में खादी कमीशन उनको लोन देता है और सौभाग्य से जैसा अभी किसी महानुभाव ने कहा कि इस बार केन्द्र की सरकार ने काफी लोन की व्यवस्था इसमें की है और हमें भी पहले से ज्यादा मिलने की सम्भावना है। निश्चित रूप से मैं तो यह कह सकता हूं कि यदि आप लोग मदद करें और हर अपने क्षेत्र में, हर गांव में चार-चार किसानों के घरों में जहां एक फसल होती है या जो अतिरिक्त समय में अतिरिक्त कमाई कर सकता है और ऐसे लोगों को यदि आप तैयार करें तो उनको घर बैठे रा-मैटीरियल, घर बैठे मजदूरी और ट्रेनिंग विथ स्टाइपेण्ड ट्रेनिंग के पीरियड में पैसा देकर मदद कर सकते हैं। आपका सहयोग मिले और पंचायत समितियों का सहयोग मिले तो निश्चित रूप से हम घर-घर में इन कुटीर उद्योगों को फैला सकते हैं....

श्री हरजीराम बुरड़क : आप तैयार करके भिजवायें तो मदद कर सकते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ....मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जैसी सब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि आप यह करिये। मैं तो यह कोशिश कर रहा हूं, मैंने कलकत्ता और बम्बई के उद्योगपतियों से कहा कि देखिये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उद्योग मत लगाओ। आप केवल थोड़ा-सा पैसा एडवरटाइजमेंट का लेकर आ जाइये और मैं आपको अमुक जिला बता देता हूं उसमें आप केवल पापड़-बड़ी बनवाइये और उसका प्रचार करके उसे बेचिये। इसमें बहुत मार्जिन है प्राफिट का। आप घरों में दीजिए वह बना कर दे देंगे। क्वालिटी मेंटेन कीजिए और उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो सरकार ट्रेनिंग देगी। आप हमें बताइये कि अमुक चीज हम यहां पर बनवाना चाहते हैं जिले में आप उसकी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कीजिए। ट्रेनिंग सेण्टर्स हम खोलेंगे आपका खर्च उसमें नहीं लगेगा। उन लोगों से काम लीजिए और फिर उसकी ब्राण्ड बनाकर बेचिये। फिर भी हमने मार्केटिंग के लिए अलग एक सोसायटी बनायी है, अलग सोसायटी का

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हमने निर्माण किया है और उसमें हम एक एडवाइजर रखेंगे जो कि मार्केटिंग का जानने वाला है उद्योग विभाग के अन्तर्गत और वह इस बात का पता लगायेंगे कि किस जिले में किस चीज का हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि कुटीर उद्योगों के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है।

अब लघु उद्योगों के सामने वर्किंग कैपिटल की समस्या भी आती है। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपका बैंकों पर कोई अधिकार नहीं है। अब हमारा अधिकार बैंकों पर नहीं है तो नहीं है। बैंकों पर रिजर्व बैंक का अधिकार है। हमारा क्या सैण्ट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं है। बैंक अपने तरीके से काम करेंगे। प्रधान मंत्री रोजगार योजना की आप बात कह रहे थे। हमको जितनी सेंक्शन मिली है उसकी डबल लिस्ट हमको भेजनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली हमारा काम तो इतना ही है कि दुगनी लिस्ट भेज दें और छांटना तो बैंक का ही काम है कि इसमें से किस-किस को देंगे। और बावजूद इसके 75 हजार रुपया देने की बात सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं तो किसी को 60 हजार से ज्यादा देते ही नहीं है। पूरी संख्या में देते ही नहीं है। हम बैंकों के जो जनरल मैनेजर्स हैं निरन्तर हमारे सैक्रेटरी उनसे चर्चा करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, समझाते हैं मगर हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते। हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आखिर तो उनकी मनःस्थिति कैसी है, यह हमारे हाथ की बात नहीं है। तो इसमें भी आपके सहयोग की जरूरत है। आप जो आलोचना हमारी करते हैं, उनकी भी आलोचना कीजिए। सैण्ट्रल गवर्नमेंट को भी लिखिये, रिजर्व बैंक को भी लिखिये कि आपके बैंक किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। चाहे सैण्ट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कुटीर उद्योग हम बढ़ाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बेकारों को ऋण मिले और प्रधान मंत्री रोजगार योजना में बिना ब्याज के पूरा ऋण दे रहे हैं। अब आप बताइये कि ऐसे लोगों को ऋण मिल जाय जिन लोगों को यह पता नहीं है कि हमको करना क्या है तो वह सिवाय खाने-पीने के, मौज करने के और मकान बनाने के और क्या करेंगे? उनको मालूम ही नहीं है कि 60 हजार रुपया मिल गया लेकिन इस 60 हजार से कमायें कैसे? तो कोई न कोई वह जब तक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वह 60 हजार देना बेमानी है। आपने ठीक कहा कि उसका उपयोग नहीं होता है। हम भी जानते हैं नहीं होता है मगर चूंकि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम रोक तो सकते नहीं है। इस बार हमारे विभाग ने मुझसे कहा कि पिछली साल का जो आंकड़ा है बैंक पैसे देते नहीं हैं। हमने कहा कि कम मत करो आंकड़ा तो बढ़ाओ वह दें या नहीं दें आंकड़े में कमी क्यों करते हैं। जितना मिलता है उतना लीजिए उनकी मदद कीजिए। तो यह सारा कांस्ट्रेंट्स है कि जिसमें सब के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हमारी जितनी कारपोरेशंस हैं, मैं सबसे पहले इनके जोइण्ट एफर्ट्स करवाना चाहता हूं—हैण्डलूम, खादी बोर्ड, लघु उद्योग निगम, बैंक संघ, आर.एफ.सी. और रीको, आप जानते

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हैं यह बोर्ड्स बने हुए हैं, उनके रूल्स हैं, कानून है, कायदे है। आर.एफ.सी. हमारे हाथ में नहीं है। आर. एफ. सी. का सारा नियन्त्रण आई.डी.बी.आई. करती है और उन्होंने भेज दिया हम आर. एफ. सी. को पूरा बैंक बनायेंगे, वे संशोधन करने जा रहे है।

(21 00)

हमने कहा है बैंक बनाते हो तो बनाइये और भी बहुत बैंक्स हैं पर हमारे स्टेट की कंट्रोल में होने चाहिये जिससे कि हम गरीबों की मदद करवा सकें। जैसे और बैंक काम करते हैं वैसे वह बैंक काम करेंगे। हम तो रेसिस्ट कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि आर.एफ.सी. का उपयोग स्टेट में अपने लोगों को लोन देने के लिए करवा सकें। वह रास्ता भी हम निकलवा रहे हैं उसके लिए हमें कानून खोजना पड़ेगा, कोर्ट से तय करवाना पड़ेगा, आई.डी.बी.आई. से पूछना पड़ेगा कई बातें होंगी तब जाकर के आर.एफ.सी. के जो सेट नियम हैं, जो सैट कानून हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए भी तो कोई कानून निकालना पड़ेगा। बिना उसके डाइवर्शन तो होगा नहीं, वह कहेंगे नहीं हम तो इसके बाहर जा नहीं सकते। यह कोई रिस्क ले नहीं सकता कि नियमों का उल्लंघन करके अपनी गर्दन फंसाये, यह तो कोई आफिसर नहीं करेगा। इसलिए वह रास्ता भी हम सोच रहे है। रीको की मदद भी हमको मिले, आर. एफ. सी. की मदद भी मिले और इस कुटीर उद्योग को हम अधिक से अधिक पनपायें। इसलिए मैं आपके सामने यह घोषणा करना चाहता हूं कि अगली साल पूरे राजस्थान में एक लाख लोगों को कुटीर उद्योग में और ग्रामोद्योग में काम दिलायेंगे। 92 हजार लोगों के लिए तो हमने अलग-अलग स्कीम्स बना दी हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : इस साल में देंगे या अगले साल में देंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कमींग ईयर में देंगे और उसकी हमने पूरी रूपरेखा बना ली है कि खादी बोर्ड कितने लोगों को काम देगा, हैण्डलूम कितने लोगों को काम देगा, स्माल स्केल कितने लोगों को काम देगा। सब की अलग-अलग फिगर मौजूद है और वह नीचे तक फिगर दे दिये हैं कि आपको हर जिले में इतना करना है। देखिए, मेरा काम, एक उद्योग मंत्री के नाते एक बात साफ-साफ कह दूं....(व्यवधान) साफ ही कह रहा हूं जो प्रशासनिक तरीका है इस तरीके में कोई मंत्री चाहे वैसा काम कराना आसान नहीं है, नौकरशाही चाहे वह तुरन्त हो जाएगा, हम चाहे वह कराना आसान नहीं है। चाहे कोई पहले मंत्री रहा हो, बोले नहीं शर्म के मारे मगर असलियत यह है। इसलिए मैंने एक बात कही है कि मैं केवल परिणाम देखूंगा कि एक लाख को काम देना है तो मैं साल भर उन गांवों में जहां उन्होंने मुझे बताया है कि यहां पर हम इतने आदमियों को काम दे रहे हैं, मेरा काम इतना ही होगा। इसके अलावा जो फाइलें चलानी हों, मेरे दस्तखत करवाने हों मैं कर दूंगा लेकिन यह एक लाख आदमियों को काम मिलता है कि नहीं यह मैं घूम-घूम कर स्वयं देखूंगा और देखने की व्यवस्था करूंगा। इस आधार पर हमने यह तय किया है। चूंकि मैं पहले आपको

(257)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

निवेदन कर चुका हूं कि हम एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में यह हमको करना ही पड़ेगा। इसके बिना हम बेकारी को नहीं मिटा सकते, हम गरीबी कम नहीं कर सकते, हम महंगाई की मार सहने लायक गांव के लोगों को नहीं बना सकते, इसलिए यह हमको ईमानदारी से करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास आंकड़े हैं, इस बार हमने जो नयी-नयी योजनाएं बनायी हैं....

एक माननीय सदस्य : आपके ऊपर पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : पूरा सुनने दीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : बताइये, योजनाएं क्या हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिस तरह से रुपयों का प्रावधान किया है, आंकड़े मेरे पास इतने है, आप कहोगे तो पूरा बता दूंगा लेकिन संक्षेप में बता रहा हूं। आप में से अभी किसी ने कहा कि सब्सिडी नहीं मिलती। यह बड़े आश्चर्य की बात है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस स्पीड से यह बोलेंगे तो 12 बजेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब बजेंगे तो बजेंगे, इसलिए मैंने पहले कह दिया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पिछले बजट में हमने 35 करोड़ रुपया सब्सिडी का रखा लेकिन हमने डिस्पर्स किया 46 करोड़ और आप कह रहे हैं कि सब्सिडी मिली ही नहीं। जिनको नहीं मिली इसका मतलब 46 करोड़ से ऊपर चला गया। हमने बजट में तय की वह तो हमने सब बांट दी बल्कि 10 करोड़ रुपये और दिए और अगली साल भी हम 46 करोड़ रुपये बांटेंगे और यह आपको और बताता हूं। मैं और प्रदेशों में भी गया हूं और मुझे वहां के उद्योगपतियों ने कहा है कि घोषणाएं तो सब जगह हैं लेकिन मिलती नहीं है और हम दुर्दशा से रो रहे हैं। जबकि हमारे यहां स्थिति यह है कि जितनी हमने घोषणा की, पूरी की पूरी सब्सिडी हमने दी....(व्यवधान) जो भी है, अच्छी है, बुरी है, आप अन्दाज लगाते जाइये। इस बार हमने औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : सब्सिडी मिलती है लेकिन खिलाने-पिलाने के बाद मिलती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी बात आप सुनिए। यदि इस पृष्ठ में जाते हैं तो इस हिन्दुस्तान में कुएं में भांग पड़ी हुई है। हर आदमी अपने सिवाय दूसरे को चोर समझता है। इस देश की संस्कृति आपने ऐसी बना दी। हर आदमी अपने को दाद देकर कहता है कि सब चोर हैं और आप क्या हो ? यह देश की संस्कृति ऐसी बना दी आपने और आप खड़े होकर यहां पर अपने को गाली दे रहे हो। यदि आप किसी को भ्रष्ट कह रहे हो तो मान लीजिए आप अपने को गाली दे रहे हो, क्योंकि आप अपने पर नियंत्रण तो रखते नहीं और दूसरों को भ्रष्ट बता रहे हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। इससे यह

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। जब तक अंड़ना नहीं सीखोगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। पहले अपने आपको क्लीन करना पड़ेगा, फिर कांच के घर में बैठकर पत्थर मारने से आपका घर सुरक्षित नहीं है। इसलिए यह कहने से पहले यह लूज टाक्स जो हम टीस में करते हैं मेहरबानी कर के इस पवित्र सदन में लूज टाक्स नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री विष्णु मोदी : विद ग्राल सिरियसनेस आपके सब्सिडी के डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर मारी भ्रष्टाचार है।

श्री हरिशंकर माभड़ा : होगा, मैं इसको इंकार नहीं करता। मगर यह कल्चर इस हिन्दुस्तान में डवलप किसने की, कौन जिम्मेदार है इसके लिए और आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं ? जरा आप अपने गिरहबान में झांक कर देखिए। आज इस देश की अजीब स्थिति है कि लोग कहते हैं कि समाजवाद, इस देश में तो समाजवाद तभी आ गया, जिसका मौका पड़ता है वह दूसरे को एक्सप्लायट करता है। यदि वकील को कोई बेवकूफ क्लायंट मिल गया तो उसको एक्सप्लायट करेगा और क्लायट को बेवकूफ वकील मिल गया तो वह उसको एक्सप्लायट करेगा। डाक्टर को बेवकूफ मिल गया तो वह उसको एक्सप्लायट करेगा, पेशेंट को बेवकूफ डाक्टर मिल गया वह उसको एक्सप्लायट करेगा और तो और रिक्शा चलाने वाला कुली यदि उसको लगे कि बरसात हो रही है आपके पास सामान है तो पांच रुपये की जगह पचास रुपये मांगेगा और आपको देने पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह भ्रष्टाचार की कल्चर बन गयी इसलिए आप इसको नहीं रोक सकते....

एक माननीय सदस्य : चालाक उद्योग मंत्री मिल गया तो क्या होगा ?

श्री हरिशंकर माभड़ा : नहीं, हम उसको रोकने के लिए कृत संकल्प है। मगर उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। हर एक को अपने गिरहबान में झांकना चाहिए। तो मान्यवर, मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें, विराजें आप। इम्पार्टेण्ट बातें आ रही हैं श्री धनखड़ जी, आपको तो छोटे-छोटे उद्योगों की परवाह है नहीं, उनको है। आप सुनने दें उनको।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, यह × × × हम एक बात कहते हैं × × × अध्यक्षजी, आपको अगर उधर कुछ दिखाना है तो आप उधर दिखाइये। अध्यक्षजी, आप समझते हैं, हम कोई बात कहते हैं तो गलत तरीके से कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पर आप छोटे उद्योगों के बारे में कोई इण्ट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर मामड़ा : आप बैठिये, हो गया, गर्म मत होइये।

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : आसन से इस तरह के लूज आब्जर्वेशंस को एक्सपंज किया जाए....

श्री अध्यक्ष : आसन कोई लूज आब्जर्वेशन नहीं कर रहा है। आसन की बिना अनुमति के बोलना या लूज बातें करना ठीक नहीं है, बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, अध्यक्षजी, इस प्रकार से नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं बोलें। जब माननीय उप मुख्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं उसको पूरी सीरियसनेस से लिया जाना चाहिए, यह कोई छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की बात कह रहे हैं उद्योग मंत्री हैं और जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं। लोगों की भलायी की बात की जा रही है और आप बीच-बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं। बिना आसन की अनुमति के बोलना भी यह ठीक बात नहीं है, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुदान 1994-95 में यह 20 लाख था इस बार हमने इसको बढ़ा करके 60 लाख किया है, 200 प्रतिशत वृद्धि की है। "उद्योग श्री" एक योजना नयी हमने बनायी है जिसमें व्यावसायिक तकनीकी दक्षता प्राप्त नये उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहले योजना नहीं थी, यह नयी योजना हुई है जिसमें हमने 500 लाख रुपये की व्यवस्था की है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना, यह पिछली बार इसमें एक पैसा नहीं था इस बार हम इसमें 200 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं। "वेंचर कैपिटल फण्ड" की स्थापना नये उद्योगों हेतु नये तकनीकी प्रयोग के कारण जोखिम का निहित होने की सुरक्षा के लिए, पहले इसके लिए एक पैसा नहीं था इस बार हम इसके लिए 200 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलोजिक पार्क, पिछले साल इसमें एक पैसा नहीं था इसमें हम इस बार 65 लाख रुपया दे रहे हैं। 'साफ्ट वेयर टैक्नोलाजिक' पार्क में पिछले साल एक पैसा नहीं था इसमें इस बार 50 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। 'गोल्ड ज्वैलरी' पार्क में पिछले साल एक पैसा नहीं था इस बार हम 35 लाख रुपये दे रहे हैं। वित्त निगम द्वारा रुग्ण इकाइयों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु पिछले साल केवल 10 लाख था इस बार हम उसको 50 लाख रुपये कर रहे हैं। प्रशिक्षण दस्तकार हस्तकारों एवं युवा उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए पिछले साल केवल 41 लाख रुपये थे इस साल हम इसको 59.55 लाख कर रहे हैं....बजट है उतना ही है। 'तकनीकी स्थानान्तरण कार्यक्रम' इसमें पिछले साल एक पैसा नहीं था, इस साल हम उसमें 2 लाख रुपये दे रहे हैं। प्रदर्शनियां सेमीनार व प्रचार-प्रसार के लिए पिछली साल 12 लाख रुपये थे, इस बार हम 17 लाख 60 हजार खर्च कर रहे हैं। जांच उपकरण की खरीद का अनुदान, जो पिछले साल 20 लाख था वह इस साल हम 30 लाख कर रहे हैं। भारतीय मानक

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

ब्यूरो को पंजीयन हेतु अनुदान पिछले साल दो लाख था, इस साल हम साढ़े सात लाख कर रहे हैं। डी.जी. सैंट के लिए पिछले साल 25 लाख था, इस बार हम 50 लाख कर रहे हैं। शिल्प कुटीर पिछले साल केवल तीन लाख था इस साल हम इसमें 10 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। पावरलूम क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए पहले एक पैसा नहीं था, इस साल उसमें हम 16 लाख 40 हजार रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही पूंजी विनियोजन अनुदान हेतु पिछली साल 3500 लाख रुपये था, इस साल हम उसमें 4529 50 लाख रुपये कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, चमड़ा, ऊन संसाधन एवं खनिज आधारित लघु उद्योग के विकास हेतु पिछले साल चार लाख रुपये थे, इस साल हम उसमें 500 लाख रुपये कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन— पिछले साल 24 लाख थे, इस साल में हम 32 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। खादी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पूंजी निर्माण पर पिछले साल केवल 50 हजार रुपये थे, इस साल हम उसे 5 लाख रुपये कर रहे हैं। खादी का ब्याज का अनुदान पिछले साल केवल 16 लाख रुपये था, इस साल हम उसको 30 लाख कर रहे हैं। पंचायत एवं जिला स्तर पर खादी कामगार सम्मेलन करने के लिए पिछली साल कोई पैसा नहीं था, इस साल 8 लाख रुपये खर्च करेंगे, ताकि लोगों को बता सकें। बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी की सहायता पिछले साल नहीं थी, इस साल हम उसमें 18 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। हाथ-करघा उत्पादों हेतु बाजार विकास सहायता में पिछले साल 30 लाख रुपये थे, इस साल 40 लाख कर रहे हैं। राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन, जो हर शिल्प की प्रदर्शनियां सारे हिन्दुस्तान में कर रहा है, 32 लाख की जगह 40 लाख कर रहे हैं। विपणन सहायता हस्तकला में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर रहे हैं। पारम्परिक हस्तकला का प्रचार-प्रसार करने के लिए पिछली साल 17 लाख थे, इस साल हम उसमें 30 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। दस्तकारों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, पिछले साल ढाई लाख थे, इस साल उसमें 6 लाख रुपये कर रहे हैं। क्राफ्ट स्कूल की स्थापना, पिछले साल 10 लाख रुपये थे, इस साल हम उसमें 165 लाख रुपये कर रहे हैं। गलीचा डिजाइन सेंटर जो पहले नहीं था, हम उसको नया, क्योंकि गलीचे तो बिकने के लिए डिजाइन बहुत इम्पोर्टेण्ट है, उसमें हम 10 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं। निर्यात पर भाड़ा अनुदान योजना में पिछले साल एक भी पैसा नहीं था, अब उसमें 120 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। शिल्पकारों को विपणन सहायता— पिछले साल एक पैसा नहीं था, इस साल हम 10 लाख रुपये दे रहे हैं।

ये कुछ आंकड़ें मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं दो बात आप श्रीमान् जी को कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि श्री विष्णु मोदी जी ने एक बात कही, राजस्थान की नीति के बारे में इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की नीति पढ़ी और उसी में से लेकर के राजस्थान की नीति हमने बनायी, यह आपका कहना है। मैं उनकी सूचना के लिए कह दूं कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नीति राजस्थान की नीति घोषित होने के बाद आयी।

श्री विष्णु मोदी : मैंने उत्तर प्रदेश तो बोला ही नहीं था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं बोले तो कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल तो बोले थे ? तो पश्चिम बंगाल की नीति राजस्थान की नीति के बाद आयी है।

दूसरा, आपने कहा कि एक केस बता दीजिये कि जिसमें आपके नये रूल्स में जो हमने परिवर्तन किया है और रूपान्तरण हुआ हो।...मैं वही बता रहा हूं और इसलिए हमारे पास एक भी केस पेंडिग नहीं है कि जिसमें प्राइवेट आदमी ने उद्योग के लिए जमीन ली हो और उसका रूपान्तरण नहीं हुआ हो। (व्यवधान).... सुन लीजिये पहले आप, प्लीज हियर मी, मुझे सुन लीजिये आप। हमारे पास इतने 46 मामले पेंडिग हैं और वे कौनसे मामले हैं ? यदि आपने उद्योग नीति पढ़ी होगी तो उस उद्योग नीति में स्पष्ट लिखा है कि यह जो रूल्स लागू हो रहे हैं इनमें तीन अपवाद हैं, तीन जगह ये लागू नहीं होंगे। एक तो वहां नहीं होगा, जहां रीको एरिया के दो किलोमीटर में है, एक वहां लागू नहीं होगा जहां ग्रीन बैल्ट है आलरेडी और एक वहां लागू नहीं होगा जो नगरपालिका की सीमा में है। ये अपवाद उसमें लिखे हुए हैं। दुर्भाग्य से बिना पढ़े लिखे लोगों ने, और यह समझकर कि यह तो जनरल हो गया, इन अपवादों में ही एप्लाई कर दिया और उसी में उन्होंने जमीनें खरीद लीं। अब वे रूपान्तरण चाहते हैं। अब कलक्टर उसका रूपान्तरण कर नहीं सकते क्योंकि नीति में लिखा हुआ है कि इन तीन अपवादों में जो होगा, उसमें रूपान्तरण होगा नहीं। इस तरह के केसेज हमारे पास पड़े हुए हैं।

किशनगढ़ का मामला है, किशनगढ़ में जमीन लेने के लिए रीको अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। टाउन प्लानर से हमारी बात हो गयी है, बहुत जल्दी हम उस जमीन को टाउंस में निकालकर के वह रीको को हस्तगत करवा देंगे। किशनगढ़, ब्यावर, यह हमारा इण्ट्रेस्ट है, हम उनको डवलप करना चाहते हैं और इसलिए जो भी हमारे सामने कानूनी बात आएगी, कानूनी तरीके से उसको दूर करेंगे लेकिन किशनगढ़ का और ब्यावर का औद्योगिक विकास जो होता रहा है वह जारी रहेगा, उसमें कहीं गतिरोध नहीं पैदा होगा। (व्यवधान)

इसके अलावा आपने बहुत सी बातें राजनीति की और यह कहा कि शुरू-शुरू में जो भारत में नीति बनी, कांग्रेस सरकार की थी, वह बिलकुल सही थी। शुरू में तो समाजवाद था और समाजवाद की नीति के कारण जिस समाजवाद को आपने संविधान में घुसेड़ दिया बाद में और उस समाजवाद की नीति के कारण पब्लिक सैक्टर में पैसा लगाना जरूरी था। तो जब आप समाजवाद मानते हो तो नेचुरली आपको पब्लिक सैक्टर में जाना ही पड़ेगा लेकिन आपने जब उसमें खरबों रुपये गवायें, मन बनाते रहे मगर आपकी हिम्मत नहीं हुई, अब हिम्मत हुई। हमारा कहना है

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कि जो नीति आज आपने उदारीकरण की, लागू की है, यदि यह नीति आप 10 साल पहले लागू करते तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। लेकिन आज जो नीति आपने लागू की है वह निश्चित रूप से दबाव में आकर की है, अपनी मर्जी से नहीं की। दबाव है आप पर। आप पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और कर्ज के कारण जिनके आप कर्जदार हैं चाहे वह इंटरनेशनल मानीटरी फण्ड हो और चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, उनके दबाव से, यह तो पार्लियामेंट में सवाल उठते रहे हैं कि हमारा बजट भी उनके निर्देशों से बन रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आप इसकी जांच करिये। लेकिन एक बात तय है कि जिनके दबाव से यह नीति बनी है, आप एक बात समझ लीजिये कि जिनके दबाव से नीति बनी है....

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे पर कोई दबाव नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उस नीति का फायदा उनको मिलेगा जो दबाव डाल रहे हैं। जो दबाव डाल रहे हैं उनको मिलेगा और अगर आप हिन्दुस्तान में उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहें, हिन्दुस्तान में उद्योगों का विस्तार करना चाहें तो इस नीति को आज से 20 साल पहले लगाना चाहिये था। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ....

श्री विष्णु मोदी : तो आप राजस्थान सरकार की तरफ से इस सदन में घोषणा करें कि इस नीति के तहत इस प्रान्त का विकास करना चाहते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमेशा इस बात को कहा है, हमने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि पब्लिक सैक्टर.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है और इसके कारण इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने आपको इंटरफियर नहीं किया है। श्री विष्णु जी, मर्यादाओं का उल्लंघन मत करिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप यह कहिये कि अगर यह नीति दबाव से बनी है तो आज राजस्थान सरकार में कोई विश्वास नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुना सकते हैं तो सुनने की हिम्मत रखिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, एक मिनट अनुमति दीजिये। अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दीजिये....(व्यवधान) हमारी पार्टी के अधिवेशन में यह बात नहीं उठायी है....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमारे यहां के उद्योगपतियों को आज से 20 साल पहले आज की उदारीकरण नीति यदि दे दी गयी होती (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कोई

(श्री जगदीप धनखड़)

साधारण पार्टी नहीं हैं जो उद्योग मंत्री मनमर्जी से बोल दें....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो हमारे उद्योगपति विश्व मार्केट में काम्पीटिशन करते और जो परिस्थिति बनी हैं उसका फायदा उठाते। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आज इसकी एक बात भी नहीं मानेंगे और राजस्थान का विकास भी करेंगे। आप करिये घोषणा.... (व्यवधान) रोज ग्लोबल टेंडर करते हैं आप। रोज वर्ल्ड बैंक के लोग....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए, मान्यवर, कुछ भी बोलने से पहले.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : रोज आर्थिक सहायता की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : ये क्या बात कर रहे हैं। इनको आज मौका मिल गया है मर्जी हो सो बोलें।

एक माननीय सदस्य : ईमानदारी रखिये अपने आपमें कि आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : हाजमा खराब हो गया है क्या? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक बात सुनिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा है। सदन की परम्परा है कि जब कोई बोल रहा है, जो बोल रहा है जब तक वह यील्ड नहीं करेगा। Nobody should be allowed to speak. मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : परम्पराओं की बात आप मत कीजिये। Don't dictate the Chair. Don't be dictator.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Nobody should be allowed. I am here.

श्री अध्यक्ष : एक बात आ रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हिम्मत रखो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी की बात तो पूरी सुनें आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नो पाइंट ऑफ आर्डर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौनसा पाइंट ऑफ आर्डर? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : कितना सुन्दर भाषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब व्यवधान नहीं करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यदि ये सुनना नहीं चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि मेरी मांग पास करायी जाय। मेरी मांग पास करायी जाय, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

मांग संख्या 42 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27, 87,68,000/– (एक अरब सत्ताइस करोड़ सत्तासी लाख अड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विराजिये आप। हो गया। विराजिये आप। माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये। क्या ? ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसका बतंगड बना रहे हैं आप। विराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर के बारे में... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये, मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह बात जरूर है कि सही है।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बता दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : फैक्ट्री के बारे में मैं भूल गया। I am sorry। भूल गया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखिये, × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : काम की बात तो भूल ही गये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की कि इस फैक्ट्री में धुआं निकलेगा....

श्री परसादीलाल मीणा : निकल गया क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुन लीजिये पहले आप।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हरिशंकर भामड़ा : प्लीज, प्लीज....

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री हरिशंकर भामड़ा : जिस दिन से उन्होंने कहा तब से लेकर निरन्तर इतना भरसक प्रयास उन्होंने किया । मामला बी. एफ. आई. आर. में था और राजस्थान सरकार ने 35 करोड़ का घाटा सह कर, यह फैक्ट्री चालू होनी चाहिये इसलिए इस फैक्ट्री के सम्बन्ध में बी. एफ. आई. आर. के पैकेज को मंजूर किया, वह फैक्ट्री अब मिल चुकी है केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के और जिसने फैक्ट्री खरीदी है, क्या नाम है उनका ? गेनन एण्ड संस, उनके बीच में और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बीच में झगड़ा था और वह भी अब वन टाइम सेटलमेंट पर आ गये हैं और बहुत जल्दी इस बैंक का और उनका समझौता होकर आपकी फैक्ट्री में धुंआ निकलेगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस का निकल गया, अब फैक्ट्री का निकलेगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : कब तक निकलेगा ? तय कर दीजिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिलकुल, हमने आपका धुंआ निकाला उसका भी धुंआ निकालेंगे ।

श्री परसादीलाल मीणा : कहीं आपका ही दुबारा × × × निकल जाए ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है, एक मिनट । अध्यक्ष जी, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । अब क्या कहना बाकी रह गया ?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, आधा मिनट का समय दीजिये आप मुझे । अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है । उद्योग मंत्रीजी, मेरा एक सुझाव है ।

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग मंजूर होने के बाद उस पर वार्ता नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मेरा एक सुझाव है, उद्योग मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी, मेरा सुझाव यह है कि "उद्योग श्री" का जो इन्होंने किया है ना उसका "भामड़ा श्री" कर दो ताकि उद्योग श्री ढंग से शुरू कर दें ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । माननीय ऊर्जा मंत्रीजी । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : "धनखड़ श्री" कर दो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : "चपलोत श्री" करा दो । यदि आप दोनों को एक दूसरे का नाम पसन्द

× × × अभिव्यक्ति या अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं ।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं आ रहा हो तो मेरा नाम कर दो आप तो।

मांग संख्या 48 पर विचार

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग से तो कुछ ही लोगों का पाला पड़ता है पर बिजली विभाग ऐसा है जिसका सम्बन्ध जन-जन से है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह मांग नहीं है आज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नहीं, वह मांग है वह सब बोले हैं ना। उसका जवाब देकर हल कर दूं।

श्री रोहिताश्व : आप तो रा-मैटीरियल है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : और जिसका दिन-प्रतिदिन का जिससे पाला पड़ता हो उसका अभाव हो, कमी खटक रही हो उस स्थिति में कल्पना यह की जाती है कि उसकी काफी आलोचना होगी और मैं इसी दृष्टि से तैयार होकर आया था। किन्तु मैंने देखा कि बड़े रचनात्मक सुझाव आये, मिले और जो आलोचना हुई वह स्वस्थ आलोचना थी। उससे मेरा ज्ञानवर्द्धन हुआ। यह बात सच है कि....

श्री रोहिताश्व : आपके स्वभाव को देखकर।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान में बिजली की कमी है। अभी केवल उसमें एक हजार मेगावाट जनरेशन हमारी खुद की है और उस कमी के कारण हमारे उपभोक्ता को जो कष्ट होता है उसको हम अनुभव करते हैं। जनरेशन तो अपने स्थान पर रहा, जिसका घोर अभाव है, किन्तु बिजली बोर्ड का जो घाटा है वह भी सीमा पार कर गया है और उसके कारण आज जो बिजली मिलती है वह उपभोक्ता के पाइंट तक पहुंचाने में 1 रुपया 79 पैसे प्रति यूनिट हमको पड़ती है और हमको मिलता है औसत प्रति यूनिट 1 रुपया 44 पैसा, यानी 1 यूनिट पर 35 पैसे का हमको घाटा है, जिसका एक वर्ष में 444 करोड़ रुपये का घाटा जिस बोर्ड को हो वह अपने उपभोक्ताओं की सेवाएं कैसे कर सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आप यह कहेंगे कि यह घाटा क्यों है, छीजत ज्यादा है, चोरी है, मैं सब बात स्वीकार करता हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : पहले ज्ञान नहीं था।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह ज्ञान पहले भी था और अब भी है। तब भी ऐसे ही बोलते थे और अब भी वैसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि यहां भी बहुत लोग हैं जो लोग इस बात को समझते हैं इसलिए कटु आलोचना नहीं हुई। यानी माननीय श्री रामस्वरूप जी जैसे व्यक्ति भी बड़े विनम्रता से इस विषय पर बोले। इसका अर्थ लगाया जा सकता है....

(268)

श्री परसादीलाल मीणा : आपके स्वभाव की वजह से।

श्री रामस्वरूप : उनका तो ××× आप इनका भी निकाल दो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं तो यह आपको बोर्ड की स्थिति बता रहा था कि यह जो घाटा है, इस घाटे में क्या स्थिति है कि कभी हम कोयले का पैसा जमा नहीं कर सकते, कभी हम एन. टी. पी. सी. का पैसा जमा नहीं होता, कभी रेलवे का फेयर जमा नहीं होता है। इसी बात में ध्यान लगा रहता है कि "एम्द्या की टोपी मेम्द्या के माथे पर"। आधी एनर्जी अधिकारियों की....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह हाड़ौती की व्याख्या है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह स्थिति आ गयी। आज यदि हमारे पास समय पर पैसा चुकाने की स्थिति हो तो केवल यदि एन. टी. पी. सी. की एल. सी. खोल दें तो इसमें हमें 15 करोड़ की बचत हो सकती है, ढाई पर्सेंट की रिबेट मिल सकती है। समय पर पेमेंट करने पर 40 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है पर ईयर। पर यह जो स्थिति है, इसका अर्थ यह है कि हम चुका नहीं पाते हैं इसलिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि हमको कोई कडेक्टर देता है या मीटर देता है तो वह यह सोचकर कि ये पैसा कब देंगे वह हमसे 10–15 पर्सेंट ज्यादा मांगता है। जब "गरीबी में आटा गीला" होता है, आर्थिक स्थिति जब इस स्थिति में पहुंच जाए तब बोर्ड अपने उपभोक्ताओं की सेवाएं कैसे कर सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन यह तो एक पक्ष हुआ कृष्ण पक्ष, इसका एक शुक्ल पक्ष भी है और वह शुक्ल पक्ष यह है कि आज भी राजस्थान बिजली बोर्ड बेस्ट पे मास्टर है। आज चाहे एन. टी. पी. सी का हो चाहे पावर फाइनेंस कारपोरेशन का हो, समय पर पैसे चुकाने की साख आज राजस्थान बिजली बोर्ड की है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : चाहे ढाई सौ करोड़ रुपया बोण्ड का हो ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ढाई सौ करोड़ रुपया बोण्ड का भी राजस्थान सरकार की साख पर मिला है।

श्री विष्णु मोदी : इनको चुका दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, शायद आपको पता होगा कि राजस्थान का यह जो पैसा है कुछ ही घंटे में आ गया।

श्री विष्णु मोदी : और कुछ ही घंटे में चला गया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसका कारण यह है कि राजस्थान की क्रेडिट रेटिंग एल. ए. ए. है जो बेस्ट मानी जाती है वित्तीय अनुशासन में और आर्थिक स्थिति में उस

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

क्रेडिट के आधार पर हमको यह ढाई सौ करोड़ रुपया मिला है। उड़ीसा वाले गये थे एल. ए. माइन्स था, उनको साढ़े पन्द्रह पर्सेंट पर पैसा मिला और हमको साढ़े चौदह में मिला। उनको एक महीने में पैसा मिला और हमें कुछ ही घंटों में पैसा मिल गया। यह सरकार की साख होती है और बिजली बोर्ड के पीछे सरकार खड़ी है। सरकार उसकी मदद कर रही है। इसलिए यह ढाई सौ करोड़ रुपया आया वह पूरा प्लानिंग में खर्च किया। 180 करोड़ रुपया सूरतगढ़ और 70 करोड़ रुपया प्लान का, 250 करोड़ था, एक केवल सूरतगढ़ के लिए नहीं था। तो प्लान में ही हमने ढाई सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया।

श्री विष्णु मोदी : मंत्री महोदय, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता लेकिन यह अखबारों में गलत खबर छपी है तो आपकी तरफ से कंट्राडिक्शन आ जाए क्योंकि उसमें आपके चेयरमैन का स्टेटमेंट छपा है और उसके अन्दर यह सारी खबर छपी है कि 250 करोड़ रुपये बोर्ड की देनदारियों में चुका दिया गया है। मैं गलत हो सकता हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, यह जो रुपया आता है, उस पर लिखा नहीं जाता कि यह पैसा वहीं जाएगा, यह गड्डी वहीं की वहीं जाएगी। पैसा आया, चुका दिया। दूसरा आया, उसमें से 250 करोड़ रुपये उधर दे दिये। यह कोई उस पर मोहर नहीं लगी है कि यह नोट की गड्डी सूरतगढ़ ही जाएगी सीधी....

श्री विष्णु मोदी : जानकारी चाहिये थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसलिए पूरे प्लान का पैसा प्लान में ही खर्च हुआ है, यह आप विश्वास रखिये, इसलिए यह साख है।

अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक ने भी देश के चार विद्युत मण्डलों को इस योग्य समझा उनको संचारण और वितरण योजनाओं के लिए योग्य माना, उसमें राजस्थान का भी बिजली बोर्ड है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने राजस्थान विद्युत मण्डल की कार्य-क्षमता एवं वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए दीर्घकालीन आपरेशन एवं फाइनेंशियल एक्शन प्लान बनाया है जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी स्वीकार किया है। इस एक्शन प्लान में विद्युत मण्डल एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न कदमों के लक्ष्यों का उल्लेख है और इसमें हमारी सराहना हुई है। यह एक शुक्ल पक्ष है कि हमारी साख है। आदमी यदि दिवालिया हो जाए उसकी यदि साख रहेगी तो सब कुछ है। तो जो यह साख हमारी है, हमारी का मतलब बोर्ड, आपकी और मेरी दोनों की मिलाकर है, अलग-अलग नहीं है और इस....

श्री विष्णु मोदी : बोर्ड तो सर्टिफिकेट दे चुका है कि पिछले 40 सालों से यह सरकार बोर्ड के साथ क्या रुख रखती है। आप तो पीछे खड़े हैं बोर्ड के और बोर्ड ने यह सर्टिफिकेट दिया है कि आपकी सरकार को बैलेंस-शीट को देखने की ही फुर्सत नहीं है और 40 साल तक सरकार ने बोर्ड के बारे में कुछ सोचा तक नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह सरकार जो 40 साल थी....

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सरकार प्रति-वर्ष सब्वेंशन दे रही है। इस साल भी, मुझे ठीक फिगर पता नहीं है, लगभग 600 करोड़ रुपये का सब्वेंशन दे रही है। पिछले साल भी 500-550 करोड़ रुपये करीब-करीब सब्वेंशन दिया है और यह सरकार का साथ यही है कि 250 करोड़ रुपये आज भी सरकार की जमानंत पर ही मिला है। इसलिए सरकार पीछे है और सरकार का पीछे रहना आवश्यक भी है, क्योंकि सरकार कई अनुदान बिजली बोर्ड को घाटा दिलाकर भी काम करवाती है, इसलिए सरकार की ड्यूटी भी है कि उसके पीछे खड़ी रहे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पर आशा करें क्या कि पूर्णिमा भी आएगी ? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हो गया। पूर्णिमा का इन्तजार कब तक करें, यह बता दो आप तो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, जनरेशन का सवाल आया। आप जनरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा। बात सही है क्योंकि वर्षों से जनरेशन नहीं हो रहा है। जनरेशन का प्लान बन गया। जैसे चित्तौड़गढ़ का बन गया तो पता नहीं वह सैंचुरी टैक्सटाइल मिल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है....

श्री विष्णु मोदी : चित्तौड़गढ़ के प्लान में, चित्तौड़गढ़ के मामले में अभी तक पानी की इजाजत आपकी सरकार ने सैंचुरी टैक्सटाइल मिल को नहीं दी और इसमें सरकार कसूरवार है, सैंचुरी टैक्सटाइल मिल कसूरवार नहीं है....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपको पता नहीं है। घोसुण्डा डैम का हो गया है, उनको पानी मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है। सी. एस. के साथ मीटिंग हो गयी है, आपको पता ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अभी तक उनको एलोकेशन नहीं मिला है, अभी तक उनको पावर प्लांट का एलोकेशन नहीं मिला है। आप अभी जानकारी कर लीजिये कि उनको आपने लैटर आफ (व्यवधान) दे दिया। आपने पानी की अभी तक एन. ओ. सी. नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हाई लेवल पर मीटिंग हो गयी है। सी. एस. के साथ हो गयी है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : चित्तौड़गढ़ की प्रोग्रेस इसलिए नहीं हुई कि सरकार ने चित्तौड़गढ़ की तरफ आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसी बात का सबूत यह है कि चीफ सेक्रेटरी लेवल पर छह मीटिंग्स हो चुकी हैं और उनकी जितनी दिक्कतें थीं घोसुण्डा बांध और पानी की, वह सोल्व हो चुकी हैं।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन अभी तक इजाजत नहीं मिली।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपकी सूचना के लिए बता दूं, सैंचुरी टैक्सटाइल मिल ने जिस-जिस स्टेज पर लाइसेंस लिया है, कहां-कहां बनाकर दे दिया ? सभी जगह बैक-आउट हो गयी और आज हम इसलिए, हमारे पास पार्टियां आ रही हैं, केवल इसलिए इतजार कर रहे हैं कि कहीं कोर्ट से स्टे नहीं ले आये वरना दूसरी पार्टी तैयार है, सरकार आगे होकर बुला रही है। अनेक मीटिंग्स हो गयी हैं, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर हो गयी हैं इसलिए सरकार पर या बोर्ड पर यह आरोप नहीं लगाये, कृपा करके।

श्री विष्णु मोदी : मेरा सरकार पर आरोप है, बोर्ड पर नहीं कि सरकार से उनको अभी तक जितनी इजाजत मिलनी चाहिए थी, पानी का एलोकेशन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, इस विषय में आप कमलनाथ जी से बात कर लेना। कमलनाथ जी की क्या ओपिनियन है सैंचुरी टैक्सटाइल मिल के बारे में ?

श्री विष्णु मोदी : मैं उनका वकील नहीं हूं। अगर वह नहीं लगा रहे हैं तो उनकी छुट्टी करिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय सदस्य, आप पूरा पता लगाकर ही बात करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनकी कांस्टीट्यूएंसी में काम किया था:...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो, मान्यवर, पाइप लाइन की जितनी योजनाएं थीं, वह हमने....(व्यवधान)

मैंने जनरेशन के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इस विषय में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। परसों 19 तारीख को तीन मेगावाट का हमारा रामगढ़ का प्लांट चालू हो गया।

श्री विष्णु मोदी : कितने दिन बाद में ? जब आपको चालू करना था उसके कितने दिन बाद में ? दो साल बाद में चालू किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये बीच में टोका-टाकी नहीं करें आप।

श्री विष्णु मोदी : जिस तारीख में चालू होना चाहिए था, उसके ठीक दो साल बाद में आपने चालू किया है, यह आपकी एफिशिएंसी है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्दिरा गांधी कैनाल कितने दिन में चालू हो गयी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि चालू हो गया। अब कितने दिन में हुआ, यह आप कहां से बीच में उठा रहे हैं ? बिराजिये आप। माननीय सदस्य, आप बीच में बार-बार टोका-टाकी नहीं करें, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह पिछली बार गवर्नर एड्रेस के अन्दर तारीख दी थी। पिछली बार गवर्नर एड्रेस में आपने समय दिया था, उसके बाद में उस समय पर चालू नहीं हुआ और आप कहते हैं कि वह चालू होने की तारीख थी। उसके दो साल बाद चालू हुआ। यह आपकी इन-एफिशिएंसी है। इसके बाद में आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं ?

श्री भंवरसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मोदीजी आपकी इजाजत से बोल रहे हैं या अपने आप खड़े हो जाते हैं ? अपने आप खड़े हो जाएंगे तो क्या हाल होगा हाउस का ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इनको टोक रहा हूं.... (व्यवधान) मैं आपको भी टोक रहा हूं और इनको भी टोक रहा हूं। मैं दोनों ही माननीय सदस्यों को टोक रहा हूं। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह डिले हुआ है, मैं मानता हूं और समय देने के बाद भी, कई अनएवाइडेबल सरकम्स्टांसेज ऐसी हो जाती हैं कि उसमें डिले हो जाता है और हम उसके पीछे पड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं बीच में यह बता दूं कि हम जनरेशन तो एक साथ इतना नहीं कर सके लेकिन पिछले 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता जो 31.3.1990 में 2711 मेगावाट थी....

श्री रामनारायण मीणा : 2811 मेगावाट।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 2711 मेगावाट थी, वह 31.3.1995 को बढ़ाकर 3630 मेगावाट कर दी गयी अर्थात् 5 वर्षों के अन्तराल में स्थापित क्षमता 919 मेगावाट बढ़ा दी गयी यानी 40 सालों में जितनी थी, उसका 1/3 हिस्सा।

श्री रामनारायण मीणा : 1/10

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह हम इतनी जल्दी जनरेट तो नहीं कर सकते थे लेकिन हमने अपनी क्षमता बढ़ायी और उस क्षमता को बढ़ाने के बाद भी हमारे यहां कमी का अनुभव हो रहा है। मान्यवर, 3 मेगावाट परसों 19 तारीख को शुरू हो गयी....

श्री हरजीराम बुरड़क : ढाई मेगावाट।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 3 मेगावाट, आप माननीय श्री बुरड़क जी, ढाई और तीन मेगावाट पर हंसते हैं। हमको आधा मेगावाट भी कहीं यदि मिलती है तो हम बनाते हैं। राजस्थान कैनाल पर .5 या जितना मिला, उतना बनाएंगे। आज बिजली की एक मेगावाट की भी बहुत बड़ी जरूरत है और इसलिए इसको आप लाइटली नहीं लो। इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि तीन मेगावाट की बढ़ोतरी राजस्थान में हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : ढाई है तो मैं ढाई ही बता रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बूंद-बूंद से घड़ा भरता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सूरतगढ़ प्लांट के लिए माननीय सदस्य ने कहा है कि

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

विलम्ब हुआ है। यह सचमुच विलम्ब हुआ है। हम एक वर्ष लेट हो गये। अब यह 1996-97 में 35 मेगावाट, एक 250 मेगावाट हमारी आ पायेगी सूरतगढ़ की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सूरत सुधर जाएंगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अभी जनरेशन तो कर लेने दो। (व्यवधान) किसान को फायदा तब होगा जब जनरेशन होगा। जनरेशन नहीं होगा तो किसानों को क्या फायदा होगा। आप मानते हैं न कि हमारी सिंसिअर एफर्ट्स है जनरेशन के मामले में, श्री विष्णु जी तो मानते हैं कि सिंसिअर एफर्ट्स है, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं ? तो फिर मैं नहीं बताऊं।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, मान रहे हैं, साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क : हम तो आपकी बात को मान रहे हैं, हमारी बात आप मान लें।

श्री रामस्वरूप : मानते हैं, आप तो बोलो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह बरसिंगसर लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन योजना, यह दो यूनिट हैं 240 की, इनमें इण्टरनेशनल बिड किया था, अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की थीं और वह एक स्टेज से दूसरी स्टेज, यानि इसकी स्टेज होती है कुल मिलाकर 41, और हमने इन प्रत्येक स्टेज पर एक तिथि निश्चित की थी, उस निश्चित तिथि के हिसाब से चल रहे हैं और आज इस स्थिति में आ गये कि माह जून-जुलाई, 1995 के अंत तक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक पार्टी का चयन कर लिया जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : आपकी परमिशन तो 120-120 की दो, और आप 240 कर रहे हैं, यह सब स्टेज आपकी धरी रह जाएगी, आपकी परमिशन 120 × 2 की है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, ऐसे ही बाड़मेर जिले में लिग्नाइट की, बाड़मेर जिले में जालीपा-कपूरड़ी है, जालीपा 1000 मेगावाट, कपूरड़ी में दो प्लांट 250 के, इनमें भी काफी एडवांस स्टेज पर आ गये हम और 31.5.95 को अंतिम मूल्य निविदाएं प्राप्त हो जायेंगी।

श्री विष्णु मोदी : आप 96 में भी कर दोगे तो बहुत अच्छा भला काम कर देंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : चलो 96 में कर देंगे, इतना तो विश्वास हुआ न।

श्री विष्णु मोदी : कर देंगे तो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हम कर तो रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष : ग्लोबल टेण्डर इन्वाइट किये हैं तो आप भी भर दो न जल्दी से जल्दी देश हित में, आपको किसने मना किया है ?

श्री विष्णु मोदी : मेरी हैसियत नहीं है।

279

श्री अध्यक्ष : फिर क्यों बीच में बोल रहे हैं आप ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह ठीक है कि हमको थोड़ा विलम्ब हो रहा है इसलिए कि हमने ग्लोबल टेण्डर किये हैं, जिन्होंने एम. ओ. यू. किया है, किसी का काम शुरू हो गया हो तो बता दीजिये और आज भारत सरकार ने इस बात की तारीफ की है और सब को लिखा कि ग्लोबल टेण्डर जो राजस्थान ने किया है उसी परिपाटी से आप टेण्डर इन्वाइट कीजिये । तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने सिमिअर एफर्ट्स किये हैं और न केवल विद्युत के क्षेत्र में, गैर पारम्परिक ऊर्जा के लिए भी प्रयास चल रहे हैं मथानिया के, एक पार्टी अभी और आयी है जिसने जैसलमेर में देखा है और 10 मेगावाट प्रति वर्ष पन्द्रह वर्ष तक लगाना चाहती है, वह भी प्रोग्रेस पर है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : धौलपुर भी हो रहा है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : धौलपुर भी है । मैं अब एकदम से शार्टकट कर रहा हूं । यह हो रहा है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : धौलपुर बढ़िया स्थान है, 750 मेगावाट का आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, अब मैं थोड़ी सी वह बात बता दूं....

श्री अध्यक्ष : आखिर विभाग के हैं तो वह तो ज्यादा ही जानकारी रखते होंगे ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जिसको श्री बुरड़कजी सुनना चाह रहे हैं । बोर्ड ने कुछ निर्णय लिये हैं और यह निर्णय उपभोक्ता के हित में, बोर्ड के हित में लिये गये हैं । हमने किसानों के लिए एल फार्म समाप्त किया । आज तक यह एल फार्म बहुत बड़ी अड़चन थी किसान के लिए, एल फार्म कभी फाइल से भी निकल जाते थे और एल फार्म नहीं दिया इसलिए फाइल भी कैंसिल हो जाती थी । तो आज....

श्री रामप्रताप कासनियां : यह घरेलू कनेक्शन के लिए भी करो ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गांवों में दो हजार की आबादी तक....

श्री रामप्रताप कासनियां : एल फार्म की शर्त हटा दो ग्रामीण क्षेत्र में घरों के कनेक्शन में भी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सुन तो लो न । दो हजार से कम आबादी के गांवों में एल फार्म की आवश्यकता नहीं है । एल फार्म समाप्त किया और यदि डिमांड नोटिस आ गया किसान के पास और डिमांड नोटिस जमा नहीं कराया गया तो उसकी फाइल निरस्त हो जाती थी और वह फिर दस साल पीछे चला जाता था । यदि वह डिमांड नोटिस जमा नहीं कराएगा तो भी उसकी प्रायोरिटी समाप्त नहीं होगी, यह तय किया । कनेक्टर लोड बढ़ाने के लिए एस. ई. के पास जाना पड़ता था, एक्स. ईएन. के पास जाना पड़ता है । अब यह पावर ए. ईएन. को दे दी गयी, ए. ईएन. कनेक्टर लोड बढ़ाने के लिए अधिकृत है । दस हार्स पावर वालों की सब्सिडी के लिए

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

श्री बुरड़कजी ने कहा था कि दस हॉर्स पावर से ज्यादा की मोटरें थीं उन पर सब्सिडी समाप्त कर दी थी । अब इनको भी सब्सिडी मिलेगी और जिनके पैसे जमा हो गये हैं उनके बिल में एडजस्ट कर लिये जाएंगे । ऐसे ही डिस्कनेक्ट जब हो जाता था किसी भी किसान का तो जब वह रिकनेक्ट कराता था तो मिनिमम चार्जेज लिये जाते थे । मेरे पास एक किसान आया था, जब डिस्कनेक्ट हुआ तो चार हजार रुपये थे उसकी तरफ और जब रिकनेक्ट कराने आया तो उसके सोलह हजार रुपये हो गये । तो यह जिस दिन से डिस्कनेक्ट होगा उस दिन से मिनिमम चार्जेज नहीं लगेंगे, जितना पैसा उसकी तरफ बाकी है उस पर केवल डेढ़ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा । और भी किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए ।

अभी कई बातें आयी थीं, लाइन ढीली थी, जे. ईएन. ने यह किया, ए ईएन. ने यह किया, उसके लिए एस. डी. ओ. लेवल पर बोर्ड ने समिति बनायी है और वह समिति एडवाइजरी कमेटी नहीं है, वह अधिकार सम्पन्न समिति है, उसमें सारे प्रधान हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : मीटिंग नहीं होती, एस. डी. ओ. आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब मीटिंग नहीं होती है तो वहां एम. एल. ए. भी एक हस्ती होता है और कलक्टर और एस.डी.ओ. की मीटिंग होती है या नहीं होती है । इसके लिए क्योंकि कमेटी अभी बनी है यह और तब से हो गयी विधान सभा शुरू, तो हम कुछ कर नहीं पाये, वरना बोर्ड के चेयरमैन, हमारे एनर्जी सैक्रेटरी और मैं, हम स्वयं इसकी मानीटरिंग करेंगे कि कलक्टर लेवल की, एस. ई. लेवल की और एस. डी. ओ. लेवल की कमेटी होती है या नहीं होती है । जब एस. डी. ओ. लेवल की कमेटी होगी तो पचास प्रतिशत शिकायतें, जो आज विधान सभा में सुनने को मिलती हैं, हमको सुनने को नहीं मिलेंगी, सारी समस्याएं वहां हल हो जाएंगी । आप वहां जो निर्णय लेंगे, यदि वह कानून के खिलाफ नहीं है तो वह निर्णय, माने जायेंगे वह अधिकार सम्पन्न समिति है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : उसमें एम. एल. ए. को नहीं रखा न अभी तो आपने ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एम. एल. ए. को अभी नहीं रखा, इन पर विचार कर लेंगे । उसमें प्रधान रखे हैं । एम. एल. ए. को इसलिये नहीं रखा था कि जो जिला स्तरीय कमेटियां हैं उनमें एम. एल. ए. हैं । लेकिन इसमें....

श्री हरजीराम बुरड़क : एस. डी. ओ. लेवल पर जो दूसरी समितियां, मेडिकल है या कोई समिति है, उनमें एम. एल. ए. को रखा है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अच्छा, इसमें एम. एल. ए. को रख लिया जाएगा । ऐसे ही कलक्टर लेवल पर एक समिति बनायी है, एक एस. ई. की अध्यक्षता में, या वहां यदि डिप्टी चीफ इंजीनियर है या कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है जो कोई है उसकी अध्यक्षता

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

में भी एक समिति बनायी है और उसको भी वही निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हर महीने बिल जमा कराने में दिक्कत आती है तो यदि वह एडवांस अपना जमा करा दे बिल, तो बारह महीने का 10 प्रतिशत और छह महीने का 4 प्रतिशत....

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : यह भण्डारी साहब ने बड़ा अच्छा किया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उन्होंने किया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अच्छा, डी. जी. सैट्स स्थापित करने के लिए पहले बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फैक्ट्री अपना कोई डी. जी. सैट लगाना चाहे तो डी. जी. सैट लगा सकती है। ऐसे ही फैक्ट्रीज को, पहले कोई शुरू हो गयी और सिक हो गयी तो एग्रीमेंट के जितने साल हैं उतने साल तक उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब वह एक मास का नोटिस दे देगा वही पर्याप्त है उसके डिस्कनेक्शन के लिए। ऐसे ही नये उद्योगों के लिए मिनिमम चार्जेज लगते थे। अब यह तय किया है कि नया उद्योग पूरी क्षमता से नहीं चल पाता तो छह महीने तक उससे एक्चुअल चार्जेज लिये जाएगे और बाकी के छह महीने में मिनिमम चार्जेज के आधे या एक्चुअल चार्जेज, जो भी होंगे।

चोरी की बात आयी थी कि चोरी बहुत हो रही है। यह बात सच है। हम सब ओर से यह प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे चोरी कई बार तो मजबूरी में होती है, लाइन जा रही है कुएं के पास होकर और उसको छह साल हो गये, नम्बर नहीं आ रहा, किसान को आता है गुस्सा, जम्फर डालता है, ले लेता है। उसकी इस मजबूरी को बोर्ड ने समझा है और इसीलिए एक पोल का कनेक्शन दिया, दो पोल का कनेक्शन दिया ताकि इससे चोरी रुके और मुझे प्रसन्नता है यह कहते हुए कि इसका बहुत अच्छा रेस्पांस रहा और काफी एप्लीकेशंस आयीं। ऐसे ही चोरी रोकने के लिए एक हमारा प्रयास है एल. टी. लेस. सिस्टम। यानि एल. टी. लाइन पर से जम्फर डालते हैं। कोई 11 के. वी. पर तो डाल नहीं सकता। तो अब यह तय किया है कि जो ट्रांसफार्मर बड़े-बड़े लगे हैं उसकी जगह छोटे ट्रांसफार्मर लगायें 40 हार्स पावर के और इससे भी कम और उससे सीधे किसान को दी जाए, एक से एक, दो, तीन को भी जाए, सीधी लाइन जाए, एल. टी. लाइन रहे ही न, तो फिर चोरी करेगा कहां से ? इस सिस्टम को हम डवलप करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे ही व्यवस्था सुधार की दृष्टि से पांच नये सर्कल खोले हैं एस. सी. के, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्री गंगानगर, दौसा, बाड़मेर और 14 एक्स. ईएन. के कार्यालय रामगंज मण्डी, अटरू, सुजानगढ़, सांगरिया, आबू रोड, फलौदी, नोखा, अनूपगढ़, आमेर, नसीराबाद, किशनगढ़बास, शाहपुरा, जोधपुर सिटी और श्रीगंगानगर। ऐसा ही एक निर्णय यह लिया है कि हाउसिंग बोर्ड, जे. डी. ए. में और यू. आई. टीज. में यदि बोर्ड के ए. ईएन., एक्स. ईएन हैं तो वह

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

अपने बिजली का काम, लाइन का काम उनके माध्यम से करवा सकते हैं उनको बिजली बोर्ड में पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं।

श्री रोहिताश्व : चूरू और बानसूर में ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वहां तो चीफ इंजीनियर का दफ्तर खोलेंगे। ऐसे ही यहां पर बिजली का वितरण यहां से होता था उसके कारण बड़ी गड़बड़ होती थी। अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यहां के डिप्टी चीफ के डिस्पोजल पर बिजली दी जाएगी। वह अपने क्षेत्र में वितरण करेगा। कहां पेयजल की योजना है, कहां प्राथमिकता देनी है, कहां नहीं देनी है।

श्री परसादीलाल मीणा : नर्सरी के बारे में बतायें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां, बता रहा हूं। एक एनर्जी आदेश शुरू किया सर्कल लेवल पर जिससे पता लग जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी चोरी हो रही है और उस आधार पर हम कार्यवाही भी कर रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी और वसूली के लिए भी। चोरी की सूचना देने वाले को 10 पर्सेंट इन्सेंटिव, कोई प्राइवेट पार्टी या कोई भी व्यक्ति सूचना देगा और यह भी कहे कि मेरा नाम आउट नहीं होना चाहिये तो उसका नाम भी आउट नहीं होगा और उसको जितना पैसा वसूल होगा उसमें से 10 पर्सेंट इंसेंटिव दिया जाएगा। मीटर टेस्टिंग, मीटर खराब हो जाते हैं उसमें काफी विलम्ब होता है। तो मीटर टेस्टिंग लेबोरेट्रीज अब तक 23 थीं अब बोर्ड ने 46 कर दी। रिक्रूटमेंट पर टोटल बैन कर दिया यानि स्थिति यह आ गयी कि 1980–81 में जो स्ट्रेंथ थी....

श्री विष्णु मोदी : वह तो 1977 से 1980 तक आपने भर दी थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ए. ईएन., एक्स. ईएन., एस. ई. के दफ्तर जितने भी खुले हैं इनमें एक भी नयी भर्ती नहीं है। जो इधर-उधर थे, जिनका कोई खास उपयोग नहीं था उनको इस काम में लगाकर उसी जनशक्ति से यह विस्तार किया गया है। हर जिला केन्द्र पर सब-स्टोर कर दिया है। अभी श्री बनवारीलालजी बता रहे थे कि उनके यहां वह अभी शुरू नहीं हुआ, उसे जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। चोरी रोकने के लिए पिलफर प्रूफ मीटर लगाने का विचार चल रहा है। इससे जो टेम्पर कर लेते हैं मीटर को या कोई रिमोट सिस्टम से रोक देते हैं, उल्टा चला देते हैं। यह इससे नहीं होगा और मीटर की गड़बड़ इससे रुक जाएगी। तो इस प्रकार के यह कुछ प्रयास हमने किये हैं और नये-नये सुझाव आते जाते हैं और हम इनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड के चेयरमैन जहां भी जाते हैं स्वयं आम आदमी को बुलाते हैं मीटिंग में, दो-दो दिन तक मीटिंग लेते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनकर उनको तुरन्त हल करने का प्रयास भी करते हैं।

पिछली बार कई लोगों ने आरोप लगाया था, तानाशाह हैं, आज एक आर्डर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

निकालते हैं, दूसरे दिन दूसरा आर्डर निकालते हैं। भाई यह तो संवेदनशीलता है कि एक आर्डर निकाला और यदि उसमें कुछ कमी दिखायी दी तो उसे बदल देना चाहिये। कुछ लोग तो एक निर्णय करने के बाद में सोचना बन्द कर देते हैं, अपना दिमाग बन्द कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका चिन्तन निरन्तर चलता रहता है और वह सब्जेक्ट टू करेक्शन होते हैं। नर्सरी की स्थिति यह है, पहले कनेक्शन नम्बर से मिलता था और नर्सरी को चाहे जब मिल जाता था तो लोग नर्सरी के नाम पर लेते थे और नर्सरी नहीं लगाते थे तो फर्जी सर्टिफिकेट लाते थे। तो हमने यह सोचा था, सर्टिफिकेट क्यों लिया जाए, आप नर्सरी के नाम पर वैसे ही लो, किसी काम के लिए भी लो हमसे तो नर्सरी के नाम पर ले लो तो हम उसको दे रहे हैं। नर्सरी रेट हम जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं। न यह कनेक्शन जबरदस्ती दे रहे हैं। यह उनके लिए हैं जो आज ढाई लाख लोग लाइन में खड़े हैं, उन ढाई लाख लोगों को जम्प करके कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं और वह जो नर्सरी रेट पर लिया करते थे उसके लिए भी उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ता था फर्जी सर्टिफिकेट के लिए। उनको हमने यह नर्सरी सिस्टम ओपन कर दिया। तो इसमें गलती क्या हो गयी? भाई, दिक्कत यह है श्री परसादीलाल जी, कि पहले क्या था कि टाटा, बिड़ला, डालमिया और श्री परसादीलाल जी सब एक ही लेवल पर थे। अब यह कहा कि श्री परसादीलाल जी आ रहे हैं श्री परसादीलाल जी लाइन में लग रहे हैं तो टाटा बिड़ला, डालमिया लाइन छोड़ दें। ज्यादा पैसा देकर ले लें तो उनका नम्बर जल्दी आएगा। तो इसमें सीधे लाइन में आ रहे हैं उनके लिए तो वही सिस्टम है उनसे कोई ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं तो यूनिट रेट की पूछ रहा हूं। साहब, यूनिट का क्या रेट लेंगे आप?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सुनो, यूनिट की भी सुनो। आपके लिए आधी कर दी। देखो, नर्सरी रेट का यह है कि नर्सरी रेट एक सौ यूनिट तक कुल मिलाकर 215 पैसा, वैसे दर तो 145 है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह वाजिब है क्या किसान के लिए?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसको आधी कर दें। यह किसान के लिए किस तरह है?

श्री परसादीलाल मीणा : आप खम्भे का पैसा लो, आप तार का पैसा लो, आपके ट्रांसफार्मर का पैसा लो, आप सारा पैसा लो। किसान की अलग-अलग कैटेगरी करेंगे आप?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह किसान के लिए अलग-अलग नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे कहने का मतलब यह है मंत्री महोदय, आप उससे सारा पैसा वसूल करो पर आप उसकी जो मीटर रेट है वह किसान की बराबर रखोगे तो आपके पास लोग आएंगे नहीं, यह पता चलते ही सब बैक हो जाएंगे और जो

(श्री परसादीलाल मीणा)

चोरी की और यह आपके वन पोल, टू पोल के जो मामले हो रहे हैं वह सारे रुक जाएंगे ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लोग आएं हम तो यह चाहते ही नहीं, हमारे पास बिजली नहीं है देने को ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी चोरी होगी बिजली की ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : चोरी होगी तो चोरी की व्यवस्था करेंगे । चोर को यह प्रिफरेंस नहीं देना चाहिए कि उसको पहला हक मिल जाए । उसको तो कुछ न कुछ आर्थिक दण्ड भुगतना ही पड़ेगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : हर किसान के लिए एक ही रेट रखो, अलग-अलग मत करो ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह किसान की ही नहीं....

श्री परसादीलाल मीणा : यह किसान के लिए करो, दूसरों के लिए तो कुछ भी करो । खेती के लिए कनेक्शन लें उनकी आप अलग-अलग रेट निर्धारित मत करो । आप यह 50 पैसा ले रहे हैं तो 50 पैसा ही उनसे लीजिये । आप उनको 125,215 और यह कैसे करेंगे आप ? आप वन पोल, टू पोल की बात कर लीजिये जो नर्सरी में जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पूरी बात सुन लीजिये । यह पहले भी लोग नर्सरी के नाम पर कनेक्शन लेते थे ।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले नहीं था ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पहले लोग नर्सरी के नाम पर लेते थे, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर लेते थे और आज हम उनको लीगलाइज कर रहे हैं और आपका विशेष आग्रह है तो नर्सरी रेट पर हम जो देते थे इसको 50 प्रतिशत कर देते हैं, 50 प्रतिशत पर इसको दे देंगे और ऐसे ही वह जो 2,500 रुपये लेते थे प्रति हार्स पावर....

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले नर्सरी की रेट क्या थी पर यूनिट ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पहले नर्सरी की रेट बता देता हूं । सुनिये, सौ यूनिट तक 145 पैसा, सौ से चार सौ तक 160 पैसा और चार सौ यूनिट से ऊपर 175 पैसा, इसमें इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी और चार्जेज अलग हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : तो अब तो पहले से ज्यादा ले रहे हैं, 215 बताया आपने ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह 145 वाली 215 ही पड़ती है और 160 वाली 230 पड़ती है, 175 वाली 245 पड़ती है तो इसकी आधी रेट कर देते हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : एक रुपया कर दो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : और जो 2,500 रुपये लेते थे उसकी जगह आधा कर देते हैं सारा।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा, यह है कि इसमें मिनिमम चार्ज आपने बहुत हैवी किये हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह नर्सरी रेट है। समझ में आ गया आपको।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल करना है मुझे।

मांग संख्या 48 विद्युत का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,57,72,19,000 (रुपये पांच अरब सत्तावन करोड़, बहत्तर लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 24 अप्रेल, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.59 बजे सोमवार, दिनांक 24 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 457 की सूची

झूंझनू जिले में आबकारी वर्ष 1995–96 हेतु अब तक स्वीकृत देशी शराब की मुख्य/उप दुकानों की सूची ।

क्र. सं. नाम मुख्य दुकान	क्र. सं. नाम मुख्य दुकान	क्र. सं. नाम उप दुकान
1. झूंझनू	19. सिंघाना	1. गुढामोड झुंझुनू
2. बगड़	20. जसरापुर	2. बसस्टेण्ड झुंझुनू
3. सलामपुर	21. टीकाबसई	3. मण्डावा वार्ड नं. 8
4. मलसीसर	22. मालोठ	4. राजगढ़ रोड पिलानी
5. हमीरवास	23. सिंहोड	5. पिलानी
6. खाजपुर	24. बम्बई	6. बस स्टैण्ड सूरजगढ़
7. हेतमसर	25. अकेरागंवार	7. कोलीघन नगर
8. हनुमानपुरा	26. उदयपुरवाटी	8. जगदम्बा मार्केट खेतड़ी-नगर
9. बिसाऊ	27. भोजगढ़	9. वनवास
10. महनसर	28. धामोडी	10. आजाद
11. मण्डावा	29. बागोली	11. नारेलमोड़
12. चिडावा	30. गुढागोढजी	12. धुमच उदयपुरवाटी
13. सूरजगढ़	31. छावसरी	13. मो. खातियान
14. पिपली	32. मोडकी	14. मो. चेजारान नवलगढ़
15. सुल्ताना	33. बडागांव	15. गुंगा मंडी नवलगढ़
16. चावण्डी	34. माबकवास	16. गणेशपुरा नवलगढ़
17. मण्डेला	35. टीटनवाड	
18. खेतड़ी	36. पापडा	

1	2	1	2
37.	घमोरा	44.	डूमरा
38.	गुढापोख	45.	बडवासी
39.	चवरा	46.	परसरामपुरा
40.	केड	47.	चिडावा
41.	नवलगढ़	48.	बसावा
42.	मुकन्दगढ़	49.	गोठड़ा
43.	डूंडलोद	50.	जारवल

शेष उप दुकानात के लोकेशन की स्वीकृति की प्रकिया चालू है। जिले में देशी मदिरा की कुल 50 मुख्य और 75 उप दुकानें स्वीकृत हैं।

टोल टैक्स लागत एवं वसूली विवरण

व्यय %	शुद्ध वसूली	वसूल करने योग्य रकम	कुल बकाया राशि
2	100.8130	185,81,904	18581904
0	3311520	(–) 6,82,550	17899354
08	34,86,252	(–) 8,57,282	17042072
00	41,93.200	(–) 15,64.230	1,54.77,882
09	37,40,000	(–) 13,18.685	1.41,59186
20	38,94,880	(–) 16,58,182	1,25,00,974
00	43,12,000	(-) 23,07468	1,01,93,526
00	53,68.000	(–) 36.86,491	65,07,035
000	61,60,000	(–) 49,94.600	16,12,435
	17,87,780	(–) 15,15,435	—
,370	3,72,61,762	—	—

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बीसलपुर बांध परियोजना की डूब में आयी भूमि के मुआवजे में अनियमितताएं

463. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीसलपुर बांध परियोजना की डूब में आयी हुई 17 गांवों की भूमि का मुआवजा दिये जाने में की गयी अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब तथा क्या शिकायतें ? क्या इसकी जांच करायी गयी ? जांच रिपोर्ट एवं शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें कौन-कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की तथा अब क्या-क्या कार्यवाही की जानी है ?

(3) इस प्रकरण में कुल कितनी राशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया गया और भुगतान राशि में कितनी राशि फर्जी है ?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र की डूब में आयी भूमि के अनियमित मुआवजे के भुगतान से सम्बन्धित बिन्दु राज्य सरकार के ध्यान में आने पर इसकी जांच हेतु निर्देश दिये गये, अभी तक विस्तृत रूप से सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पायी है।

(2) अभी तक विस्तृत सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पायी है, फिर भी दौराने जांच गम्भीर अनियमितताओं में लिप्त 7 कर्मचारियों को 26 मार्च, 1995 को निलम्बित किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस विभाग में पांच एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी है। पूर्ण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान हुआ है एवं अनियमित भुगतान कितना हुआ है, इसका सही आकलन विस्तृत जांच से पश्चात् सम्भव हो पायेगा।

पशु चिकित्सा सहायक का स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति प्रकरण

464. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू के किस-किस पशु चिकित्सा सहायक द्वारा दिसम्बर, 1990 में स्वेच्छा से राजस्थान सेवा नियम 244(1) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त होने का रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था ?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या अन्य बकाया नहीं होने के बावजूद सेवा निवृत्ति प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उक्त कर्मचारी द्वारा जिला न्यायालय, बीकानेर में दावा करने पर उसके हक में दीवानी मु. सं. 38/93 का दिनांक 6 जनवरी, 1995 को फैसला होने के बावजूद भी अदालती निर्णयानुसार पेंशन/ग्रेजुएटी एवं अन्य खर्चे नहीं दिये गये ? यदि हां तो अब कब तक पेंशन व अन्य परिलाभ मय अदालती खर्चे के सरकार देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला चूरू के एक पशु चिकित्सा सहायक श्री मोहम्मद हुसैन पंवार द्वारा दिसम्बर, 90 में राजस्थान सेवा नियम 244(1) के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने का नोटिस दिया गया था ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

सहायक कलक्टर एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नावां का रिक्त पद

465. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि (नावां जिला नागौर) के सहायक कलक्टर एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद पिछले एक वर्ष से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) नावां के सहायक कलक्टर एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद अब कब तक भरने का सरकार विचार रखती है ?

(3) वर्तमान में नावां के सहायक कलक्टर एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के रिक्त पद की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नावां जिला नागौर में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पद दिनांक 15-7-94 से श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के उपखण्ड अधिकारी (भू. रू.) पाली के पद-स्थानान्तरण से रिक्त हुआ है ।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला में पदों की तुलना में अधिकारियों की कमी है ।

(2) सहायक कलक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पद शीघ्र भर दिया जायेगा ।

(3) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद पर श्री एच. के. बख्शी, ए.सी.ई.एम., नागौर को अपने पद के अतिरिक्त ए. सी. ई. एम., नावां के पद का कार्य करने के आदेश दिनांक 21-10-94 को प्रसारित किये जा चुके हैं ।

जिला झुन्झुनूं के चिकित्सालयों में रिक्त पद

466. **श्री शीशराम ओला** (झुन्झुनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शीशराम ओला)

(1) झुन्झुनू जिले में कितने राजकीय चिकित्सालय स्वीकृत हैं और उनमें ऐसे कितने चिकित्सालय हैं जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या के हिसाब से स्टाफ लगा हुआ है तथा कितने ऐसे हैं जिनमें स्टाफ की स्वीकृत पदों के हिसाब से कमी है ?

(2) कितने ऐसे चिकित्सालय हैं जिनमें एक भी डॉक्टर, कम्पाउन्डर कार्यरत नहीं है ?

(3) कितने ऐसे एडपोस्ट हैं, जिनमें स्वीकृत स्टाफ नहीं है ?

(4) क्या खाली पड़े पदों पर सरकार डॉक्टर्स और कम्पाउण्डर्स को लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले में 6 राजकीय चिकित्सालय, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 डिस्पेंसरी तथा 31 उच्चीकृत उप केन्द्र (एडपोस्ट) स्वीकृत हैं। स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई चिकित्सालय नहीं है, जहां चिकित्सक या कम्पाउण्डर पदस्थापित नहीं है।

(3) उच्चीकृत उपकेन्द्र पर मेल नर्स श्रेणी–II के 6 पद रिक्त हैं।

(4) जी हां, चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तदर्थ एवं नियमित नियुक्ति द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तथा कम्पाउण्डर्स के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वैसे वर्ष 1994-95 में इस जिले में 18 चिकित्सक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पदस्थापित/नियुक्त किये गये हैं बाकी रिक्त पद इस वर्ष शीघ्र भर दिये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम

467. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के लागू होने पश्चात् उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों पर पूर्णतः रोक लग चुकी है ? यदि नहीं, तो सरकार इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। जिन जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध हुए अत्याचार के प्रकरण सर्वाधिक हैं, उन जिलों में ऐसे प्रकरणों में त्वरित गति से अनुसंधान पूर्ण करने के लिए पुलिस उप अधीक्षकों के अतिरिक्त पद, मय स्टाफ के सृजन करने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिला नागौर की इन्दिरा आवास योजना

468. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में वर्ष 1990 से 1994 तक इन्दिरा आवास योजना के तहत कहां-कहां कितने आवासों की स्वीकृति हुई ? क्या सभी आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितने आवासों का कहां-कहां निर्माण कार्य शेष रहा एवं सरकार इसे कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

(2) क्या इस योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों का भुगतान सम्बन्धित को कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब-कब किया गया ? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1990 से अब तक इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में नागौर जिले में किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया एवं कितनी-कितनी राशि दी जाकर मकान बनाये गये ? विवरण मय नाम एवं गांव सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1990-1994 तक इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 3288 इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये । इनमें से 470 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका तथा 684 आवास अपूर्ण रहे । निर्माणाधीन आवासों का निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा स्वयं ही करवाया जाना है । अत: राज्य सरकार द्वारा पूर्ण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता । स्वीकृत इंदिरा आवास एवं निर्माण की स्थिति संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है ।

(2) इस योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये आवासों पर स्वीकृत इकाई लागत का भुगतान लाभार्थियों को कर दिया गया है तथा निर्माणाधीन आवासों में किये गये निर्माण कार्य के अनुपात में किस्तों का भुगतान किया गया, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है ।

(3) वर्ष 1990 से वर्ष 1994-95 तक इंदिरा आवास योजनान्तर्गत नागौर जिले में 2470 गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवारों को लाभान्वित किया गया एव इनको आवास निर्माण हेतु निर्धारित इकाई लागत की वित्तीय सहायता दी गयी, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

बगरू (जयपुर) में कन्या महाविद्यालय

469. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बगरू में महाविद्यालय हेतु भवन पिछले कई वर्षों से तैयार है ? यदि हां, तो वहां महाविद्यालय नहीं खोलने का कारण क्या रहा ?

(2) क्या सरकार बगरू में इस वर्ष छात्राओं के लिए महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस विभाग की जानकारी में बगरू में महाविद्यालय के लिए कोई भवन उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रम

470. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या राजस्व (उपनिवेशन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया है, जिनमें कृषि कार्य, फलदार वृक्षारोपण, चरागाह विकास, पशुपालन, उद्योग, पेयजल उपलब्धि तथा पर्यावरण, वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

उत्तर

राज्य सरकार ने पत्रांक प. 3(54) राज/उप/87 दिनांक 28-7-90 के द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र में मुख्य नहर के किनारे का क्षेत्र वन विभाग को वन विकास एवं वृक्षारोपण के लिए आबंटन हेतु आरक्षित किया है। यह आरक्षण राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र से राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम (6) के अधीन किया गया है। मुख्य नहर से निकलने वाली अन्य नहर यथा—ब्रांच वितरिका माइनर आदि के दोनों ओर एक निश्चित दूरी तक वन विकास एवं वृक्षारोपण के लिए क्षेत्रों का आरक्षण किया है। इसका आधार नहरों के दोनों ओर निर्धारित दूरियों में वृक्षारोपण की आवश्यकता को देखते हुए अनिवार्य सीमा निर्धारित की गयी। इस सीमा में पड़ने वाली समस्त कमाण्ड एवं अन-कमाण्ड भूमि में वृक्षारोपण करना आवश्यक समझा गया जिससे आंधी के कारण नहरों में रेत नहीं भरे।

इसके अलावा अन-कमाण्ड क्षेत्र के ऊंचे नग्न टीवे आदि जो नहर, सड़क, खेत, आबादी आदि के लिए खतरा रहते हैं उन टीलों को स्थिर करने के लिए केवल राजकीय अन-कमाण्ड भूमि को ही वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के लिए आवंटित करना आवश्यक माना गया। प्रत्येक चक/आबादी के दो मुरब्बा वन लगाने के लिए आरक्षित हैं। जिस भूमि का अन्य कार्यों के लिए आरक्षण, उपयोग नहीं किया गया एवं जिनमें चक बन गये हैं उनका आबंटन कृषि कार्य के लिए किया जाता है। फलदार वृक्षारोपण, पशुपालन एवं उद्योग आदि के लिए विशेष रूप से आरक्षण किये जाने का प्रावधान इन नियमों में नहीं है। आबंटन अधिकारी जोहड़, तालाब एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भी भूमि आरक्षित कर सकता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के निजी आवास

471. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) राज्य में ऐसे कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिनके स्वयं के मकान हैं परन्तु वे सरकारी आवास में रह रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अधिकारियों के निजी मकानों में से कितने बैंक या सरकार से ऋण लेकर बनाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कितने मकान किन-किन अधिकारियों ने, कितने-कितने किराये पर दे रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की इस विषय पर कोई नीति है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के उन अधिकारियों की सूची संलग्न है जिनके स्वयं के अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम अपने पदस्थापन स्थान परि-नगरीय सीमा में मकान हैं। (सूची-क)

(2) सूची "ख" संलग्न है।

(3) सूची "ग" संलग्न है।

(4) जी, हां। नियम की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला अस्पताल दौसा में वांछित सुविधाएं

472. **श्री महेन्द्र मीणा** (सिकराय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिला अस्पताल में न तो आपरेशन सुविधा है और न ही पूरी शैयाएं व महिला चिकित्सकों का पर्याप्त स्टाफ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि दौसा जिला मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय अलग से नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दौसा जिला मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि दौसा जिला अस्पताल से गम्भीर बीमारियों एवं दुर्घटना से ग्रसित मरीजों को जयपुर रेफर कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही डाक्टर उपलब्ध रहता है जो कि पर्याप्त नहीं है ?

(6) दौसा जिला में नसबन्दी व टीकाकरण का कितना लक्ष्य है व उसमें से कितना लक्ष्य पूर्ण हो चुका है ?

(7) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कितना, किन कारणों

(श्री महेन्द्र मीणा)

से बकाया है व सरकार इसे कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दौसा जिला अस्पताल में शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सालय भवन में स्थानाभाव के कारण स्वीकृत 100 शैय्या लगाया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है। वर्तमान में उक्त भवन में 24 शैय्याएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में चिकित्सालय में 20 चिकित्सक कार्यरत हैं जिनमें से 4 महिला चिकित्सक भी हैं।

(2) जी हां, पृथक से महिला चिकित्सालय नहीं है परन्तु दौसा शहर में ही एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत है जिसमें एक महिला चिकित्सक कार्यरत है व दौसा में ही एक पी.पी. सैंटर भी है जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवा भी उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। जिला चिकित्सालय के सम्पूर्ण स्वरूप में कार्यशील होने के पश्चात् महिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

(4) जी हां, गम्भीर रोगियों तथा दुर्घटना से ग्रसित लोगों की केट स्केन, सोनोग्राफी आदि विशेष जांच तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूशन आदि सुविधाओं के लिए जयपुर रेफर किया जाता है।

(5) आपातकालीन सेवाओं के लिए एक चिकित्सक 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध रहता है और अन्य विशेषज्ञ 24 घंटे आन काल रहते हैं।

(6) वर्ष 1994-95 में नसबन्दी और टीकाकरण के लक्ष्य उपलब्धि का विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित हैं :—

लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
6800	5056	74.35
39030	36878	94.5
34950	33346	95.4
34950	33911	97.0
34950	33064	94.6

(7) प्रश्न के भाग 6 में दर्शायी तालिका के अनुसार जो लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी है राज्य स्तर की उपलब्धियों से अधिक है फिर भी शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। लक्ष्यों की कम उपलब्धि का कारण परिवार कल्याण व मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में जन सहभागीदारी की कमी और योजनाबद्ध प्रयास का अभाव होना प्रतीत हुआ है जिस कारण राज्य में इस वर्ष परिवार कल्याण जिला योजनाओं का निर्माण जिला स्तर पर कराया गया है व दौसा में अभी तक जन भागीदारी कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है।

आगामी वर्ष 1995-96 के टीकाकरण के लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं और परिवार नियोजन हेतु जिलेवार भावी कार्य

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

योजनाएं जिला अधिकारियों से तैयार करायी गयी हैं, जिसके अनुरूप कार्य करवाया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि दौसा जिला "विकल्प" योजना में शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत जन भागीदारी और सामाजिक विपणन सेवाओं से शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के ठोस उपाय किये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थाने एवं चौकियां

473. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने थाने एवं चौकियां हैं ? इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टोडाभीम थाना भवन कब बना ? इसमें कितने कमरे हैं ? क्या उक्त कक्ष रहवास के योग्य है ? क्या थाना अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी थाने में रहते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि थाना भवन जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके स्थान पर नया भवन बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब और कहां ?

(4) क्या सरकार टोडाभीम क्षेत्र में बालघाट चौकी के स्थान पर थाना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? बालघाट चौकी के अन्तर्गत कितने ग्राम हैं ?

(5) क्या यह सही है कि थाना नादौती (टोडाभीम) का भवन अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार उस भवन को कब तक पूर्ण करवा कर वहां दूरभाष, विद्युत व जीप आदि की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में दो थाने, टोडाभीम व नादौती, तथा दो पुलिस चौकियां – बालघाट एवं गुढ़ाचन्द्रजी हैं। इन पुलिस थानों व चौकियों पर तैनात कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(2) थाना टोडाभीम का भवन वर्ष 1930 में निर्मित हुआ था। इसमें तीन क्वार्टर व एक बैरिक है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। वर्तमान में अधिकारी व कर्मचारी उक्त भवन में ही रह रहे हैं।

(3) यह सही है कि थाना टोडाभीम का भवन जीर्ण हो गया है तथा थाने का नया भवन पांचडी मोड़ के पास बनवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) पुलिस चौकी बालघाट को थाने में क्रमोन्नत करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बालघाट चौकी के अन्तर्गत कुल 65 गांव हैं।

(5) पुलिस थाना नादौती के नये भवन का निर्माण कराया जा चुका है। बिजली व दूरभाष की व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। पुलिस थाने पर एक जीप उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत थाना टोडाभीम एवं चौक बालघाट और नादौती एवं चौकी गुढ़ाचन्द्रजी पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची।

थाना टोडाभीम

1. श्री राम सिंह मीणा	उप निरीक्षक	
2. " कृष्णपाल सिंह	सहायक उप निरीक्षक	
3. " इफतखारूद्दीन	हैड कांस्टेबल	0382
4. " हमीर सिंह	"	380
5. " दयाराम कानि	कांस्टेबल	742
6. " परसराम	"	1060
7. " हरीसिंह	"	679
8. " सुखलाल	"	584
9. " हरीओम	"	653
10. " कमलेश	"	615
11. " बच्चू सिंह	"	788
12. " श्रीलाल	"	588
13. " मान सिंह	"	544
14. " राजाराम	"	1033
15. " कामेश्वर प्रसाद	"	571
16. " बाबू लाल	"	785
17. " डोडीराम	"	975
18. " कप्तान सिंह	"	685
19. " विजयपाल	"	66
20. " मुरारी लाल	"	234

पुलिस चौकी बालघाट

1. श्री हुकम चन्द	हैड कांस्टेबल	371
2. " नाथू लाल	कांस्टेबल नं.	748
3. " बाबुदीन	"	617
4. " विजयसिंह	"	789
5. " निसार-अहमद	"	1069

थाना नादौती

1. श्री सुभाष चन्द्र उप निरीक्षक
2. श्री नेत्रपाल सिंह स उ.नि.
3. " सम्पत सिंह हैड कांस्टेबल 364
4. " राम सिंह मीणा कांस्टेबल 530
5. " रघुवीर सिंह कांस्टेबल 897
6. " महेश कुमार कांस्टेबल 905
7. " रामनारायण सिंह कांस्टेबल 714
8. " उमेश चन्द कांस्टेबल 509
9. " राम गोपाल कांस्टेबल 854
10. " सुमेर चन्द कांस्टेबल 1082
11. " कप्तान सिंह कांस्टेबल 769
12. " रणवीरसिंह कांस्टेबल 1082
13. " बाबूलाल कांस्टेबल 560
14. " पहलवान सिंह कांस्टेबल 810
15. " हरवीर सिंह कांस्टेबल 233

चौकी गुढ़ाचन्द्रजी

1. श्री मालुराम हैड कांस्टेबल नं. 333
2. श्री सियाराम कांस्टेबल नं. 869
3. श्री चन्द्र प्रकाश कांस्टेबल नं. 752

सेवर (भरतपुर) में विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित कुएं एवं मकान

474. **श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन, राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति, सेवर में वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 में जीवन-धारा एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने कुए एवं मकान स्वीकृत हुए थे ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी कुओं एवं मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो इनके अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या सभी कुओं एवं मकानों के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं तो क्यों ? सरकार बकाया भुगतान कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सेवर में वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 की अवधि में जीवनधारा योजना तथा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत नवकूप निर्माण तथा इन्दिरा आवास का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जीवनधारा	इन्दिरा आवास
1992–93	15	38
1993–94	—	123
1994–95	—	79
योग—	15	240

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

नामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में नेवर पंचायत समिति डार्क ज़ोन में होने के कारण जीवनधारा योजनान्तर्गत स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी।

(2) जीवनधारा योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 15 कार्यों में से 11 कार्य पूर्ण हुए तथा 3 कार्य लाभार्थियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने तथा पंचायत समिति डार्क जोन में आने के कारण निरस्त किये गये तथा एक कार्य लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद कूप निर्माण का कार्य बन्द कर देने के कारण अपूर्ण रहा। इंदिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है :—

इन्दिरा आवास

वर्ष	स्वीकृत	पूर्ण	निरस्त	अपूर्ण	कार्य प्रारम्भ नहीं
92-93	30	34	4	—	—
93-94	123	108	—	15	—
94-95	79	29	—	45	5

कुल स्वीकृत 238 आवासों में 171 आवास पूर्ण हो गये तथा 60 आवास लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण अपूर्ण रहे, वर्ष 1992-93 में स्वीकृत 4 आवास का निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा प्रारम्भ नहीं करने के कारण निरस्त कर दिये गये तथा वर्ष 1994-95 में स्वीकृत 5 कार्यों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। इन्दिरा आवास योजना में आवास का निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा ही कराये जाने का प्रावधान है।

(3) जीवनधारा एवं इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर भुगतान की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में लाभार्थियों के नाम के आगे अंकित है।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत इकाई लागत राशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य के अनुपात में किस्तों में किया जाता है। लाभार्थियों को अधूरे कार्यों पर बकाया राशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा कराये गये कार्य की प्रगति के आधार पर करना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला बून्दी में निर्मित सड़कें

475. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि बून्दी विधान सभा क्षेत्र में 1994 में कुछ सड़कों का निर्माण कराया जाना था ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़क कौन-कौन से गांव से जुड़ने वाली थी ? कितने किलोमीटर सड़कें इस वर्ष में बनायी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 1995 में बून्दी विधान सभा क्षेत्र एवं बून्दी जिले में नयी सड़कों से गांवों को जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव वर्ष 1995 में सड़क मार्ग से जोड़ दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रेल, 1995 से मार्च, 1997 तक विभाग द्वारा बूंदी विधान सभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले के कौन-कौन से गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बून्दी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 4 सड़क कार्य स्वीकृत किये थे। सड़कों के नाम, स्वीकृत लम्बाई जुड़ने वाले गांवों के नाम परिशिष्ट "क" पर दर्शाया है। वर्ष 1994-95 में 10 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण कराया गया।

(2) जी हां। वर्ष 1994-95 में बून्दी विधान सभा क्षेत्र में एक गांव कालपुरिया (556) को कृषि उपज मण्डी ने डामर सड़क द्वारा जोड़ दिया गया है व रोजगार आश्वासित योजना के अन्तर्गत 14 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ना स्वीकृत है। बून्दी जिला में ए. डी. पी., कृषि उपज मण्डी द्वारा एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक गांव को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है व 16 गांवों को डामर सड़क से व रोजगार आश्वासित योजना, निर्बन्ध योजना, 30 जिला 30 काम योजना के अन्तर्गत 50 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ना स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट "ख" एवं "ग" पर दर्शाया है।

(3) सड़क नीति के अनुसार 1.4.95 से 31.3.97 तक बून्दी विधान सभा क्षेत्र में एक गांव को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है, 3 गांवों को डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। 15 पंचायत मुख्यालयों एवं गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। बून्दी जिले में एक गांव को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 36 गांवों को डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। 54 पं. मुख्यालयों एवं गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "ख" "ग" एवं "घ" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम अजबपुरा (लालसोट) के भूतपूर्व जागीरदार का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र

476. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम अजबपुरा तहसील लालसोट, जिला दौसा के तत्कालीन जागीरदार

(श्री गोपीराम जाट)

हकीम सलीमुद्दीन खां ने खुदकाश्त के लिए कृषि भूमि चाहने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? इस मामले में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भूतपूर्व जागीरदार हकीम सलीमुद्दीन खां की मृत्यु के बाद सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही श्रीमती मलका जमाली को एक मात्र उत्तराधिकारी मानकर कृषि भूमि खुदकाश्त हेतु आवंटित कर दी ? यदि हां, तो, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सीलिंग एक्ट की परवाह किये बिना भू-आवंटन किया गया ? यदि हां, तो अब तक कितनी बीघा भूमि आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) श्रीमती मलका जमाली और हकीम सलीमुद्दीन खां को खुदकाश्त हेतु किस-किस जिले की किस-किस तहसील में कितनी भूमि आवंटित की गयी और उसे कितने समय बाद बेच दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम अजबपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के तत्कालीन जागीरदार हकीम सलीमुद्दीन खां ने खुदकाश्त के लिए कृषि भूमि चाहने हेतु प्रा. पत्र फार्म नं. 3 में दिनांक 30-12-54 को दिया था। उक्त प्रा. पत्र पर तत्कालीन खुदकाश्त आयुक्त के आदेश दिनांक 23-2-56 के द्वारा उक्त जागीरदार को ग्राम खेड़ली एवं अजबपुरा में कुल 181 एकड़ भूमि खुदकाश्त हेतु दी जाने की स्वीकृति दी गयी थी। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं, भू. पू. जागीरदार हकीम सलीमुद्दीन खां की मृत्यु के बाद सक्षम न्यायालय डिप्टी कलक्टर (जागीर), जयपुर के आदेश दिनांक 1-10-76 द्वारा स्व. हकीम सलीमुद्दीद खां की पत्नी श्रीमती मलका जमाली बेगम को वारिस घोषित किया जा चुका है। उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के बिन्दु पर विधि विभाग से राय ली जा रही है। आवंटित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) श्रीमती मलका जमाली बेगम और हकीम सलीमुद्दीन खां को जयपुर जिले की तहसील जयपुर, बस्सी, फागी एवं जमवारामगढ़ में कुल 383 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन खुदकाश्त हेतु किया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। उक्त भूमि में से ग्राम कांसेल तहसील फागी में आवंटित की गयी 80 बीघा भूमि का बेचान श्रीमती मलका जमाली बेगम द्वारा वर्ष 1992 में किया जा चुका है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील खण्डार (सवाईमाधोपुर) की देशी शराब की दुकानें

477. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील खण्डार व उप तहसील चौथ का बरवाड़ा व तहसील सवाईमाधोपुर में देशी शराब की वैध दुकानें कितनी है व कितनी उप दुकानें वैध है ? दुकानों की संख्या व नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार, सवाईमाधोपुर व उप तहसील चौथ का बरवाड़ा में देशी शराब की दुकानें हरिजन बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में, ग्राम रास्तों में, मन्दिरों के रास्तों में, मन्दिरों के पास व सार्वजनिक स्थानों के पास अवैध रूप से संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अवैध दुकानों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बन्दोबस्त वर्ष 1995-96 के लिए अभी तक स्वीकृत देशी मदिरा की वैध दुकानें एवं वैध उप दुकानें निम्न प्रकार है :–

नाम तहसील/ उप तहसील	वैध दुकान	वैध उप दुकान
तहसील खण्डार	4	4
उप तहसील चौथ का बरवाड़ा	5	–
तहसील सवाई माधोपुर	5	7
	14	11

दुकानों के नामों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी नहीं, तहसील खण्डार, सवाई-माधोपुर एवं उप तहसील चौथ का बरवाडा में देशी शराब की 14 मुख्य दुकानों एव 11 उप दुकानों के स्थान नियमानुसार स्वीकृत हैं। अतः ये अवैध रूप से संचालित नहीं है।

तहसील खण्डार व उपतहसील चौथ का बरवाड़ा व तहसील सवाईमाधोपुर में स्वीकृत वैध देशी मदिरा दुकानों व उप दुकानों की सूची।

तहसीलदार खण्डार

क्र. सं. मुख्य दुकान	क्र. सं. उप दुकान
1. खण्डार	1. रवाजंनाडूंगर
2. बहराउन्डा	2. छाण
3. टोडरापलोदी	3. बालेर
4. लहसोड़ा	4. पालीघाटमील नं. 17

तहसील सवाईमाधोपुर

1. सवाईमाधोपुर स्टेशन
2. सवाईमाधोपुर कस्बा
3. सूरवाल
4. चकेरी
5. श्यामपुरा

1. गुम्मट रणथम्भौर रोड सवाईमाधोपुर
2. कुण्डेरा
3. रेल्वे कालोनी सवाईमाधोपुर
4. खेरदा
5. आदर्शनगर बी
6. यही हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर
7. बन्धा

उप तहसील चौथ का बरवाड़ा

1. चौथ का बरवाड़ा
2. भगवतगढ़
3. ईसरदा
4. शिवाड़
5. आंचेर

महिला एवं सामान्य चिकित्सालय अलवर को दानदाताओं से प्राप्त सहायता

478. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर शहर स्थित सामान्य चिकित्सालय व महिला चिकित्सालयों में गत तीन सालों में किन-किन दानदाताओं ने जन-सुविधा हेतु पंखे, कूलर, हीटर, अन्य सामग्री व भवन निर्माण आदि के लिए दान दिया गया है ? दानदाताओं के नाम, राशि, दान दी गयी वस्तुओं का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

अलवर शहर में स्थित सामान्य एवं महिला चिकित्सालय में गत तीन वर्षों में दानदाताओं से जन सुविधा हेतु प्राप्त सामान मय दानदाताओं के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

दानदाताओं द्वारा दान में दी गयी वस्तुओं की सूची

1. महिला चिकित्सालय, अलवर.

क्र. सं.	वस्तु का नाम	दानदाता का नाम	तिथी	कीमत
1.	पानी की टंकी सीमेंट की	मैं. गोपालीया मेडिकल हाल, अलवर।	15-7-94	250.00
2.	दीवार घड़ी	सुशीला सुगोत्रा, अलवर	3-10-94	105.00
3.	नेबूलाइजर	महावीर इन्टरनेशनल, अलवर	5-1-95	4200.00
2. सामान्य चिकित्सालय, अलवर				
1.	प्याऊ ठण्डे पानी	महावीर इन्टरनेशनल, अलवर	1993	दानदाता ने बिल नहीं दिया।
2.	कूलर (दो)	इण्डियन मेडिकल, सोसायटी	14-3-93	यथा
3.	बिजली के पंखे (दो)	गुड्स ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स यूनियन	14-11-94	यथा
4.	आई. सी. यू. यूनिट कमरा (एक)	श्री जगदीश प्रसाद विजय कुमार ठेकेदार	1/95	यथा

तारांकित प्रश्न संख्या 479

(स्थगित)

चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी पर संचालित जलोत्थान योजनाएं

480. **श्री शांति लाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील की बेड़च नदी पर ग्राम घोसुण्डा एवं मिश्रों की पीपली के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहां-कहां पर जलोत्थान योजनाएं संचालित हैं ?

(2) प्रत्येक योजना पर सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ?

(3) क्या उक्त प्रत्येक जलोत्थान योजना से पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील की बेड़च नदी पर ग्राम घोसुण्डा एवं मिश्रों की पीपली के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न जलोत्थान सिंचाई योजनाएं संचालित हैं :—

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

1.	सा.ज.यो.	घोसुण्डा प्रथम
2.	,,	घोसुण्डा द्वितीय
3.	,,	घोसुण्डा तृतीय
4.	,,	घोसुण्डा चतुर्थ
5.	,,	मिश्रों की पीपली प्रथम
6.	,,	मिश्रों की पीपली द्वितीय

(2) प्रत्येक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि का व्यय किया गया है :—

नाम योजना			राशि
1.	सा.ज.यो.	घोसुण्डा प्रथम	5.05
2.	,,	घोसुण्डा द्वितीय	2.02
3.	,,	घोसुण्डा तृतीय	4.07
4.	,,	घोसुण्डा चतुर्थ	8.35
5.	,,	मिश्रों की पीपली प्रथम	3.25
6.	,,	मिश्रों की पीपली द्वितीय	2.24

(3) जी हां।

ट्रांसपोर्ट नगर-जवाहर नगर (जयपुर) बाईपास

481. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से जवाहर नगर सर्कल होकर बाईपास रोड निकला हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह बाईपास रोड घनी आबादी क्षेत्र से निकलने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस बाईपास रोड को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जवाहर सर्कल होकर बाईपास रोड निकला हुआ है।

(2) बाईपास पर एक तरफ राजस्थान आवासन मण्डल के मकान तथा दूसरी तरफ कच्ची बस्ती होने से यह आबादी क्षेत्र है, अतः दुर्घटनाएं होना संभावित है।

(3) जी हां। परियोजना बना ली गयी है। कार्य शुरू होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

करौली में भूमि अनियमित आवंटन

482. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली में खसरा नम्बर 4745 व 5593 किस व्यक्ति को कब आवंटित की गयी और आवंटी द्वारा आवंटन नियम के अन्तर्गत काश्त कब की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का आवंटी के द्वारा पंजीयन कराया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(श्री हंसराम गुर्जर)

(3) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध आवंटन को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करौली के खसरा नम्बर 4745 रकबा एक बीघा पार बिस्वा गै. मु. नाला सिवाय चक दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार इसका आवंटन नहीं हुआ है। खसरा नम्बर 5593 रकबा 0.08 बीघा मिसल बन्दोबस्त संवत् 2015 के अनुसार श्री रामहेत पुत्र हरदेवा जाति माली सा. देह (करौली) मु कदीम की खातेदारी में थी। तहसीलदार करौली के नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 5-4-62 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के अन्तर्गत श्री रामचरण पुत्र चौथीलाल महाजन सा. करौली के नाम तब्दील की है। इस प्रकार इस भूमि का भी आवटन नियमों के तहत आबंटन होना जाहिर नहीं होता हैं।

(2) भाग संख्या 1 के उत्तर से स्पष्ट है कि ख. नं. 4745 सिवाय चक है। जिसका विक्रय नहीं हुआ है। ख. नं. 5593 श्री रामचरण पुत्र चौथीलाल महाजन के खातेदारी में था जिसका पंजीकृत विक्रय दिनांक 21-9-90 को श्री यशवेन्द्रसिंह पुत्र शिवचरणसिंह गुर्जर (धाबाई) निवासी करौली के हक में किया गया है। यह विक्रय ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टीज एक्ट के तहत होते हैं।

(3) कोई कार्यवाही नियम विरुद्ध होना जाहिर नहीं होता है।

निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

483. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में किस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं तथा इन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर क्या निर्धारित पदानुसार डॉक्टर्स एवं अधीनस्थ कर्मचारी सेवारत हैं यदि हां तो रेफरल होस्पिटल, अस्पताल, उपकेन्द्रवार स्वीकृत व रिक्त पदों आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1994-95 में रेफरल अस्पताल, भोपालगढ़ को भवन निर्माण हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या अस्पताल भवन पर्याप्त है ?

(3) भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए सरकार कहां-कहां अस्पताल, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में निम्न चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है :–

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	7
3. उप केन्द्र	46

ये जिन-जिन ग्रामों में स्थित है उनके नाम

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

तथा स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) भोपालगढ़ रेफरल अस्पताल के भवन में आर्वतन-परिवर्तन हेतु वर्ष 1994 में आई. पी. पी. नवम् परियोजना के अन्तर्गत 17 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।

(3) पंचायत समिति भोपालगढ़ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होने के कारण वर्तमान में अस्पताल (सा. स्वा. के.) प्राथ. स्वा. केन्द्र तथा उप केन्द्र खोलना विचाराधीन नहीं हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

खनिजों पर रायल्टी की वसूली

484. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सैण्ड स्टोन एवं अन्य खनिजों जैसे मूंगिया, जैसपार, चुनाकर एवं लाइम स्टोन इत्यादि के रायल्टी वसूली के लिए चौकियां स्थापित की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या स्थापित चौकियों द्वारा अन्य खनिजों पर रायल्टी वसूल की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इन जांच चौकियों को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार को रायल्टी वसूली न होने से कितनी हानि प्रतिवर्ष हो रही है? व इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा इनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) खनिज सैण्ड स्टोन जो क्वारी लाइसेंस पद्धति से आबंटित किया जाता है, की रायल्टी वसूली हेतु चौकियां स्थापित की गयी हैं। अन्य खनिज मूंगिया, जेस्पार, चूना कंकर, लाइम स्टोन इत्यादि खनन पट्टा पद्धति से स्वीकृत किये जाते हैं, जिनकी रायल्टी चौकियों के माध्यम से वसूल नहीं की जाती है।

(2) जी नहीं। अन्य खनिजों जैसे मूंगिया, जेस्पार, चूना कंकर एवं लाइम स्टोन इत्यादि पर रायल्टी स्थापित चौकियों पर वसूल नहीं की जाती। ये खनिज खनन पट्टों के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं एवं उत्पादित खनिज का निर्गमन रवन्नाओं द्वारा किया जाता है। ये रवन्ना, विभाग द्वारा रायल्टी की पूर्व वसूली करके जारी किये जाते हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। रायल्टी की कोई हानि नहीं हो रही है।

303

नीम का थाना (सीकर) में स्वीकृत कार्य

485. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1992-93 व 1993-94 में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कौन कौन से कार्य कब पूर्ण हुये कितने काम अधूरे हैं और कितने काम प्रारम्भ नहीं हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कीबकाथाना जिला सीकर में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 92–93 में कुल 95 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें कुल स्वीकृत राशि रु. 46.44 लाख है तथा वर्ष 93-94 में कुल 119 कार्य लागत राशि रु. 56.03 लाख के स्वीकृत किये थे।

सूची परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(2) (अ वर्ष 92–93 में कुल 95 कार्य स्वीकृत हुये जिसमें से 92–93 में केवल 85 कार्य पूर्ण हुये 8 कार्य वर्ष 93–93 में पूर्ण हुये, 2 कार्य चालू नही हुये। सूची परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(ब) वर्ष 92–93 में कुल 119 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 107 कार्य वर्ष 93–94 में पूर्ण किये गये तथा 4 कार्य वर्ष 94–95 में पूर्ण किये गये। इस प्रकार कुल 111 कार्य पूर्ण किये गये तथा नहीं एक कार्य अपूर्ण है। शेष 7 कार्य प्रारम्भ हुये तथा सूची परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी एवं भिनाय की क्षतिग्रस्त सड़कें

486. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र की वर्षों से क्षतिग्रस्त समस्त सड़कों की मरम्मत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सडकों की तथा इन पर कितनी राशि व्यय की गयी एवं नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार केकड़ी से बघेरा, सावर, बिसुन्दनी गोरधा, केकड़ी सूपा, सापला, केकड़ी भिनाय रोड का मरम्मत कार्य कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र की वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़कों की वार्षिक रख-रखाव की मद से मरम्मत कर दी गयी है। मरम्मत की गई

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

सड़कों व उन पर वर्ष 1994–95 में व्यय की गयी राशि का ब्यौरा सूची "अ" में संलग्न है।

(2) केकड़ी से बघेरा सड़क, सावर बिसून्दनी गोरधा सड़क, केकड़ी सूपा सांपला सड़क तथा केकड़ी भिनाय सड़क की मरम्मत कर दी गयी है।

वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कें एवं उन पर व्यय की गयी राशि सूची "अ"

क्र. सं.	सड़क का नाम	मरम्मत पर व्यय की गयी राशि वर्ष 94–95 (लाखों में)
(अ)	**केकड़ी विधान सभा क्षेत्र**	
1.	मालपुरा केकड़ी कादेड़ा सड़क	3.52
2.	नसीराबाद केकड़ी देवली सड़क	3.47
3.	ब्यावर विजयनगर केकड़ी सड़क	4.38
4.	सम्पर्क सड़क मेहरूकलां	0.23
5.	जालिया सांपला सड़क	1.15
6.	केकड़ी, बघेरा सड़क	1.25
7.	सूरवाड जालिया भगवानपुरा सड़क	0.09
8.	जूनिया हिंगोनिया सड़क	0.19
(ब)	**भिनाय विधान सभा क्षेत्र**	
1.	सरवाड़ अरांई किशनगढ़ सड़क	2.02
2.	बांदनवाड़ा भिनाय नागोला सड़क	1.60
3.	नसीराबाद डबरेला सड़क	0.13
4.	सराना टांटोटी बांदनवाड़ा सड़क	0.21
5.	गोयला टांटोटी सड़क	0·37
6.	भिनाय तेलाड़ा सड़क	0·24
7.	भिनाय सिखरानी	0.27

मौजमाबाद (दूदू) महल के आसपास की भूमि की बिक्री प्रकरण

487. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मौजमाबाद, तहसील दूदू, जिला जयपुर में ऐतिहासिक महल व त्रिपोलिया तालाब के आसपास की भूमि अवैध रूप से विक्रय-पत्र द्वारा रजिस्ट्री करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब व किन लोगों को करायी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रजिस्ट्री तहसीलदार, मौजमाबाद की मिलीभगत से की गयी है ?

(3) यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम मौजमाबाद, जिला जयपुर के ऐतिहासिक महल व त्रिपोलिया तालाब के आसपास की भूमि रकबा 299 बीघा 5 बिस्वा का विक्रय सन् 1974 से 1994 तक 29 व्यक्तियों को किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

उपरोक्त की गयी रजिस्ट्रियों की वैधानिकता की जांच अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर किसी प्रकार की अवैधानिकता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) उपरोक्त जांच के पश्चात् ही इस पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(3) अभी तक किसी अधिकारी को प्रथम दृष्टा दोषी नहीं पाया गया है इसलिए कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सूची दिनांक 1-1-73 के बाद विक्रय की गयी सिलिंग प्रभावित भूमि मय विवरण क्रेतागण एवं वर्तमान में शेष उपलब्ध भूमि खातेदार आशरिद्धनाथ, मोहनीबाई एवं बालकिशन साकिन मौजमाबाद

क्र. सं.	नाम विक्रता खातेदार	दिनांक 1-1-73 को उपलब्ध भूमि	विक्रय का नामान्तरण मय दिनांक	विक्रय की गयी भूमि का विवरण	नाम क्रेता	विक्रेता के पास वर्तमान में उपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आशरिद्धनाथ वगैरह	186 बीघा 1 बिस्वा	678/8-10-76	ग्रा.ख.न. 941 से 950 किता 10 रकबा 30 बी. 8 बिस्वा	जोरसिह पुत्र पाबूसिह मावाडा जिला नागौर	53 बीघा 11 बिस्वा बालकिशननाथ, लोकराजनाथ, जसराजनाथ पुत्रान आशरिद्धनाथ
			719 / 3-7-77	ख.न. 6381/2/1 रकबा 20 बीघा	सूरजकरण, हनुमान, देवकरण पुत्रान रामनारायण गूजर सा. मौजमाबाद	

1	2	3	4	5	6	7
			989 / 24-1-80	ख.न. 937/6381/2 रकबा 36 बीघा	रामकरण पुत्र मेरू जाट सा. बड़गूजर की नांगल	
			1083 / 24-3-81	ख.न. 970/2 रकबा 14 बिस्वा	नाथू पुत्र मोती सा. उगरियावास व कैलाश पुत्र कंदनमल जैन सा. मौजमाबाद	
			2045, 2046 / 23-12-93	ख.न. 968, 970/1, 971, 972, 974, 982, 983, 937/6381/3 रकबा हि. 1/8 व हिस्सा 1/8 (रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा)	रामप्रसाद धानका एवं बिजेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह सा. जयपुर	
			508 / 31-3-74	ख न. 935, 936, 937/6381/2 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा	रामचन्द्र, मुला व नानगा पुत्रान नन्दा गूजर सा. मौजमाबाद	

3808

1	2	3	4	5	6	7
			2086 व 2087 ——— 23-8-94	ख.न. 968, 970/1 971, 972, 974 982, 983, 989 990, 3492,937/6381/3/1, किता 11 रकबा 86 बीघा 17 बिस्वा (हिस्सा 1/8 व हिस्सा में से 1/8 कि रूप में) (21-15 बीघा)	विरेन्द्र मोहन पुत्र विरेन्द्र सिंह व विजेन्द्रसिंह पुत्र प्रताप सिंह सा. जयपुर	
2.	मोहनीबाई पुत्री शंकरलाल	18 बीघा 8 बिस्वा	1078 ——— 24-3-81	ख.न. 969/2 रकबा 15 बीघा	नाथ पुत्र मोतीलाल जैन सा. सांगरिया व कैलाश पुत्र कुंदनमल जैन सा. मोजमाबाद	
			1316 ——— 25-9-83	ख न. 969/1/2 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा	हनुमानलाल, सूरजकरण, देवकरण पुत्रान रामनारायण व माधोलाल, गोरधन पुत्रान भूरा व गोपाल लाल, रिद्धकरण श्रवणलाल पुत्रान रामकरण गूजर सा. मोजमाबाद	

1	2	3	4	5	6	7
			2105 ——— 13-9-94	ख.न. 969/1/1, रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा में से हिस्सा 1/2	नरेन्द्रसिंह राजावत पुत्र दौलतसिंह ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी	
			2106 ——— 13-9-94	ख.न. 969/1/1, रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा में से हिस्सा 1/2	विजय लक्ष्मी पुत्री प्रतापसिंह राठौड़ सा. जयपुर	
			2107 ——— 13-9-94	ख.न. 967 रकबा 70 बीघा 9 बिस्वा में से हिस्सा 1/2	श्रीमती कृष्णाकुमारी पत्नी वाई. एस. राठौड़ सा. जयपुर	
			2108 ——— 13-9-94	ख.न. 967 रकबा 70 बीघा 9 बिस्वा में से हिस्सा 1/2	कर्नल सुरेन्द्रसिंह पुत्र लेफ्टीनेन्ट कर्नल अर्जुनसिंह राठौड़ सा. जयपुर	

310

1	2	3	4	5	6	7
3.	बालकिशन वगैरह	8 बीघा 17 बिस्वा	2110 ———— 13-9-94	ख.न. 3591 3592 रकबा रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा	नन्नी बानो पत्नी अहमद खां सा. मोजमाबाद	
	कुल योग :–	383 बीघा 6 बिस्वा	कुल नामान्तरकरण 15	299 बीघा 5 बिस्वा,	29 व्यक्तियों को बेचान	84 बीघा 1 बिस्वा शेष

हस्ताक्षर
तहसीलदार/दूदू
मु. मोजमाबाद

(311)

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 685 की सूची

आबकारी जिला अजमेर की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा थोक एवं खुदरा व बीयर खुदरा दुकानों की सूची जिनके लिए दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिये सीलबन्द टेण्डर लिये जावेंगे

क्र.स.	दुकान/दुकान समूह का नाम	संख्या मुख्य दुकान	संख्या उप दुकान	दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि के लिये न्यूनतम (आरक्षित एकाकी विशेषाधिकार की राशि (आबकारी शुल्क यदि कोई है, तो के अतिरिक्त)	अर्नेस्टमनी जो टेण्डर फार्म में साथ जमा करानी है
1	2	3	4	5	6
1.	**अजमेर नसीराबाद समूह**				
(अ)	समूह में सम्मिलित देशी मदिरा दुकानात 1 से 12 अजमेर शहर, नोसर, तबीजी, श्रीनगर, नारेली, तिलोरा, गोविन्दगढ़, पीसांगन, जेठाना, पिछोलिया, नरवर, नागेलाव, कालेसरा, गगवाना, दांतडा, कडेल, लाडपुरा, वीर, सराधना, केसरपुरा, नसीराबाद, विक्रचियावास' झड़वासा, रामसर, बाघसूरी, न्यारा, काजगढ़, बुबानी।	39	38	9,02,63,200	45,13,160
(ब)	समूह में सम्मिलित मा. नि. वि. म. खुदरा दुकानात अजमेर शहर 1 से 14 नसीराबाद न. 1 व 2, तिलोरा, श्रीनगर	18	10	8,93,46,000	44,67,300
(स)	समूह में सम्मिलित मा. नि. वि. म. थोक दुकानात अजमेर	1	—	5,11,4,00	25,570

1	2	3	4	5	6
	(द) समूह में सम्मिलित बीयर खुदरा दुकानात अजमेर शहर 1 से 14, नसीराबाद, 1 व 2, तिलोरा, श्रीनगर	18	10	77,12,500	3,85,630
	योग—अ, ब, स, द,	76	58	18,78,33,100	93,91,660
2.	**ब्यावर विजयनगर समूह**				
	(अ) समूह में सम्मिलित देशी मदिरा दुकानात ब्यावर नं. 1 से 4 ब्यावर गांव, जवाजा, खरवा, आंधी, देवरी सुहावा, काबरा, राजियावास, रतनपुरा, बायला, सुरजपुरा, जालिया, चतरपुरा, (त. आसीन्द) कोट, किराना, चांग, सेन्दडा (तह. रायपुर) विजयनगर, जालिया II, सिखरानी, मसूदा, सताबडिया, किराप	25	16	4,21,53,400	21,07,670
	(ब) समूह में सम्मिलित मा. नि.वि.म. खुदरा दुकानात ब्यावर नं. 1 से 4 आंधी देवरी, विजयनगर, मसूदा, वरल	8	8	19,31,2900	9,65,650
	(स) समूह में सम्मिलित मा. नि. वि. म. थोक दुकानात ब्यावर	1	—	4,60,800	23,040
	(द) समूह में सम्मिलित बीयर खुदरा दुकानात ब्यावर नं. 1 से 4 आंधी देवरी, विजयनगर, मसूदा, वरल	8	8	32,09,200	16,04,60
	योग—अ, ब, स, द	42	32	6,51,36,300	32,56,820

317

1	2	3	4	5	6
3.	**किशनगढ़ समूह**				
	(अ) समूह में सम्मिलित देशी मदिरा दुकानात :— किशनगढ़ नं. 1 से 3, उदयपुर कला, बरना, ललावता सरदारसिंह की ढाणी मून्डोलाव, कुचील. रूपनगढ़, मामोलाव, भटून, त्योद, भोगादीत, हरमाड़ा, सुरसूरा, सलेमाबाद, केरिया की ढाणी, अराई, दादिया, ढसूक, तिलोनिया झाड़ोल, बड़गांव, गोठियाना,	25	27	2,82,65,800	14,13,290
	(ब) समूह में सम्मिलित भा. नि.वि.म. खुदरा दुकानात :— किशनगढ़ नं. 1 से 3 रूपनगढ़	4	6	1,46,83,500	7,34,180
	(स) समूह में सम्मिलित भा. नि. वि. मदिरा थोक दुकानात :— किशनगढ़	1	–	6,97,200	34,860
	(द) समूह में सम्मिलित बीयर खुदरा दुकानात :— किशनगढ़ नं. 1 से 3 रूपनगढ़	4	6	24,68,700	1,23,440
	योग—अ, ब, स, द	34	39	4,61,15,200	23,05,770

4. **केकड़ी सरवाड़ समूह**

(अ) समूह में सम्मिलित देशी मदिरा दुकानात :—
केकड़ी सरवाड़, छगनपुरा, (कोहड़ा) अजगरा, गोयला खीरिया, बघेरा,

1	2	3	4	5	6
	जूनिया, करूंज, बोराड़ा, फतहगढ़, मेहरू कला, सदारा, प्राण-हेड़ा, कादेड़ा जालियां, सांपला, केरोट, छोटी कनई, ह्गिोनियां, पारा, उबरेला, सराना, केवानिया, बांदनवाड़ा, भिनाय, राताकोट, सिघावल, बड़गांव, चापानेरी बड़ली नानसी, देवलिया, कलां टांटोली	34	14	301,12,000	15,05,600
(ब)	समूह में सम्मिलित भा. नि. वि. मदिरा खुदरा दुकानात :—				
	केकड़ी, बान्दनवाड़ा	2	–	46,71,700	2,33,590
(स)	समूह में सम्मिलित बीयर खुदरा दुकानात :—				
	केकड़ी, बान्दनवाड़ा	2	–	15,93,700	79,690
	योग—अ, ब, स	38	14	3,63,77,400	18,18,880

315

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 688 का विवरण

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक : प. 7 (20) प्र. सु. / अनु. 3/82 जयपुर, दिनांक 2-3-1994

–: आज्ञा :–

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 18-5-82, 12-5-83, 7-3-89 एवं 13-6-89 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय प्रत्येक जिला स्तर पर बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित सदस्यों की द्विस्तरीय समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

प्रथम स्तर—

संबंधित कार्यक्रम हेतु नीति, योजना, विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तृत विचार विमर्श कर व्यूह रचना (स्ट्रेटजी) का निर्धारण एवं कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु

1. प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष	
2. उपाध्यक्ष (मनोनीत)	सदस्य	
3. सांसद–एक	सदस्य	
4. जिले के एक तिहाई विधायक	सदस्य	
5. जिला प्रमुख	सदस्य	पंचायत चुनाव के पश्चात्
6. प्रधान पंचायत समिति–3	सदस्य	
7. महिला । अनु. जाति, अनु. जनजाति । पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक वर्ग के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य	
8. नगरीय क्षेत्र के दो प्रतिनिधि	सदस्य	
9. सात अन्य जन प्रतिनिधि कम से कम	सदस्य	
10. जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि-1	सदस्य	
11. संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य	
12. अध्यक्ष, नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद एवं प्रशासक	सदस्य	
13. अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य	
14. मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य	
15. जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव	

क्रम संख्या 1 का मनोनयन मुख्य मंत्री महोदय एवं 2 से 4 व 6 से 10 पर अंकित सदस्यों का मनोनयन जिले के प्रभारी मंत्री को सलाह पर मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किया जावेगा।

समिति की बैठक में जिले के पंचायत समितियों के प्रधान आदि अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जाये, आमंत्रित किये जा सकेंगे।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा। यह समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी :–

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी। समिति का लक्ष्य रचनात्मक उपलब्धि का होगा। समिति विभिन्न सूत्रों को क्रियान्वित करने के लिए उप समितियां गठित कर सकेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रिया के तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं उनके गुणात्मक स्तर को देखा जायेगा। प्राप्त उपलब्धियों को समिति सत्यापन कर सकेगी।
4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

द्वितीय स्तर :–

संबंधित नीति एवं योजना के मासिक क्रियान्वयन, उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं मोनीटरिंग हेतु :–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव

द्वितीय स्तर पर गठित समिति की बैठकें प्रत्येक माह की अन्तिम तिथियों 29 व 30 तारीखों को प्रातः व सायं रखी जावेगी।

यह समिति बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक कार्यशील रहेगी।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
शासन उप सचिव

परिशिष्ट "अ"

1.	उपाध्यक्ष	श्री रामकिशन आचार्य, पूर्व सरपंच, जयमलसर ग्राम पोस्ट जयमलसर (जिला बीकानेर)।
2.	सांसद	श्री मनफूल सिंह भादू ।
3.	जिले के एक तिहाई विधायक	1. श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर शहर) । 2. श्री रेवन्तराम पंवार (नोखा)।
4.	जिला प्रमुख	पंचायत चुनाव के पश्चात्
5.	प्रधान पंचायत समिति	
6.	1. महिला (अनुसूचित जाति/जन जाति)	पुष्पा गहलोत, मार्फत बी. सेठियों की गली, के.इ.एम. रोड, बीकानेर ।
	2. पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि	श्री दुर्गाराम गहलोत, मु. पो. श्री कोलायत तहसील कोलायत, जिला बीकानेर ।
	3. अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि	फतेह मोहम्मद नामच, गाँव सियासर चौगान पोस्ट खाजूवाला, तहसील बीकानेर जिला बीकानेर ।
7.	नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधि (दो)	1. श्रीमती दुर्गा पाण्डे, अध्यक्ष, महिला मोर्चा भाजपा, करणीनगर, नागणेची जी मन्दिर रोड, बीकानेर । 2. श्री सत्यनारायण बजाज, जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर ।
8.	सात अन्य जन प्रतिनिधि (कम से कम)	1. श्री भवानी सिंह रावलोत, पूर्व सरपंच ग्राम पो. हाडला, रावलोतान, तह. कोलायत । 2. श्री निवास झवर, पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका नोखा, मु.पो.नोखा, बीकानेर । 3. श्री दिग्विजय सिंह सैनाली, पूर्व सरपंच, अध्यक्ष पूगल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.पूगल, तह. बीकानेर जिला बीकानेर । 4. श्री धन्नाराम चौधरी, पूर्व उप सरपंच ग्राम पो. पलाना, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर ।

		5. श्री उम्मेद सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच लूनकरणसर, ग्राम पो. लूनकरणसर, बीकानेर।
		6. श्री भागीरथ मूंदड़ा, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, देशनोक, मुख्य बाजार देशनोक, बीकानेर।
		7. श्री उम्मेद सिंह भाटी, पूर्व प्रधान, कोलायत मु. पो. कोलायत, जिला बीकानेर।
		8. श्री जेठमल पंचारिया उर्फ मल्लू महाराज, पूर्व सरपंच पंचारिया कृषि फार्म, नागौर रोड़ नोखा तहसील बीकानेर।
		9. श्री चांदरतन दरगड, पंजाब टैन्ट हाउस के पास, रानी बाजार, बीकानेर।
9.	स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि (एक)	श्री जवाहर सेठिया, मंत्री, झझू खादी एवं ग्रामोद्योग एवं विकास संस्थान, झझू, तह. कोलायत।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 694 की सूची

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	अभियोग संख्या	दर्ज होने की दिनांक	अन्वेषण का नतीजा	विचाराधीन पुलिस
1	2	3	4	5	6
1.	1993	61/93	9-2-93	एफ. आर. अदमपता मुलजिम	
2.	,,	71/93	14-2-93	एफ. आर. अदमवकू	
3.	,,	171/93	17-5-93	,,	
4.	,,	243/93	29-6-93	,,	
5.	,,	267/93	14-7-93	,,	
6.	,,	305/93	16-8-93	चालान 16-12-93	
7.	,,	176/93	21-5-93	,, 13-9-93	
8.	,,	361/93	23-9-93	एफ. आर. अदमवकू	
9.	,,	362/93	23-9-93	,,	
10.	,,	371/93	27-9-93	,,	
11.	,,	433/93	10-12-93	,,	
12.	1994	74/94	2-3-94	,,	
13.	,,	82/94	12-3-94	,,	जैर तफतीश
14.	,,	182/94	11-5-94	एफ.आर.अदमवकू	
15.	,,	86/94	16-3-94	,,	
16.	,,	213/94	30-5-94	,,	
17.	,,	271/94	25-6-93	चालान 7-9-94	
18.	,,	293/94	5-7-94	एफ.आर. अदमवकू	
19.	,,	301/94	9-7-94	चालान 21-10-94	
20.	,,	313/94	14-7-94	,, 20-8-94	
21.	,,	411/94	13-9-94	एफ.आर. अदमवकू	
22.	,,	421/94	17-9-94	,,	
23.	,,	443/94	3-10-94	,,	
24.	,,	444/94	3-10-94	,,	

1	2	3	4	5	6
25.	,,	445/94	3-10-94	,,	
26.	,,	463/94	14-10-94	,,	
27.	,,	481/94	24-10-94	,,	
28.	,,	505/94	5-11-94	चालान 5-1-95	
29.	,,	523/94	15-11-94	एफ. आर. अदमवकू	
30.	,,	524/94	15-11-94	,,	
31.	,,	567/94	16-12-94	,,	
32.	1995	10/95	13-1-95	,,	जैर तफतीश पुलिस
33.	,,	11/95	14-1-95	,,	,,
34.	,,	34/95	28-1-95	,,	,,

धारा 363,366 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	अभियोग संख्या	दर्ज होने की दिनांक	अन्वेषण का नतिजा	विचाराधीन पुलिस
1.	1993	8/93	7-1-93	एफ.आर. अदमवकू	
2.	,,	210/93	16-6-93	,,	
3.	,,	270/93	27-9-93	एफ.आर. नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस	
4.	,,	428/93	3-12-93	एफ.आर. अदमवकू	
5.	1994	155/94	30-4-94	,,	
6.	,,	162/94	3-5-94	,,	
7.	,,	197/94	21-5-94	,, पता मुलजिम	
8.	,,	314/94	14-7-94	एफ.आर. अदमवकू	
9.	,,	387/94	1-9-94	,,	
10.	,,	504/94	4-11-94	,,	
11.	,,	507/94	7-11-94	,,	जैर तफतीश पुलिस

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 707 की सूची

ग्राम साकरवाड़ा पं. स. टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर वर्ष 1990 से 1995 तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)	स्वी. वर्ष	योजना	कार्यकारी विभाग	कार्य की स्थिति	अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रास्ता पटाव मकबरा	25000	1990	जे.आर.वाई.	प. स. टोडाभीम	पूर्ण	—
2.	प्राथमिक शाला असरी	1,00,000	,,	नव वित्त आयोग	,,	,,	
3.	रास्ता पटाव भूडा	48,750	1991	जे.आर.वाई.	,,	,,	—
4.	हरा भरा राजस्थान	2,500	,,	,,	,,	,,	
5.	तालाब निर्माण भीमपुर	74,000	,,	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	उच्च प्रा. शा. भवन साकरवाड़ा	52,910	1992	जे.आर.वाई.	प. स. टोडाभीम	पूर्ण	
7.	उ. प्रा. शा. साकरवाड़ा 2 कमरे	80,000	1993	"	"	"	
8.	उ. प्रा, शा. साकरवाड़ा (2 कमरे व बरामदा)	1,62,000	1994	"	"	"	
9.	रास्ता पटाव साकरवाड़ा	1,00,000	1994	"	"	"	
10.	रास्ता पटाव गलीवाला साकरवाड़ा	25,000	1994	"	"	"	
11.	आगमेन्टेशन जल योजना साकरवाड़ा (नलकूप जलाशय पाइप लाइन)	5,52,000	1993	जन स्वा. अभि. विभाग की योजना	पी.एच.ई.डी.	अपूर्ण	नलकूप पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है योजना पर पेयजल वितरण जारी है जी. एल. आर. हेतु संवेदक को कार्य आदेश जारी किया जा चुका है।
12.	हैण्ड पम्प (5 नग)	2,00,000	1991	"	"	पूर्ण	
13.	हैण्ड पम्प	40,000	1993	"	"	"	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	बालाजी रोड से साकरवाड़ा रोड तक सम्पर्क सड़क	2,50,000	1992	निर्बन्ध योजना	सार्वजनिक नि. वि. करौली ।	पूर्ण	
15.	लिंक रोड साकरवाड़ा से टोडाभीम मनकपुरा रोड तक	1,50,000	1994	,,	,,	कार्य शुरू नहीं सड़क के दोनों ओर किसानों की फसल खड़ी रहने व लेवर उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका । फसल कटने के बाद कार्य प्रारम्भ करा दिया जावेगा ।	

हस्ताक्षर
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
सवाई माधोपुर ।

324

अतारांकित प्रश्न संख्या 711 का विवरण

जिला कोटा, बूंदी एवं बारां में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित कालोनी/आवास का विवरण

क. स.	नाम जिला	निर्मित कालोनियों में सम्मिलित गांवों का नाम	कालोनी जिनमें कुछ आवास रहने योग्य है व कुछ रहने योग्य नहीं है।		
			कुल निर्मित	रहने योग्य	नहीं रहने योग्य
1	2	3	4	5	6
1.	कोटा (पंचायत समिति इटावा)	1. गणेश गंज	22	14	8
		2. पीपल्दा	16	2	14
		3. डीपटी काली सिंध	16	12	4
2.	बारां (पंचायत समिति अन्ता)	1. जयनगर	24	18	6
		2. बमूलिया माताजी	13	10	3
		3. कुण्डला	10	7	3
3.	बूंदी (पंचायत समिति केशोरायपाटन)	1. बालापुरा	13	13	—
		2. गेण्डोली	12	12	—
		3. लबान	24	24	—
		4. सुन्दर नगर	15	15	—
			165	127	38

325

कालोनी जिसमें समस्त आवास रहने योग्य नहीं है

1	2	3	4	5	6
1.	कोटा (पंचायत समिति इटावा)	1. गुण्डला	28	—	28
2.	बारां (पंचायत समिति अन्ता)	1. बालदड़ा	24	—	24
		2. तिखोद	10	—	10
3.	बूंदी (पंचायत समिति केशोरायपाटन)	1. मुरजादपुरा	20	—	20
		2. पापड़ी	14	—	14
		3. प्रतापगढ़	14	—	14
			110	—	110